Friday, 28th February, 1992

दशम माला, खंड 8 अंक 4

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(बसवीं लोक सभा)



(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1992 / 9 फाल्गुन, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
1	2	"तक" के स्थान पर "शक" पढ़िये।
4	नीचे से पंक्ति 10	"श्रीमती चन्द्रप्रभा उर्स" के स्थान पर "श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स" पढ़िये।
52	15	"श्री के॰वी॰ तंडगकावालू" के स्थान पर "श्री के॰वी॰ तंग्कावालू" पढ़िये।
113	2	"श्री आस्कर फेरनान्डेस" के स्थान पर "श्री ओस्कर फर्नान्डोज़" पढ़िये।
146	नीचे से पंक्ति 5	"श्री आम॰ जीवरत्नम" के स्थान पर "श्री आर॰ जीवरत्नम" पढ़िये।
254	12	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ख)" पढ़िये।
261	10	"श्री पी॰सी॰ मुदालगिरियप्पा" के स्थान पर "श्री सी॰पी॰ मुदालगिरियप्पा" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 28 फरवरी, 1992/9 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61 और 63 से 67	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—273
तारांकित प्रश्न संख्या : 68 से 71 और 73 से 80	23—40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 694 से 704, 706 से 726, 728 से 739, 741 से 748, 750 से 881, 884 से 886, 888 और 890 से 923	40—263
सभा पटल पर रखे गये पत्र	274—283
प्राक्कलन समिति	283
बारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश — प्रस्तुत	
सभा का कार्य	283—285
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति	286
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	
प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	286
प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991	287
तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	287

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित† चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
भारतीय रेड क्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	287
भारतीय रेड क्रास सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1992	287—288
तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया	
श्री एम० एस० फीतेदार	287
राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चम्पकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोल्लम-कोट्टपुर खंड) विधेयक—पुरःस्थापित	288
नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक—पुरःस्थापित	288—289
नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992	289
तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया	
श्री बलराम जाखड़	289
नियम 377 के अधीन मामले	289—292
(एक) प्रस्तावित सहायक कोयला कम्पनी को उसका मुख्यालय संबलपुर, उड़ीसा में खोलकर शीघ्र चालू करने की आवश्यकता	
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	289
(दो) कर्नाटक को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता	
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	290
(तीन) मरौली बिछिया रोड, धौलपुर में धौलपुर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्रीमती वसुन्धरा राजे	290
(चार) उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर मार्ग पर ऊपरी पुल के शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि चरण दास	290
(पांच) मध्य प्रदेश में एड्स फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री अवध कुमार पटेल	291

(छह) पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन के अन्तर्गत अरंगघाट और मोजदिया स्टेशनों का दर्जा घटाने के प्रस्ताव को लागू न करने की आवश्यकता

डा० अमीय बसु 291

(सात) मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री याइमा सिंह युमनाम 292

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प 292—318

और

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में प्रस्ताव

श्री एम० एम० जैकब 292

श्री घुमान मल लोढ़ा 296

प्रो० एम० कामसन 299

श्री याइमा सिंह युमनाम 304

श्री राम विलास पासवान 309

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक 313

श्री उद्धव बर्मन 315

श्री मोहन सिंह 317

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन—स्वीकृत 318

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) अनिवार्य मतदान विधेयक 318
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी

(दो) उत्पादन संदाय (संशोधन) विधेयक 319
(धारा 1, आदि में संशोधन)
श्री शरद दिघे

(तीन) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक 319
(धारा 1, आदि में संशोधन)
श्री शरद दिघे

विषय	पृष्ठ
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन)	319—320
श्री शरद दिघे	
(पांच) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक	320
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन)	320—321
श्री याइमा सिंह युमनाम	
(सात) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 51, आदि में संशोधन)	321
श्री पी० पी० कालियापेरुमल	
(आठ) विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक (निर्वाचनों में मतदान का अधिकार) विधेयक	321—322
श्री ई० अहमद	
(नौ) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (भोपाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	322
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	
(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 348 में संशोधन)	322
श्री यशवन्त राव पाटिल	
(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 में संशोधन)	323
श्री पी० पी० कालियापेरुमल	
(बारह) असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक	323
श्री आर० जीवरत्नम	
(तेरह) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विजयवाड़ा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	324
श्री दत्तात्रेय बंडारू	
(चौदह) नक्सलवादियों के आतंकवादी कार्य के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक	324
श्री दत्तात्रेय बंडारू	

विषय	पृष्ठ
(पंद्रह) उधार (सीमा नियतन) विधेयक श्री चित्त बसु	324—325
(सोलह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक श्री जार्ज फर्नान्डीज	325
(सत्रह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (नया पैरा 2 क का अन्तःस्थापन) श्री ललित उरांव	326
(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44, आदि का लोप) श्री भगवान शंकर रावत	326
(उन्नीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन) श्री भगवान शंकर रावत	327
(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 174 में संशोधन) श्री मोहन सिंह	327
(इक्कीस) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक श्री चित्त बसु	328
(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 आदि में संशोधन) श्री चित्त बसु	328
(तेईस) परिवार नियोजन विधेयक श्रीमती वासवा राजेश्वरी	328—329
(चौबीस) सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक (धारा 2, आदि में संशोधन) श्री मोहन सिंह	329
(पच्चीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन) श्रीमती विमल कुमारी मंडारी	359

विषय	पृष्ठ
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 356 में संशोधन)	329—359
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सुधीर गिरि	329
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	336
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	338
श्री दाऊ दयाल जोशी	344
श्री मोहन सिंह	346
श्री सुधीर सावंत	350
श्री वी० धनंजय कुमार	353
डा० सुधीर राय	356
श्री पी० सी० थामस	358

लोक सभा

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1992/9 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे सदन को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री राजगोपाल राव बोड्डेपल्ली के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बोड्डेपल्ली ने तत्कालीन मद्रास राज्य के श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र और बाद में आंध्र प्रदेश राज्य का छः बार पहली से तीसरी और पुन पांचवीं से सातवीं लोक सभा का क्रमशः 1952-67 और 1971-84 के दौरान प्रतिनिधित्व किया।

श्री राव पंचायत स्तर से प्रजातन्त्र के शीर्ष मंच तक पहुंचे। अपने लम्बे संसदीय कार्यकाल के दौरान, उन्होंने जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों की समस्याओं की ओर संसद का सफलतापूर्वक ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के अन्तर्गत भी सेवाएं कीं।

एक समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से उन्होंने सहकारी समितियों के विकास में महत्वपूर्ण रुचि ली।

श्री राजगोपाल राव बोड्डेपल्ली का 22 फरवरी, 1992 को विशाखापत्तनम में 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रगट करने में सहयोग करेगा।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन थोड़ी देर के लिए मौन खड़ा होगा।

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

11.02 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चुनाव सम्बन्धी सुधार

[अनुवाद]

*61 **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक† :**
श्री एन० डेनिस :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुनाव सुधार करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1950 मे संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस आशय का विधेयक कब तक पेश किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार चुनाव सम्बन्धी सुधारों के लिए एक समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी हां। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990, नामक एक विधेयक जो मई, 1990 में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, उस सदन में विचार के लिए लंबित है। इस बीच, राष्ट्रपति द्वारा 4 जनवरी, 1992 को जारी अध्यादेश द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 का संशोधन किया गया। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक 26 फरवरी, 1992 को राज्य सभा में पुरःस्थापित कर दिया गया है। सम्पूर्ण निर्वाचन सुधारों का विस्तार से गहन अध्ययन भी कराया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक विधेयक अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990, जिसे राज्य सभा मई, 1990 में पुरःस्थापित किया गया था, अभी भी सदन में विचार हेतु लंबित पड़ा है। पिछले आम चुनाव मे देश में कुछ राजनैतिक दलों ने मन बटोरने के लिए फार्म का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, जबकि कुछ राजनैतिक दल सभी विद्यमान कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी कुछ राज्यों में चुनाव जीतने के लिए बूथों पर कब्जा करने में सफल रहे।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार फार्म का दुरुपयोग बूथ पर कब्जा करने की प्रथा जैसे कदाचारों को रोकने के लिए एक व्यापक विधान लाने पर पुन: विचार करेगी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : महोदय, यह बात सच है कि 1990 में कुछ विधेयक पुरःस्थापित किए गए थे। हम उनके लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सदन के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाये। हमने इसके लिए बहुत कुछ प्रयास किया है।

हमें चुनाव आयोग की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। हमें पिछले संसदीय चुनावों का भी अनुभव प्राप्त है। हम इन सभी पर विचार कर रहे हैं और हम सदन के समक्ष एक विस्तृत विधेयक लाने जा रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित दो मुद्दों विशेषकर धर्म के बारे में, मैंने पिछले

सत्र में उत्तर दिया था कि उस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया जाएगा। मैं इस बात को पुन: दोहराता हूं कि हम पर विचार करेंगे कि इन सभी बातों को आगामी चुनावों में किस प्रकार रोका जा सकता है।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में भी कहा है कि सरकार द्वारा इस पर गहराई से विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध मे बहुत कुछ किया जा चुका है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों की कोई बैठक बुलाने की योजना है और क्या समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा चुनाव सुधार कार्य पूरा किया जायेगा।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, हम इस पहलू पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। अब चूंकि यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं विपक्ष के नेताओं की एक बैठक सत्र की समाप्ति से पूर्व बुलाना चाहता हूं ताकि हम चुनाव सुधारों के बारे में एक आम सहमति कायम कर सकें, जोकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार्य हो। हम एक ऐसी बैठक बहुत ही शीघ्र बुलाने जा रहे हैं।

श्री एम० डेनिस : महोदय, चुनाव सुधारों के बारे में स्वच्छ चुनाव, जो धर्म और बल से मुक्त हो, के लिए सदन में और सदन के बाहर से बहुत से सुझाव दिए गए हैं। उन प्रस्तावों को छोड़कर, जिनमें से कुछ को तुरन्त कार्यान्वित करने में कठिनाइयां सामने आती हैं, प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए जो उपाय किए जाने हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, परिचय-पत्र जारी करना, इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन प्रारम्भ करना, जमानत राशि बढ़ाकर, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा बढ़ाकर और निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करके अवास्तविक उम्मीदवारों की समस्या से निपटा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त प्रश्न कीजिए।

श्री एम० डेनिस : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा और इस पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। मैं एक और गम्भीर अनियमितता का उल्लेख करना चाहता हूं जोकि चुनावों के दौरान अक्सर देखने को मिलती है जिसका सामान्यत: जिक्र नहीं किया जाता है, वह यह है कि चुनाव के दिन, मतदाताओं को उम्मीदवारों की गाड़ी से चुनाव केन्द्रों तक ले जाया जाता है। कुछ राज्यों में यह पद्धति बन्द हो गयी है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अभी भी जारी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह बताने के बजाए कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इस प्रकार की पद्धति को रोकने के लिए ऐसे क्या समान कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एम० डेनिस : क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई व्यापक प्रस्ताव लाएगी।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैंने पहले ही कहा है कि माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे हमारे विचाराधीन हैं। जहां तक अन्तिम मुद्दे का सम्बन्ध है, वर्तमान कानून में भी उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के इस प्रकार उपयोग करने पर प्रतिबन्ध है।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : महोदय, यद्यपि संसद और विधानसभाओं के लिए भिन्न-

मित रूप से चुनाव कराये जाते हैं, फिर भी स्थानीय निकायों के चुनाव 10-15 वर्षों से नहीं हुए हैं। लंबे अर्से तक चुनाव नहीं होते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिनियम में कोई संशोधन करना चाहती है ताकि स्थानीय निकाय और सलाहकारी समितियां सुचारू रूप से कार्य कर सकें और इन निकायों के समय पर चुनाव हो सकें।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने मात्र एक विधेयक का उल्लेख किया है, जोकि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 है। प्रथमतः, उनके उत्तर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार इस सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित करना चाहती है अथवा नहीं अथवा इसे उस स्थिति में रखना चाहती है जबकि दो वर्ष पूर्व इसे पुरः-स्थापित किया गया था।

दूसरे, इस विधेयक के अलावा दो अन्य विधेयक भी हैं, जोकि राज्य सभा में विचाराधीन हैं, दोनों ही संविधान (संशोधन) विधेयक हैं। एक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित है और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित करने से सम्बन्धित है और दूसरा चुनाव आयोग से सम्बन्धित है। इन दोनों विधेयकों के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है और जिस विधेयक का उल्लेख किया गया है उस विशेष विधेयक के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है। (व्यवधान)

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं कुछ सकारात्मक उत्तर देने जा रहा हूं। अन्तिम भाग के बारे में, जिसके बारे में विपक्ष के माननीय नेता ने उल्लेख किया है, हमने राज्य सभा में पहले ही संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया है। सीमांकन और अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित करने के बारे में इस सत्र में विचार किया जायेगा।

जहां तक अन्य विधेयकों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने आपको संकेत दिया है कि हम विपक्ष के सभी नेताओं से विचार-विमर्श करने के उपरान्त इन सभी बातों को लेकर उपस्थित होंगे। यह विचार-विमर्श भी इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही कर लिया जायेगा।

श्रीमती चन्द्रप्रभा उर्से : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या चुनाव प्रक्रिया में संशोधन अथवा सुधार करने के लिए विचार करते समय इन तीनों महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा जायेगा— (क) राष्ट्रीय स्तर पर संविधान के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त दलों की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि अनेक निर्दलीय उम्मीदवारों और बोझिल निर्वाचन पद्धति से बचा जा सके; (ख) जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन तथा आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम की व्यवस्था हो; (ग) क्या लोगों द्वारा अपने वोट दिए जाने के अधिकार को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के ध्यान में है ? हमने देखा है कि सामान्यतः चुनावों में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक वोट पड़ते हैं। इसलिए हमें यह सोचना है कि अन्य 70 प्रतिशत लोगों की आवश्यकताओं और उनका हित देखने के लिए निर्वाचित सरकार को जिम्मेदारी निभानी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मन्त्री जी ने अनिवार्य मताधिकार की बात को समझ लिया है।

श्रीमती चन्द्र प्रभा उर्स : तो क्या मैं माननीय मन्त्री जी से इस बारे में कुछ जान सकती हूं ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : इस समय हम अनिवार्य मताधिकार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि मतदाताओं ने यह जान लिया है कि उनको आना चाहिए और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए।

जहां तक चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन का सम्बन्ध है, 1991 की जनगणना के आधार पर सीमांकन किया जाएगा और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वही रहेगी जोकि आज है। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। जनगणना वृद्धि तथा अनुसूचित जातियों के स्थान के चक्रानुक्रम को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमा में परिवर्तन किए जायेंगे। पहला प्रश्न इस बारे में था··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम चुनाव सुधार के मामलों पर कांग्रेस सरकार के प्रस्तावों से काफी अवगत हैं। जब भी यह मुद्दा उठता है तो वे या तो एक समिति का गठन कर देते हैं अथवा नेताओं की एक बैठक बुला लेते हैं। समिति की रिपोर्टों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है और नेताओं की बैठक में क्या होता है, यह हम सब जानते हैं। इसलिए प्रश्न है राजनीतिक संकल्पशक्ति का। क्या माननीय मन्त्री जी अथवा माननीय मन्त्रियों को मालूम है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दौरान तत्कालीन विधि मन्त्री स्वर्गीय दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस दल का प्रतिनिधित्व श्री एच० के० एल० भगत ने किया था जोकि इस समय मौजूद नहीं हैं और उस समिति ने कई-एक पहलुओं पर लगभग एकमत सिफारिश की थी, क्योंकि जिनमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी केवल उन्हीं विधेयकों को प्रस्तुत किया गया था। अब कम से कम एक विधेयक पर माननीय मंत्री जी सहमत हो गए हैं कि इसे पुरःस्थापित किया जाएगा। कम से कम वह अब पारित करवाने की कोशिश करेंगे। विधेयकों को पुरःस्थापित करने और उन्हें पारित करने में क्या समस्या है जबकि इनके लिए एक-मत सिफारिशें है ? महोदय, सन् 1971 में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। मैं भी उसका एक सदस्य था। उस समिति ने एकमत से कुछ सिफारिशें की थीं। उस समय उस समिति में श्री वाजपेयी और श्री आडवाणी भी शामिल थे लेकिन कुछ नहीं किया गया। पूरा दृष्टिकोण यह रहा है कि समिति का गठन करके मामले में विलंब डाला जाए। इसलिए, मैंने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की, जब आपने कहा कि इस मामले की तह तक जाने के लिए एक नेताओं की बैठक बुलाई जाएगी और एक अन्य समिति का गठन किया जाएगा। कृपया एक कार्य-क्रम अथवा समय सीमा निर्धारित कीजिए जिसमें यह उल्लेख हो कि आप कब ऐसे कानून बनाएंगे और वे कौन से प्रस्ताव हैं, जिन्हें आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : यहां मामले को स्थगित करने का प्रश्न नहीं है। मुझे मालूम है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने अच्छा काम किया है और दिनेश गोस्वामी समिति के

अधिकतर निर्णय स्वीकार कर लिए गए थे। उसके पश्चात्, अनेक बातें घटित हुई हैं जैसे कि पिछला संसदीय चुनाव और उप-चुनाव। हमें उसकी जानकारी भी हासिल करनी है और एक व्यापक विधेयक पुर:स्थापित करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस देश में प्रतिवर्ष चुनाव हो रहे हैं। इसीलिए, प्रस्तावों को कभी भी अन्तिम रूप नहीं दिया जाएगा।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : अब चुनाव केवल 3½ वर्ष बाद होंगे। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि हम कोई अन्य समिति बनाने नहीं जा रहे हैं। हम इस सत्र के समाप्त होने से पहले विपक्ष के नेताओं की एक बैठक आयोजित करने जा रहे हैं, शायद सत्र के अन्तिम दिनों में अथवा अगले सत्र में हम एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*63. **श्री के० एच० मुनियप्पा** :
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कितनी किश्तें देय हो गई हैं;

(ख) इन्हें जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) 3500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को महंगाई भत्ते की कितनी किस्तें देय हैं; और

(घ) इन्हें कब तक जारी किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1-1-1992 से महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त देय हो गई है। यह किस्त अप्रैल, 1992 में ही भुगतान योग्य होगी।

(ग) और (घ) 3500 रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों को 1-7-91 से देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर किए जाने का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री के० एच० मुनियप्पा : महोदय, वे अधिकारी, जो 3500 रु० प्रतिमाह या इससे अधिक का वेतन लेते हैं यह एक बड़ी राशि समझी जाती है। क्या मंत्री जी इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि यह अधिकारी आय-कर की कटौती के बाद उच्च श्रेणी लिपिक के वेतन से भी कम वेतन अपने घर ले जाते हैं ? और यदि हां, तो सरकार इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी में हो रहे विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ? इसके पश्चात् भी, अधिकतर उन अधिकारियों के मामले में जो कि 3500 रु० और इससे अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनको देय महंगाई भत्ते को सामान्य भविष्य निधि अंशदान में शामिल कर दिया जाता है। इसलिए, क्या माननीय मंत्री जी कम प्रतिशत महंगाई भत्ते की राशि अदा करने और उसे सा० भ० नि० अंशदान में शामिल करने के प्रस्ताव के पीछे तर्क की व्याख्या करेंगे ?

श्री शान्ताराम पोतदुखे : जो अधिकारी 3500 रु० तथा उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में यहां न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अधिकारी श्री बी० के० आहलुवालिया न्यायालय में गए थे और सरकार इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन कर रही है। वह समिति पूरे मामले की जांच करेगी क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा भी महंगाई भत्ते की मांग की जा रही है। बैंकों का महंगाई भत्ता देने का अलग तरीका है। इस प्रकार, सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जा रहा है।

श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बतायेंगे कि क्या सरकार अपने सभी बायदों और ब्याज की अदायगियों को भावी सरकार के ऊपर डालती चली आ रही है ? क्या जब भी महंगाई भत्ते की किश्त देय हो, उसकी अदायगी आयकर छूट सहित करना सम्भव नहीं है, और कम से कम उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें उसकी अदायगी की जा रही है ?

श्री शान्ताराम पोतदुखे : उनकी देय राशि मार्च के वेतन के साथ दे दी जाएगी और इसे अप्रैल के महीने में अदा कर दिया जाएगा।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : महोदय, प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 1-1-1992 से महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किश्त देय हो गई है और यह किश्त अप्रैल, 1992 से दी जानी शुरू हो जाएगी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राशि इंदिरा विकास पत्र के रूप में दी जाएगी अथवा नकद दी जाएगी।

श्री शान्ताराम पोतदुखे : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इस पूरे मामले की तह में जाने के लिए सरकार एक समिति का गठन करना चाहती है और जब समिति की सिफारिश सरकार को प्राप्त हो जाएगी तभी सरकार निर्णय लेगी।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का अभिप्राय महंगाई भत्ते की अदायगी पर रोक लगाने अथवा उसे जाम करने का तो नहीं है; यदि हां, तो कब से ?

श्री शान्ताराम पोतदुखे : सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। समिति का गठन कर दिया गया है। हम समिति का रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

कई निर्यात नीति

*64. **श्री अन्नाराव इरा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई/सूती धागे के निर्यात सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस समय कई/सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बुनकरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूई की गांठें आयात करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ङ) इन गांठों को किन-किन देशों से आयात किए जाने की सम्भावना है; और

(च) सरकार ने बुनकरों को बेरोजगारी से बचाने की दृष्टि से इन मदों को उनमें वितरित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान कपास/सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति बनी रही।

(ग) कपास/सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति बने रहने के मुख्य कारण कपास उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट आना, वर्ष 1991-92 के कपास मौसम के शुरू में निम्न आरम्भिक स्टाक का रहना, विद्युत, ईंधन जैसे अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत में वृद्धि होना आदि रहे हैं।

(घ) से (च) हथकरघा बुनकरों के लिए कपास के आयात सम्बन्धी रूपात्मकताओं का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री अन्नाराव इरा : कृषि क्षेत्र के बाद, हथकरघा बुनकरों की जनसंख्या सबसे अधिक है। हथकरघा बुनकर सबसे अधिक उपेक्षित लोग हैं और वे काफी कष्ट उठा रहे हैं। आपको जानकारी है कि अधिकांश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोग हथकरघा बुनाई से ही अपनी आजीविका कमा रहे हैं।

सूत की कम आपूर्ति के कारण और सूत के मूल्य में वृद्धि के कारण, उन्हें समय पर सूत नहीं मिल पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप एक भयप्रद स्थिति पैदा हो गई है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बुनकरों को भुखमरी से बचाने के लिए सूत की नियमित आपूर्ति हेतु उचित कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि यार्न थोड़ा महंगा हुआ है जिसके कारण बुनकर तकलीफ में हैं। हमने इमीडिएट स्टैप उठाए हैं। एक तो जैसे ही यार्न की प्राइस बढ़ी हमने उसके एक्सपोर्ट को सस्पैंड किया और अभी भी एक्सपोर्ट का जो इस साल का कोटा रिलीज करना है उसको न ही ओपन किया है और न ही ऐनाउंस किया है। हम इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि यार्न की पर्याप्तता बुनकरों को उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमने एन० टी० सी० को भी कहा है कि वे अपनी वीविंग एक्टीविटी कम करके यार्न का प्रोडक्शन ज्यादा करें। उसमें भी जो बिलो 40 काउंटस हैं, जो बुनकरों के काम ज्यादा आता है, उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। साथ में, एन० एच० डी० सी० का मुख्य कार्य यह है कि वह यार्न की सप्लाई करे। उसके लिए जगह-जगह डिपो खोलने का कार्य किया है।

स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है, मुख्य मंत्री को निवेदन किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैड-

क्वार्टर पर कमेटी के ग्रूडी-होल्डिंग कैम्पेन चलाए, स्टेट गवर्नमैंट की मिलें, कोपरेटिव सैक्टर की मिलें भी ज्यादा यार्न का प्रोडक्शन करें जिससे पर्याप्त मात्रा में यार्न मिल सके। इसके अलावा हम जो इम्पार्टेंट निर्णय करने जा रहे हैं उसमें हमने दो लाख कौटन बेल्स इम्पोर्ट करने का निर्णय लिया है जो सिर्फ हैंडलूम वीवर्स को मिले।

[अनुवाद]

श्री अम्बारासु इरा : महोदय, मैंने पूछा है कि क्या बुनकरों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कपास की गांठें आयात करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है। यह मेरा प्रश्न है। उन्होंने जो यहां कहा है हथकरघा बुनकरों हेतु कपास का आयात करने की प्रकारता तय की जा रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 1982 के दौरान, जब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं और श्री प्रणब मुखर्जी, वाणिज्य और वस्त्र मंत्री थे, बड़े पैमाने पर सूत के आयात हेतु चीन को क्रयादेश तुरन्त दे दिए गये थे।

उन्हें स्वरूप तय करने में कितना समय लगेगा ? मैं चाहता हूं कि यह समय-अवधि के अन्तर्गत होना चाहिए। प्रकारता क्या-क्या हैं ? किन देशों से वे आयात करने जा रहे हैं ?

मुझे पता है कि बहुत-से मंत्री अफसरशाही द्वारा मार्गदर्शित हैं। उन्हें पहल करनी चाहिए। लोगों के हितार्थ एक वायदा होना चाहिए। जितनी बार हम पूछते हैं, उत्तर होता है, "वायदे तैयार किये जा रहे हैं" मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि चाहे यह सरकार हो अथवा पिछली सरकार हो अथवा कोई सरकार हो, उन्हें अफसरशाही का गुलाम नहीं बनना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। इसे कार्रवाई विवरण में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। नहीं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : हैंडलूम वियर्स की प्राबलम को समझते हुए हमने यह तय किया कि 2 लाख बेलों को हैंडलूम के लिये इम्पोर्ट किया जाये। इसलिये मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि सरकार इसके बारे में गम्भीर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कितने टाइम में करेंगे ?

श्री अशोक गहलोत : इसमें कैबिनेट अपना निर्णय करीब-करीब कर चुकी है। हम जल्दी ही इस काम को करेंगे।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : जब सरकार को यह पता चल गया था कि 1992 के प्रारम्भ में कपास की नई फसल आ रही है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार को नवम्बर, 1991 में पांच लाख गांठें आयात करने की नीति बनाने को किसने बाध्य किया। दूसरे, विदेशी कपास जोकि आयात की जानी है उसकी कीमत कम होने के कारण क्या सरकार सूत की कीमत नीचे लाने का आश्वासन देगी, जोकि हथकरघा और पॉवरलूम क्षेत्र को सहायता देगी ? अन्यथा, सरकार को कपास के आयात की नीति के कारण, जोकि अभी तक सरकार द्वारा अपनायी नहीं गयी है, को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जब 5 लाख गांठों का दिसम्बर में एनाउंस हुआ, उसके बारे में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त, उनकी अपनी पालिसी के अन्तर्गत काटन को एक्सपोर्ट किया गया, उस समय प्रोजेक्शन 133 लाख बेल्स का था जबकि प्रोडेक्शन 117 लाख के करीब हुआ था। जो प्राइस सितम्बर, 1990 के अन्दर करीब-करीब 7300 पर कैंडी थे, वे बढ़ते-बढ़ते फरवरी में 8,000 हो गये। उसके बाद जम्प ऐसा हुआ कि अप्रैल में 10,350, जुलाई में 12,800—(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस सरकार ने 1991 में कपास निर्यात-नीति की घोषणा की थी। जिसमें दिसम्बर में कपास की कीमत बढ़ गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह सवाल पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मैं उसी प्वाइंट पर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगस्त, 1990 में 14,200 के भाव हो गये और जैसे ही काटन सीजन शुरू हुआ 1991 के अन्दर तो सितम्बर में 11,500, अक्तूबर में 9800 और नवम्बर में 9700 आ गए थे। तीन महीने के अन्दर 14,200 से 9800 पर आ गए। जब हमने सोचा कि किसानों को पूरा प्राइस नहीं मिलेगा तो जरूरी था कि इनके बारे में कुछ सोचते थे। इसलिए 5 लाख बेल्स का एनाउन्स किया। एक लाख बेल्स को ओपन रखा और चार लाख बेल्स कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया के डिसपोजल पर छोड़ दिया और कहा कि अगर जरूरत पड़े तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए तो एक्सपोर्ट करें वरना नहीं करें। उसमें कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कॉनटरेरी इंटरस्ट है। इस वजह से काटन इंडस्ट्री उसके हिसाब से देखें। अगर विवर्स का ध्यान रखें तो भी मुश्किल होती है और अगर कॉटन ग्रोअर्स को पूरा प्राइस नहीं मिलेगा तो वे क्रॉप को शिफ्ट कर लेंगे। इन सबका पूरा ध्यान रख कर कॉटन पालिसी को रखना पड़ता है।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष जी, हम में जो गुस्सा या मन के अन्दर जो वेदना है कि बुनकरों को ठीक प्रकार का रोजगार मिल सके और उसको लाभ मिल सके और इसके अनुसार आप चलें, यही हमारे मन में चिन्ता है। अब यह बताया जा रहा है कि सूत नहीं मिल पा रहा है। सूत के लिये सूती मिलें हैं। जिनको चलाया जाना चाहिये। यह नेशनल पालिसी के अंतर्गत ···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइये।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम चुनकर आये हैं और हमारे बुनकर तकलीफ में हैं। अतः उसको दूर करने के लिए कोई उपाय होना चाहिए। जिस प्रकार से मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है और उन्होंने खुद भी यह स्वीकार किया है कि सूती धागा और रूई के भाव बढ़ गये और बढ़ने का ट्रेंड रहा है। ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि निर्यात नीति में कोई ऐसा परिवर्तन करने से, जिससे बुनकरों को ठीक प्रकार का, ठीक किस्म का धागा ठीक मूल्य पर मिल सके, इसके लिये कोई प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब पहले सवाल के उत्तर में दे दिया गया था।

[अनुवाद]

श्रीमती बाजवा रत्नेश्वरी : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि किस किस्म के कपास का आयात किया जा रहा है—यह मध्यम रेशे का है अथवा लम्बे रेशे का कपास है? तथ्य यह है कि कपास-उत्पादकों की उत्पादन-लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। यदि कपास का आयात किया जाता है तो किसान इससे बुरी तरह प्रभावित होगा, उसे उचित मूल्य नहीं मिल पायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है अथवा नहीं? आगे, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि मुझे अवगत करायें कि कपास का और आयात क्या किसानों को प्रभावित नहीं करेगा; क्या कपास उत्पादन में गिरावट नहीं आयेगी?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : दो लाख बेल्स खाली हैण्डलूम के लिए रखा है इसलिए उससे कोई कॉटन प्रोअर हिट नहीं होगा, क्योंकि, अभी भी प्राइस काफी ऊंचे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुकाबले में, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि दो लाख बेल्स अगर इम्पोर्ट करेंगे तो उससे खाली हैण्डलूम वीवर्स को फायदा मिलेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा, पिछले सत्र में इस प्रश्न पर भी आपने अपने कक्ष में एक बैठक बुलाई थी और बुनकरों के सवाल पर आप और मंत्री जी सभी सहमत थे कि यह दशा गम्भीर है और एक दिन की चर्चा इस समस्या पर जरूर करनी चाहिए। मंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि बुनकरों की समस्या अत्यन्त दयनीय हो गई है, कुछ जगहों पर तो लोगों ने भूख के कारण आत्महत्या कर ली है, खुदकशी कर ली है। महत्वपूर्ण प्रश्न आज सूत की बढ़ती हुई कीमत का नहीं है बल्कि उनका जो माल तैयार होता है, जो कपड़ा तैयार होता है, वह बिल्कुल बिक नहीं रहा है और सरकार इस बात को जानती है कि करोड़ों रुपये का सामान बिक नहीं रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कपास के आयात और निर्यात तक ही सीमित है। समस्याएं अनेक हो सकती हैं। यह प्रश्न सीमित है।

श्री चन्द्रजीत यादव : परन्तु यह बुनकरों की समस्याओं से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं ले रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : फिर मैं अपना प्रश्न इस प्रकार पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

क्या यह बात भी सही है कि सरकार का कुछ देशों के साथ सूत के लिए कमिटमैण्ट है, लाजिमी तरीके से एक्सपोर्ट करने के लिए और उसकी वजह से भी स्थिति में एक अनिश्चितता पैदा हो गई है और सूत का भाव उसकी वजह से भी बढ़ता जा रहा है और बीच में जो मिडिल-मैन है, जिसको मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि चोरबाजारी हो रही है और डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह छानबीन करें तो क्या जो मध्यवर्ती लोग हैं, जो चोरबाजारी कर रहे हैं, इस चीज का फायदा उठाकर, उसके लिए कोई सक्रिय प्रभावकारी कदम भी सरकार उठायेगी ?

श्री अशोक गहलोत : सर, यार्न के एक्सपोर्ट को जो हमने एलाऊ कर रखा है उसमें सिर्फ 100 परसेण्ट जो एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स है, उनको एलाऊ किया है, उसके अलावा एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत जो कपास मंगाते हैं, उनको एलाऊ किया है। कॉटन कण्ट्रीज में जो हमारा हिस्सा है, उसको एलाऊ किया हुआ है, उसके अलावा जो कैपीटल गुड्स के अगेन्स्ट में एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन है, उसको पूरा करने के लिए दूसरी कंट्रीज से कोई हमारा कामटमैंट नहीं है कि वहां जरूर भेजना ही पड़ेगा।

जहां तक आपने पूछा कि बिचौलिये गड़बड़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि हमने एक तरफ सप्लाई बढ़ाने का प्रयास किया है, एन० टी० सी० के माध्यम से और कोऑपरेटिव सैक्टर की स्पीनिंग मिल्स के माध्यम से। इसके अलावा हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर के माध्यम से यह पता लगायें कि अगर कहीं होर्डिंग है तो उसको बाहर लाने वाली बात करें। हम दो महीने पहले ही इस बारे में मुख्य मंत्रियों को लिख चुके हैं।

अगर आप इस बारे में चर्चा करना चाहें तो उसमें भी मुझे कोई ओब्जैक्शन नहीं होगा।

श्री राम निहोर राय : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही प्रभाग, जो करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा आपको देता है, आज वहां का वह कालीन उद्योग कैंसर का मरीज होता जा रहा है तो मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के कालीन बुनकरों को तथा कालीन के निर्यात पर दी जाने वाली इंसेंटिव देने पर सरकार पुनः विचार कर रही है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह इस प्रश्न में से नहीं निकलता है।

केन्द्रीय सड़क कोष

*65. **श्री पंकज चौधरी**† :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सड़क कोष की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क कोष से प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों को निधियों का आवंटन बजट में केन्द्रीय सड़क निधि के लिए किए गए प्रावधान में से किया जाता है। वर्ष 1992-93 के बजट में उपलब्ध प्रावधान की अभी जानकारी नहीं है।

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि देश के राष्ट्रीय मार्गों की लम्बाई में वृद्धि तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों की लम्बाई के वृद्धि के प्रतिशत तथा उनकी प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर औसत लम्बाई में अत्यधिक अन्तर है ?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। जो प्रश्न उन्होंने किया है, उसका अलग से नोटिस देंगे, तो उत्तर दूंगा।

श्री पंकज चौधरी : क्या सरकार अन्य मार्गों को राष्ट्रीय मार्गों से जोड़ने के लिए विचार कर रही है ?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केन्द्रीय सड़क निधि के सम्बन्ध में है।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 44 सालों के अधिक की अवधि के बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश व अन्य अनेक राज्यों में अभी तक एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले आधे से अधिक गांवों तक पहुंचने को सम्पर्क मार्गों का निर्माण नहीं हो सका है। देश में सड़कों का अधिक निर्माण हो सके, इसलिए केन्द्रीय सड़क कोष में संसाधन वृद्धि हेतु पैट्रोल पर लगने वाले सड़क सैस की राशि बढ़ाने का संकल्प संसद ने पारित किया था। मेरा प्रश्न है, कि निर्णय को लागू कर शासन पैट्रोल पर बढ़ी हुई दर पर सड़क सैस की राशि के आधार पर केन्द्रीय सड़क कोष में धन क्यों जमा नहीं करा रही है, जिससे राज्यों को सड़क निर्माण हेतु अधिक धन उपलब्ध हो सके ? प्रश्न का "ख" भाग है—क्या केन्द्रीय सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में सभी प्रदेशों में गांवों तक पक्की···

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एक तो आप पढ़ रहे हैं और दूसरे आप इतना लम्बा प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर बाद में बोलेंगे कि मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। आप प्वाइंटेड प्रश्न पूछिए, वे प्वाइंटेड जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं, आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई समयबद्ध कार्यक्रम है, जिससे सभी राज्यों में···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : यह सैंट्रल रोड फण्ड का सवाल है। सैंट्रल रोड के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोड फण्ड के लिए कोई प्रावधान किया गया है—ऐसा प्रश्न आप पूछना चाहेंगे।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं यह भी पूछना चाहूंगा और रोड सैस का पैसा राज्यों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ?···(**व्यवधान**) ··

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को प्वाइंटेड बनाइए, प्वाइंटेड रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो प्रश्न गुम जाएगा।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों तक पक्की सड़क बनाने की क्या योजना है और उसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने की कोई योजना है ? ··(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप केवल उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो केन्द्रीय सड़क निधि से सम्बन्धित है।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि संसद में संकल्प पास होने के बावजूद भी सैन्ट्रल रोड फण्ड में जो पैसा आना था, वह पैसा आ नहीं पाया और उसको लागू नहीं किया जा सका है। उसके लिए मंत्रालय कैबिनेट में 18 फरवरी को गया, उसका निर्णय होने के बाद, निर्णय करेंगे कि हम उसको कैसे लागू कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक : कलकत्ता से मद्रास बरास्ता उड़ीसा राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत काफी खराब है। रात्रि में यात्रा करने वालों की जान और माल एक जोखिम भरी और एक निराशाजनक समस्या है···

अध्यक्ष महोदय : यह केन्द्रीय सड़क निधि से सम्बन्धित है न कि कलकत्ता से मद्रास की एक सड़क के लिये।

श्री मृत्युन्जय नायक : यह एक अन्तर्राज्यीय सड़क है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अस्वीकृत करने जा रहा हूं।

श्री मृत्युन्जय नायक : इस क्षेत्र विशेष की समस्या को लेने हेतु सरकार ने कौन से उपाय किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस निधि में से उस सड़क के लिये कुछ निधि प्रदान करना चाहेंगे ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल और डीजल के माध्यम से सैंट्रल रोड का पैसा आना है। संसद में संकल्प पास होने के बाद भी उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय नहीं होगा, तक वह लागू नहीं होगा और हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उसको दे सकें।

[अनुवाद]

डंकल प्रस्ताव

*66. श्री सैयद शाहबुद्दीन :
श्री भोगेंद्र झा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के सम्बन्ध में डन्केल प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों के बारे में विभिन्न कार्य दलों और व्यक्तियों की राय भी मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) उरुग्वे में "गैट" के बारे में आयोजित वार्ता के लिए सरकार ने किन-किन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया था;

(छ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बातचीत की पहल की थी; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

दिनांक 20 दिसम्बर, 1991 के विस्तृत प्रस्ताव में गाट के महानिदेशक, श्री आर्थर डंकल ने उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में समझौता निराकरणों का सुझाव दिया है जिनमें उरुग्वे दौर में सहभागियों में उस तारीख तक मतभेद बना हुआ था। सरकार द्वारा डंकल प्रस्तावों की जांच की जा रही है। सरकार की प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि डंकल पाठ में भारतीय दृष्टि से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं।

सरकार ने डंकल प्रस्तावों के बारे में अर्थशास्त्रियों, परामर्शदाताओं और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित जनता के प्रतिनिधि-वर्ग के साथ परामर्श किया है। डंकल पाठ में विहित प्रस्तावों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में विचार व्यक्त किए गए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

सरकार ने डंकल प्रस्तावों के बारे में अभी अपना रुख तय नहीं किया है। एक बार अन्तिम रुख किए जाने पर सरकार अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जेनेवा में होने वाली उरुग्वे दौर की अगली वार्ताओं में सहभागिता करेगी।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, विवरण में सरकार ने कहा है कि डंकल प्रस्ताव में नकारात्मक विशेषताएं की गई है। मैं समझता हूं कि इसे वर्ष के अन्डरस्टेटमेंट का दर्जा दिया जाए। डंकल प्रस्ताव हमारी संप्रभुता के लिए विनाशकारी, सुरक्षा के लिए खतरा, हमारे आर्थिक कार्यकलापों की स्वतंत्रता और यहां तक कि हमारे घरेलू मामलों में नियन्त्रण, हमारे मौजूदा वितरण व्यवस्था का क्षय है, संक्षेप में यह विश्व में बढ़ रही अमीरी के विपरीत हमारी गरीबी को उछालना है। अत: देश में डंकल प्रस्तावों का जबरदस्त विरोध हो रहा है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और मुझे आशा है कि सरकार ने 12 जनवरी को सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श और उसके संकल्पों को महत्व दिया होगा।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहबुद्दीन, कृपया ऐसा न करें। आप सम्मेलनों और सिद्धान्तों का उल्लेख कर रहे हैं। आपको प्रश्न पूछना है। बहुत से लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : डंकल प्रस्ताव का महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि व्यापार और दर को निवेश के उपायों, पेटेंट नियम के साथ जोड़ता है, जिसका प्रभाव प्रौद्योगिकी के प्रवाह और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रश्न पर पड़ता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार उरुग्वे दौर की अगली वार्ता से पहले इस प्रश्न में जाने के लिए सुविख्यात न्यायविदों और अर्थशास्त्रियों का एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने और उनके द्वारा उरुग्वे दौर की वार्ता के मामले में आगे और कार्यवाही करने से पहले इस पर संसद में विचार-विमर्श कराने का है।

श्री पी० चिदम्बरम् : जी हां, संसद के लिए उपयुक्त तिथि और कार्य व्यापार सलाहकार समिति के निर्णयानुसार मेरा इरादा संसद में एक पूर्ण वाद-विवाद कराये जाने का है और संसद के विचारों को जाने बगैर हम उरुग्वे दौर की वार्ता में भाग नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहबुद्दीन, क्या आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं या श्री भोगेंद्र झा प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : श्री भोगेंद्र झा प्रश्न पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेंद्र झा।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सदन से और आपसे विलंब के लिए क्षमा मांगता हूं।

महोदय, विवरण में जो उत्तर दिया गया है वह एकदम अस्पष्ट है। सरकार कह रही है कि यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। विश्व और ब्रह्माण्ड में कोई चीज सर्वथा ऐसी नहीं है जिसके कुछ सकारात्मक पहलू न हों चाहे यह जहर हो या अणु या कुछ और। इसलिए वे इसमें कुछ सकारात्मक देख रहे हैं। प्रश्न यह है कि हमारा स्पष्ट कानून ऐसा उत्पाद या प्रक्रिया नहीं है जिसे स्पष्ट किया जाना है। क्या आप उस पर चल रहे हैं या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या तथाकथित डंकल नीति के प्रस्तावों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है, यह सब चर्चा करने के बाद करेंगे । आप मुख्य प्रश्न पूछ लीजिए ।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं केवल "गैट" वार्ताओं के संबंध में और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संपत्ति अधिकारों तथा विशेष रूप से पेटेंट नियम के बारे में जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने क्या विशिष्ट सकारात्मक पहलू देखे हैं जिनका यहां उल्लेख किया गया है और नकारात्मक बिंदुओं के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ? देश को यह जान लेना चाहिए क्योंकि हमें शंका है कि सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव के सामने झुक सकती है ।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं माननीय सदस्य श्री भोगेंद्र झा के विचारों का बहुत सम्मान करता हूं। 24 दिसम्बर को दिए गए अपने प्रारंभिक बयान में मैंने कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक विशेषताओं का पता लगाया था । प्रश्नकाल के इस थोड़े से समय में डंकल प्रस्ताव के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का उत्तर दे पाना कठिन है । जैसा कि मैंने प्रस्ताव किया है संसद में उपयुक्त तिथि को हम एक पूर्ण चर्चा करेंगे और इसमें हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं । जैसा कि मैंने बार-बार कहा है कि अपने विचारों को अंतिम रूप देने से पहले माननीय सदस्यों, न्यायविदों, अर्थशास्त्रियों, विद्वान लोगों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर मैं निश्चित रूप से ध्यान दूंगा । मैंने यह कहा और अपना प्रस्ताव दोहराया कि हमें कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित तिथि को पूर्ण परिचर्चा की प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप नोट परिचालित कर सकते हैं ।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं, माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी के सुझाव को स्वीकार करता हूं । इस बारे में वाद-विवाद शुरू करने से पहले मैं एक वक्तव्य देना चाहूंगा अथवा एक नोट परिचालित करूंगा, जिसके आधार पर चर्चा हो सकती है ।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या हम यह मान लें कि किसी सहमति पर पहुंचने से पहले इस सभा को विश्वास में लिया जायेगा और वह सभा के सामने उपस्थित होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही ऐसा कह चुके हैं ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : चूंकि डंकल-प्रस्ताव में अनेक नकारात्मक बातें हैं, क्या भारत सरकार विकासशील देशों में अधिक प्रगतिशील चीन, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों की कोई द्विपक्षीय वार्ता कराने की इच्छुक होगी, ताकि उसके अनुरूप कोई गैट-वार्ता में सामान्य रुख अपनाया जा सके ।

श्री पी० चिदम्बरम् : जब से मैंने कार्यभार संभाला है, तब से मैंने और हमारे अधिकारियों ने अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं की हैं । माननीय सदस्य ने तीन देश चीन, ब्राजील और मैक्सिको का ही जिक्र किया है ।

पहले ब्राजील उरुग्वे चक्र का वार्ताओं में हमारे रवैये के बहुत समर्थन रहा है। माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी है। अब ब्राजील ने विभिन्न प्रस्तावों पर अपना विरोध त्याग दिया है।

चीन के साथ, जब वहां के प्रधानमंत्री ली-पेंग यहां आये थे, हमारी विस्तृत चर्चाएं हुई थीं। फिर माननीय सदस्य जानते हैं कि चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय चर्चा सम्पन्न की है जोकि डंकल प्रस्तावों से बिल्कुल मेल नहीं खाती।

मैक्सिको ने हमारे रवैये का कभी भी समर्थन नहीं किया है। मैक्सिको ने वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यक्त आशंका के विषयों से मिलते रवैये पर कानून बनाए हैं। परन्तु हमने आशा नहीं छोड़ी है। मैंने अनेक देशों से बातचीत की है। मुझे आश्वासन मिले हैं कि कई विकासशील देश हमारी चिन्ता के कुछेक गम्भीर क्षेत्रों पर, जहां तक सम्भव होगा, समर्थन देंगे। परन्तु जब उरुग्वे चक्र की वार्ता पुनः शुरू होगी, वे क्या रवैया अपनाते हैं, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि प्रस्ताव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के अनुसार सकारात्मक पहलू कौन-कौन से हैं और नकारात्मक पहलू कौन-कौन से हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो इन मुद्दों पर भी विचार होगा। वह इस पर सभा में चर्चा के लिए सहमत हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : हम इस पर चर्चा करेंगे। परन्तु वे एक अनुमान पर पहले ही पहुंच चुके हैं और उन्होंने सभा को उत्तर दिया है। उत्तर में यह कहा गया है कि इस प्रस्ताव में सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार एक अनुमान पर पहुंच चुकी है। अतः सरकार को बताना चाहिए कि उनके अनुसार कौन-कौन से सकारात्मक पहलू हैं और कौन-कौन से नकारात्मक पहलू हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, अत्यन्त आदर सहित, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री भोगेन्द्र झा, द्वारा कोई प्रश्न पूछा गया था। मैंने कहा है कि मैंने 24 दिसम्बर को जो आरम्भिक वक्तव्य दिया गया था, कि मैंने इस प्रस्ताव के कुछ सकारात्मक पहलुओं और कुछ नकारात्मक पहलुओं की पहचान की है। प्रश्न का उत्तर देने के चंद ही मिनटों के अंतराल में उन सभी पहलुओं को गिना पाना कठिन होगा। जब इस विषय पर एक विस्तृत वाद-विवाद होगा, मैं सरकार की दृष्टि में सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को गिना दूंगा। अपने दृष्टिकोणों को अन्तिम रूप देने से पहले और उरुग्वे चक्र की वार्ता में शामिल होने से पहले हम आपके विचारों को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसके परिपेक्ष्य में, हम अगले प्रश्न को लेते हैं। श्री साइमन मरान्डी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साईमन मरान्डी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

काले धन को सफेद धन में बदलना

[हिन्दी]

*67. **श्री साईमन मरान्डी†** :
श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991 के अन्तिम छः महीनों के दौरान काले धन को सफेद धन में बदलने हेतु अनेक योजनायें शुरू की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं में अभी तक प्रत्येक राज्य में माहवार कुल कितनी धनराशि जमा की गई;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत 15 फरवरी, 1992 तक कुल कितनी मुद्रा एकत्रित हुई; और

(ङ) इस धनराशि का प्रयोग सरकार द्वारा किन प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 27 सितम्बर, 1991 को अधिसूचित राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना 1991 काला धन जुटाने के लिए थी। दो अन्य योजनाओं अर्थात विदेशी मुद्रा प्रेषण (उन्मुक्तियां) योजना, 1991 तथा भारत विकास बाण्ड योजना, 1991 की विदेशी मुद्रा का अन्तर्प्रवाह करने की दृष्टि से क्रमशः 20 और 21 सितम्बर, 1991 को अधिसूचित किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक योजना के अंतर्गत जमाराशियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 15 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रेषण (उन्मुक्तियां) योजना तथा भारत विकास बाण्ड योजना के अंतर्गत एकत्रित की गई कुल विदेशी मुद्रा लगभग 2.35 अरब अमेरिकी डालर थी।

(ङ) स्वैच्छिक जमा योजना के अंतर्गत एकत्रित की गई निधियां मुख्यतः गंदी बस्तियों में सुधार करने तथा गरीबों के लिए कम लागत के मकान बनाने हेतु उपयोग किए जाने के लिए है, अन्य दो योजनाओं अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रेषण (उन्मुक्तियां) योजना तथा भारत विकास बाण्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त धन से भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार आने की संभावना है।

विवरण

(लाख रुपए)

राज्य	जुटाई गई कुल राशि (संचयी)			
	30-10-1991	29-11-1991	30-12-1991	31-1-1992
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	0.00	74.44	103.56	115.96
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	4.70	27.75	56.04
बिहार	0.00	34.29	116.45	21.90
गोआ	0.00	16. 0	19.90	29.00
गुजरात	74.80	228.80	430.99	59.00
हरियाणा	0.00	8.70	18.20	25.00
हिमाचल प्रदेश	3.35	17.50	42.96	61.56
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	13.83	295.61	471.55	667.76
केरल	143.70	33.08	342.08	461.80
मध्य प्रदेश	0.00	38.97	76.72	142.57
महाराष्ट्र	75.63	833.99	1438.28	1954.37
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	4.00	19.73
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	10.00	10.00	11.50
उड़ीसा	1.00	89.25	200.41	276.74
पंजाब	0.00	122.10	230.38	255.10
राजस्थान	0.00	28.76	51.76	82.21
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	58.14	282.54	520.99	809.34
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	16.80	450.24	808.53	1551.03
पश्चिम बंगाल	2.00	923.21	1087.42	1832.11

1	2	3	4	5
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.73
चंडीगढ़	0.00	15.60	18.60	34.50
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन व द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	197.68	646.56	943.71	1463.33
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.80	0.80	0.80	0.80
समस्त भारत का जोड़	587.75	4444.23	6971 03	10659.93

[हिन्दी]

श्री साईमन मरान्डी : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा काले धन को सफेद बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी गई जो कि सरकार की आशा के अनुरूप बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में क्या यह बतायेंगे कि छह माह के अन्दर काला धन जुटाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-कौन-सा मुकदमा चला है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने दस्तावेज पकड़े गए और क्या उन पर न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि काले धन को सफेद करने के लिए जो योजनाएं बनायी गई थीं, उनमें कितना रुपया आया है। मैंने एक एनेक्सचर में बताया है कि राज्यवार आन्ध्र प्रदेश से लेकर पांडिचेरी तक उस अवधि में कुल 106 करोड़ 59 लाख रुपए प्राप्त हुए। दूसरा प्रश्न यह है कि इस अवधि में जो भी आयकरदाता कानून के खिलाफ काम करते हैं या धन छिपाने की व्यवस्था करते हैं उनके लिए इन्कम टैक्स में विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं जिसमें उन पर कर, ब्याज तथा जुर्माना पैनल्टी लगाते हैं। जो कारावास के केस आते हैं तो कारावास की व्यवस्था कानून के अन्तर्गत है। यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम उसके आंकड़े सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री साईमन मरान्डी : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार हमेशा विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष के दबाव से बार-बार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाती है, जिसके चलते भारतीय मूल के बाहर रहने वाले लोग भारत में पूंजी लगाना नहीं चाहते इसलिए क्या सरकार अपनी अर्थनीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जहां तक हमारी योजनायें हैं उनमें विश्व बैंक या अन्य किसी बाहरी वित्तीय संस्थान या उसके अधिकारी का किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं है।

हमने अपनी नीतियां स्वत. बनाई हैं। जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं हमने उनको मौका दिया था कि वे हिन्दुस्तान में रुपया भेजें और अगर चाहें तो इंडियन डेवलपमेंट बांड को भी खरीद सकते हैं। यह प्रावधान केवल अनिवासी भारतीयों के लिए किया गया था। उसके अन्तर्गत दो हजार करोड़ रुपये से अधिक हिन्दुस्तान भेजा गया और आई० डी० बी० के तहत विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों ने चार हजार करोड़ से अधिक रुपये के बाण्ड्स खरीदे हैं। इस तरह से ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत हम अनिवासी भारतीयों को मौका देते हैं कि वे भारत में निवेश करें, अधिक से अधिक करें ताकि अधिक नीतियों में भारत में रुपया लग सके। इसके लिए यह सारी व्यवस्था की गई है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी के जवाब के समय धिक्कार शब्द का प्रयोग किया था, वह इसलिए किया था कि देश के सामने दो बहुत बड़ी समस्यायें हैं। एक तो काले धन की और दूसरी आवास समस्या है। इन्हीं को हल करने के लिए ये योजनायें बनाई गई थी। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि एक अरब साठ करोड़ रुपये से अधिक धन प्राप्त हुआ है, मंत्री जी स्वयं बतायें—क्योंकि मेरे हिसाब से 25 हजार मकान ही इससे बनेंगे, तो क्या इस योजना से जो धन प्राप्त हुआ है क्या इस योजना को वे सफलीभूत मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो आपकी ये दो योजनायें जो फेल हो गई हैं काले धन को निकालने की और आवास समस्या को हल करने की, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : हमने धिक्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया, हो सकता है आपको सुनने में भ्रम हुआ हो···(**व्यवधान**)···हमारे पास जो रुपया आया है यह रुपया हम जो गरीब आदमी गांवों और झोंपड़ों (स्लम) में रहते हैं उनके लिए मकान बनाने हेतु खर्च करेंगे, यह हमारी योजना है···(**व्यवधान**)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : वित्त मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट बतायें।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी, प्रश्न ऐसा है कि जो धन आपके पास आया है उससे क्या समाधान होगा ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : समस्या बहुत बड़ी है। इसका समाधान इतने रुपये से नहीं हो सकता है। लेकिन इस रुपये का अच्छी तरह से उपयोग करके जितना समाधान हो सकता है वह करेंगे और गरीब लोगों के लिए आवास समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया इसे बन्द करें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। वह आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम कबूल करते हैं कि काले धन को पर्याप्त मात्रा में निकालने में हमें पूरी सफलता नहीं मिली है, वह योजना पूरी नहीं हुई। जो दूसरी योजना थी कि बाहर से

रुपया आये, रेफर्टेसिज स्कीम के अन्तर्गत रुपया आया है और भारतीय विकास बांड्स खरीदने में पूरी सफलता मिली है क्योंकि इसमें हमें छः-साढ़े छः हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

श्री प्रफुल्ल पटेल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत देश का काला धन निकालना था, उसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमारे देश में जो काला धन है, उसको सफेद करने के लिए और क्या योजना है ? काले धन का और जैनेरेशन न हो, इसके लिए शासन कौन से कदम उठा रहा है, इसके बारे में जानकारी दें।

श्री रामेश्वर ठाकुर : पहली बात जो आपने कही है तो नेशनल हाऊसिंग बैंक स्कीम के अन्तर्गत···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े उद्वेलित हो रहे हैं। आपको सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मैं आपसे इस प्रकार की टिप्पणी की आशा नहीं करता। इस प्रकार से नहीं। मैं सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दे रहा हूं। आपको भी अवसर दिया जायेगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर ठाकुर : नेशनल हाऊसिंग बैंक के अन्तर्गत जो रुपए प्राप्त हुए हैं उससे योजनायें बनायी जायेंगी और काले धन को निकालने के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिक से अधिक सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अभी कोई नयी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य

*68. **श्री राम सजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या प्रति वर्ष जुलाई-अगस्त के दौरान रबड़ के प्रशासनिक मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सरकार वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा की लागत अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित प्राकृतिक रबड़ (आर० एम० ए०-4 ग्रेड) को बैंच मार्क कीमत में संशोधन की घोषणा करती है जो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के लिए विभिन्न विविधियों की लागत में हुई वृद्धियों को ध्यान में रखकर सिफारिश

करती है। वर्तमान बैंच मार्क कीमत लागत लेखा शाखा की सिफारिशों के आधार पर 15 जनवरी, 1991 को 21.450 रु० प्रति मी० टन निर्धारित की गई थी।

वाणिज्य मंत्रालय की सलाह पर लागत लेखा शाखा में नया अध्ययन किया है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन पर सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है और इस सम्बन्ध में ब्यौरे देना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

निर्यात में कमी

*69 **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**
श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के प्रथम सात महीनों में हुए निर्यात में गत वित्त वर्ष को इसी अवधि हुए निर्यात की तुलना में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत, डालरों में बताएं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्रों तथा रुपये भुगतान वाले क्षेत्रों को कितना-कितना निर्यात किया गया;

(घ) क्या वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्ति में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(च) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र को हुए भारत के निर्यात 8567 मिलियन अमरीकी डालर अथवा 20095 करोड़ रु० मूल्य के रहे जबकि अप्रैल-अक्तूबर, 1990 के दौरान ये 8118 मिलियन अमरीकी डालर अथवा 14239 करोड़ रु० मूल्य के थे। इस प्रकार इसमें डालर के रूप में 5.5% तथा रुपये के रूप में 41.1% की वृद्धि हुई। अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान रुपया भुगतान क्षेत्रों को भारतीय निर्यात 951 मिलियन अमरीकी डालर अथवा 2229 करोड़ रु० मूल्य के रहे जबकि अप्रैल-अक्तूबर, 1990 में ये 1988 मिलियन अमरीकी डालर अथवा 3487 करोड़ रु० मूल्य के थे। इस प्रकार इसमें डालर के रूप में 52.2% तथा रुपये के रूप में 36.1% की गिरावट आई।

सरकार का यह विचार है कि जी०जी०ए० देशों तथा आर० पी० ए० देशों को होने वाले निर्यातों को प्रथक किया जाना चाहिए और उनकी अलग-अलग समीक्षा की जानी चाहिए। अतः सही निष्कर्ष यह निकलता है कि अप्रैल-अक्तूबर, 1990 की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान सी० जी० ए० देशों को हुए निर्यातों में डालर के रूप में लगभग 5.5% की सामान्य वृद्धि

हुई है जबकि आर० पी० ए० देशों को हुए निर्यातों में डालर के रूप में लगभग 52% की गिरावट आई है।

आर० पी० ए० देशों को हुए निर्यातों में गिरावट मुख्यतः विदेशी कारणों से आई है और भूतपूर्व सोवियत संघ में जो राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं वे भी इसमें शामिल हैं।

जिन अन्य कारणों से निर्यात वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है उनमें शामिल हैं : विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी, प्रमुख विकसित देशों में मंदी, अपरिहार्य आयात दबाव तथा निर्यात ऋण की ऊंची दर।

(घ) तथा (ङ) विश्वव्यापी व्यापार वातावरण में अनिश्चितता, भारत के एक प्रमुख व्यापारिक साझीदार भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन होने तथा व्यापक आर्थिक सुधारों का निर्यातों पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव में देरी की वजह से 1991-92 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य तय नहीं किए गए।

(च) सरकार ने व्यापार नीति सम्बन्धी अनेक सुधार आरम्भ किए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, काफी हद तक आयात लाइसेंस समाप्त करना तथा इष्टतम आयात दबाव तैयार करना है। आर० ई० पी० लाइसेंसों का स्थान एग्जिम स्क्रिप्स ने ले लिया है। इससे कच्चे माल, संघटनों तथा फालतू पुर्जों को कतिपय श्रेणियों का आसानी से आयात किया जा सकता है। निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाया गया है। सरकार ने प्रतिष्ठित निर्यातकों को अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देने और निर्यातकों को विदेशी ऋण प्राप्त करने, ऐसे खातों से निर्यात से सम्बद्ध आयातों के लिए भुगतान करने तथा ऐसे खातों में निर्यात आय जमा करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया है। इसके अलावा सरकार ने अन्य कदम उठाए हैं जिनमें ये शामिल हैं; लाइसेंसिंग के जरिए नियन्त्रणों को कम करना, निर्यातों के लिए क्रियाविधि को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय करना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध आदि।

"फैक्स" मशीनों का आयात

[हिन्दी]

*70. **श्री ललित उरांव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेसीमाइल आटोमैटिक ट्रांसमिशन (फैक्स) मशीनों को नई आयात नीति के परिशिष्ट 2-क के परिशिष्ट-3-क में अंतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मशीनों के आयात के कारण भारत में "फैक्स" मशीनों के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) पात्र पंजीकृत निर्यातकों तथा सरकारी विभागों आदि को एक कार्यालय मशीन के रूप में फेसीमाइल आटो-

मेटिक ट्रांसमिशन (फैक्स) मशीनों का आयात करने की अनुमति दी जाती है। इसके आयात की अनुमति एक्जिम स्क्रिप्स पर भी दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फैक्स मशीन का देशीय उत्पादन पर्याप्त नहीं है।

विदेशी मुद्रा भंडार

[अनुवाद]

71. **श्री पवन कुमार बंसल :**
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 जून, 1991 तथा 31 जनवरी, 1992 को विदेशी मुद्रा का भंडार कुल कितना-कितना था;

(ख) क्या इस भंडार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा दिया गया धन भी शामिल है;

(ग) इन विदेशी मुद्रा भंडारों में प्रत्येक स्रोत से प्राप्त हुआ अंश कितना-कितना है;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान भुगतान-संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 22 जून, 1991 तथा 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) क्रमशः 2542 करोड़ रुपये (11880 लाख डालर) और 9766 करोड़ रुपए (37750 लाख डालर) था।

(ख) प्रारक्षित भंडारों का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ किए गए लेन-देन को शामिल करते हुए भुगतान संतुलन के लेखों में किए गए अनेक लेन-देनों का निवल परिणाम है।

(ग) इन विदेशी मुद्रा भंडारों में प्राप्त हुए अंश को स्रोतवार परिकलित करना संभव नहीं है क्योंकि यह विदेशी क्षेत्र में किए गए अनेक लेन-देनों का निवल परिणाम है। तथापि अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से प्राप्तियां निम्नलिखित हैं, जुलाई, 1991 में 750 करोड़ रुपए (2210 लाख डालर), सितम्बर, 1991 में 1654 करोड़ रुपए (6390 लाख डालर), नवम्बर, 1991 में 305 करोड़ रुपए (1170 लाख डालर) तथा जनवरी, 1992 में 683 करोड़ रुपए (2650 लाख डालर), अवधि के दौरान ढांचागत समायोजन ऋण के कारण विश्व बैंक से प्राप्तियां 770 करोड़ रुपए (3000 लाख डालर) के समकक्ष हैं।

(घ) जी, हां। जैसा कि प्रारक्षित भंडारों के स्तर से परिलक्षित होता है, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी भुगतान संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए उठाए गए और प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं : वृद्ध वार्षिक स्थिरता, अल्पावधि में व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में ढांचागत सुधारों के साथ राजकोषीय अनुशासन का पुनःस्थापन वित्तीय विवेक के अनुरूप उनके उत्पादनकारी उपयोग के साथ पूंजी प्रवाहों में वृद्धि, मध्यावधि में अनिवासी भारतीयों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अन्तर्प्रवाहों मे वृद्धि।

अमरीकी व्यापार अधिनियम की विशेष धारा 301

*73. **श्रीमती मारगयम चन्द्रशेखर :**
श्री चित्त बसु :
श्री जोगेन्द्र झा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात के मामले में दण्डात्मक सीमा-शुल्क लागू करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की अमरीका की धमकी अभी भी बरकरार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने भारत के विरुद्ध अपने व्यापार अधिनियम की विशेष धारा 301 के अन्तर्गत कार्रवाई करने से बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) भारत के पेटेन्ट कानून, ट्रेडमार्क और कापीराइट व्यवस्थाओं तथा बौद्धिक सम्पदा कानून लागू करने में परिकल्पित कमियों के आधार पर, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू० एस० टी० आर०) ने 26 अप्रैल, 1991 को यू० एस० व्यापार कानून के स्पैशल 301 प्रावधानों के अन्तर्गत भारत को एक प्राथमिक देश के रूप में नामित किया। संयुक्त राज्य ने इस बात पर भी अभिवेदन किया कि यू० एस० मोशन पिक्चर्स की पहुंच को कोटा, शुल्क और अन्य अवरोधों से प्रतिबन्धित किया गया है।

जनवरी, 1992 में यू० एस० टी० आर० ने एक नोटिस जारी की थी जिसमें जनता से 24 फरवरी, 1992 तक इस सम्बन्ध में लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं कि क्या भारत सरकार द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण और उनको लागू करने तथा मोशन पिक्चर्स के लिए बाजार पहुंच से सम्बन्धित कार्य, नीतियां और व्यवहार अनुचित हैं और संयुक्त राज्य के वाणिज्य पर बोझ हैं अथवा उसको प्रतिबन्धित करते हैं, और यदि ऐसा है तथा संयुक्त राज्य यदि इस पर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वह क्या होनी चाहिए।

सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि कापीराइट अधिनियम में कुछ प्रस्तावित संशोधनों सहित ट्रेडमार्क और कापीराइट से सम्बन्धित हमारे कानून पर्याप्त हैं। मोशन पिक्चर्स और वीडियो के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए भी एक निर्णय लिया जा चुका है। जहां तक पेटेन्ट

के मुद्दे का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि यह बहुपक्षीय वार्ताओं का विषय है और यह वार्ताएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। दिनांक 26-2-1992 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ धारा 301 के अधीन जांच को समाप्त कर देने के निर्णय की घोषणा कर दी है।

आयात-निर्यात हुंडियों से सम्बन्धित समिति

*74. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात हुंडियों के परिचालन-सम्बन्धी नीतियों की जांच करने के लिए हाल में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री ए० घोष की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई है उसमें चार अन्य सदस्य, यथा, महानिदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार; अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, वार्षिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव और भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ के अध्यक्ष शामिल हैं।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

ब्याज से होने वाली आय पर आयकर

*75. **श्री एस० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी० एस० शर्मा "प्रेम" :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2500 रुपये से अधिक वार्षिक बैंक ब्याज पर आयकर की कटौती योजना जब से लागू की गई है तब से बैंक जमा राशियों में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कई बैंक कर्मचारी संघों ने सरकार से इस योजना को वापस लेने हेतु निवेदन किया है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार को इसके बारे में बैंक निकायों के प्रतिनिधियों और बैंक के कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1992-93 के बजट के निकट भविष्य में प्रस्तुत होने के

मामले को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर इस स्तर पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख करना उचित नहीं होगा।

तमिलनाडु में आयकर की वसूली

*76. **श्री आर० जीवरत्नम्** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 31 दिसम्बर, 1991 तक आयकर की कितनी राशि की उगाही की जानी शेष थी;

(ख) राज्य में आयकर अदा न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 1989, 1990 और 1991 के दौरान कितने छापे मारे गए; और

(ग) राज्य में उपर्युक्त अवधि के दौरान आयकर की कितनी राशि वसूल की गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में वसूली के लिए कुल आयकर (निगम कर सहित) की मांग की बकाया राशि 454 करोड़ रुपये थी।

(ख) वित्त वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान तमिलनाडु राज्य में ली गई तलाशियों की कुल संख्या नीचे दी गई है—

वित्त वर्ष	ली गई तलाशियों की संख्या
1988-89	406
1989-90	262
1990-91	503
1991-92 (दिनांक 31-1-92 तक)	140

(ग) वित्त वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान तमिलनाडु राज्य में वसूल की गई आयकर की राशि (निगम कर सहित) नीचे दी गई है—

(रु० करोड़ में)

वित्त वर्ष	राशि
1988-89	477
1989-90	624
1990-91	707
1991-92 (दिनांक 15 फरवरी, 1992 तक)	638

महाराष्ट्र में राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

*77. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरने वाले किन-किन राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्र० सं०	रा० रा० सं०	सड़क का नाम	राज्य	लम्बाई	कुल लम्बाई (किलोमीटर)
1	2	3	4	5	6
1.	एम० ई०1	अहमदाबाद-बडोदरा	गुजरात	93	93
2.	54 (एक्सटेंशन)	सिलचर-तुईपेंग	मिजोरम	270	270
3.	54-क (एक्सटेंशन)	थेरिएट-लुंगलेई रोड	मिजोरम	9	9
4.	54-ख (एक्सटेंशन)	बेसम-सद्दले-सेहा रोड	मिजोरम	27	27
5.	37-क	तेजपुर में रा०रा०52 के साथ कुवारीताल जंक्शन	असम	23	23
6.	47-क	कोचीन के साथ विलिंगडन द्वीप के साथ जंक्शन	केरल	6	6
7.	11-क	रा०रा० 11 पर दौसा तक रा० रा० 8 पर मनोहरपुरा तक सम्पर्क सड़क	राजस्थान	64	64
8.	14	ब्यावर-सिरोही-कांडला रोड	राजस्थान गुजरात	310 140	450
9.	16	निजामाबाद-जगदलपुर सड़क	आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश	220 30 210	460

1	2	3	4	5	6
10.	20	पठानकोट-मंडी रोड	पंजाब	10	
			हिमाचल प्रदेश	210	220
11.	49	कोचीन-मदुरई रोड (रा०रा० 49 का एक्सटेंशन)	केरल	150	280
			तमिलनाडु	130	
				जोड़	1902 किलो-मीटर

उपभोक्ता सेवा समिति

*78. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता सेवा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) बैंकों में ग्राहक सेवा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने और इस क्षेत्र में कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, श्री एम० एन० गोइ-पोरिया की अध्यक्षता में सितम्बर, 1990 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने दिसम्बर, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश अनुबंध में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं जिनमें उनसे कहा गया है कि वे उन कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करें जिनकी और आगे छानबीन नहीं की जानी है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे उन सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करना आरम्भ कर दें जिन पर कर्मचारियों के संगठनों के साथ परामर्श करने सहित बैंकों द्वारा जांच की जानी अपेक्षित है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक बाकी सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं।

विवरण

सिफारिशों का सार

1. महानगरीय और शहरी केन्द्रों की बैंक शाखाओं के कर्मचारियों का कार्य-समय कारोबार समय के 15 मिनट के पहले से आरम्भ किया जा सकता है।

2. कारोबार समय की समाप्ति से पूर्व बैंकिंग कक्ष में आने वाले सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान की जानी चाहिए।

3. नकदी लेन-देन को छोड़कर बाकी सभी बैंकिंग लेन-देनों के कारोबार-समय को बैंक अपने कार्य-समय की समाप्ति से एक घण्टे पहले तक बढ़ा सकते हैं।

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि कारोबार-समय के दौरान सभी काउंटरों पर कर्मचारी उपस्थित रहें और ग्राहकों को निरन्तर सेवा प्रदान की जाती रहे।

5. केवल बहुत छोटी शाखाओं को छोड़कर, सभी शाखाओं में बैंकिंग कक्ष के प्रवेश-द्वार के निकट "पूछताछ" या "आपकी सहायता के लिए" काउंटर होना चाहिए। यह या तो अलग काउंटर हो सकता है या इस पर अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं।

6. राज्य की राजधानियों सहित, क्षेत्र । के केन्द्रों में, बैंक अपनी एक या अधिक शाखाओं में एक या अधिक टेलर काउंटर की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं जहां 5,000 रुपये तक के नकद लेन-देन और उसी सीमा तक ड्राफ्ट या यात्री चेकों का नकदीकरण हो सकता है और 10,000 रु० तक के नकदी से इतर लेन-देन किये जा सकते हैं।

7. ड्राफ्ट जारी करने के लिए ग्राहकों तथा अन्य व्यक्तियों से छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को स्वीकार करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में शाखा के अधिकारियों, नियंत्रक कार्यालयों और भारतीय रिजर्व बैंक को ध्यान देना चाहिए। ग्राहकों को ऐसी कठिनाइयों से अवगत कराया जा सकता है।

8. बैंक शाखाओं द्वारा नकदी संभालने और अधिशेष नकदी वाले केन्द्रों में कम नकदी वाले केन्द्रों को नकदी ले जाने के कार्य में लगे करेंसी चैस्टों के कार्य पर भारतीय रिजर्व बैंक को सक्रिय निगरानी रखनी चाहिए।

9. एक व्यापक "भारतीय करेंसी निगम" के गठन के बारे में विचार किया जाए।

10. कटे-फटे और गंदे नोटों को बदलने से सम्बन्धित सेवा को ग्राहकों के अनुकूल बनाया जाए। इसके लिए एक ओर तो कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए और दूसरी ओर नोट-वापसी के नियमों को सरल बनाया जाए।

11. जहां काम की अधिकता हो, वहां नोट/सिक्के गिनने की मशीनें लगाई जाएं।

12. नोट जल्दी गंदे न हों, इसके लिए इनके पैकेट कागज की सील/पट्टी (बैंड) से बांधे जाएं।

13. नामांकन फार्म प्राप्त करने के साथ-साथ बैंक अपने खाता खोलने के आवेदन फार्म में नामांकिती का नाम व पता लिखने के लिए जगह उपलब्ध कराएं। नामांकन सुविधा के प्रचार की आवश्यकता है। प्रचार के लिए चैक बुक, पास बुक और ग्राहक तक पहुंचने वाले अन्य किसी साहित्य में अपेक्षित संदेश का मुद्रण किया जा सकता है और इस सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाये जा सकते हैं।

14. जिन मामलों में ग्राहक नामांकन न करना चाहे (अनुपालन न किये जाने के दोष से बचने

के लिए इसे रिकार्ड किया जाए), उन्हें छोड़कर सभी वर्तमान और भावी खातों के मामले में नामांकन एक नियम माना जाए।

15. सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं और सुरक्षा जमा लाकरों के लिए उपलब्ध नामांकन सुविधा का भी सक्रिय प्रचार किया जाए।

16. न्यूनतम शेष और अधिकतम निवासियों की संख्या के निर्धारण को बरकरार रखते हुए बचत बैंक खातों पर वर्तमान 5% प्र० व० की ब्याज दर की अपेक्षा अधिक ब्याज देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

17. सही व पठनीय ब्यौरों सहित खातों का विवरण देने और पासबुक को अद्यतन करने की ओर बैंकों को निरंतर ध्यान देना चाहिए।

18 अद्यतन प्रविष्टियां करने हेतु पास बुक नियमित रूप से ले आने की आवश्यकता की ओर ग्राहकों का ध्यान दिलाया जाये और पासबुक को अद्यतन बनाने के महत्व पर कर्मचारियों का ध्यान खींचा जाना चाहिए। अधिक प्रविष्टियों के कारण पास बुक रख लेने पर कागज के टोकन जारी किये जाएं।

19. खाता विवरणों के लिए पूर्व-चिह्नांकित तह (फोल्ड)/फ्लैपवाली लेखन-सामग्री का प्रयोग किया जाए।

20. ग्राहकों को, विशेषकर मासिक बट्टाकृत ब्याज के वितरण की उपलब्धता और जमा रसीदों की सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा की सूचना देते हुए सावधि जमा राशियां जुटाने के लिए नये-नये तरीके अपनाये जाएं।

21. जमा राशियों की अवधि पूर्ण होने पर उनके निपटान के बारे में, जमाकर्ताओं से अग्रिम अनुदेश आवेदन पत्र पर ही प्राप्त कर लिए जाएं। जहां ऐसे अनुदेश प्राप्त नहीं किये गये हों, वहां जमा राशियों के देय होने की सूचना नियमत: भेजी जाए।

22. बैंक 5,000 रु० या उसके गुणक के रूप में राशि की सावधि जमा राशियां स्वीकार करें और पास बुक जारी करें (जमा रसीद जारी करने की प्रणाली समाप्त कर दी जाए)।

23. जमा राशियों पर देय ब्याज दरों में परिवर्तन वर्तमान जमा राशियों पर भी लागू किया जाए।

24. जमा राशियों पर देय ब्याज दरों में परिवर्तन के बारे में सूचना ग्राहकों तथा शाखाओं को प्रेस अधिसूचना के जरिए दी जाए। इस आधार पर शाखाएं अनंतिम तौर पर नई दरों पर जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं और अधिकारिक सूचना मिलने पर उसकी पुष्टि कर सकती हैं।

25. शाखाएं जमा योजनाओं आदि में निवेश के संबंध में रोजमर्रा के निर्णय लेने में ग्राहकों को विशेष मार्गनिर्देश दर्शन प्रदान करें।

26. ग्राहकों के लिए उपयोगी अगणित सूचनाएं देते हुए त्रिभाषी विवरणिकाओं और पैम्फलेटों (पुस्तिकाओं) को सक्रिय बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

27. बैंकों में जमा सावधि जमा राशियों पर कर सम्बन्धी लाभ दिए जाएं।

28. आवासीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक लाकर सुविधाएं देने और इसके लिए विशेष शाखाओं/सहायक कम्पनियों की स्थापना पर विचार किया जाए।

29. ड्राफ्ट जारी करने के लिए एक ही स्थान पर सभी कार्य करने वाले काउंटर की सुविधा शुरू की जाए और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पूर्व-प्रतिहस्ताक्षरित 5,000 रु० तक के ड्राफ्टों पर काउंटर के कर्मचारी को हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया जाए।

30. ड्राफ्ट के लिए आवेदनकर्ता का काम एक ही कर्मचारी द्वारा पूरा करने का उक्त तरीका, बैंकर चेक और भुगतान आदेश जारी करने के लिए भी अपनाया (आजमाया) जा सकता है।

31. डाक आदेश (पोस्टल आर्डर) की भांति 5 रु०, 20 रु०, 100 रु०, 500 रु०, 1000 रु० आदि मूल्य वर्ग के "बैंक आदेश" (बैंक आर्डर) शुरू किए जा सकते हैं जिन पर प्राप्तकर्ता का नाम खरीदार द्वारा भरे जाने का प्रावधान हो।

32. बाहरी स्थान के बैंकों की राशि तत्काल जमा लिखाने की सुविधा 2500 रु० से बढ़ाकर 5,000 रु० तक के लिए दी जा सकती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अलग प्रकार की जमा पर्ची का प्रयोग किया जा सकता है।

33. बाहरी स्थान के चैकों की वसूली में विलम्ब होने पर, यदि संदेय ब्याज 5 रु० या उससे अधिक हो तो चेक की रकम पर ब्याज बचत बैंक दर से 2% अधिक दर पर देकर क्षति-पूर्ति की जा सकती है।

34. बिल की प्राप्ति राशियों को जमा करने में यदि बैंक द्वारा विलम्ब हो तो विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज बचत बैंक ब्याज दर से 2% अधिक दर पर प्रस्तुतकर्ता को बैंक द्वारा दिया जाये।

35. निर्यात की प्राप्त राशियों की वसूली में विलम्ब होने पर बैंक उस मामले में विदेशी आयात-कर्ता के बैंक से कार्रवाई कर सकते हैं।

36. लिखी गयी लिखितें 24 घंटे में ग्राहक को लौटायी/भेजी जाएं।

37. जब खरीदी/भनाई गई लिखत बैंकों की अपनी शाखाओं को वसूली के लिए भेजी जाएं तो अतिदेय ब्याज वसूल करते समय बैंक स्वयं के विलम्ब को हिसाब में न लें।

38. यदि प्राप्य राशियों के प्रेषण में अदाकर्ता बैंक दो दिन से अधिक विलम्ब करे तो उसे चाहिए कि वह ऐसे विलम्ब के लिए वसूलीकर्ता बैंक को ब्याज की प्रतिपूर्ति करे।

39. राज्यों की राजधानियों सहित क्षेत्र 1 के केन्द्रों पर जारी और संदेय तार अंतरणों (टी० टी०) की मूल्य तिथि तीसरा दिन मानी जाए, अन्य प्रेषणों को उसी दिन जमा किया जाए जिस दिन तार या उसकी पुष्टि मिले।

40. डाक अंतरणों (एम० टी०) को जमा करने में आठ दिन से अधिक विलम्ब होने पर ब्याज के बचत बैंक दर से 2% प्र० व० अधिक दर पर अदा करके उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, जो 5 रु० या उससे अधिक होने पर ही दिया जाए।

41. जहां दस या अधिक बैंक हों, उन केन्द्रों में समाशोधन गृह स्थापित किये जायें। ऐसे समाशोधन गृहों का प्रबंधन उस जिले का अग्रणी बैंक कर सकता है। राष्ट्रीय समाशोधन के अन्तर्गत और अधिक केन्द्र शामिल किये जाए।

42. बैंक शाखाएं अपने ऋण प्रस्ताव सभी नियंत्रक कार्यालयों को साथ प्रस्तुत करें ताकि स्वीकृतकर्ता कार्यालय उन पर त्वरित निर्णय ले सके।

43. जिन शाखाओं में ऋण आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है, नियंत्रक कार्यालय का संसाधक अधिकारी शाखाओं का दौरा करे ताकि संसाधन का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

44. जिस समय वित्तीय संस्थाएं सावधि ऋण आवेदन पर कारंवाई करें उसी समय बैंक भी कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवेदनों पर कारंवाई करें।

45. निहित शक्तियों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में प्राधिकारियों के मन में विद्यमान हिचकिचाहट अथवा भय की भावना को उच्च प्रबंध तंत्र उचित संदेश देकर दूर करे।

46. संभाव्य ऋणकर्ताओं से बातचीत करने वाले शाखा अधिकारियों को विभिन्न ऋण योजनाओं से सम्बन्धित संक्षिप्त एवं अद्यतन मानदण्ड उपलब्ध कराएं जाएं।

47. संघीय सहायता बैठकों में स्वीकृति देने के बाद किसी भी सदस्य बैंक को उधार सुविधा के अपने हिस्से के संसाधन और मंजूरी में 45 दिन से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। ऐसे स्वीकार किए गए हिस्से के संवितरण में निधि के अभाव में विलंब न करें बल्कि बैंक स्वयं पहल करके इसकी व्यवस्था करें।

48. संघीय सहायता वित्त के दस्तावेज तैयार करने के सम्बन्ध में एक ही स्थान पर सभी कार्य करने वाले दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।

49. सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवेदन पत्र प्रायोजक निकायों से बैंक शाखाओं को क्रमिक आधार पर भेजे जाते रहें।

50. कोई भी नयी योजना शुरू करने से पहले सरकार भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और भारतीय बैंक संघ से परामर्श करें ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन सफलता से करने हेतु उन्हें अनुकूल बनाया जा सके।

51. साम्यिक बंधक के सृजन के लिए और अधिक केन्द्र अधिसूचित किये जाएं। इनकी शुरूआत जिला मुख्यालयों से की जा सकती है। कालांतर में, उचित सांविधिक संशोधन करके अधिसूचित केन्द्र वाली धारणा ही समाप्त कर दी जाए।

52. प्रत्येक कर्मचारी अपना नाम व फोटोग्राफ सहित "पहचान बैज" पहने।

53. लिपिक कर्मचारियों के लिए आवधिक कार्यावर्तन और प्रारंभिक पर्यवेक्षक कार्य सौंपने पर विचार किया जाए।

54. प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राहक सेवा उन्मुखता से मेल खाने वाले हों।

55. नये भर्ती किये गये सभी अधिकारियों एवं लिपिक कर्मचारियों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

56. चुनिंदा कर्मचारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण/प्रशिक्षण के बाद तैनाती को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए।

57. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एन० आई० बी० एम०) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बैंक की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए। बैंक के संकाय सदस्य एन० आई० बी० एम० के तत्वावधान में व्यावहारिक बैंकिंग के संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार करें।

58. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों और संकाय सदस्यों के चयन में अधिक ध्यान देकर प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ायी जाए।

59. गुणवत्ता दलों (सर्किल) को प्रोत्साहन दिया जाए।

60. पुरस्कार और सराहना प्रणाली का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जाए।

61. कर्मचारियों द्वारा सद्भाव से लिए गए निर्णयों को नियंत्रक कार्यालय उचित परिप्रेक्ष्य में लें। आंतरिक रूप से विकसित उचित सतर्कता संरचना के जरिए निम्न श्रेणी के अधिकारियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। के० आ० बैंक के कार्यकलापों को समझने के लिए अपने अधिकारियों को बैंकों में प्रतिनियुक्त कर सकता है।

62. बैंक के सभी कर्मचारियों के मन में ग्राहक सेवा की भावना जाग्रत करने में प्रबंधक तंत्र का साथ देने के लिए कर्मचारी यूनियनों और अधिकारी संघों को भी आमन्त्रित किया जाना चाहिए।

63. महानगरीय और शहरी केन्द्रों पर कार्य को नवीन तकनीक के जरिए स्वचालित किया जाए, जहां भी जरूरी हो, यूनियनों से परामर्श किया जाए।

64. बैंकनेट, स्विफ्ट, सुदूर क्षेत्र कारोबार संकेत नेटवेट (आर० ए० बी० एम० एन०) आदि के प्रभावी प्रयोग से ग्राहकों के लेन-देन, विशेषकर निधियों के संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएं।

65. नई कार्यविधियां अपनायी जाएं और पुरानी कार्यविधियां धीरे-धीरे समाप्त की जाएं।

66. शाखाओं को चाहिए कि वे आधारभूत एवं व्यापक दोनों स्तर पर ग्राहक सेवा परीक्षण करवाएं।

67. छिद्रित प्रतियों वाली शिकायत पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि ग्राहक को उसकी शिकायत की पावती तत्काल दी जा सके और नियंत्रक कार्यालय को भी प्रति भेजी जा सके।

68. शाखा-स्तर पर ग्राहक सेवा समितियों को पुनरुज्जीवित किया जाए।

69. ग्राहकों और उनके प्रतिनिधि निकायों के साथ आवधिक बैठकें बुलाई जाएं।

70. विभिन्न स्तरों के ग्राहकों के साथ मिलकर ग्राहक सम्बन्धी कार्यक्रमों का तिमाही आयोजन किया जाए ताकि ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए कार्य-बिन्दुओं की पहचान की जा सके।

71. निरीक्षक/लेखा-परीक्षक अपनी रिपोर्टों में ग्राहक सेवा विषयों, यथा—शिकायतों के निपटान और दोष-निवारण तंत्र में प्रभावोत्पादकता, को पर्याप्त महत्व दें।

72. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहक सेवा पर रिपोर्ट मांगी जाए । भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहक सेवा उपायों के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन चलाए ।

73. बैंकों से अच्छी ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक सेवा सम्बन्धी सिफारिशें एक-चार्टर के रूप में दी जाएं । ग्राहक सम्बन्धी स्थिति की जानकारी नियन्त्रक कार्यालय को देने के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार की जाए ।

74. जिन क्षेत्रों में अधिक शिकायत की आशंका हो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत शाखाओं के उन्नयन के लिए विशेष कार्यदल गठित किया जाए ।

75. जिन शाखाओं में अधिक शिकायतों की आशंका हो उनमें जनसम्पर्क उन्मुख अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि वे इन्हें अच्छी ग्राहक सेवा इकाइयों में परिवर्तित कर सकें ।

76. प्रशिक्षण के जरिए अधिक कर्मचारियों को ग्राहक सेवा सर्किल में लाया जाए और उन्हें पुरस्कार देकर तथा ग्राहक सेवा संस्कृति का उदाहरण बताकर उनका सम्मान किया जाए । दूसरी ओर ग्राहक सेवा के प्रति जानबूझकर अक्खड़पन दिखाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा, सम्बन्धित कर्मचारी के सर्विस रिकार्ड में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए ।

77. नियन्त्रण कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी जब शाखाओं का दौरा करें तब ग्राहक सेवा से सम्बन्धित मामलों को प्राथमिकता दें और ग्राहक सेवा रिपोर्ट से तुलना करते हुए इस बात का पता लगाएं कि वहां का वास्तविक वातावरण कैसा है ।

78. ग्राहक सेवा केन्द्रों को समाप्त किया जाए ।

79. अधिक कार्यदिवस उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार की तरह बैंकों में भी प्रतिबंधित छुट्टी प्रणाली शुरू की जाए । किसी भी राज्य में प्रतिबंधित छुट्टियों को मिलाकर कुल छुट्टियों की संख्या वर्ष में 15 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

80. पर्याप्त जगह, उचित फर्नीचर, पेय जल सुविधा आदि की व्यवस्था करके शाखाओं में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के स्तर में सुधार करना चाहिए ।

81. विशिष्ट ग्राहक वर्ग की सेवा के लिए विशेष शाखाएं खोली जाएं । यदि आवश्यक हो, उच्चतर सेवा प्रभार लगाकर व्यक्तिगत सेवा दी जा सकती है ।

82. वर्तमान के लिए शाखा के अभीष्ट आकार का निर्धारण किया जाए, इसके लिए स्टाफ संख्या अधिक से अधिक 100 और अधिकतम 200 करोड़ रुपये का व्यापार मानक माना जाए ।

83. अव्यवहार्य रूप से बड़ी शाखाओं के कुछ क्रियात्मक क्षेत्रों को विशिष्ट शाखाओं के रूप में परिवर्तित करके उन शाखाओं को छोटा किया जाए ।

84. शाखाओं में, आवश्यकता के आधार पर कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ का पुनरावंटन/पुनर्नियोजन किया जाए ।

85. सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से प्रचार-प्रसार करने के बदले, अलग-अलग बैंक अपना प्रचार अभियान चलाएं । जहां प्रचार का लक्ष्य आम जनता तक कुछ सूचना पहुंचाना हो वहां बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ यह कार्य कर सकता है ।

86. ग्राहकों को बैंक की स्थिति, सीमाएं और सीमित दायरे में ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए बैंक द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों से ग्राहकों को अवगत कराने के उद्देश्य से जो ग्राहक शिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं उनमें बैंक कर्मचारियों को सम्मिलित करना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में विज्ञापन, सृजनात्मक पुस्तिकाएं, विचार विनिमय, संगोष्ठियां आदि होने चाहिए।

87. अधिक आवास वाले क्षेत्रों में बैंक रविवार को भी काम कर सकते हैं और उसके अनुसार साप्ताहिक छुट्टी देने की व्यवस्था कर सकता है।

88. बैंक शाखाओं में मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों का पुनरीक्षण करना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए ताकि कर्मचारियों और जनता के मन में विश्वास जम सके।

89. विशिष्ट दिनों में बैंक शाखाओं में भीड़ को कम करने के लिए सरकारी विभागों को वेतन/पेंशन भुगतानों की तारीखें आगे-पीछे रखनी चाहिए।

90. बैंकों को बड़ी शाखाओं में ऐसे टेलीफोनों की व्यवस्था करनी चाहिए जिनका प्रयोग पैसा देकर किया जा सकता है।

91. सांकेतिक शब्द प्रणाली विकसित की जाए जिससे ग्राहक तेजी प्रश्नों का उत्तर टेलीफोन पर ही प्राप्त कर सकें और उन्हें बार-बार शाखा में न आना पड़े।

92. संयुक्त प्रयत्नों से क्रेडिट कार्ड व स्वचालित टेलर मशीन जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किये जाएं।

93. ग्राहक सेवा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ शाखा को वार्षिक पुरस्कार/चल शील्ड देकर पुरस्कृत करना चाहिए।

94. सरकार को विभिन्न व्यक्तियों/निकायों को भुगतानों के लिए भुगतान आदेश के बदले चेक जारी करने पर विचार करना चाहिए।

95. सरकार व सरकारी उपक्रमों की ओर से कर वसूली और उस प्रकार के अन्य शाखा में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं नियमित ग्राहक सेवा पर ऐसे कार्य के प्रभाव आदि का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही लिये जाने चाहिए। जहां तक संभव हो विशेष शाखाएं ही ऐसी सुविधाएं प्रदान करें।

96. विशिष्ट कारोबारी लेन-देनों के लिए निर्धारित समय की सूचना बैंकिंग हाल में स्पष्ट प्रदर्शित की जानी चाहिए।

97. ग्राहक सेवा के स्तर को सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपनी कार्यपद्धति का पुनरीक्षण करने और अपनी प्रणालियों को उच्च स्तरीय बनाने पर विचार कर सकता है।

आवास निर्माण ऋण योजना

*79. **श्री लोक नाथ चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से एक आवास निर्माण ऋण योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर वाणिज्यिक बैंकों को आवासीय क्षेत्र के लिए ऋण देने के मार्गनिर्देश जारी करता रहा है। जनवरी, 1989 से बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले समग्र आवासीय वित्त को उनकी जमा राशियों की वृद्धि से जोड़ा गया है और उन्हें पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की अपनी वृद्धि-शील जमा राशियों का 1.5% ऋण देना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को और ये भी अनुदेश हैं कि आवास के लिए कुल आबंटन का कम से कम 30% प्रत्यक्ष ऋण देने के लिए आरक्षित होना चाहिये और उसमें से कम से कम आधा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को दिया जाना चाहिये। आबंटन का 30% आवासीय वित्त कम्पनियों, आवास बोर्डों और अन्य सरकारी आवास एजेंसियों को सावधिक ऋणों के माध्यम से दिया जाना चाहिए और शेष 40% को राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास एवं शहरी विकास निगम के गारंटीशुदा बाण्डों और ऋण-पत्रों को अंशदान के रूप में उपलब्ध कराना होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई, 1989 से सारे देश में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के माध्यम से अपनी आवास ऋण खाता योजना का परिचालन कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कोई व्यक्ति आवास ऋण खाता खोल सकता है और कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह कम से कम 30 रुपये या उसके गुणकों में तिमाही, छमाही या वार्षिक किश्तों में जमा कराना होगा। इस योजना के तहत बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण की अधिकतम राशि, अद्यतन ब्याज सहित, संचित बचत राशि के गुणक में होगी। 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार 5.5 लाख खाते खोले गए हैं और इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि एकत्र हुई है।

रबड़ का निर्यात

*80. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री पी० सी० थामस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबड़ के मूल्य गिरने से रोकने के लिए इसके निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक देश को किस-किस प्रकार की और कितनी-कितनी मात्रा में रबड़ का निर्यात किया जायेगा;

(ग) इसका निर्यात किस दर पर किया जायेगा;

(घ) यह मूल्य-दर जनवरी, 1992 के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से कम है या अधिक; और

(ङ) यह मूल्यों में स्थिरता लाने में किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) सरकार ने बेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा कीमत में कमी को रोकने के लिए गैर-सरकारी निर्यातकों

को 14000 मी० टन प्राकृतिक रबड़ के निर्यात की अनुमति दी है जिसमें 3000 टन सैंट्रीफ्यूगड लेटेक्स (सूखा रबड़ अंश), 5000 टन क्रम्ब रबड़ की आई० एस० एन० आर०-20 ग्रेड और 6000 टन ऑफ ग्रेड रबड़ (आर० एम० ए०-4 तथा आर० एम० ए०-5 ग्रेडों को छोड़कर) शामिल है।

अब तक कोई निर्यात नहीं दिया गया है, अत घरेलू बाजार में रबड़ की कीमतों में निर्यात के प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

सरकार ने निर्यात के लिए कोई कीमत निर्धारित नहीं की है क्योंकि इस पर संविदाकारी पार्टियों के बीच उचित बातचीत के जरिए निर्णय लिया जाएगा। तथापि, जनवरी, 1992 के दौरान मलेशिया के बाजार में आर० एस० एस०-3 और एस० एम० आर०-20 ग्रेड की भारित मासिक औसत पोतपर्यंत शुल्क कीमतें निम्न प्रकार थीं :—

आर० एस० एम०-3 — 774 अमरीकी डालर प्रति मी०टन

एस० एम० आर०-20 — 803 अमरीकी डालर प्रति मी० टन

सांप की खाल से निर्मित वस्तुओं को जब्त करना

694. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**
श्री परशराम भारद्वाज :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में सांप की खाल और इससे बनी वस्तुओं को जब्त करने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस प्रकार के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(घ) क्या जब्त की गयी सांप की खाल और इससे बनी वस्तुओं का निर्यात करने/देश में इसका व्यापार करने की अनुमति है;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(च) गत वर्ष के दौरान इसकी कितनी मात्रा निर्यात की गयी और इसका मूल्य कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) प्राप्त रिपोर्टों से गत एक वर्ष के दौरान सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सर्प चर्म और सर्प चर्म से बनी वस्तुओं के अभिग्रहण का संकेत नहीं मिलता है।

(घ) से (च) इस समय जब्तशुदा सर्प चर्मों और सर्प चर्म से बनी वस्तुओं का निर्यात करने अथवा उनका देश में व्यापार करने की अनुमति नहीं है।

"म्यूचुअल फण्ड"

695. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "म्यूचुअल फण्ड" स्थापित करने के उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कोई मूल्यांकन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के क्या निष्कर्ष है;

(घ) क्या इन म्यूचुअल फण्डों के प्रचालन को विनियमित करने के लिए कोई सम्यक् विधान बनाने पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह कब तक प्रभावी होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) म्यूचुअल फण्डों की स्थापना सामान्यतया निवेश करने वाली जनता के निवेशों पर आकर्षण प्रतिलाभ प्रदान करने की दृष्टि से, उन्हें प्रतिभूति बाजार में प्रवेश कराने के उद्देश्य से की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) इस मंत्रालय ने दिनांक 14-2-1992 को म्यूचुअल फण्डों के विकास और नियमन के लिए एवं निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त मार्ग निर्देशन जारी किए हैं। इन मार्ग निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, म्यूचुअल फण्डों का क्षेत्र, उनकी स्थापना, कारोबारी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध, ट्रस्ट दस्तावेज, म्यूचुअल फण्डों की योजनाएं, निवेश सीमाएं और प्रकटन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी बातें शामिल हैं। इन मार्ग निर्देशों में यह भी व्यवस्था है कि भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड म्यूचुअल फण्डों को कारोबार के लिए प्राधिकृत करेगा।

खुली निविदा पद्धति

96. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वस्त्र मंत्री 5 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4881 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुली निविदा पद्धति के तथ्य क्या हैं;

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खुली निविदा पद्धति के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1992 तक एकत्रित और वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1988-1990 के लिए परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के अंतर्गत सरकार ने 'सुपर-फास्ट' श्रेणियों, जिसके लिए 13 प्रतिशत का वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया था, के सम्बन्ध में खुली निविदा योजना नामक एक नई योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत आवंटन का निर्धारण सरकार द्वारा

विभिन्न श्रेणियों पर निर्धारित न्यूनतम निर्यात कीमतों से अधिक आवेदनकर्ता द्वारा पेश किए गए लाभांश के आधार पर किया जाना था।

परिधान निर्यात व्यापार क्षेत्र के एक वर्ग द्वारा याचिका दायर करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 1989 में इस योजना को रोक दिया क्योंकि न्यायालय का यह मत था कि इस योजना के अन्तर्गत लाभांश राशि की वसूली आयात-निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 और निर्यात नियंत्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत वैधिक रूप से अधिकृत नहीं थी।

सरकार ने स्पेशन लीव पेटीशन (एस० एल० पी०) उच्च न्यायालय में दायर कर दी जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी तथा उच्चतम न्यायालय ने इस एस० एल० पी० को स्वीकार कर लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस एस० एल० पी० को स्वीकार करते हुए इस योजना के अन्तर्गत निर्यातकों से वसूल की गई राशि को लौटाना स्थगित कर दिया। अब यह अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(ग) खुली निविदा योजना की प्रचालन अवधि के दौरान उससे अन्तर्गत लाभांक राशि के रूप में 56.62 करोड़ रु० की राशि वसूल की गई थी। इसमें से 42.50 लाख रु० की राशि वर्ष 1989 के दौरान अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद को निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के लिए रिलीज की गई थी।

पुर्तगाल के साथ आर्थिक सहयोग

697. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुर्तगाल के साथ आर्थिक सहयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पुर्तगाल के साथ आर्थिक सहयोग स्थापित करने हेतु जिन क्षेत्रों में सहयोग किया जायेगा अथवा जो समझौते आदि किये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों देशों के बीच संभावित संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए मीन उद्योग तथा खाद्य संसाधन सम्बन्धी दो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। पुर्तगाली विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ के बीच नई दिल्ली में 26-1-92 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे।

[हिन्दी]

रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का कार्यक्रम

698. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला कितने वर्षों से कार्य कर रही है;

(ख) क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान उस प्रयोगशाला के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोगशाला पर कितना धन खर्च हुआ ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 29 वर्ष तथा 6 महीने।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रयोगशाला की कार्यविधि की रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा सितम्बर, 1984 तथा फरवरी, 1987 के दौरान पुनरीक्षा की गई। रक्षा मंत्री द्वारा भी इस प्रयोगशाला की अगस्त, 1986 तथा दिसम्बर, 1991 के दौरान पुनरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, विशेष परियोजना/कार्यक्रम प्रबन्ध बोर्ड भी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, जोकि विकास के चरण में हैं, की आवधिक पुनरीक्षा करते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों का कुल व्यय 193.02 करोड़ रुपए है।

सैनिक स्कूल

699. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सैनिक स्कूल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो स्थानों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सैनिक स्कूल किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के विशेष अनुरोध पर खोला जाता है क्योंकि सैनिक स्कूल का सारा पूंजीगत व्यय तथा अनुवर्ती व्यय का एक बड़ा भाग उसी राज्य सरकार को वहन करना होता है। इस समय इस सम्बन्ध में किसी भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में परिवर्तनों के कारण विदेशी कम्पनियों को लाभ

700. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में घोषित परिवर्तनों के फलस्वरूप, नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, 51 प्रतिशत इक्विटी होल्डिंग के साथ भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी कम्पनियों को, 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी वाली वर्तमान भारतीय कम्पनियों की तुलना में, अधिक लाभ प्राप्त होगा; और

(ख) यदि हां, तो सभी कम्पनियों को समान रियायतें न देने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के हथकरघा बुनकरों का संकट

701. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को हो रही समस्याओं के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के हथकरघा बुनकर जिसमें मध्य प्रदेश के बुनकर भी शामिल हैं, को सूत के अधिक मूल्य की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार मूल्य स्थिति की निरन्तर समीक्षा कर रही है और उसने इस विषय में कई उपचारात्मक कदम उठाए हैं। राज्य क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को निदेश दिए गए हैं कि संगीन काऊंट के यार्न के उत्पादन में वृद्धि करें और बढ़ते हुए मूल्यों को रोकें। प्राइवेट क्षेत्र की कताई मिलों को भी कहा गया है कि हथकरघा बुनकरों को कम मूल्यों पर यार्न की आपूर्ति करें।

जोर्डन को किये गये निर्यात

702. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोर्डन को निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन मदों के निर्यात से देश को कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार का आगामी वर्षों में जोर्डन को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जोर्डन को किए जाने वाले हमारे अधिकांश निर्यात में इंजीनियरी सामान तथा गेहूं, चावल और चाय जैसी कृषि वस्तुएं शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोर्डन को किए गए कुल निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपयों में रकम नीचे दी गई है :—

1988-89	23.49 करोड़ रु०
1989-90	15.75 करोड़ रु०
1990-91	57.24 करोड़ रु०

(ग) तथा (घ) बोर्डन को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा किए गए उपायों में शामिल हैं, संयुक्त व्यापार समिति की बैठकों में सरकार से सरकार स्तर द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, व्यापार मेलों में भागीदारी तथा प्रति-व्यापार सौदे।

नई रबड़ नीति

703. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई रबड़ नीति की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार ने देशी उपलब्धता को ध्यान में रखकर तथा कीमत में गिरावट रोकने के लिए निजी निर्यातकों को 14,000 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने की अनुमति दे दी है, इसमें 3,000 टन सेन्ट्री-फ्यूज्ड लैटेक्स (सूखा रबड़ अंश), 5000 टन आई० एस० एन० आर०-20 ग्रेड की क्रम्ब रबड़, 6000 टन आफ-ग्रेड रबड़ (आर० एम० ए०-4 और आर० एम० ए०-5 ग्रेडों को छोड़कर) शामिल है।

भारतीय राज्य व्यापार निगम को भी अपने स्टाक में से कुछ रबड़ निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है।

तथापि, अब तक कोई निर्यात नहीं हुआ है।

हिमाचल प्रदेश की स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाएं

704. **श्री डी० डी० खनोरिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की उन परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं और योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(घ) क्या इन्हें 1992-93 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश से प्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों की सूची जो अनुमति हेतु लंबित है

क्र० सं०	परियोजना का ब्यौरा	मामले की वर्तमान स्थिति	अनुमति देने की तारीख
1	2	3	4
राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य			
1.	रा० रा० 21 पर कुल्लु बाई पास	ई० एफ० सी० मीमो तैयार किया जा रहा है।	जून, 1992
2.	रा० रा० 20 पर 7 छोटे पुल (61, 70, 79, 146, 176, 177 और 179 कि० मी० पर)	वार्षिक योजना 1991-92 में शामिल कर लिया गया है।	मार्च, 1992
3.	रा० रा० 20 के पठानकोट-मंडी रोड (59 कि० मी० से 71 कि० मी०) के संकरे और निम्न ग्रेड खंडों में सुधार	जांच की जा रही है।	31-3-92
4.	रा० रा० 21 पर 295/0 से 305/0 कि० मी० पर क्षतिग्रस्त पुलियों का पुन: निर्माण	जांच की जा रही है।	31-3-92
सी० आर० एफ० कार्य			

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान अपने सी० आर० एफ० कार्यक्रम के तहत 35.68 करोड़ रु० लागत की 44 स्कीमें अभी हैं। अनुमोदन हेतु इन स्कीमों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि संसद द्वारा दिनांक 13-3-88 को पारित संशोधित संकल्प के अनुरूप केन्द्रीय

सड़क निधि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जैसे ही वास्तविक वृद्धि होती है, तो आपसी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर इनके अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

राज्य सरकार ने आठवीं योजना में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु को दो सड़कों (अर्थात् खुंडी नहरहाल-सुन्दला-छंबा-शाहपुर-स्वार घाट-नालागढ़-पोन्टा-देहराडून सड़क और ठाकुरद्वारा (पालमपुर)-हमीरपुर-नदौन-गगरेट-होशियारपुर सड़क) की सिफारिश की है। योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने के बाद समग्र प्रावधान, निधियों की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखकर ही इन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

ई० एंड आई० ऋण सहायता कार्यक्रम

(I) नाल डंक-पोन्टा-राजबान-रोहरू-धनगिरि-नरकंडा, इसमें सेन्च सड़क पर पुल शामिल है।
(II) खुंडी नहरहाल-सुन्दला-छंबा-शाहपुर-स्वारघाट-नालागढ़-पोंटा-डेबराड-देहराडून
(III) ठाकुरद्वारा (पालमपुर-हमीरपुर-नदौन-गगरेट-होशियारपुर रोड)

} योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ई० एंड आई० कार्यक्रम हेतु परिव्यय का पता चलने के बाद ही इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए निर्णय लिया जा सकेगा।

निर्यात संवर्धन परिषदों को बजट सहायता

706. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान प्रत्येक निर्यात संवर्धन परिषद को कितनी सहायता राशि दी गई तथा 1991-92 के लिए प्रत्येक परिषद हेतु बजट प्रावधान कितना था;

(ख) प्रत्येक परिषद हेतु स्वीकृत कर्मचारियों तथा वास्तविक कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) प्रत्येक परिषद के खर्च में कमी करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1992-93 में तथा इसके पश्चात् प्रत्येक परिषद द्वारा निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है ।

(ग) परिषदें अपने व्यय में कटौती करने का प्रभावशाली प्रयास कर रही हैं । इसके लिए वे निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :—

I. जिन परिषदों के विदेशों में कार्यालय हैं उनके विदेश स्थित कार्यालयों को उपयुक्त सीमा तक बन्द करना ।

II. घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दौरों के व्यय में किफायत ।

III. टेलीफोन, टैलेक्स, डाक व्यय और आकस्मिक व्यय आदि में किफायत ।

(घ) वर्ष 1992-93 तथा उसके बाद निर्यात संवर्धन के लिए परिषदों द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं—

I. प्रकाशन/विज्ञापन ।

II. मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी-क्रेता-विक्रेता बैठकें व्यापार प्रतिनिधिमंडल, बिक्री-सह-अध्ययन दल, एकल बिक्री टीम, अनुसंधान और विकास, बाजार सर्वेक्षण आदि ।

विवरण					
क्र० सं०	निर्यात संवर्धन परिषद का नाम	1991-92 में रिलीज की गई सहायता अनुदान	1992-93 के लिए बजट प्रावधान	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक कर्मचारी संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अपैरल ई० पी० सी०	*शून्य	विभिन्न परिषद के	588	498
2.	मूल रसायन भेषज और प्रसाधन सामग्री	22.77	1992-93 के बजट	79	75
3.	कारपेट ई० पी० सी०	14.87	पर चर्चा हो रही है	18	18
4.	काजू ई० पी० सी०	3.32	और इन्हें मार्च, 1992	19	17
5	सूती वस्त्र ई० पी० सी०	** शून्य	में ही अन्तिम रूप		
6.	रसायन और सहबद्ध उत्पाद ई० पी० सी०	82.64	दिया जायेगा।	114	110
7.	चमडा निर्यात परिषद	67.00		78	78
8.	हस्तशिल्प ई० पी० सी०	15.79		14	13
9.	इंजीनियरिंग ई० पी० सी०	162.01		311	309
10.	इलैक्ट्रानिक्स और संघटक साफ्टवेयर ई० पी० सी०	24.79		19	15

1	2	3	4	5	6
11.	रत्न और आभूषण ई० पी० सी०	47.94		77	73
12.	हथकरघा ई० पी० सी०	45.07		63	60
13.	भारतीय रेशम ई० पी० सी०	25.82		29	25
14.	ओवरसीज कांस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया	4.97		15	14
15.	प्लास्टिक और लिनोलियम ई० पी० सी०	14.84		40	40
16.	खेलकूद का सामान ई० पी० सी०	15.47		24	20
17.	सिन्थेटिक्स और रेयन टैक्सटाइल ई० पी० सी०	25.48		49	39
18.	शैल्क ई० पी० सी०	13.76		44	43
19.	ऊन और ऊनी ई० पी० सी०	9.79		33	31
	कुल	596.03		1614	1478

* अपैरल ई० पी० सी० के रोके गए अनुदान को रिलीज करने से सम्बन्धित मामला इस समय विचाराधीन है।

** सूती वस्त्र ई० पी० सी० अपने बजट के लिए सरकार से स्वेच्छा से कोई अनुदान नहीं ले रही है।

खुले सामान्य लाइसेंस से कुछ मदों का अन्तरित किया जाना

707. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस से कुछ पदों को "एक्जिस स्किम" में अंतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परिवर्तन के क्या उद्देश्य हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) नई व्यापार नीति में आयात को निर्यात से जोड़ने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ओ० जी० एल० मदों की सूची की पुनरीक्षा की गई और कुछ मदों को खुले सामान्य लाइसेंस से एक्सिम स्किम में अन्तरित किया गया। इससे सम्बन्धित विवरण वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 196 आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 14-8-91, सं० 202-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 5-9-91 सं० 254 आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 6-12-91 तथा सं० 271-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 12-2-1992 में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

708. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है और इस सहायता राशि के प्राप्त होने में परियोजनावार यदि कोई विलंब हुआ है तो कितना ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं, वचनबद्ध सहायता और हरेक मामले में जनवरी, 1992 के अंत तक संवितरित राशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

(मिलियन डालर)

परियोजना का नाम	ऋण राशि	जनवरी, 92 के अंत तक संवितरित राशि
1	2	3
नर्मदा गुजरात बांध	335.0*	102.4*
जल-विभाजक डी० ई० वी०— वर्षा घोषित क्षेत्र	23.75*	12.675*

1	2	3
राष्ट्रीय कृषि-विस्तार-I	30.73*	25.209*
कोरबा-II	400.0	366.2
केन्द्रीय विद्युत पारेषण	250.7*	128.7*
इन्दिरा सरोवर हाइड्रो	52.337	5.797
धुधिचुआ कोयला	151.0*	90.037*
कोयला खनन और गुणवत्ता सुधार	340.0*	218.236*
मध्य प्रदेश उर्वरक	203.6	166.2
व्यावसायिक प्रशिक्षण	208.8*	38.7*
परिवार कल्याण प्रशिक्षण	113.3*	22.3*
तकनीशियन शिक्षा-I	210.0*	16.0*
बांध सुरक्षा एस० एस० और पुनर्वास	153.0*	8.0*

* ये बहुराज्यीय परियोजनाएं है जिनका मध्य प्रदेश में एक घटक है। आंकड़े सम्पूर्ण परियोजना से सम्बन्धित हैं।

ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के सम्बन्ध में विश्व बैंक की सिफारिशें

709. **श्री के० वी० तंगणकावालू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें पेश की हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने यह सुझाव दिया कि कतिपय संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से ग्रामीण बैंकिंग को सुदृढ़ बनाया जाए। इन परिवर्तनों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दरों का सरलीकरण एवं संशोधन, अत्याधिक अतिदेय राशियों में कमी करना और इस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों की गुणवत्ता में सुधार शामिल किए जा सकते हैं। कृषि ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति (खुसरो समिति) और वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी समिति (नरसिंहम समिति) ने ग्रामीण बैंकिंग की समस्याओं की अलग से जांच की है और उनके द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

जस्ता सिलरेडों का निर्यात

710. **श्री सुखदास कामत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी तम्बाकू कारखाने को सिगरेटों के निर्यात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्यात की जाने वाली सिगरेटों का मूल्य कितना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में रूस के साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) निर्यात सरकार द्वारा दी गई विशेष अनुमतियों के आधार पर नहीं बल्कि आयात-निर्यात नीति तथा द्विपक्षीय व्यापार संलेख की शर्तों के अनुसार होता है। वर्ष 1992 के लिए व्यापार संलेख में रूप को 3 अरब सिगरेट के निर्यात का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

चकेरी एयर फोर्स स्टेशन के अग्निशमन कर्मचारियों की पदोन्नति

711. **श्री केसरी लाल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकेरी एअर फोर्स स्टेशन के अग्निशमन कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु हाल ही में एक परीक्षा ली गई थी;

(ख) यदि हो, तो क्या उक्त परीक्षा में सफल घोषित किये गये उम्मीदवारों की पदोन्नति कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सफल उम्मीदवारों की पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सफल घोषित किये गये सभी उम्मीदवारों की पदोन्नति संभवतः कब तक कर दी जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) फायरमैन ग्रेड-I का एक रिक्त पद और लीडिंग हैंड फायर (सामान्य ग्रेड) के तीन पद भरने के लिए 27-7-1991 को एक ट्रेड परीक्षा ली गई थी। फायरमैन ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए औपचारिक रूप से ट्रेड परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं है इसलिए इस पद के लिए ली गई परीक्षा के परिणाम अवैध घोषित कर दिए गए थे। साथ ही, यह भी पाए जाने पर कि विभागीय पदोन्नति समिति का गठन पुराने भर्ती नियमों के अनुसार किया गया है, समिति की कार्यवाही को भी अवैध करार दिया गया है। पात्र उम्मीदवारों के चयन के लिए एक नई विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जा रही है। सफल उम्मीदवारों को मार्च, 1992 के अंत तक पदोन्नत कर दिए जाने की सम्भावना है।

अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए ऋण

712. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए निजी फर्मों को बिना ब्याज के ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हलधर सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक किसी को भी बिना ब्याज के ऋण प्रदान नहीं करते हैं। नई/वर्तमान प्रौद्योगिकी का विकास/उन्नयन करने सहित अनुसंधान कार्य करने के लिए निजी फर्मों को ऋणों की मंजूरी को वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण देने की गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है। उद्यमियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात उत्पादक प्रयोजनों के लिए उद्योग आदि स्थापित करने हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। बैंकों द्वारा अपने अग्रिमों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दरें इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार हैं।

[अनुवाद]

बेरोजगार स्नातकों को एस० टी० ए० परमिट

713. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के राज्य परिवहन प्राधिकरण ने दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों पर बसें चलाने के लिए परमिट देने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन बेरोजगार स्नातकों को वरीयता प्रदान करने का विचार है जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत आवेदन किए हों, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने नए रूटों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्रचालित रूटों पर स्टेज कैरिज परमिट देने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को अनुदान

714. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 13-5-1988 को लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसार मध्य प्रदेश को 1989-90 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से 15.31 करोड़ रुपये की राशि न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश को वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए उक्त धनराशि कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) संसद द्वारा 13-5-1988 को पारित संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है, जिसमें से वर्ष 1989-90 के लिए मध्य प्रदेश के संबंध में 15.31 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान था। इसलिए मध्य प्रदेश में इस राशि की नई स्कीमें अब तक अनुमोदित नहीं की जा सकीं।

(ख) 1989 से आगे, बढ़ाई गई केन्द्रीय सड़क निधि में से स्कीमों के अनुमोदन के लिए तथा उसमें से निधियां जारी करने के लिए समय बता पाना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि निधि में वृद्धि किए जाने के बारे में अभी निर्णय लिया जाना शेष है।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज के आयात की जांच

715. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान आयात किये गये अखबारी कागज के सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय नौवहन निगम का एक पोत जब्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(घ) इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) एस० टी० सी० ने मैसर्स मेटोर पेपर लि०, लन्दन से अखबारी कागज की कुछ मात्रा आयात की थी जिसकी सुपुर्दगी एस० सी० आई० के जरिए की गई थी। इस सामग्री के स्रोत, विनिर्माता प्रमाण-पत्र आदि की घोषणा के सम्बन्ध में विवाद होने की वजह से, एस० सी० टी० ने सप्लायर को भुगतान नहीं किया। सप्लायर द्वारा एस० सी० आई० के विरुद्ध कार्गो के मूल्य के सम्बन्ध में दावा दायर करने पर एस० सी० आई० का एक जहाज 12-2-92 को एंटवर्प (बेल्जियम) में रोक लिया गया था। रोके गए जहाज को एस० सी० आई० द्वारा एक क्षतिपूर्ति बांड के आधार पर अब छुड़वा लिया गया है।

(ग) तथा (घ) इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं का आयात

716. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन खाद्य वस्तुओं का आयात करने का विचार है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा से बांगलादेश को खाद्यान्नों की तस्करी

717. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा से बांगलादेश को की जा रही खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की तस्करी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) प्राप्त रिपोर्टों और किए गए माल के अभिग्रहणों से पता चलता है कि चीनी और औषधियां त्रिपुरा से बंगलादेश को तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या और पकड़े गए ऐसे माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	मामलों की संख्या	मूल्य
1989	780	6.05
1990	795	10.24
1991	841	11.92

(ख) विशेष निवारक जांच-पड़ताल और अभियान चलाये जाते हैं और तस्करी-रोधी तंत्र को भी चुस्त बना दिया गया है। तस्करी निवारण और उसका पता लगाने के कार्य में लगी हुई सभी एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

[अनुवाद]

असम में चाय उद्योग

718. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में चाय उद्योग संकट की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य में रुग्ण चाय बागानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रुग्ण चाय बागानों को पुन: लाभ की स्थिति में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) असम में चाय-उत्पादन में हो रही निरन्तर वृद्धि से पता लगता है कि असम में चाय उद्योग संकट की स्थिति में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चाय बोर्ड द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार असम में 27 कमजोर/रुग्ण और 5 बन्द चाय बागान हैं।

(घ) रुग्ण चाय एस्टेटों को फिर से लाभ की स्थिति में लाने का मूल उत्तरदायित्व सम्बन्धित मालिकों का है। सरकार उत्पादकता बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड के जरिए कई विकासात्मक योजनाएं चला रही है। रुग्ण चाय एस्टेटों के मालिक भी इन योजनाओं के तहत लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने चाय बोर्ड से कहा है कि वह ऐसे चाय एस्टेटों के निजी मालिकों को पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने और उनके बागानों को पुन: लाभ की स्थिति में लाने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करे।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

719. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री महेश कनोडिया :

श्रीमती कुलभेन्द्र कौर :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था;

(ख) उपर्युक्त तिथि को रुपये की क्रय शक्ति कितनी थी; और

(ग) मुद्रा-स्फीति की दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिसम्बर, 1991 के लिए औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982=109) 225 था।

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार=1982=100) के व्युत्क्रम के रूप में मापित रु० की क्रय शक्ति दिसम्बर, 1991 में 44 पैसे थी।

(ग) सरकार ने अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें, मूल्य-संवेदी आवश्यक वस्तुओं के प्रति बैंक ऋणों पूर्ति की वृद्धि तथा राजकोषीय घाटे में कटौती के माध्यम से सख्त राजकोषीय अनुशासन लागू करना, आवश्यक/संवेदी वस्तुओं की मांग और पूर्ति का अधिक कारगर प्रबन्ध करना और जमाखोरों तथा मुनाफा-

खोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शामिल है। मूल्यों में मध्यावधि स्थिरता सुनिश्चित करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

पत्तनों पर बड़ी मात्रा में उर्वरकों की ढुलाई हेतु कमीशन

720. **डा० विश्वनाथम कैनिथि** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखाने में और पत्तन पर बड़ी मात्रा में उर्वरकों हेतु कमीशन अथवा प्रभार के भुगतान के लिए सरकार ने क्या पद्धति अपनाई है;

(ख) क्या वर्तमान पद्धति में किसी तरह का परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार पत्तनों पर आयातित उर्वरक को हैंडल करने तथा इसके परिवहन और उपभोक्ताओं तक विपणन के लिये प्रतिवर्ष निविदाएं आमंत्रित करती है। प्रति टन माल की न्यूनतम दर प्राप्त करने के प्रयोजन से इसको हैंडल करने की दरों को प्रतियोगी निविदाओं तथा बातचीत के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है। जहां तक देशी उर्वरक का सम्बन्ध है, कारखाने से निकलने के बाद इसकी हैंडलिंग तथा परिवहन लागत का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है क्योंकि परिवहन सबसिडी की गणना मानकीय रूप से की जाती है।

(ख) तथा (ग) उर्वरक विनिर्माताओं से भिन्न यूनिटों द्वारा भी निविदाएं भेजे जा सकने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस समय मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी मशीनरी और नौकरशाही पर व्यय

721. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध अधिकांश धनराशि सरकारी तंत्र और नौकरशाही पर व्यय हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस मशीनरी (गैर-योजना मद) पर प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जा रही है; और

(ग) इस व्यय में कटौती करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के केन्द्रीय बजट में विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 43 प्रतिशत से अधिक है। मजदूरी और वेतनों पर व्यय की राशि कुल व्यय का 9.1 प्रतिशत है। मजदूरी और वेतनों पर व्यय का प्रतिशत विकासात्मक व्यय के सम्बन्ध में आमतौर पर कम होता है।

(ग) सरकार विकासात्मक व्यय में मजदूरी और वेतनों आदि पर व्यय को कम से कम रखने की वांछनीयता के प्रति जागरूक है।

कोयम्बटूर के कपड़ा श्रमिकों को सहायता

722. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयम्बटूर में बहुत-सी कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने के कारण श्रमिक बहुत कष्टों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) 31-1-1992 की स्थिति अनुसार 8 वस्त्र मिलें बंद पड़ी हुई थीं (6 कताई तथा 2 मिश्रित मिलें)। केवल एक ही मिल अर्थात, मैसर्स राधा कृष्णा मिल्स लिमिटेड, कोयम्बतूर केन्द्रीय सरकार की वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी० डब्ल्यू० आर० एफ० एस०) के अन्तर्गत अपने कामगारों के लिए राहत प्राप्त करने की पात्र थी। इस मिल के 1045 पात्र कामगारों को वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अन्तर्गत 1.89 करोड़ रुपये की राहत राशि का पहले से ही भुगतान कर दिया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद

723. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनन्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को भरे जाने के मामले में भारी अनियमिताएं पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपनी आरक्षण नीति को न्यायसंगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है;

(ग) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक पृथक भर्ती बोर्ड गठित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सभी पदों को अनारक्षित करने से पहले महानिदेशक पुनर्वास को भेजने का है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार की अनियमितता होने की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण/रियायतें तथा छूट सम्बन्धी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का एक संकलन कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा निकाला गया है और सभी मन्त्रालयों/विभागों को उनकी सूचना तथा मार्ग-निर्देशन के लिए परिचालित किया गया है।

(ग) और (घ) समूह "घ" पदों पर भर्ती, नियोक्ता विभाग संबंधित रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से करता है। ऐसे चयन में कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाती है। समूह "ग" के पदों, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं, पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। इसलिए इन पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए अलग भर्ती बोर्ड स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के सभी नियोक्ता विभागों के लिए अनिवार्य है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करने से पहले वे पुनर्वास महानिदेशालय से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" लें।

जम्मू और कश्मीर में चुनाव

724. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का जम्मू और कश्मीर में लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए वहां चुनाव कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ये चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जम्मू-कश्मीर में, जैसे ही वहां निर्वाचन कराने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, निर्वाचन कराये जाएंगे। तथापि, इस प्रक्रम पर कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का निर्यात

725. **श्री विलासराव मारुतीराव गुन्देवार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फलों और सब्जियों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या विदेशों में भारतीय फलों और सब्जियों की भारी मांग है; यदि हां, तो वे कौन-कौन से देश हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जैसे विभिन्न विकास सम्बन्धी निकायों के जरिए विपणन विकास, उत्पाद संवर्धन गुणवत्ता उन्नयन पैकेजिंग में सुधार क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, अन्तर-राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी इत्यादि प्रोत्साहनात्मक कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, उद्यान संबंधी चुनिन्दा वस्तुओं को भी सरकार ने मध्यतर एक्सिम स्क्रिप्स प्रदान की है।

(ग) और (घ) भारतीय फलों और सब्जियों का पश्चिम एशिया, यूके और यूरोप इत्यादि को निर्यात किया जा रहा है और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है—

1988-89 : 163.85 करोड़ रु०

1989-90 : 208.05 करोड़ रु०

1990-91 : 217.29 करोड़ रु०

(स्रोत : डी० जी० सी० आई० एस० फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स)

[अनुवाद]

दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

726. **श्री विजय कुमार यादव :**

आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विधान सभा के आगामी चुनावों से पहले विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम्) : (क) जी हां।

(ख) 1991 की जनगणना के सम्बन्ध मे प्रकाशित जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाना है। निर्वाचन आयोग को महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त से सुसंगत मानचित्र और प्रकाशित जनगणना आंकड़े 26 फरवरी, 1992 को ही प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग आगे आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा नीति को लागू करना

728. **श्री विनय कटियार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी ऐसी शाखाएं हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 25 या इससे अधिक है;

(ख) उनमें से ऐसी बैंक शाखायें कितनी हैं जहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है और जिसकी नियमित रूप से हर तीसरे महीने बैठक होती है; और

(ग) उनमें से ऐसी कितनी बैंक शाखाएं हैं जिनमें यह देखने के लिए निरीक्षण कराया गया है कि उनमें राजभाषा नीति का अनुसरण किया जा रहा है अथवा नहीं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है—

(क) 443.

(ख) 389.

(ग) 310.

रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए कोष

729. **श्री स्वामी सुरेशानन्द** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा सेवाओं के जवानों और अधिकारियों के कल्याण के लिए एक अलग कोष बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सैनिकों के लिए मतपत्र

730. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री राकेश कुमार :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थल, जल और वायु सेनाओं के सैनिकों के लिए बनाये गये मतपत्र उन्हें सदा देर से भेजे जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे अपना मतदान नहीं कर पाते;

(ख) यदि हां, प्रत्येक स्कंध के ऐसे सैनिकों की कुल संख्या क्या है जो पिछले आम चुनावों के दौरान अपना मतदान नहीं कर सके,

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का है तो ऐसे मामलों में सैनिकों को मतपत्र समय पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जा सके और वे मतदान का उपयोग कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) रक्षा सेवा मतदाताओं के लिए भेजे गए मतपत्र संबंधित चुनाव अधिकारियों से प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ही सामान्यतः संबंधित सेना अधिकारियों द्वारा रक्षा सेवा मतदाताओं को भेज दिए जाते हैं। कभी-कभी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सेना अधिकारियों को मतपत्र भेजने में कुछ देर हो जाती है। चुनाव अधिकारियों से मतपत्र देर से प्राप्त होना/मतदाताओं के अपर्याप्त/गलत ब्यौरे आदि जैसे कारण इसमें सम्मिलित हैं।

(ख) पिछले आम चुनावों (मई-जून, 1991) के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग न कर पाने वाले मतदाताओं की संख्या के बारे में संबंधित अधिकारियों के पास कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) मतदाताओं के पंजीकरण तथा सेवा कार्मिकों को डाक द्वारा मतपत्र भेजने सहित सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित सेना अधिकारियों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग से भी अनुरोध किया है कि संबंधित रक्षा सेवा अधिकारियों को डाक द्वारा भेजे जाने वाले मतपत्र समय पर भेजे जाएं।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वालों द्वारा की गयी धांधली

731. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले लोगों द्वारा रूबल के माध्यम (रूबल स्कैम) से की गयी 300 करोड़ रुपये की बैंकिंग धांधली की जांच भारतीय रिजर्व बैंक ने करायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) विदेशी मुद्रा (छूट) योजना में ऐसी कौन-सी त्रुटि पायी गयी है जिनका दुरुपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अपरिवर्तनीय रुपया खाता रखने वाले कुछेक बैंकों के निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया कि कुछ मामलों में द्विपक्षीय ग्रुप के देशों से अपरिवर्तनीय रुपयों के रूप में प्राप्त निधियों को अनिवासी खातों (एन० आर० ई०) में बदल दिया गया और इनके एक भाग पर विदेशी मुद्रा (उन्मुक्ति) योजना, 1991 के अन्तर्गत छूट का दावा किया गया और जो उन्हें प्रदान की गयी। जिन बैंकों ने इन लेन-देनों की अनुमति दी थी, उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे : (I) अपरिवर्तनीय रुपयों के रूप में प्राप्त निधियों के लिए जारी उन्मुक्ति प्रमाण-पत्रों को रद्द कराएं; और (II) ऐसे मामलों की जांच की जाए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों तथा प्राधिकृत डीलरों को परामर्श दिया है कि वे भी ऐसे लेन-देनों की जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(ग) विदेशी मुद्रा (उन्मुक्त) योजना, 1991 के प्रावधानों के बारे में बैंकों तथा प्राधि-

क्रत डीलरों को दिए गए निर्देश बहुत स्पष्ट थे तथा द्विपक्षीय समूह के देशों से अपरिवर्तनीय रुपयों में प्राप्त धनराशि के बारे में कोई उन्मुक्ति की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए थी।

मुम्बई उच्च न्यायालय में लंबित मामले

732. **श्री शंकरराव काले** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई उच्च न्यायालय में पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) 30.6.91 को, मुम्बई उच्च न्यायालय में पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या 44831 थी। अधिक समय से लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मुम्बई उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों को सम्यक् पूर्विकता दी गयी है और यथासंभव, इन्हें ऐसे न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाता है जिन पर ग्रहण किए जाने वाले मामलों या अन्य प्रकीर्ण कार्य का भार नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों को, जिनमें विधि के समान प्रश्न अन्तर्वलित हैं, एक समूह में रखा जाता है और यथा साध्य उसी न्यायपीठ के समक्ष रखा जाता है।

मुद्रास्फीति दर

733. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**

श्री भाग्ये गोवर्धन ।

श्री देवी प्रसाद पाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1992 में मुद्रास्फीति दर कितनी थी;

(ख) फरवरी, 1992 में उससे पूर्व के दो माह की तुलना में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) मुद्रास्फीति दर को कम करके इसे युक्ति-युक्त स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विन्दु प्रति-विन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 8 फरवरी, 1992 को 11.8 प्रतिशत थी।

(ख) फरवरी, 1992 में, उससे पिछले दो महीनों की तुलना में मुद्रास्फीति की दर में हुई प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है :

मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

महीना	दर (प्रतिशत)	परिवर्तन 7-12-91 से प्रतिशतांक
7-12-1991	14.4	—
11-01-1992	13.1	(—) 1.3
8-02-1992	11.8	(—) 2.6

(ग) पिछले दो महीनों में मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है।

(घ) सरकार ने मुद्रास्फीति की दर को एक उचित स्तर तक कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें मूल्य-संवेदी आवश्यक वस्तुओं के प्रति बैंक ऋणों और मुद्रा पूर्ति की वृद्धि तथा राजकोषीय घाटे में कटौती के माध्यम से सख्त राजकोषीय अनुशासन लागू करना, आवश्यक/संवेदी वस्तुओं की मांग और पूर्ति का अधिक कारगर प्रबन्ध करना और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शामिल है। मूल्यों में मध्यावधि स्थिरता सुनिश्चित करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

734. **श्री रामकृष्ण कसमारिया :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :
श्री बलराज पासी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के इस खण्ड को चौड़ा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। दिल्ली-जयपुर खण्ड सहित देश में सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर यातायात क्रमशः बढ़ रहा है।

(ख) 263 कि०मी० लम्बा दिल्ली-जयपुर मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का भाग है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 का। इसकी 227 कि०मी० लम्बाई में पहले से ही दो लेन हैं और 36 कि०मी० में 4 लेन हैं। अन्य 85.2 कि०मी० सड़क को चौड़ा करके चार लेन का बनाने का काम या तो चल रहा है या शीघ्र ही शुरू होने वाला है। शेष लम्बाई को चार लेन का

बनाना, माली योजनाओं में संसाधनों की स्थिति, अखिल भारतीय आधार पर इस कार्य की प्रारम्भिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र को धनराशि का आवंटन

735. **श्री धर्मन्ना मोण्डल्या सादुल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान आंध्र प्रदेश के हथकरघा क्षेत्र को कितनी धनराशि का आवंटन किया तथा हथकरघा क्षेत्र ने जनवरी, 1992 तक इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ख) क्या मार्च-सितम्बर के दौरान राज्य में श्रमिकों की भूख के कारण हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा क्षेत्र में राशि का आवंटन राज्यवार नहीं अपितु योजनावार किया जाता है। 1991-92 के दौरान 31 जनवरी, 1992 तक केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 2054.78 लाख रुपये की राशि जारी की है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार का मत है कि बुनकरों की मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई थी तथापि उनका यह भी मत है कि बुनकरों की दशा दयनीय है। भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के बुनकरों की दशा सुधारने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) आंध्र प्रदेश को जनता कपड़े के उत्पादन का 5 मिलियन वर्ग मीटर अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया और इसके लिए 127.50 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई। यह लक्ष्य आंध्र प्रदेश को आरंभ में दिए गए 52 मिलियन वर्ग मीटर के अतिरिक्त है।

(2) गैर जनता कपड़े के लिए राज्य सरकार को विकास विपणन सहायता के रूप में अतिरिक्त आवंटन किया गया ताकि 2 करोड़ रुपये मूल्य का कपड़ा उपलब्ध किया जा सके।

(3) बुनकरों की कार्य-कौशलता उन्नत करने और साथ ही उनके उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करने हेतु 300 बुनकरों के लिए एक विकेंद्रीत प्रशिक्षण कार्यक्रम की मंजूरी दी गई।

(4) गुंटूर, कृष्णा और प्रकाशम जिलों के 12,000 बुनकरों को बीमा योजना में शामिल करने के लिए एक समूह बीमा योजना मंजूर की गई है और भारत सरकार ने किस्त के रूप में अपना अंश जारी कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती

736. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं विशेष रूप से जबकि भारी मूल्य वृद्धि के कारण उनकी खरीद शक्ति कम हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में 10 प्रतिशत की कटौती लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सजावटी पौधों के सत का निर्यात

737. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुछ सामान्य सजावटी पौधे जैसे कि गुलाब, चमेली आदि के सत का बड़ी मात्रा में अवैध व्यापारियों द्वारा निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) वर्तमान निर्यात नीति के अन्तर्गत गुलाब और चमेली सांद्रण जैसे फूल-सत के निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति है। सरकार को अवैध व्यापारियों द्वारा इनके सत के बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

सासाराम में जी०टी० रोड को चौड़ा करना

738. **श्री छेदी पासवान** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सासाराम शहर में जी०टी० रोड को चौड़ा करने के लिए धनराशि का नियतन किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सड़क पर काम कब तक आरंभ होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सासाराम शहर से गुजरने वाले रा०रा० 2 को चार लेन का बनाने का कार्य को स्वीकृति के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है। यह कार्य स्वीकृति जारी होने तथा ठेका दिए जाने के बाद शुरू होगा। इसलिए अभी यह बताना मुमकिन नहीं है कि चौड़ा करने का कार्य वास्तव में कब शुरू होगा।

[अनुवाद]

केरल में हथकरघा उद्योग में संकट

739. **श्री टी०जे० अंजलोस** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हथकरघा उद्योग में संकट व्याप्त है;

(ख) क्या केरल सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास के संबंध में केंद्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) केरल सरकार ने राज्य में हथकरघा उद्योग द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों के संबंध में एक नोट प्रस्तुत किया है। इस नोट में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों को उठाया गया है :

1. कच्चे माल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव और वृद्धि।
2. राज्य में ही बारीक काऊंट के हैंक यार्न के उत्पादन में कमी।
3. हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु पावरलूम और मिल क्षेत्र के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा और आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन; और
4. केरल राज्य हथकरघा श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत साधनों की कमी।

(घ) कच्ची कपास के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण सूती यार्न के मूल्यों में वृद्धि हुई है और यह समूची मुद्रास्फीति से जुड़ा हुई है। राज्य और सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को निदेश दिए गए हैं कि वे बाजार मूल्यों से प्रभावित न हों और मूल्यों में रोकथाम करें। प्राइवेट क्षेत्र की कताई मिलों को भी कहा गया है कि वे हथकरघा बुनकरों को कम मूल्यों पर सूत की आपूर्ति करें। राज्य सरकार से भी कहा गया है कि राज्य क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र से प्रस्तावित कताई मिलों की स्थापना के लिए राज्य के हथकरघा बुनकरों की बारीक सूत की मांग को भी ध्यान में रखें। हथकरघा आरक्षण अधिनियम और इसके अन्तर्गत जारी आदेशों को कई उच्च न्यायालयों ने पहले ही स्थगन आदेश दे दिए है। सरकार उच्चतम न्यायालय के इस स्थगन आदेशों को हटवाने के लिए कार्रवाई कर रही है। जहां तक केरल राज्य हथकरघा श्रमिक कल्याण कोष में धन देने का राज्य सरकार का अनुरोध है केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं में धनराशि दी जा सके। इसलिए केरल सरकार को सलाह दी गई है कि राज्य की कल्याणकारी योजना से मिलने वाले लाभ पर विचार करने के बाद केंद्रीय प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करें।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु दिये गये ऋण

741. **डा० लाल बहादुर राबल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 1991 के दौरान राज्य-वार कितनी राशि के ऋण दिये गये;

(ख) उनमें से कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) अभी कितनी ऋण राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) इन आंकड़ों का समेकन एवं एकत्रीकरण एक समय खपाने वाली प्रक्रिया है। इस समय केवल जून, 1989 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। जून, 1989 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राज्यवार संवितरित और बकाया प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की कुल राशि और वसूल की गयी राशियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

जून, 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राज्यवार संवितरित और बकाया कुल प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राशि तथा वसूल की गयी राशियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु०)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संवितरित ऋण	बकाया ऋण	वसूल की गयी राशि
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	125.68	571.27	143.30
2.	हिमाचल प्रदेश	9.89	61.63	14.12
3.	जम्मू एवं कश्मीर	4.48	47.63	6.19
4.	पंजाब	270.25	909.81	346.50
5.	राजस्थान	112.81	611.20	114.43
6.	चण्डीगढ़	20.30	154.19	7.80
7.	दिल्ली	7.16	63.14	4.80
8.	असम	24.56	108.24	14.04
9.	मणिपुर	0.71	5.00	0.47
10.	मेघालय	3.18	11.12	2.44
11.	नागालैंड	7.74	16.85	3.90

1 2	3	4	5
12. त्रिपुरा	5.94	19.80	1.85
13. अरुणाचल प्रदेश	1.35	2.91	.37
14. मिजोरम	1.02	2.06	.35
15. सिक्किम	.72	3.94	.67
16. बिहार	118.67	601.32	100.40
17. उड़ीसा	81.09	318.72	76.67
18. पश्चिम बंगाल	103.20	519.71	79.58
19. अण्डमान एवं निकोबार	.51	1.73	.23
20. मध्य प्रदेश	206.37	809.71	187.69
21. उत्तर प्रदेश	329.15	1282.74	324.34
22. गुजरात	163.57	600.62	204.31
23. महाराष्ट्र	299.64	1297.73	289.32
24. दमन एवं दीव	.09	0.19	.10
25. गोवा	11.42	30.71	7.36
26. दादरा एवं नागर हवेली	.09	0.13	.17
27. आंध्र प्रदेश	629 04	1604.25	509.56
28. कर्नाटक	297.15	1150.90	282.96
29. केरल	285.18	562 86	179.47
30. तमिलनाडु	678.00	1440 66	530.78
31. पाण्डिचेरी	14.11	29.18	12.23
32. लक्षद्वीप	.10	.31	.13
जोड़	3813.16	12830.24	3445.06

[अनुवाद]

न्यू इण्डिया एक्सप्रेस कम्पनी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

742. **श्री राम निहोर राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यू इण्डिया एक्सप्रेस कम्पनी लिमिटेड में राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की राज्यवार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	33
अरुणाचल प्रदेश	शून्य
असम	26
बिहार	18
गोआ	शून्य
गुजरात	50
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू एवं कश्मीर	1
कर्नाटक	26
केरल	15
मध्य प्रदेश	26
महाराष्ट्र	114
मणिपुर	1
मिजोरम	शून्य
मेघालय	3
नागालैंड	7
उड़ीसा	23
पंजाब	26
राजस्थान	24

1	2
तमिलनाडु	61
त्रिपुरा	शून्य
उत्तर प्रदेश	40
पश्चिम बंगाल	30
चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	12
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	29
पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	2
जोड़	584

हथकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना

743. **श्री धर्मलिंगम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों पर बीमा योजना लागू करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) राज सहायता प्राप्त दरों पर धागा सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या हथकरघा उद्योग को सहकारी क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान आंध्र प्रदेश के 12000 हथकरघा बुनकरों के लिए पाइलेट आधार पर एक समूह बीमा योजना लागू की गई है।

(ख) इस समय रियायती मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की कोई योजना नहीं है।

(ग) सरकार की सदैव यह नीति रही है कि हथकरघों को धीरे-धीरे सहकारी क्षेत्र में लाया जाये।

(घ) बुनकरों को प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का सदस्य बनाने के लिए सरकार उन्हें अंशपूंजी हेतु ऋण देती है। गरीबी की रेखा से नीचे के बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाने के लिए इस वर्ष के दौरान "निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जित मनी" नामक एक योजना आरंभ की है।

रक्षा उत्पादन में विदेशी सहयोग

744. **श्री कल्पनाथ पाण्डे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा उत्पादन एककों में विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रयास के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) रक्षा उत्पादन यूनिटों में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित विदेशी कंपनियों का सहयोग लेना, कोई नई बात नहीं है। कुछ रक्षा उत्पादन यूनिट पहले ही कई विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग बनाए हुए हैं।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन

745. **डा० असीम बाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिंदी]

उत्तर प्रदेश में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन

746. **श्री राम पाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने व्यक्ति अब तक लाभान्वित हुए हैं; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त अवधि के दौरान उसे कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इसमें से कितनी राशि वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990, जो 3-13-1991 को समाप्त हो गई, के अन्तर्गत हिताधिकारियों को प्रदान की गई राहत का जिला-वार ब्यौरा प्राप्त नहीं होता। तथापि, बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 51.81 लाख हिताधिकारियों को 1047.49 करोड़ रुपए तक की राहत प्रदान की गई है।

(ख) उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को 322.36 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत एवं संवितरित की गई, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

	प्रदान की गई ऋण राहत की राशि	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी की गई राशि		
		ऋण	अनुदान	जोड़
राज्य सहकारी बैंक	545.95	128.16	128.16	256.32
राज्य भूमि विकास बैंक	101.33	33.02	33.02	66.04
जोड़	647.28	161.18	161.18	322.36

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में उत्पादन

747. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड की गाजियाबाद इकाई को वर्ष 1991-92 में राडार माइक्रोवेव और संचार उपकरण बनाने के लिए कुल कितने मूल्य के क्रिया देश प्राप्त हुए हैं;

(ख) इकाई द्वारा इस अवधि के दौरान उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस इकाई के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में गिरावट की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद यूनिट ने वर्ष 1991-92 के दौरान राडार, माइक्रोवेव तथा संचार उपकरण बनाने के लिए 20 फरवरी, 1992 तक कुल 13.70 करोड़ रुपये मूल्य के आर्डर प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान, 26.02 करोड़ रुपये की वित्तीय वचनबद्धता के आशय के पत्रों को स्थायी आर्डर के रूप में परिवर्तित किया गया।

(ख) अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 के दौरान वास्तविक उत्पादन 56.82 करोड़ रुपये का हुआ जबकि लक्ष्य 59.22 करोड़ रुपये का था।

(ग) और (घ) कम्पनी को विश्वास है कि वर्ष 1991-92 के अन्त तक लक्षित उत्पादन पूरा कर लेगी।

हथकरघा उद्योगों को विद्युतकरघा उद्योगों में परिवर्तित करना

748. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों में हथकरघा उद्योगों को विद्युत करघा उद्योगों में परिवर्तित करने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कच्चे माल के मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि तथा केंद्रीय एजेंसियों से कच्चा माल उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप राजस्थान के हथकरघा तथा विद्युतकरघा उद्योग बंद होने को है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों से ऐसे परिवर्तन हेतु सब्सिडी और ऋण देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) एक नीति के अनुसार सरकार हथकरघा को संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है और साथ ही पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिए भी सहमत है बशर्ते इससे हथकरघा उद्योग पर अतिक्रमण न हो। इसी कारण तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनुसार को स्वीकार नहीं किया जा सका।

(घ) कच्चे माल के मूल्यों में हुई वृद्धि से राजस्थान सहित सारे देश के हथकरघा और पावरलूम उद्योग प्रभावित हुए हैं लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चे माल अर्थात् सूत रंग व रसायन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ङ) सूत के मूल्यों में हुई वृद्धि का मुख्य कारण कच्ची कपास के मूल्यों में असामान्य वृद्धि है। सरकार मूल्य स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रही है। प्राइवेट क्षेत्र की कताई मिलों से कहा गया है कि वे हथकरघा बुनकरों को कम मूल्य पर सूत की आपूर्ति करें। सहकारी और राज्य क्षेत्र की मिलों से कहा गया है कि हथकरघा क्षेत्र में अधिक प्रयोग होने वाले सूत के उत्पादन में वृद्धि करें। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि सूत की कमी वाले क्षेत्रों में यार्न डिपो खोलें। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को निर्देश दिए गए हैं कि सूत आपूर्ति के कार्यकलापों में तेजी लाएं। आंतरिक बाजारों में प्रचलित सूत के मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार सूत निर्यात और साथ ही कपास के निर्यात के संबंध में सतर्कता की नीति अपनाए हुए है। अभी हाल ही के महीनों में रेशमी यार्न के मूल्यों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है और रेशम के हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की रेशमी यार्न के आयात का कार्यभार सौंपा गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंक

750. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**
श्री सुखदेव पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं राज्यवार और जिलावार कार्यरत हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 19-2-92 की स्थिति के अनुसार देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 41776 शाखाएं कार्य कर रही थीं। देश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या की सूची तैयार करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, इन शाखाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक शाखाओं की संख्या
1	2
1. अंडमान और निकोबार	23
2. आन्ध्र प्रदेश	3251
3. अरुणाचल प्रदेश	49
4. असम	803
5. बिहार	2958
6. चण्डीगढ़	106
7. दादरा और नागर हवेली	7
8. दमन और दीव	10
9. दिल्ली	1039
10. गोवा	246
11. गुजरात	2910
12. हरियाणा	961
13. हिमाचल प्रदेश	602
14. जम्मू व कश्मीर	253
15. कर्नाटक	2756
16. केरल	1622
17. लक्षद्वीप	8
18. मध्य प्रदेश	2709
19. महाराष्ट्र	4478
20. मणिपुर	56
23. मेघालय	114

1	2
22. मिजोरम	24
23. नागालैंड	61
24. उड़ीसा	1261
25. पाण्डिचेरी	58
26. पंजाब	1917
27. राजस्थान	1755
28. सिक्किम	28
29. तमिलनाडु	3188
30. त्रिपुरा	86
31. उत्तर प्रदेश	5186
32. पश्चिमी बंगाल	3251
अखिल भारत जोड़	41776

[हिन्दी]

राजा चैलैया समिति की सिफारिशें

751. **श्री मृत्युंजय नायक :**

डा० आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री :

श्री रति लाल कालिदास वर्मा :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

श्री आर्य कर्नाडीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर ढांचे में सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित राजा चैलैया समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में निर्यात परिसर की स्थापना

752. **श्री प्रवीण डेका** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में एक निर्यात परिसर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) एक भारत व्यापार संवर्धन संगठन पहले से ही है जिसका प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी काम्पलेक्स है और यह मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए निर्यात संवर्धन में सहायता करता है।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषण सहायता

753. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य मे गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक, सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त पोषण सहायता के तौर पर कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध ऋण सीमाएं क्या हैं और उनका कितने प्रतिशत प्रयोग में लाया गया;

(ग) प्रत्येक राज्य के अत्यंत पिछड़े तथा गरीब आदिवासी क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए बैंकों तथा अन्य सरकारी संगठनों के माध्यम से पुनर्वित्त पोषण सहायता का कितना प्रतिशत प्रयोग किया गया;

(घ) क्या नाबार्ड ने इसके परिणामस्वरूप गरीब आदिवासियों को हुए लाभ का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि, हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योजनाबद्ध उधार के अन्तर्गत प्रदान की गयी पुनर्वित्त सहायता की राज्यवार राशि का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर की गई अधिकतम सीमाओं की राज्यवार रकमों और उनकी उपयोगिता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) बैंकों/सहकारी संगठन संगठनों द्वारा प्रत्येक राज्य में बहुत ही पिछड़े तथा गरीब

आदिवासी क्षेत्रों के लाभ के लिए इस्तेमाल की गयी पुनर्वित्त सहायता से संबंधित सूचना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य-योजना के अन्तर्गत, नाबार्ड द्वारा वर्ष 1990-91 में प्रदान की गई कुल पुनर्वित्त सहायता की रकम 10 करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इसी वर्ष छोटे तथा सीमांत किसानों को लघु सिंचाई, भूमि विकास विविधीकृत प्रयोजनों के लिए 1203 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान की है जो इस प्रयोजन के लिए संवितरित की गयी पुनर्वित्त सहायता का 79% हिस्सा बैठती है।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपने द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता में से गरीब आदिवासियों को दिये गये लाभों का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण-I

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योजनाबद्ध उधार के अंतर्गत प्रदान की गयी पुनर्वित्त सहायता की राज्यवार रकम दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुनर्वित्त सहायता की राशि		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	47.64	77.21	84.34
2.	हिमाचल प्रदेश	5.71	8.83	8.87
3.	जम्मू एवं कश्मीर	7.25	7.55	6.39
4.	पंजाब	75.93	100.29	108.93
5.	राजस्थान	53.61	87.86	80.46
6.	चण्डीगढ़	0.03	0.06	0.14
7.	दिल्ली	0.82	0.83	0.82
8.	अरुणाचल प्रदेश	0.56	0.75	1.02
9.	असम	20.83	30.12	32.54
10.	मणिपुर	0.42	1.58	2.77

1	2	3	4	5
11.	मेघालय	0.12	0.75	2.05
12.	मिजोरम	0.15	0.13	0.20
13.	नागालैंड	0.14	0.09	0.50
14.	त्रिपुरा	2.61	8.92	9.56
15.	सिक्किम	0.20	0.28	0.29
16.	बिहार	71.21	73.77	81.08
17.	उड़ीसा	38.92	47.62	39.46
18.	पश्चिम बंगाल	56.22	75.90	82.18
19.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.54	0.36	0.72
20.	मध्य प्रदेश	91.23	118.89	135.31
21.	उत्तर प्रदेश	200.78	273.29	339.47
22.	दादरा नागर हवेली	0.05	0.16	0.40
23.	गोवा, दमन एवं दीव	1.96	2.92	2.68
24.	गुजरात	46.80	73.99	84.94
25.	महाराष्ट्र	132.56	192.81	239.50
26.	आंध्र प्रदेश	137.58	180.81	190.52
27.	कर्नाटक	107.41	139.46	143.57
28.	केरल	71.26	80.05	81.58
29.	पाण्डिचेरी	0.84	1.73	1.16
30.	तमिलनाडु	96.97	115.09	140.69
31.	लक्षद्वीप	—	0.03	0.02
	कुल	1270.15	1702.13	1902.17

विवरण-II

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 1990-91 (जुलाई-मार्च) के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी की गयी राज्यवार अधिकतम सीमाओं तथा उनकी उपयोगिता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	अल्पावधि ऋण सीमाएं (मौसमी कृषि कार्य आदि)			मध्यावधिक ऋण सीमाएं (गैर-योजनाबद्ध)		
		मंजूर शुदा सीमाएं	निकासी	अधिकतम सीमाओं की तुलना में निकासियों की प्रतिशतता	मंजूर शुदा सीमाएं	निकासी	अधिकतम सीमाओं की तुलना में निकासियों की प्रतिशता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	134.35	21.43	16.0	8.52	7.24	85.0
2.	असम	3.69	4.01	108.7	4.81	4.21	87.5
3.	बिहार	5.65	0.30	5.3	5.50	0.50	9.1
4.	गुजरात	8 06	6.16	76.4	2.16	1.12	51.9
5.	हरियाणा	4.85	4.46	92.0	5.50	5.50	100.0
6.	हिमाचल प्रदेश	0.10	00.10	100.0	—	—	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	93.30	19.43	20.8	10.80	8.15	75.5
9.	केरल	65.75	5.50	8.4	4.00	2.40	60.0
10.	मध्य प्रदेश	8.08	0.64	54.9	5.82	1.83	31.4
11.	महाराष्ट्र	16.46	3.40	20.7	9.66	6.43	66 6
12.	मणिपुर	0.05	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
13.	मेघालय	2.64	[illegible]	65.9	0.20	[illegible]	—
14.	मिजोरम	0.58	[illegible]	[illegible]	0 58	[illegible]	—
15.	नागालैंड	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.12	0.12	100.0
16.	उड़ीसा	45.45	23.38	51.4	9.30	0.05	54.3

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	पंजाब	5.15	4.83	93.8	—	—	—
18.	राजस्थान	2.37	0.51	21.5	1.69	0.24	14.2
19.	तमिलनाडु	16.85	2.28	13.5	5.46	2.07	37.9
20.	त्रिपुरा	3.70	—	—	1.00	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	40.23	30.89	76.8	12.05	8.78	72 9
22.	पश्चिम बंगाल	15.64	—	—	2.60	—	—
	जोड	472.93	129.06	27.3	89.69	53.64	59 8

हीरे का आयात

754. **कु० उमा भारती** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के हीरों का उन्हें तराशने के उद्देश्य से आयात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी०जे०ई०पी०सी०) प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 तक तराशने के लिए 3968.68 करोड़ रुपए मूल्य के 495.21 लाख कैरेट हीरों का आयात किया गया था ।

[अनुवाद]

पदों की कटौती

755. **श्री जे० चोक्का राव** :

श्री रवि राय :

श्री एच्चम्म पाल :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री मृत्युंजय नायक :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव सहित विभिन्न स्तरों पर पदों में भारी कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पदों को समाप्त कर दिया गया है या पदों में कटौती की गई है या उनमें कटौती किये जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य संवर्गों से तैनात किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय पदों की संख्या में भी भारी कटौती करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्तराम पोद्दुकुंके) : (क) और (ख) व्यय में कमी करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या की विभिन्न स्तरों पर उन पदों का पता लगाने के लिए समीक्षा की गई है जिन्हें छोड़ा/समाप्त किया जा सके। समीक्षा अभी भी चल रही है। अतः इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्ततः कितने पद कम हो जाएंगे।

(ग) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में तबदीली करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सेवानिवृत्ति की आयु 58 से घटाकर 55 करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी माल की बिक्री

756. **श्री नारायण सिंह चौहरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन दिनों बाजार में विदेशी सामान की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस तरह की बिक्री को रोकने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि विदेशी मूल की उपभोक्ता वस्तुओं को, जिन्हें देश में असबाब के रूप में अथवा तस्करी करके लाया गया है, कुछेक बाजारों में चोरी-छिपे बेचा जा रहा है।

इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं को खुल्मखुल्ला प्रदर्शित करने एवं उनकी बिक्री करने के प्रति आसूचना तंत्र को चौकस कर दिया जाता है और समय-समय पर छापे मारे जाते हैं। गत कुछेक वर्षों के दौरान, इस प्रकार मारे गये छापों तथा ली गई तलाशियों की संख्या और पकड़े गये माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है—

वर्ष	शहरों में मारे गये छापों/ली गयी तलाशियों की संख्या	शहरों में मारे गये छापों/ली गयी तलाशियों में पकड़े गये माल का मूल्य (करोड़ रुपये में)
1988	7785	23.15
1989	7077	37.90
1990	12021	45.24
1991	3224	40.40

जिन व्यक्तियों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है उन पर विभागीय न्याय-निर्णयन कार्यवाहियों मे अर्थदण्ड लगाया जाता है तथा उपयुक्त मामलों में अभियोजन चलाया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता हो तो उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के तहत नजरबन्द भी कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

गुजरात में कपड़ा श्रमिक पुनर्वास कोष योजना के अन्तर्गत लाभान्वित श्रमिक

757. **श्री हरिन पाठक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1985 से लगभग पच्चीस कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं और लगभग पांच हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु कपड़ा श्रमिक पुनर्वास कोष योजना (टी० डब्ल्यू० आर० पी०) शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो क्या कपड़ा श्रमिक पुनर्वास कोष योजना के अन्तर्गत लगभग छब्बीस हजार श्रमिक मुआवजे के हकदार हैं और उसमे से अब तक केवल बारह हजार श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिला;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत शेष श्रमिकों को इसका लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन श्रमिकों को इस योजना का लाभ कब तक दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1985 से गुजरात में 22 वस्त्र मिलें (जिनमें 1 कताई एकक, 19 मिश्रित मिलें, 1 ऊनी एकक तथा एक बुनाई एकक शामिल हैं) बन्द पड़ी हुई हैं तथा 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति अनुसार इन मिलों के बन्द होने के कारण लगभग 45000 कामगार प्रभावित हुए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) 17 वस्त्र मिलों के 34842 कामगार वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना

के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने के पात्र पाए गए हैं। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत केवल 13425 कामगारों को राहत की राशि का भुगतान किया गया है। बाकी 214।7 कामगारों को राहत की राशि का भुगतान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके आवेदन पत्रों पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक के स्तर पर तथा साथ ही वस्त्र आयुक्त, अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सम्बन्धित मिलें भिन्न-भिन्न तारीखों को बन्द हुई हैं और जब कभी भी प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् सत्यापित/प्रमाणित आवेदन-पत्र अथवा अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, राहत की राशि वितरित की गई है। इसलिए ऐसा निश्चित समय बता पाना सम्भव नहीं है कि कामगारों को कब तक भुगतान कर दिया जाएगा।

स्कूलों के साथ दिल्ली परिवहन निगम के अनुबंध

758. **श्रीमती हरचेन्द्र कौर :**
श्री दत्तात्रेय बंडारु :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री अम्मा ओझी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने छात्रों को लाने-ले जाने के लिए बसें देने हेतु विभिन्न स्कूलों के साथ किए गए अनुबंधों की समीक्षा करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में स्कूलों को बसें देने के लिए किन-किन शर्तों पर विचार किया जाएगा ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम का स्कूलों के साथ हुए उन समझौतों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए चार्टर के आधार पर उन्हें बसें उपलब्ध कराता है। दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड के लिए किराए पर ली गई बसों के किराया प्रभारों के संशोधन के लिए एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

खाद्य पदार्थों का निर्यात

759. **डा० रवि मल्लू : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फल, सब्जियां, मछली और पशु मांस जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देती रही है;

(ख) यदि हां, तो 1960, 1970, 1980 और 1990 में इन खाद्य पदार्थों के निर्यात का मूल्य कितना था;

(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य की दालों, वनस्पति तेलों और दुग्ध उत्पादों का आयात किया;

(घ) क्या सरकार का संवेदनशील समूहों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की पोषकता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) इन मदों के निर्यात निम्नानुसार रहे :

(मूल्य : करोड़ रु०)

वस्तु	1960-61	1970-71	1980-81	1989-90
फल और सब्जियां तथा दालें	6	12	80	208
मछली तथा मछली से तैयार वस्तुएं	5	31	217	687
खली	14	55	125	546

(ग) विभिन्न अवधियों के लिए ऐसी खाद्य मदों के आयात का मूल्य नीचे बताया गया है;

(मूल्य : करोड़ रु०)

1960-61	1970-71	1980-81	1986-87
33	29	280	592

दालों, दूध उत्पादों आदि के सम्बन्ध में अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(च) और (ङ) खाद्य वस्तुओं के निर्यात और आयात का निर्णय लेते समय ऐसी बातों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। निर्यातों की अनुमति केवल बेशियों के उपलब्ध होने पर ही दी जाती है।

[हिन्दी]

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

760. श्री नीतीश कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या धागे और सिले-सिलाए सूती वस्त्रों के अलावा प्रति वर्ष सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में सिले-सिलाये सूती वस्त्रों की भारी मांग है और इन मदों का निर्यात बढ़ाने की अच्छी संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सूती कपड़ों और सिले-सिलाए वस्त्रों के स्थान पर धागे और रूई का निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) विदेशों में सूती सिले-सिलाए परिधानों की पर्याप्त मांग है। इस मद के निर्यात को बढ़ावा देने की भी अच्छी सम्भावना है।

(ग) सरकार का प्रयास है कि मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही सूती यार्न और कपास के लिए विदेशों में बाजार भी अच्छी है तथा सीमित मात्रा में इन मदों के निर्यात की अनुमति दी जाती है जिसके लिए घरेलू उपलब्धता और स्थायी सप्लाइकर्त्ता के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति बनाए रखने को ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों को केन्द्रीय सहायता

761. **श्री पी० जी० नारायणन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान तमिलनाडु के कितने हथकरघा बुनकरों ने अपनी कठिनाइयों पर काबू पाने हेतु सरकार से वित्तीय तथा अन्य सहायता मांगी थी;

(ख) ऐसे हथकरघा बुनकरों को दी गई वित्तीय तथा अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केन्द्र सरकार तमिलनाडु सहित पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सभी राज्यों को प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत जो निरंतर प्रकृति की हैं, वित्तीय सहायता सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है। व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाता।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान तमिलनाडु सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का योजनावार ब्यौरा इस प्रकार है :—

योजना का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपयों में)
प्लान	
1. हथकरघों का आधुनिकीकरण	44.00
2. कार्यशाला सह आवास योजना	20.00
3. ग्रिफ्ट फंड योजना	63.22
गैर-प्लान	
4. विपणन विकास सहायता योजना	2979.10
5. जनता कपड़ा योजना	518.32
	3624.64

(ग) और (घ) हाल ही में सूत के मूल्यों में हुई वृद्धि से हथकरघा उत्पादों की बिक्री में प्रतिकूल असर पड़ा है, इससे बुनकरों की आय में कमी हुई है। सरकार मूल्यों की स्थिति की निरन्तर समीक्षा कर रही है। राज्य क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को निदेश दिए गए हैं कि संगीन काऊंट के यार्न के उत्पादन में वृद्धि करें और इस प्रकार मूल्यों में नियन्त्रण रखें। प्राइवेट क्षेत्र की कताई मिलों को भी कहा गया है कि हथकरघा बुनकरों को कम मूल्यों पर सूत की आपूर्ति करें।

एस० टी० ए० परमिटों के बिना चल रही प्राइवेट बसें

762. **श्री जीवन शर्मा :**

श्री मुमताज अंसारी :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

श्री नवल किशोर राय :

श्री गुरुदास कामत :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री पीयूष तीरकी :

श्री महेश कनौडिया :

क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 600 से अधिक प्राइवेट बसें परमिटों के बिना ही चल रही हैं जिसके, परिणामस्वरूप डी० टी० सी० घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन बसों को तुरन्त हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या दिल्ली में 3000 बसें चलाने के लिए बनायी गयी नयी योजना के अंतर्गत एस० टी० ए० परमिटों के आवंटन के लिये कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो मोटर यान अधिनियम, 1988 की किस धारा के अन्तर्गत कोटा निर्धारित किया गया है, उस धारा सहित तफसीलवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो कोटा आवंटित करने के क्या कारण हैं और उसे खत्म करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सड़क-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयदीप डाईटलर) : (क) और (ख) बिना परमिट के प्राइवेट बसें चलाए जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। दिल्ली प्रशासन को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है।

(ग) और (घ) परमिट, मोटर यान अधिनियम, 1988 के आंकड़ों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। धारा 71, उपधारा (3) (क) के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में राज्य में सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण किया जाता है। अन्य बातें समान होने पर निम्नलिखित से प्राप्त आवेदनों को परमिटों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी :—

(I) राज्य परिवहन उपक्रम,

(II) सहकारी समितियां, और

(III) भूतपूर्व सैनिक।

संगत उपबंधों के उद्धरण विवरण में संलग्न हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 से उद्धरण

71. स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए प्रादेशिक परिवहन परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया—

(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण "स्टेज कैरिज परमिट" के लिए आवेदन पर विचार करते समय अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा। परन्तु पचास किलोमीटर या उससे कम के किसी मार्ग के लिए ऐसा परमिट किसी व्यक्ति या राज्य परिवहन उपक्रम को ही दिया जाएगा।

(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण स्टेज कैरिट परमिट मंजूर करने से उस दशा में इंकार करेगा जिसमें उसे दी गई समय-सारणी से यह प्रतीत होता हो कि जिस गति से यान चलाए जा सकते हैं उससे संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होने की सम्भावना है।

परन्तु ऐसा इंकार करने से पूर्व उस आवेदक को इस बात का अवसर दिया जाएगा

जाए।

(3) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा यात्रियों की संख्या, सड़कों की दशा और अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, इस बारे में निदेश दे सकेगी कि किसी नगरपालिका में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निदेश देगी कि वह पांच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचालित होने वाली साधारणतया स्टेज कैरिज या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की स्टेज कैरिज की संख्या को, जो अधिसूचना में निकाय और विनिर्दिष्ट की जाए, सीमित करे।

(4) जहां खंड (क) के अधीन स्टेज कैरिजों की संख्या नियत की जाती है, वहां राज्य सरकार राज्य में स्टेज कैरिज परमिटों का कुछ प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित करेगा जिस अनुपात में राज्य में सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों का आरक्षण किया जाता है।

(ग) जहां खंड (ङ) के अधीन स्टेज कैरिजों की संख्या निर्धारित की जाती है, वहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी संख्या में परमिट आरक्षित करेगा जो उपखंड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। तदनुरूपी कानून 1939 के अधिनियम IV का एस० 47 (1-क) और

(घ) खंड (ग) में उल्लिखित संख्या में परमिट आरक्षित करने के बाद प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आवेदनों पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्

(I) आवेदक की वित्तीय स्थिति,

(II) यदि आवेदक स्टेज कैरिज सेवा को प्रचालित कर रहा है तो स्टेज कैरिज प्रचालक के रूप में संतोषजनक निष्पादन, जिसमें कर का भुगतान शामिल है,

(III) ऐसी अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।

(5) उपखंड (4) के परन्तुक के अधीन आवेदनों में समान होने पर निम्नलिखित से प्राप्त आवेदनों को परमिटों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी :—

(I) राज्य परिवहन उपक्रमों,

(II) सहकारी समितियों जो असमर्थ व्यक्तियों किसी समिति विधि के अधीन पंजीकृत हैं और जिनके सदस्यों की संख्या दस से अधिक है;

(III) भूतपूर्व सैनिक।

(6) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किसी व्यक्ति को 5 स्टेज कैरिज परमिटों से अधिक

या किसी कम्पनी (जो राज्य परिवहन उपक्रम नहीं है) को दस स्टेज कैरिज परमिटों से अधिक नहीं देता।

(5) उपधारा (4) के अधीन मंजूर किए जाने वाले परमिटों की संख्या की संगणना करते में आवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में धरित परमिटों को और किसी ऐसी कम्पनी द्वारा, जिसका ऐसा आवेदक निदेशक है, धारित परमिटों को भी हिसाब में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है, और "निदेशक" से फर्म के सम्बन्ध में, फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात

763. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण नीति से देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये अपना निर्यात बढ़ाने में सहायता मिली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को अद्यतन कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे निर्यात बढ़े हैं। अप्रैल-नवम्बर (1991-92) के दौरान 1852.97 मिलियन डालर के निर्यात हुए जबकि वर्ष 1990-91 की इसी अवधि के दौरान 1772.21 मिलियन डालर के निर्यात हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में मन्दी और भारत में औद्योगिक उत्पादन पर घरेलू आयात नियंत्रणों के प्रभाव के कारण निर्यात निष्पादन पर उदारीकरण नीतियों का पूरी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात

(मूल्य मिलियन डालर में)

मदें	अप्रैल-नवम्बर, 91
कुल निर्यात	1852.97
1. चाय	4.56
2. काफी	6.38
3. चावल	5.69
4. अविनिर्मित तम्बाकू	1.76

वस्तु	अप्रैल-नवम्बर, 1991
5. तम्बाकू विनिर्माण	0.44
6. मसाले	15.11
7. काजू	64.07
8. तिल एवं राम तिल	7.16
9. आयल मील्स	0.23
10. अरंडी का तेल	2.71
11. चपड़ा	0.77
12. चीनी तथा शीरा	0.04
13. उद्यान उत्पाद	0.64
14. फल एवं सब्जियां	1.88
15. संसाधित फल एवं रस	2.58
16. विविध संसाधित मदें	10.11
17. मांस एवं मांस से बनी वस्तुएं	0.05
18. समुद्री उत्पाद	37.14
19. अपशिष्ट सहित कपास	0.01
20. अभ्रक	1.15
21. संशोधित खनिज	26.62
22. अन्य अयस्क एवं खनिज	5.76
23. चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	117.72
24. रत्न एवं आभूषण	626.78
25. खेलकूद का सामान	3.71
26. दवाएं भेषज एवं सूक्ष्म रसायन	39.30
27. रंजक/मध्यवर्ती एवं कोलतार रसायन	43.55
28. अकार्बनिक/कार्बनिक/इत्र रसायन	11.69
29. प्रसाधन/शृंगार सामग्री आदि	2.89
30. रबड़ से बने उत्पाद	18.64
31. पेन्ट/एनेमल्स/वार्निश आदि	0.92
32. शीशा/कांच के बर्तन/मिट्टी के बर्तन/ रफ्रैक्ट्रीज/सीमेंट	3.73
33. कागज/लकड़ी की वस्तुएं	2.63
34. प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	4.82

वस्तु	अप्रैल-नवम्बर, 1991
35. अवशिष्ट रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	9.43
36. फेरो एलौय	0.03
37. अलौह धातुएं	0.85
38. धातु से बनी वस्तुएं	61,15
39. मशीन औजार	5.64
40. मशीनरी एवं उपकरण	23.03
41. परिवहन उपस्कर	14.96
42. अवशिष्ट इंजीनियरी मदें	0.94
43. लोहे एवं इस्पात की छड़/राड आदि	7 20
44. मूल एवं अर्ध-निर्मित लोहा एवं इस्पात	2.01
45. इलैक्ट्रानिक माल	8.98
46. कम्प्यूटर साफ्टवेयर	1.67
47. सूती यार्न फैब्रिक्स, मेड-अप्स आदि	101.46
48. प्राकृतिक रेशम यार्न, फैब्रिक्स मेड अप्स	15.44
49. मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स मेड अप	3.92
50. ऊनी यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स आदि	0.62
51. सहायक सामग्री सहित आर० एम० जी० रुई	211.49
52. आर० एम० जी० रेशम	35.80
53. आर० एम० जी० मानव निर्मित रेशे	77.39
54. आर० एम० जी० ऊन	2.69
55. अन्य आर० एम० जी० वस्त्र सामग्री	15.83
56. कयर एवं कयर से बनी वस्तुएं	2.31
57. फर्श बिछावन को छोड़कर पटसन से बनी वस्तुएं	22.03
58. पटसन का फर्श बिछावन	0.05
59. हाथ से बने कालीन	76.13
60. हस्तशिल्प (हाथ से बने कालीनों को छोड़कर)	47.46
61. मिल में बने कालीन	17 74
62. परियोजना माल	0.02
63. अन्य वस्तुएं	14.40

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता

परिवर्तन दर : 1 डालर=23.7546 रुपए

गुजरात में तस्करी की गतिविधियां

764. श्री हरि सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष गुजरात में तस्करी की गतिविधियों में शामिल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या कोई विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में तस्करी से कितनी मात्रा में सोना और अन्य निषिद्ध सामान पकड़ा गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) 1 अप्रैल, 1991 के दौरान सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुजरात में 105 विदेशी नागरिकों सहित 113 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। राष्ट्रिकतावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1.	फिलिप्पाइन्स	—
2.	इंडोनेशियन	—
3.	सिंगापुर	—
4.	पाकिस्तानी	—
5.	भारतीय	108

(घ) गुजरात में इसी अवधि के दौरान पकड़े गए सोने की मात्रा और उसका मूल्य तथा अन्य निषिद्ध माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	जिन्स	मात्रा (लगभग)	मूल्य (करोड़ रुपयों में) (लगभग)
1.	सोना	26.42 किलोग्राम	1.18
2.	अन्य निषिद्ध माल	—	61.90

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प का विकास

765. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के विकास हेतु जिलवार एवं वर्ष संख्या निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के विकास हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत): (क) हस्तशिल्प के विकास के लिए कोई राज्यवार/जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के विचाराधीन हैं:

1. स्व-नियोजित महिला संगठन द्वारा महिला जरी कर्मचारियों के लिए लखनऊ में शिल्प विकास केन्द्र स्थापित करना।

2. उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर द्वारा कलकत्ता/मद्रास/जयपुर/दिल्ली में [illegible]

3. उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, कानपुर द्वारा दिल्ली में वर्तमान शोरूम का नवीकरण।

4. उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, कानपुर द्वारा बेंत तथा बांस शिल्प के लिए बरेली में शिल्प विकास केन्द्र स्थापित करना।

5. नगीना शिल्प विकास सोसायटी, नगीना द्वारा नगीना में शिल्प विकास केन्द्र स्थापित करना।

6. महिला हाट, अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा में शिल्प विकास केन्द्र स्थापित करना।

7. उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, कानपुर द्वारा शिल्प बाजार बाजार बैठकें आदि आयोजित करना।

[अनुवाद]

व्यक्तिगत बैंकिंग योजना

766. डा० सी० सिलवेरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बैंकों ने कोई व्यक्तिगत बैंकिंग योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन बैंक शाखाओं के नाम क्या हैं जहां पर यह योजना चलाई जा रही है;

(ग) क्या बैंकों के सभी ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न जमा योजनाएं, ऋण योजनाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन योजनाओं के ब्यौरे, प्रस्तावित सुविधाओं का स्वरूप, शाखाओं की संख्या, जहां ये योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, प्रत्येक बैंक के मामले में भिन्न-भिन्न हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने व्यक्तिगत बैंकिंग केन्द्र या व्यक्तिगत और/सेवा बैंकिंग प्रभाग स्थापित किये हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में प्रत्येक ग्राहक को व्यावसायिक, सलाहकारी और परामर्शी सेवाएं देना, पहचान की गई शाखाओं पर ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधाएं निर्धारित करना, व्यक्तिगत तौर पर सभी बैंकिंग सुविधाएं देना आदि शामिल हैं। समस्त पात्र ग्राहकों द्वारा योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार इन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डों का निर्माण

767. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या थल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में तीन और अन्तर्राज्यीय बस अड्डों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बस अड्डों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

थल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली की मास्टर प्लान, 2001 में दिल्ली में चार नये अन्तर्राज्यीय बस अड्डे विकसित करने की सिफारिश की गई है। अन्तर्राज्यीय बस अड्डों के लिए दिल्ली के सराय काले खां और आनन्द विहार में स्थानों का चयन कर लिया गया है।

(ग) आनन्द विहार में निर्माण का प्रथम चरण शुरू हो गया है। सराय काले खां के मामले में परियोजना को अभी स्वीकृत किया जाना है।

राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी

768. श्री मुमताज अंसारी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा विकास आयुक्त ने हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिल्ली के उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इसमें भाग लिया;

(ग) क्या प्रदर्शनी में कुछ संगठनों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार की राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) 1. दिल्ली राज्य शीर्ष हथकरघा सहकारी सप्लाई और सेवा संघ लि०।

2. दिल्ली राज्य बुनकरों के हथकरघा सहकारी औद्योगिक (सेवा) संघ लि०।

3. दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०।

4. दिल्ली राज्य औद्योगिक सहकारी संघ लि०।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली प्रदेश हथकरघा बुनकर सहकारी संघ लि० को राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि यह संगठन जनवरी-फरवरी, 1990 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित गत हथकरघा प्रदर्शनी मे आपत्तिजनक कार्य करता पकड़ा गया था।

(ङ) 1. इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी में वे हथकरघा शीर्ष समितियां/राज्य हथकरघा विकास निगम अथवा प्राथमिक सहकारी समितियां भाग ले सकती है जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये अथवा उससे अधिक हो।

2 प्रत्येक प्रदर्शनी में प्रत्येक राज्य से सामान्यत: 5 हथकरघा अधिकरणो से अधिक को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है।

चाय उत्पादन में गिरावट

769. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 के अंतिम छमाही के दौरान देश में विशेष रूप से असम में चाय के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत वर्ष 1991 की अन्तिम छमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश में तथा आसाम राज्य में चाय के उत्पादन में अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 19.13 मिलियन किग्रा० तथा आसाम में लगभग 8.42 मिलियन किग्रा० की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इलाहाबाद में आवास-व-कार्यालय काम्पलैक्स का निर्माण

770. **श्री राम धुजन पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के परिला हवाई अड्डे पर मंत्रालय के आवास-व-काम्पलैक्स निर्माण किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु कृषि भूमि अधिग्रहीत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र के प्रभावित निवासियों को रोजगार भी देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) पारीला हवाई अड्डे के नाम से कोई हवाई अड्डा नहीं है। इलाहाबाद के निकट रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन पिण्डरा गांव में एक फाफामो वायु मैदान है। इस वायु मैदान के क्षेत्र में आवास-एवं-कार्यालय परिसर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस वायु मैदान के लिए हाल में कोई भी भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन

771. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय सक्षमता समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन बैंकों की स्थापना के समय से हो रही उत्तरोत्तर संचित हानि के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की हानि से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल 44 ग्रामीण बैंकों को 21.47 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जबकि इसकी तुलना में 152

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 91.87 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। मार्च, 1991 के अन्त तक संचित हानियों की रकम 363.91 करोड़ रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कई कारण हैं जैसे कि ग्राहकों की पसंद पर रोक, परिचालन का सीमित क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन, खासकर राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के लागू होने के पश्चात् बढ़ती हुई स्थापना लागत आदि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकारी दल (केलकर समिति) की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय कमजोरी को दूर करने के लिए कई उपाय किये गये हैं—मामत: शेयर पूंजी में वृद्धि, प्रायोजक बैंकों से प्राप्त होने वाले पुनर्वित्त पर ब्याज दर में कटौती, अधिक लाभ अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों का निवेश आदि।

जीवन बीमा निगम द्वारा विकलांगों से प्रीमियम लिया जाना

772. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम विकलांग व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों की तुलना में बीमा पालिसियों पर अधिक प्रीमियम लेता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विकलांगों के लिए बीमा पालिसयो का प्रीमियम कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) जब प्रस्तावक के परिवार में या व्यक्तिगत पूर्ववृत्त में कोई प्रतिकूल लक्षण न हों और उसकी ऊंचाई, भार, नाड़ी-स्पन्दन दर, रक्तचाप आदि जैसे निगम द्वारा निर्धारित श्रेणियों में आते हो, तो भारतीय जीवन बीमा निगम मानक/सारणीबद्ध प्रीमियम चार्ज करता है। अन्य सभी मामलों मे, निगम परम्परागत रूप से उच्च प्रीमियम लेता है, जो जोखिम के प्रतिकूल घटकों के स्वरूप पर निर्भर करता है। इस आधार पर, निगम, इस समय, विकलांग व्यक्तियो की केवल कुछ श्रेणियो की पालिसियों के मामले में बीमाकृत राशि पर 2.00 रुपए प्रति हजार अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तथापि, यह अतिरिक्त प्रीमियम भी पहली 10,000 रुपए की बीमाकृत राशि के लिए छोड़ दिया जाता है।

(ग) और (घ) निगम द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज करने और विकलांग व्यक्तियों को दुर्घटना तथा असमर्थता लाभ मंजूर करने की प्रणाली की आवधिक समीक्षा की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय जीवन बीमा निगम मई, 1981 से बीमाकृत राशि के पहले 10,000 रुपए के लिए बिना कोई अतिरिक्त प्रीमियम लिए जीवन बीमा मंजूर कर रहा है। अगस्त, 1989 से और अधिक छूटें भी दी गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

(i) जिन्होंने केवल एक आंख या एक टांग या एक हाथ आदि खो दिया हो ऐसे आंशिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाता है।

(ii) ऐसे आंशिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में दुर्घटना और असमर्थता दोनों लाभ मंजूर किए जा रहे हैं।

(iii) पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्तियों (जिन्होंने दोनों टांगें या दोनों हाथ खो दिए हों या जो पूरी तरह से अंधे हो गए हों, आदि) के मामले में लिए जाने वाले अतिरिक्त प्रीमियम को प्रति हजार बीमाकृत राशि पर 3.00 रुपए या 4.00 रुपए की पूर्व दरों से कम करके प्रति हजार बीमाकृत राशि पर 2.00 रुपए की वर्तमान दर कर दिया गया है।

(iv) पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक सीमित दुर्घटना लाभ भी मंजूर किया जा रहा है।

पंजाब में बैंक की शाखाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति

773. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक अपने कर्मचारियों को पंजाब में नियुक्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी ऋण में वृद्धि

774. **श्री तरित बरन तोपदार :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के साथ-साथ देश के विदेशी ऋण में भी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच विदेशी ऋण में कुल कितनी राशि की वृद्धि हुई और दोनों के बीच का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) बकाया विदेशी ऋण वृद्धि जिसमें वास्तविक संवितरण और वापसी अदायगियों से संबंधित निजी और सरकारी, सभी लेन-देन शामिल हैं, को सामान्यतः वित्त वर्ष के अन्त में ही अभिकलित किया जाता है और इसलिए बकाया ऋण में वृद्धि को अभिकलित किए जाने के बाद ही अनुपात का पता लग सकता है।

निर्यात और आयात

775. **श्री निर्मल कांति चटर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात और आयात के रुपयो और डालरों के सम्बन्ध में अद्यतन आंकड़े क्या हैं;

(ख) मुद्रा-अवमूल्यन के कारण किन-किन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हुई है; और

(ग) कुल निर्यात की तुलना में इस प्रकार की वस्तुओं का प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ो के अनुसार जो सी०ए० देशों को भारत का निर्यात 27133 करोड़ रुपए या 11310 मिलियन अमरीकन डालर का हुआ और आर०पी०ए० देशों को भारत का निर्यात 3199 करोड़ रु० या 1333 मिलियन अमरीकन डालर का हुआ। अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान भारत का कुल आयात 34238 करोड़ रु० या 14272 मिलियन अमरीकन डालर का हुआ।

(ख) और (ग) निर्यात वृद्धि मुद्रा विनिमय दरों के अलावा कई कारणों पर निर्भर करती है। ये हैं : घरेलू उत्पादन, निर्यात के लिए देशी की उपलब्धता, आयातित कच्चे माल तथा पूंजीगत मालों की उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता, विश्व व्यापार वातावरण, घरेलू मुद्रा स्फीति और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का उतार-चढ़ाव। इस प्रकार इन मदों को विशेष रूप से इंगित करना संभव नहीं है जिनके बारे में विशेष रूप से रुपए के अवमूल्यन के कारण निर्यात से वृद्धि हुई। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप जिन मुख्य मदों में अप्रैल नवम्बर, 1990 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1991 में वृद्धि हुई, उनमें कृषि जन्य उत्पाद, समुद्री उत्पाद, अयस्क और खनिज, चमड़ा और चर्म उत्पाद, रत्न और आभूषण, खेलकूद के सामान, रसायन और सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरी माल, इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन इत्यादि शामिल हैं। हमारे कुल निर्यातों का करीब 95% इन मदों का होता है।

केन्द्रीय मजदूर संगठनों के साथ बैठकें

776. **श्री शिवाजी पट्टनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में केन्द्रीय मजदूर संगठनों के साथ 17 अगस्त, 1991 को हुई बैठक में निश्चित रूप से बातचीत करने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या उनके साथ कोई बैठक हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) परामर्श का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-प्रचालन तक ही सीमित नहीं था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय मजदूर संगठनों, नियोक्ता संगठनों और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को एक विशेष त्रिपक्षीय समिति, नई औद्योगिक नीति के श्रम पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने के लिए श्रम मंत्रालय में गठित की गई थी। समिति की पहली बैठक बम्बई में 21-12-1991 को हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि समिति लम्बे अरसे से चली आ रही रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए सामान्य सिद्धान्तों पर विचार करेगी और मजदूरों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी तथा उन उद्योगों में जहां रुग्ण इकाइयों की संख्या अधिक है, औद्योगिक समितियों की पुनः संरचना करेगी। विशेष त्रिपक्षीय समिति की दूसरी बैठक 20-1-1992 को नई दिल्ली में हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न उद्योगों के लिए पुनर्गठित औद्योगिक समितियां प्रत्येक इकाई-वार उन उद्योगों में रुग्ण इकाइयों की पुनरीक्षा करेंगी तथा उपयुक्त समाधान निर्धारित करेंगी।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

777. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1990-91 के दौरान और 31 दिसम्बर, 1991 तक गुजरात में जिलावार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण और उनमें जमा की गई राशि के बीच औसत अनुपात कितना रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : मार्च, 1991 तथा दिसम्बर, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार गुजरात में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जिला-वार और कुल मिलाकर जमा राशियां तथा बकाया बैंक ऋण और साथ ऋण: जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	गुजरात में जिले का नाम	मार्च, 1991 के अनुसार			सितम्बर, 1991 के अनुसार		
		जमा	ऋण	ऋण : जमा अनुपात प्रतिशतता	जमा	ऋण	ऋण : जमा अनुपात प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	
1.	अहमदाबाद	2810.09	2178.35	78	3107.84	2099.38	68
2.	अमरेली	120.21	54.40	45	125.87	60.86	48

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बनासकंठा	120.70	67.59	56	127.92	65.93	52
4.	भरोच	240.70	235.94	98	280.08	247.00	88
5.	भावनगर	380.44	248.95	65	399.45	204.11	51
6.	डांग्स	11.80	3.38	29	11.22	3.70	33
7.	गांधीनगर	247.03	120.27	49	218 72	134.33	61
8.	जामनगर	450.38	177.30	39	460.99	163.95	36
9.	जूनागढ़	549.06	219.43	40	594.32	225.20	38
10.	कच्छ	718.63	116.08	16	763.19	117.20	15
11.	खेड़ा	1088.61	572.65	53	1122.40	755.42	67
12.	मेहसाना	335.34	197.13	59	366.11	192.47	53
13.	पंच महल	184.43	121.58	66	194.78	124.89	64
14.	राजकोट	735.50	340.65	46	802.42	328.49	41
15.	साबरकंठा	110.57	66.93	61	123.40	63.97	52
16.	सूरत	1100.07	608.91	51	1279.55	620.46	48
17.	सुरेन्द्रनगर	115.40	66.10	60	126.09	67.74	54
18.	बड़ोदरा	1467.95	1258.55	86	1493.41	1204.15	81
19.	वलसाद	845.71	342.53	41	928.65	N.A.	N.A.
20.	गुजरात	11722.61	6999.75	60	12526.44	7020.98	56

[अनुवाद]

कार निकोबार में तरंगरोधक और घाट का निर्माण

778 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कार निकोबार में तरंगरोधक और घाट का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख)

जी हां। कार निकोबार में "ब्रेक वाटर" और 'जेटी" के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस समय, इस परियोजना के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना में 20 लाख रु० के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सरकारी फिजूलखर्ची

779. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सुधार लाने के लिये अब तक किये गये अधिकांश उपायों का केवल आम जनता पर ही दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी कार्यालयों में फिजूलखर्ची विभिन्न रूपों में अबाधरूप जारी है जैसे अफसरों को अलग-अलग ड्राइवर-युक्त स्टाफ कारें देना, वरिष्ठ अधिकारी का व्यक्तिगत काम देखने के लिये उसके साथ एक अधिकारी लगाना, निचले कार्यालयों से स्टाफ हटा कर उनके सचिवालयों में लगाना, ऐसे तथाकथित स्टाफ अधिकारियों के निवास-स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करना, प्राइवेट कार्यों के लिए सरकारी खर्चे पर दौरे करना तथा वरिष्ठ अधिकारियों के कमरों की साज-सज्जा आदि;

(घ) यदि हां, तो इस फिजूलखर्ची को रोकने/समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले हैं तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) व्यापार, औद्योगिक और सरकारी क्षेत्र के क्षेत्रों में अपनाए गए कुल आर्थिक स्थिरीकरण उपायों और संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्य कार्य-कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना, विकास प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करना है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों, कीमतों और व्यापार संतुलन के स्तरों में अद्यतन प्रवृत्तियों से यह संकेत मिलता है कि इन उपायों का समग्र प्रभाव अनुकूल रहा है। इस पर भी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता और इस प्रकार मानवता के साथ सामंजस्य करने के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। यह कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रयत्नों को जारी रखेगी।

(ग) से (ङ) जब से वित्तव्ययिता लाने, समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को फिजूलखर्ची रोकने के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर किसी अधिकारी के प्रयोग के लिए ही निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि इनका पूल (संघ) होता है और इन्हें उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार तैनात किया जाता है। केन्द्रीय सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों को स्टाफ अधिकारी उपलब्ध कराए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों को उनके दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में सहायता करने के लिए उनकी हैसियत के अनुसार

निजी सचिव/प्रमुख निजी सचिव उपलब्ध कराए जाते हैं। सचिवों के सम्बद्ध प्रमुख निजी सचिवों के निवास पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध होती है।

डी०टी०सी० का वित्त पोषण

780. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ये डी०टी०सी० का भविष्य से वित्त पोषण न करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या संचालन खर्च पूरा करने के लिए डी०टी०सी० से अपने आप संसाधन जुटाने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम से कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे कोई प्रचालन हानि न हो, वह सभी आवश्यक प्रयास करे।

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

781. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिले-सिलाये वस्त्रों से विगत तीन वर्षों से कितनी आय हुई;

(ख) क्या सरकार को वस्त्र निर्यात सम्वर्धन परिषद और सिले-सिलाये वस्त्र निर्यातकों से कोई इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें आधुनिक बुनाई की मशीनों के आयात करने में कठिनाई के कारण वर्ष 1991-92 के लिए सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात का लक्ष्य पूरा न करने पर चिन्ता व्यक्त की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान परिधानों के निर्यात क्रमशः 3091 करोड़ रु०, 4378 करोड़ रु० तथा 5358 करोड़ रु० मूल्य के हुए।

(ख) और (ग) अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद के सरकार को सूचित किया है कि प्रमुख आयातक देशों में कतौती की प्रवृत्ति होने के कारण ऐसी संभावना है कि वर्ष 1991-92 के लक्ष्य से कम परिधान के निर्यात हो पाएं। सरकार को परिषद से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें रियायती आयात शुल्क योजना के अन्तर्गत अधिक परिधान मशीन मदों की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार यह अनुरोध वस्त्र मंत्रालय से सिफारिशों के साथ वित्त मन्त्रालय को भेज दिया गया है।

निर्यात में वृद्धि

782. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हाल ही में निर्यात में वृद्धि की गई है तथा निकट भविष्य में इसमें और वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनको किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि की गई है; और

(ग) इन देशों को कौन-कौन-सी वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा तथा विदेशी मुद्रा के संदर्भ में उनके मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 8 महीनों यानि, अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान अप्रैल-नवम्बर, 1990 की तुलना में जिस प्रमुख देशों को भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है उनमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, नीदरलैण्ड, यू० के०, स्वीडन, स्वीटजरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, इरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, हांगकांग, थाइलैण्ड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, कनाडा, यू० एस० ए० इत्यादि शामिल हैं।

(ग) उपर्युक्त देशों को हमारे मुख्य निर्यातों में बागान, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, अयस्क और खनिज, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं, रत्न और आभूषण, खेल-कूद का सामान, रसायन और सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरी सामान, इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर सापटवेयर, वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद, इत्यादि शामिल हैं। अलग-अलग देशों को हुए निर्यात के मूल्य का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि यह निर्यात वेशी की उपलब्धता, आयात करने वाले देशों में मांग स्तर, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्यों का उतार-चढ़ाव इत्यादि जैसे अनेक कारणों पर निर्भर करता है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत मारे गए छापे

783. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पिछले छह महीनों के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) उक्त व्यक्तियों के परिसरों पर मारे गये छापों में जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें अन्तर्गत व्यक्तियों/फर्मों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) 1-8-91 से 31-1-92 तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियों और जब्तियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(I) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या :	184
(II) जब्त की गयी भारतीय मुद्रा : (रुपए लाखों में)	361.81
(III) जब्त की गई विदेशी मुद्रा : (रु० लाखों को समतुल्य)	158.16

व्यक्ति विशेष/फर्मों के विरुद्ध मामलों के रिकार्ड राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

फाइनेंसिंग कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन

784. **श्री कड़िया मुंडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि फाईनेंसिंग कम्पनियां विशेषकर दिल्ली में ऋण लेने वालों के साथ किए गए समझौतों में ऋण-राशि की झूठी रकम लिखकर काफी बड़ी मात्रा में कर अपवंचन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) तमिलनाडु तथा केरल के कुछेक मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान आयकर विभाग की जानकारी में ऐसे कुछेक मामले आए हैं, जिनमें वित्तपोषणकारी कम्पनियों द्वारा इस तरीके से कर की चोरी की गयी है।

जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि वित्तपोषणकारी कम्पनियों द्वारा उनसे ऋण लेने वालों को ऋण पर दी गयी राशि को तथा उन लोगों से प्रभारित की गयी ब्याज की दर को और साथ-ही-साथ प्रलेखन प्रभारों लिपिकीय प्रभारों और किस्तों की अदायगी विलम्ब से किए जाने पर दंड लगाने जैसे अन्य प्रभारों को बही-खातों में पूरी तरह दर्ज नहीं किया जाता है।

(ग) जब कभी कर अवचंवन का कोई मामला आयकर विभाग की जानकारी में आता है तो उस मामले में अधोचित आय पर कर लगाये जाने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जाती है। यदि आवश्यक समझा जाए तो दंड लगाने की और अभियोजन की कार्यवाहियां भी शुरू की जाती हैं।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति से सहायता

785. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति से सहायता लेने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति से सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड विहित किए गए है :--

I. ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी स्रोतों से आय 12,000 रु० (केवल बारह हजार रुपए) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, किन्तु समुचित मामलों मे आय की इस अधिकतम सीमा को, उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष द्वारा युक्तियुक्त सीमा के भीतर, शिथिल किया जा सकता है। वार्षिक आय की यह सीमा विवाद के ऐसे मामले में, जहां दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों और मायावरी जनजातियों के है या कोई स्त्री है या बालक है, लागू नहीं होती है।

II. विधिक सहायता किसी ऐसे विशिष्ट मामले में या विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा सिफारिश किए गए किसी भी लोक हित मुकदमे के मामले में प्रदान की जा सकती है।

III. समिति निम्नलिखित मामलों में भी विधिक सहायता कर सकती है, अर्थात्

(i) अत्यधिक लोक महत्व के मामले में, या

(ii) किसी ऐसे परीक्षण मामले मे, जिसमें विनिश्चय का प्रभाव समुदाय के कमजोर वर्गों के अनेक अन्य व्यक्तियों पर पड़ने की सम्भावना है, या

(iii) कोई ऐसा मामला, जिसके लिए कारण, लेखबद्ध किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिक सहायता के लिए उपयुक्त समझा जाता है, भले ही वह आय की पात्रता ही परीक्षण को पूरा न करता हो।

(ख) 2098 व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	हिताधिकारियों की संख्या
1989	692
1990	689
1991	717
योग	2098

[अनुवाद]

बकाया कर वाले निर्धारितियों की सम्पत्ति की कुर्की

786. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत बनाए गए नियम सरकार को उन बकाया कर वाले निर्धारितियों की सम्पत्ति की कुर्की करने के अधिकार प्रदान करते हैं जिनके पास सरकार की कर वसूली की मांगें पड़ी हुई हैं, फिर चाहे कर की ऐसी मांग की अधिनिर्णय/अपील के अन्तर्गत कोई भी अवस्था हो;

(ख) क्या ऐसे उपबन्धों को समान रूप से प्रत्येक बकाया कर वाले निर्धारितियों के खिलाफ सख्ती से लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली का नियम 230 उत्पाद शुल्क्य माल और सामग्रियों, संयंत्र, मशीनरी आदि को रोकने के संबंध में सरकार को अधिकार प्रदान है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11 के तहत उत्पाद शुल्क्य माल की कुर्की अथवा बिक्री करके देय राशियों को वसूल किया जा सकता है।

(ख) से (घ) चूंकि संयंत्र और मशीनरी आदि को रोकने के कारण फैक्टरियां बन्द हो सकती हैं, रोजगार की हानि हो सकती है, और समाज को कष्ट पहुच सकता है, इसलिए ऐसे जोर-जबरदस्ती के तरीके अपनाने के बजाय आमतौर पर समझाने-बुझाने की कार्यवाही को ज्यादा पसन्द किया जाता है।

[हिन्दी]

निर्यातकों को बकाया सी० सी० एस० धनराशि की वापसी

787. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली निर्यात संघ की ओर से आर्थिक नीतियों में सुधार करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यातकों को उनकी बकाया सी० सी० एस० धनराशि की वापसी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) दिल्ली निर्यातक संघ से प्राप्त एक ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा घोषित व्यापार सुधारों से सम्बन्धित कतिपय सुधारों/संशोधनों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए है। इनकी पहले से ही सतत

समीक्षा की जा रही है और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) सी० सी० एस० दावों के भुगतान को चुकता करने के लिए भुगतान प्राधिकारियों 160 करोड़ रु० तथा 250 करोड़ रुपए की दो किस्तों में क्रमशः 20-1-1992 तथा 4-2-1992 को कुल 410 करोड़ रुपए की रकम रिलीज की जा चुकी है।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात

788. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 991-92 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से कितना आयात किया गया तथा आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत वर्ष इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे आयात निम्नानुसार हुए—

अप्रैल-नवम्बर, 90	1880.60 मिलियन अमरीकी डालर
अप्रैल-नवम्बर, 91	1285.97 मिलियन अमरीकी डालर

संयुक्त राज्य अमेरिका से किए गए प्रमुख आयातों का तुलनात्मक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में आयात

(मूल्य मिलियन डालर में)

वस्तु	अप्रैल 1991	नवम्बर 1990
1	2	3
सभी वस्तुएं	1285.97	1880.60
चावल	3.22	7.09
अनाज से बनी वस्तुएं	34.48	35.90
दूध तथा क्रीम	0.03	0.00
काजू गिरियां	0.04	0.21

1	2	3
काजू गिरियों के अलावा	8.16	11.13
फल एवं गिरियां		
ऊन अपरिष्कृत	0.56	0.79
तिलहन	0.10	0.70
प्राकृतिक रबड़	0.01	0.00
सिंथेटिक एवं रिक्लेक्ड रबड़	3.57	5.49
खुरदी एवं रद्दी कागज	25.26	71.54
लकड़ी एवं लकड़ी की वस्तुएं	2.12	—
रेशम, अपरिष्कृत	0.68	0.05
संश्लिष्ट एवं पुनरुत्पादित रेशे	1.03	1.11
दालें	6.30	10.66
उर्वरक, अपरिष्कृत	28.42	29.01
गंधक एवं अनरोस्टेड आयरन पाइराइट्स	9.28	3.06
अन्य अपरिष्कृत एवं खनिज	1.46	1.21
धात्विक लौह अयस्क एवं धातु की ढलाई	81.62	187.03
जमा हुआ वनस्पति तेल (खाद्य)	20.91	17.82
कार्बनिक रसायन	62.51	108.40
अकार्बनिक रसायन	55.64	83.73
रंजक, कमाने, रंगाई करने की सामग्री	7.48	14.56
औषधीय एवं भेषजीय उत्पाद	20.83	13.58
विनिर्मित उर्वरक	251.96	195.45
कृत्रिम सामग्री एवं उत्पाद	74.13	57.38
रसायनिक सामग्री एवं उत्पाद	21.31	23.30
अखबारी कागज	0.14	0.95
गत्ता एवं गत्ते से बनी वस्तुएं	2.83	3.76
मुद्रित पुस्तकें, अखबार, पत्रिकाएं आदि	10.57	—
वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स, मेड-अप वस्तुएं	2.94	5.75
कीमती मोती एवं अर्ध कीमती-रत्न	18.56	44.27

1	2	3
मोती को छोड़कर अधात्विक खनिज विनिर्माण	5.38	11.55
मूल इस्पात ढलुवा लोहे पर आधारित वस्तुएं	6.12	1.83
लोहा एवं इस्पात	21.49	38.40
अलौह धातुएं	4.58	0.62
धातुओं से बनी वस्तुएं	13.28	18.81
मशीन औजार	14.17	14.55
विद्युत एवं मशीनी औजार को छोड़कर मशीनें	173.38	238.25
विद्युत मशीनरी	65.27	118.84
परिवहन उपस्कर	20.17	57.83
परिभोजना वस्तुएं	49.30	71.56
व्यावसायिक उपकरण, आप्टिकल माल आदि	67.96	102.86
अन्य वस्तुएं	65.37	134.78

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

विनिमय दर : अप्रैल-नवम्बर, 1991—1 डालर = 17.6067 रुपए।
अप्रैल-नवम्बर, 1991—1 डालर = 23.7546 रुपए।

टिप्पणी : 0.00 बहुत कम आयात बताता है।

चाय बोर्ड का निजीकरण

789. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चाय बोर्ड का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) चाय बोर्ड का गैर-सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विशेष सिंचाई बंध-पत्र (बांड) जारी करना

790. **श्री आस्कर फेरनान्डेस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्यों से निर्माणाधीन विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष सिंचाई बंध-पत्र (बांड) जारी करके धन एकत्रित करने की अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए इस तरह के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार ने भी केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने हेतु इस तरह के विविध विशेष बांड जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र से सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते बाण्ड जारी करने की अनुमति किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के बाण्डों की मौजूदा योजना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित होने के कारण, किसी भी राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव की बाबत स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए कोई विशेष सिंचाई बाण्ड जारी नहीं किए गए हैं।

सरकारी उपक्रमों पर बकाया आयकर

791. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 को आयकर चूककर्ता सूची में कितने सरकारी उपक्रम थे;

(ख) प्रत्येक उपक्रम पर आयकर की कितनी रकम बकाया है; और

(ग) इस राशि की वसूली के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) यह मंत्रालय केवल उन मामलों के संबंध में ही सूचना समेकित करता है, जिनमें प्रत्येक मामले में 10 लाख रु० अथवा उससे अधिक आयकर की मांग बकाया होती है और समूचे देश से प्राप्त हुई इस प्रकार की सूचना दिनांक 30-9-1991 की स्थिति के अनुसार है। इस सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के बैंकों के ऐसे 48 मामले थे, जिनकी तरफ दिनांक 31-9-1991 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रु० अथवा उससे अधिक की आयकर की मांग बकाया थी। इन उपक्रमों तथा बैंकों की तथा प्रत्येक मामले में बकाया आयकर की राशि का एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस मांग का एक बड़ा भाग अपीलों आदि में विवादग्रस्त है तथा अपीलीय प्राधिकारियों से उक्त अपीलों का निपटान वरीयता के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है। कुछ मामलों में इन मांगों में से कर विषयक वापस-अदायगियों का समायोजन अथवा कर-अदाय-

गियों का सत्यापन विचाराधीन है। कुछ अन्य मामलों में कर-मांगों की अदायगी दिनांक 30-9-1991 के पश्चात् की जा चुकी है। इन सभी मामलों में वसूली विषयक कार्यवाही पर आयकर आयुक्त तथा उससे उच्च स्तर पर आवधिक रूप से निगरानी रखी जाती है।

विवरण

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	दिनांक 30-9-1991 की स्थिति के अनुसार बकाया आयकर की राशि (लाख रु० में)
1	2	3
1.	मै० एन्ड्रू यूले एण्ड कं० लि०	173.00
2.	मै० भारत एल्यूमिनियम कं० लि०	100.71
3.	मै० भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०	2520.00
4.	मै० हिन्दुस्तान केबल्स लि०	6312.56
5.	मै० इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	280.10
6.	मै० एच०एम०टी० लि०	465.55
7.	मै० इण्डिया पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि०	157.27
8.	मै० इण्डियन रेयर अर्थ लि०	468.25
9.	मै० मद्रास फर्टीलाइजर्स लि०	454.75
10.	मै० मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि०	208.57
11.	मै० नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लि०	551.00
12.	मै० नेशनल मिनरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि०	690.62
13.	मै० नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन	7002.00
14.	मै० हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लि०	220.04
15.	मै० स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि०	346.00
16.	मै० नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लि०	180.56
17.	मै० मेटालर्जीकल एण्ड इंजी० कंसलटेंट्स (इण्डिया) लि०	371.00
18.	मै० ओ०एन०जी०सी० लि०	10071.00
19.	मै० इण्डियन ऑयल कारपोरेशन	7370.00
20.	मै० विदेश संचार निगम लि०	333.00

1	2	3
21.	मै० सी०एम०सी० लि०	402.77
22.	मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	3362.33
23.	मै० यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लि०	4461.45
24.	मै० विश्वास्वार्य आयरन एण्ड स्टील लि०	10.51
25.	मै० व्यास बैंक लि०	218.00
26.	मै० सिंडीकेट बैंक	569.75
27.	मै० भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लि०	96.78
28.	मै० स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया लि०	8262.90
29.	मै० देना बैंक लि०	287.71
30.	मै० स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	75.91
31.	मै० एन०टी०सी० (एम०पी०), इन्दौर	63.34
32.	मै० होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	40.22
33.	मै० शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	50.85
34.	मै० मझगांव डॉक लि०	49.44
35.	मै० टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	43.75
36.	मै० बंगाल इम्यूनिटी लि०	31.25
37.	मै० फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	30.01
38.	मै० आई०डी०पी० लि०	32.85
39.	मै० इलैक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेक्नीकल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि०	25.09
40.	मै० रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि०	40.55
41.	मै० ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०	76.35
42.	मै० हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	55.24
43.	मै० फेरो स्क्रैप निगम	38.66
44.	मै० माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	12.26
45.	मै० भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि०	65.26
46.	मै० नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं० लि०	12.72
47.	मै० एन०टी०सी० (ए०पी०के०के० एण्ड एम०) लि०	82.86
48.	मै० सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०	104.55

पेंशन पर आयकर

792. **श्री पी०एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन से होने वाली आय पर आयकर लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ व्यक्ति अपनी पेंशन को आयकर गणना में नहीं दिखा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) किसी पेंशन प्राप्तकर्त्ता की कुल आय पर, जिसमें पेंशन से प्राप्त होने वाली आय भी शामिल है, आयकर उस स्थिति में लगाया जाता है, यदि उसकी आय उस अधिकतम राशि से बढ़ जाती है, जिस राशि पर कर प्रभार्य नहीं होता है।

(ख) और (ग) पेंशन का भुगतान करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति को आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित होता है। फिर भी, यदि आयकर विभाग को किसी मामले विशेष में पेंशन से प्राप्त होने वाली आय के बारे में कर की चोरी की सूचना प्राप्त होती है, तो उस मामले में उस प्रकार की आय पर कर लगाने के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों को सोना लाने की अनुमति

793. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को अपने साथ सोना लाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा कितना सोना लाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमा सड़क कृतिक बल में नैमित्तिक मजदूर

794. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क कृतिक बल के अंतर्गत 20-25 वर्ष से कार्यरत भारी संख्या में मजदूर अभी भी नैमित्तिक आधार पर कार्य कर रहे है और इस कारण वे स्थायी मजदूर की सभी सुविधाओं से वंचित हैं;

(ख) क्या सीमा सड़क कृतिक बल के मजदूरों की सेवा में 179 दिनों के सेवाकाल के कुछ समय के लिए व्यवधान कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सीमा सड़क कृतिक बल के ऐसे मजदूरों को स्थायी मजदूर का दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। सीमा सड़क संगठन (बी०आर०टी०एफ०) द्वारा स्थायी कार्य-बल की पूर्ति के लिए "आवश्यकता के आधार पर" दैनिक भोगी श्रमिकों को रखा जाता है। चूंकि उनकी नियुक्ति दैनिक किस्म की है इसलिए उन्हें वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो स्थायी कर्मचारियों को होती है।

(ख) से (ङ) दैनिक मजदूरों का कार्य नैमित्तिक किस्म का होता है, इसलिए आवश्यकता न होने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।

जहाजी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

795. **डा० सुधीर राय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का गैर-सरकारीकरण करने की कोई पहल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मौजूदा सरकारी प्रशिक्षण सुविधाओं का निजीकरण करने के लिए कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। तथापि सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्णत: तदर्थ आधार पर वर्ग निर्धारण (रेटिंग्स) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु एक मौजूदा निजी संगठन को प्राधिकृत किया है। यह कार्य नाविकों की कुछ श्रेणियों की कमी को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता और नाविकों के लिए सरकारी प्रशिक्षण संस्थापना न होने की दृष्टि से किया गया था।

पड़ोसी देशों से तस्करी

796. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1992 में नेपाल से दिल्ली को तस्करी का माल ला रहे कुछ ट्रकों को पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो जब्त किए गए माल का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) सरकार का विचार पड़ोसी देशों से हो रही तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सम्भवतया माननीय सदस्य का आशय जनवरी, 1992 में गाजियाबाद पुलिस द्वारा रोके गए एक ट्रक से है जिसे लगभग 6.28 लाख रुपये के मूल्य की हंगरी की मार्के वाली बॉल बीयरिंग्ज और लगभग 90,000 रुपये के मूल्य की ताइवान मूल की पैकिंग टेप ले जाते हुए पकड़ा गया था। उपर्युक्त माल को पकड़ लिया गया था और दो व्यक्तियों अर्थात् ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया था और 15-1-1992 को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।

(घ) तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और तस्करी-रोधी तंत्र को, जिसमें भू-सीमाओं और समुद्री तटों के सुगम्य क्षेत्रों पर तैनात कर्मचारी भी शामिल हैं, चौकस कर दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

"रिबिल्ड कुवैत-91" प्रदर्शनी में भारत का भाग लेना

797. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बहरीन में कुवैत पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के लिए लगी अन्तर्राष्ट्रीय बहु-सेक्टर प्रदर्शनी "रिबिल्ड कुवैत-91" में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें प्राप्त किए गए व्यवसाय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदर्शनी के दौरान 6.55 करोड़ रुपए के व्यापार के आर्डर बुक हुए और समझौते के तहत 7.78 करोड़ रु० का व्यापार हुआ। 19,490 रुपए मूल्य की प्रदर्शित वस्तुएं भी तत्काल बेची गईं।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीश

798. **श्री राम नारायण कैरवा** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, न्यायालय-वार कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई; और

(ख) उनमें से न्यायालय-वार अनुसूचित जातियों के न्यायाधीश कितने हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र०सं०	उच्च न्यायालय	नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की संख्या			अनुसूचित जातियों के न्यायाधीशों की संख्या
		1989	1990	1991-92	
1.	इलाहाबाद	5	12	24	2
2.	आंध्र प्रदेश	—	6	4	—
3.	मुंबई	11	10	4	2
4.	कलकत्ता	—	6	—	—
5.	दिल्ली	2	6	6	—
6.	गुवाहाटी	2	—	4	—
7.	गुजरात	3	18	—	1
8.	हिमाचल प्रदेश	—	3	1	—
9.	जम्मू-कश्मीर	—	3	2	—
10.	कर्नाटक	—	10	3	—
11.	केरल	4	—	1	—
12.	मध्य प्रदेश	2	7	—	—
13.	मद्रास	—	10	—	2
14.	उड़ीसा	4	3	—	—
15.	पटना	—	11	7	—
16.	पंजाब और हरियाणा	2	4	11	—
17.	राजस्थान	—	7	3	—
18.	सिक्किम	—	—	—	—
	योग	35	116	70	7

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की चोरी

799. **श्री राजबीर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की चोरी के कितने मामलों का पता चला है; और

(ख) सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की चोरी करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त किये गये सामान व जुर्माने का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सीमा शुल्क के अपवंचन के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथा-समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के बारे मे प्रश्न का भागवार उत्तर इस प्रकार है :—

(क) गत एक वर्ष के दौरान पता लगाये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या 5266 है।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों के उपबंधों के उल्लंघन के फलस्वरूप 71.87 करोड़ रुपये के मूल्य का माल पकड़ा गया है। तथाकथित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन की राशि की मांग करते हुए तथा अर्थदंड लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

वर्ष 1991-92 के दौरान विदेश व्यापार

800. श्री बलवंत राव पाटिल :
श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत द्वारा किन-किन देशों से और कितने मूल्य के सामान का आयात किया गया तथा इन्हें निर्यात किया गया;

(ख) "ट्रेड सरप्लस" को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) जिन देशों के साथ व्यापार घाटा चल रहा है उनके साथ व्यापार को घाटे के आधिक्य में लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) निर्यात-क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) विभिन्न देशों द्वारा भारत के साथ होने वाले निर्यात और आयात को अलग-अलग ब्यौरे अप्रैल-नवम्बर, 1991 की अवधि तक के उपलब्ध हैं। अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान प्रमुख देशों के नाम और भारत में हुए निर्यात और आयात के मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार बेशी के सृजन तथा उसे बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं, संयुक्त आयोगों/संयुक्त व्यापार समितियों के मंच पर सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, भारतीय क्षमताओं के प्रचार के लिए व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, और चुनिन्दा देशों के साथ ऋण संबंधी वाणिज्यिक-सम्पर्कों का प्रावधान, आदि। इसके अलावा, सरकार ने निर्यात प्रोत्साहनों को मजबूत करने, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करने और इष्टतम आयात दबाव के उद्देश्य से व्यापार नीति सुधारों का एक पैकेज लागू किया है। आर० ई० पी० लाइसेंसों के स्थान पर नई एग्जिम स्क्रिप व्यवस्था लागू की गई है। अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली

को मजबूत बनाया गया है। सरकार ने अन्य कदम भी उठाए हैं जिनमें शामिल हैं, व्यापार बोर्ड को सक्रिय करना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना, और व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करना।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	देश/क्षेत्र	अप्रैल-नव०, 1991	
		निर्यात	आयात
1	2	3	4
	1. पश्चिम यूरोप	**7709 50**	**9346 22**
	(i) ई०ओ०एम०	**6924.52**	**8493.92**
	(क) बेल्जियम	994.92	2091.60
	(ख) फ्रांस	560.55	830.15
	(ग) एफ०आर०जी०	1861.09	2202.24
	(घ) इटली	743.22	749.28
	(ङ) नीदरलैंड	531.90	428.91
	(च) ब्रिटेन	1680.77	1975.62
	(ii) ई०एफ०टी०ए०	**683.33**	**734.30**
	(क) स्वीडन	123.39	271.38
	(ख) स्विट्जरलैंड	331.01	211.01
	(iii) अन्य	**101.65**	**118.00**
	II. एशिया और ओसीनिया	**9203.11**	**12928.29**
	(i) एस्कैप	**6762.07**	**6790.93**
	(क) आस्ट्रेलिया	303.16	933.79
	(ख) ईरान	116.21	880.66
	(ग) जापान	2474.32	2164.25
	(घ) कोरिया गणराज्य	418.64	450.04
	(ङ) मलयेशिया	277.19	523.98
	(च) सिंगापुर	596.55	991.67
	(छ) नेपाल	130.11	49.25

1	2	3	4
	(ज) हांगकांग	894.05	152.79
	(झ) थाइलैंड	314 66	72.11
	(ii) रेस्ट आफ एशिया और ओसीनिया	2441.04	6137.36
	(क) कुवैत	47.79	221.35
	(ख) सऊदी अरब	447.40	2230.47
	(ग) संयुक्त अरब अमीरात	1022.92	2052.79
III.	अफ्रीका	783.25	1243.35
	(i) मिस्र	103.38	103.36
	(ii) मोरक्को	14.47	549.79
IV.	अमेरिका	4839.32	4835 22
	(i) उत्तरी अमेरिका	4673.38	3509.62
	(क) कनाडा	271.67	454.85
	(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका	4401.65	3154.77
	(ii) दक्षिण अमेरिका	75.75	452.95
	अन्य अमेरिकन व कारिबीन देश	90.19	122.71
V.	पूर्वी यूरोप	2897.89	1797 21
	(i) रुपये में भुगतान करने वाले देश	2632.48	1539.65
	(क) सोवियत संघ	2453 18	1425.10
	(ख) अन्य	179.30	116 56
	(ii) रुपये में भुगतान न करने वाले देश	265.41	257.55
	(क) युगोस्लाविया	53.06	80.21
	कुल योग (अन्यों सहित)	26.012.44	29410.38

अ : अनन्तिम

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता

[अनुवाद]

दक्षिण कोरियाई एक्सिम बैंक से ऋण

801. श्री हरि किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण कोरियाई एक्जिम बैंक से 1 बिलियन डालर ऋण प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में नई चुनाई मिलें

802. श्री नवल किशोर राय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी नयी चुनाई मिलें स्थापित की गयीं और इनमें से प्रत्येक मिल की क्षमता कितनी है; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पृथक एककों को एकक-वार और बैंक-वार कितना ऋण स्वीकृत किया गया था ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार राज्य में चुनाई मिल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षिण तटीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

803. श्री जी० एम० सी० बालयोगी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी राज्यों की ओर से तटीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारें निम्नलिखित तटीय सड़कों के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध करती रही हैं : —

	अनुमति लागत
(i) टाडा-कोथापटनम-मछलीपटनम-विशाखापटनम-इचापुरम सड़क (1000 कि० मी०)	730 करोड़ रु०
(ii) मद्रास-पांडिचेरी-कुड्डालोर-नागपट्टिनम-टूटीकोरिन-कन्याकुमारी (737 कि० मी०)	142 करोड़ रु०

ये सड़कें राज्य-सड़क नेटवर्क का हिस्सा है और इसलिए उनके विकास की जिम्मेदारी अनिवार्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। एशियाई विकास बैंक तमिलनाडु में 37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित मद्रास-कुड्डालोर भाग के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 115.20 करोड़ रु०की लागत से कुड्डालोर से कन्याकुमारी तक के शेष भाग को अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव किया है। चूंकि आठवीं योजना के लिए परिव्यय अभी ज्ञात नहीं है, अत: स्कीम पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ।

जहां तक टाडा-इचापुरम सड़क का सम्बन्ध है, राज्य द्वारा यथा प्रस्तावित इस कार्य को वित्तीय सहायता के लिए इस समय एशियाई विकास बैंक पर डालना सम्भव नहीं है क्योंकि उनके असले राजमार्ग ऋण के लिए बैंक केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही विचार करेगा। इस परियोजना की भारी लागत और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत सीमित संसाधनों को देखते हुए इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता देना भी सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी खर्च में कटौती करने के निर्णयों का पालन

804. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खर्च में कटौती करने के संबंध में निर्णय लिये है;

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों के परिणामस्वरूप सरकारी खर्च में कितने प्रतिशत कमी आयी है;

(ग) कितने अधिकारी इस आदेश का पालन न करने के दोषी पाये गए हैं; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) सरकार खर्च में कटौती करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सभी मन्त्रालयों से उनके कार्यकलापों को प्राथमिकता-बद्ध करने का अनुरोध किया है ताकि जो कार्य सूची में नीचे हैं उनको हटाया जा सके जबकि ऐसे कार्यों को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, बिल्कुल स्थगित किया जा सके। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए अन्य किफायत सम्बन्धी उपायों में विदेशी यात्रा सहित यात्रा व्यय पर नियंत्रण सम्मेलन, गोष्ठियों, प्रचार कार्य पर व्यय में कटौती, ईंधन, खपत, उत्सवों,

मेलों, प्रदर्शनियों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जहां कहीं भी पहले से निश्चित वचनबद्धता नहीं की गई है, का आस्थगन शामिल है। वर्ष 1991-92 के बजट में व्यय में कटौती सम्बन्धी बहुत से उपाय दिए गए। प्रमुख मदों के अन्तर्गत निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायताओं को समाप्त करना था। सभी मन्त्रालयों को व्यय में 5 प्रतिशत की कटौती करने और 10 प्रतिशत टेलीफोन लाइनें छोड़ने के लिए कहा गया है।

(ख) उपर्युक्त उपायों से व्यय में ठीक-ठीक कमी सूचित करना संभव नहीं है। किए गए किफायत सम्बन्धी उपायों के फलस्वरूप व्यय में कमी का अलग से/पृथक् रूप से हिसाब नहीं रखा जाता है। किसी विशेष शीर्ष में अन्तिम रूप से समाबोजित किया गया व्यय ही अतिरिक्त आवश्यकताओं को किफायत सम्बन्धी उपायों के कारण बचतों से प्रतिसन्तुलित करके निवल स्थिति होती है। यदि व्यय मे कटौती करने सम्बन्धी उपाय न किए गए होते तो निवल व्यय अधिक होता।

(ग) शून्य

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीन से रेशम का आयात

805. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से रेशम का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत वर्ष कितने रेशम का आयात किया गया है;

(ग) इस आयातित रेशम के वितरण हेतु सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है; और

(घ) कर्नाटक को कितना आयातित रेशम दिया गया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रेशम उपजाने वाले प्रमुख राज्यों के क्षेत्रों में कीट-पालन में पैबरिन रोग के फूट पड़ने के कारण कोसा बाजारों में कोसों की आवकों में गिरावट आ गई जिससे अन्ततः देश में कच्चे रेशम की उपलब्धता के साथ-साथ उसकी कीमतें प्रभावित हुईं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इस रोग के नियंत्रण के लिए पहले से ही विभिन्न उपाय शुरू किए हैं।

कच्चे रेशम की कीमतों को स्थित बनाने तथा बुनकरों को उचित कीमतों पर कच्चा रेशम प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा मनोनीत एजेंसियों द्वारा 200 मी० टन रुपये रेशम का आयात करने की अनुमति प्रदान की है। इन संगठनों को यह छूट दी गई है कि वे किसी भी स्रोत से जोकि उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होगा, रेशम का आयात कर सकते हैं। तथापि, ऐसी सम्भावना है कि अधिकांशतः आयात चीन से किए जाएंगे।

आयातित कच्चे रेशम का वितरण राज्य हथकरघा विकास निगम, राज्य शीर्ष हथकरघा बुनकर समितियों, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम तथा हथकरघा और एवं वस्त्र के राज्य

निदेशकों जैसे राज्य के अधिकरणों के जरिए किया जाएगा। सबसे पहले कर्नाटक के लिए 15 मी० टन कच्चा रेशम निर्धारित किया गया है।

जलमार्गों का विकास

806. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा, सरयू, ब्रह्मपुत्र, यमुना और अन्य प्रमुख नदियों में जल परिवहन को विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय जलमार्गों में जल परिवहन के विकास के लिए जिम्मेदार है। इस समय गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर इलाहाबाद-हल्दिया (1620 कि० मी०) तथा ब्रह्मपुत्र सौदिया-धुबरी (891 कि० मी०) खण्ड को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप मे घोषित किया गया है। सरकार का पश्चिमी तटीय नहर के कोलम-कोट्टापुरम खण्ड तथा चम्पाकार और उद्योग मंडल नहरों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप घोषित करने का प्रस्ताव है।

(ख) गंगा और ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्गों में स्वीकृत/प्रस्तावित स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. गगा में नदी संरक्षण कार्य।
2. गायघाट (पटना) में टर्मिनल का निर्माण।
3. कलकत्ता में जी० आर० जैटी पर टर्मिनल का निर्माण।
4. हल्दिया और फरक्का के बीच मूलभूत सुविधाओं की स्थापना।
5. गंगा में नौचालन सुविधाओं का प्रावधान।
6. ब्रह्मपुत्र पर नदी संरक्षण कार्य।
7. ब्रह्मपुत्र में नौचालन सुविधाओं का प्रावधान।

[हिन्दी]

निर्यात में गिरावट

807. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के कड़े व्यापार-नियमों के फलस्वरूप हमारे निर्यात में कमी आई है;

(ख) उद्योगपतियों को अमरीका के नए व्यापार नियमों से सरकार द्वारा अवगत कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ताकि व्यापार करते समय उन्हें किन्हीं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े; और

(ग) सरकार द्वारा भुगतान संतुलन की समस्या, जो अमरीका के व्यापार नियमों के कारण पैदा हुई है, पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता के अनुसार, यू० एस० ए० को हमारे निर्यात में वृद्धि हुई। अप्रैल-मई (1991-92) के दौरान 1852.97 मिलियन डालर के निर्यात हुए थे जबकि 1990-91 की तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान 1772.21 मिलियन डालर के निर्यात हुए थे। वस्त्र उत्पादों सम्बन्धी कोटा पद्धति तथा प्रति-पाटन और प्रतिकारी शुल्क कार्रवाइयां भारत से यू० एस० ए० को निर्यात करने में प्रमुख बाधाएं हैं। इस वर्ष यू० एस० ए० में मंदी तथा भारत में औद्योगिक उत्पादन पर आयात प्रतिबन्ध के प्रभाव की वजह से समस्याएं बढ़ी हैं ?

(ख) और (ग) दोनों सरकारों के बीज व्यापार तथा सम्बद्ध आर्थिक नीतियों पर अपनी चिन्ता व्यक्त करने तथा व्यापार और निवेश प्रवाह की बाधाओं को कम करने और समाप्त करने हेतु उपायों पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय दोनों रूप में परामर्श किए जाते हैं। वार्ताओं के माध्यम से वर्ष 1992 के लिए द्विपक्षीय व्यापार वस्त्र कोटा में वृद्धि की गई है। प्रतिकारी तथा प्रति-पाटन शुल्क के बारे में गाट नियमों में सुधार करने के लिए उरुग्वे दौर में प्रयास किया गया है। संयुक्त व्यापार परिषद के माध्यम से दोनों देशों के उद्योग प्रतिनिधि व्यापार में और वृद्धि करने के लिए समय-समय पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यू० एस० के नियमों और विनियमों में होने वाले परिवर्तनों से व्यापार और उद्योग को समय-समय पर अवगत करा दिया जाता है।

[अनुवाद]

मफतलाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

808. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं जिसमें मफतलाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारियों को उद्योग चलाने में सहायता करने हेतु केनरा बैंक को नाडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 17(3), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने 22-1-1992 को केनरा बैंक को एक प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है, जो कंपनी के कर्मियों द्वारा प्रबन्धन को अपने हाथ में लिए जाने के आधार पर मफतलाल प्लाईवुड लि० के पुनर्जीवन के लिए 60 दिन के अन्दर एक पैकेज तैयार करेगा।

[हिंदी]

विश्वविद्यालय स्तर पर एन० सी० सी० प्रशिक्षण

809. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय स्तर तक एन० सी० सी० के माध्यम से अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वयं-सेवी योजना है। इनके अलावा, ऐसे प्रशिक्षण देने में अत्यधिक खर्च होगा।

[अनुवाद]

कच्चे काजू का आयात

810. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल काजू विकास निगम तथा अन्य संगठनों ने कच्चे काजू के आयात की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल में काजू श्रमिकों की भारी बेरोजगारी पर विचार करते हुए कच्चे काजू का आयात हेतु अनुमति दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) वर्ष 1990-93 की आयात तथा निर्यात नीति (खण्ड 1) के अनुसार कच्चे काजू के आयात की अनुमति वास्तविक उपयोग/भंडारण तथा बिक्री के लिए वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) तथा अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है। आयात संविदा के निष्पादन के 7 दिन के भीतर उसे भारतीय काजू निगम में पंजीकृत कराना होता है।

कारवाड़ में "सी० बर्ड" परियोजना

811. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कर्नाटक में कारवाड़ में सी बर्ड नेवल बेस परियोजना को शर्तबन्द स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय सारणी निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त परियोजना के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के पहले चरण से सम्बन्धित कार्य तभी शुरू किया जा सकेगा जब पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति में विहित शर्तों के कार्यान्वयन की जांच हो जाएगी और परियोजना की संशोधित लागत का सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा।

(ग) परियोजना के पहले चरण के कार्य के लिए लागत अनुमान की जांच की जा रही है। ये कार्य शुरू होने की तारीख से 10 वर्षों के अन्दर पूरे होने की आशा है, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

(घ) राज्य सरकार को 9 करोड़ रुपये की एकमुश्त पुनर्वास अनुदान राशि दी गई है। यह रिपोर्ट दी गई है कि उसमें से उन्होंने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर अभी तक करीब 2.21 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

केरल में काजू बोर्ड की स्थापना

812. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** 23 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में काजू बोर्ड स्थापित करने हेतु कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसकी स्थापना में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में कुल कितने काजू का उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) काजू बोर्ड की स्थापना न करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में काजू गिरियों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (मी० टन)
1988-89	1,36,900
1989-90	1,39,500
1990-91	1,42,100

काठमाण्डू में भारतीय बैंकों की शाखाएं

813. **श्री प्रतापराव जी० भोसले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय स्टेट बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों को काठमाण्डू में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक अथवा सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों को काठमाण्डू में शाखाएं स्थापित करने के लिए अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

काली मिर्च के मूल्य

814. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि खुले बाजार में काली मिर्च के मूल्यों में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार ने काली मिर्च के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में काली मिर्च के उत्पादकों की मांग पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां अक्तूबर, 1991 से काली मिर्च की कीमतों में कमी रही है।

(ख) अल्पावधि उपाय के रूप में, सरकार ने 31 मार्च, 1992 तक जी० पी० ए० देशों को मिर्च के निर्यात पर उपकर को रोकने की घोषणा की है।

(ग) और (घ) मिर्च की कीमतों में कमी मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय अतिरिक्त सप्लाई की स्थिति के कारण हुई है। इस प्रकार की स्थिति में किसी एक देश द्वारा समर्थन कीमत निर्धारित करने से कोई लाभ नहीं होगा।

[हिन्दी]

इन्डोनेशिया को गोश्त का निर्यात

815. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान इंडोनेशिया को प्रतिमाह कुल कितनी मात्रा में गोश्त का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इन्डोनेशिया ने भारत से गोश्त का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) इस निर्णय का देश में सम्बन्धित उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (च) इंडोनेशिया भारत से मांस का आयात नहीं करता है। वर्ष 1990-91 के दौरान इंडोनेशिया को मांस का कोई निर्यात नहीं किया गया। तदुपरान्त, इंडोनेशिया ने इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ की खरीद

816. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1991 में देश के बाजार से श्रेणी-वार कितना प्राकृतिक रबड़ खरीदा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०चिदम्बरम्) : वर्ष 1991 के दौरान एस० टी० सी० ने घरेलू बाजार से प्राकृतिक रबड़ की श्रेणीवार निम्नलिखित मात्रा खरीदी :—

आर० एम० ए०-5 :

फरवरी-अप्रैल, 1991— 7700 एमटी

अक्तूबर-दिसम्बर, 1991—2614 एमटी

आर० एम० ए०—4 :

नवम्बर-दिसम्बर, 91— 2126 एमटी

12440 एमटी

गांजे की खेती

817. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय प्रयोग के लिए सीमित रूप से गांजे की खेती की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी खेती किन-किन स्थानों पर की जाती है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के जंगलों के भीतरी हिस्सों में गांजे की अवैध खेती में वृद्धि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) स्वापक औषध एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत केनाबीस पौधे की खेती, जिससे गांजा बनता है, की अनुमति औषधीय अथवा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में शक्ति राज्य सरकारों के पास है।

(घ) और (ङ) केनाबिस की अवैध खेती सामान्यतया देश के जंगलों के भीतरी हिस्सों में की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में केन्द्रीय तथा राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा केनाबिस के पौधों की अवैध खेती को नष्ट करने के बारे में जानकारी निम्नलिखित है :—

वर्ष	नष्ट किया गया क्षेत्र (एकड़ में)
1987	461
1988	1439
1989	3139
1990	1907
1991	1013

सम्बन्धित प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मामले में सतर्कता रखी हुई है और जहां कहीं अवैध खेती पाई जाती है, उसे नष्ट कर दिया जाता है।

चीनी का निर्यात

818. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न देशों को चीनी का निर्यात करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं, तथा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी चीनी का निर्यात किया गया और देश-वार प्रति किलोग्राम किस भाव पर निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) और उद्योग द्वारा किए गए निर्यात और प्रति किग्रा० (एफ०ओ०बी०) भारित औसत कीमत प्राप्ति के देश-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

मात्रा : लाख एम०टी०

मू० : मूल्य करोड़ रु० (एफ०ओ०बी०)

देश का नाम	1988-89			1989-90			1990-91		
	मात्रा	मूल्य	भारित औसत प्रति किग्रा० (रुपया)	मात्रा	मूल्य	भारित औसत प्रति किग्रा० (रुपया)	मात्रा	मूल्य	भारित औसत प्रति किग्रा० (रुपया)
*ई०ई०सी०	0.100	8.90	8.90	0.100	8.77	8.77	0.200	23.03	11.51
यू०एस०ए०	0.068	3.92	5.78	0.078	6.14	7.83	0.122	9.76	8.13
नेपाल (कारखाना बाह्य)	0.150	7.50	5.00	0.148	7.46	5.06	0.200	11.48	5.74
श्रीलंका	—	—	—	—	—	—	0.125	7.39	5.68
मालद्वीव	—	—	—	—	—	—	0.003	0.24	8.33
योग	0.318	20.32	—	0.326	22.37	—	0.650	51.90	—

1988-89 पश्चिम जर्मनी

1989-90 हालैण्ड

1990-91 बेल्जियम

*आपूरित लेवी चीनी

(स्रोत: एस०टी०सी०, नई दिल्ली)

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत बिहार को ऋण

819. **श्री ललित उरांव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार की ओर से कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अंतर्गत राज्य को दिए जाने वाले ऋण की राशि में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत (ए०आर०डी०आर०) योजना, 1990 के तहत राज्य सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण राहत की कुल लागत को पूरा करने के लिए बिहार की राज्य सरकार से भारत

सरकार को सितम्बर, 1990 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से राज्य सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों को रियायती ऋण उपलब्ध कराएगा ताकि राज्य सरकारें, सहकारी समितियों द्वारा दी गई ऋण राहत की लागत के अपने 50 प्रतिशत भाग को पूरा कर सकें। बिहार की राज्य सरकार को तदनुसार दिसम्बर, 1990 में परामर्श दिया गया था।

[अनुवाद]

मारिशियस के साथ द्विपक्षीय व्यापार विस्तार

820. **श्री गोपीनाथ मजमदार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मारिशियस के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार किन-किन क्षेत्रों में किया जायेगा; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) इन क्षेत्रों में शामिल हैं; आटो संघटक, बाइसिकल तथा उसके हिस्से पुर्जे, प्रसाधन की वस्तुएं/शृंगार सामग्री, मेषजीय पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, प्लास्टिक, गेहूं/गेहूं का आटा, पुस्तकें, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, घरेलू साज-सामान, यात्रा का सामान आदि।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मारिशस के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। तथापि, हम समय-समय पर व्यापारिक तथा अधिकाधिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, अनन्य भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन, मारिशस के मेलों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन जैसे विभिन्न उपाय करते हैं। ये उपाय आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त भारत मारिशस संयुक्त आयोग के तत्वावधान में द्विपक्षीय व्यापार तथा सहयोग की नियमित समीक्षा की जाती है।

श्रीलंका के साथ व्यापार

821. **श्री गोपीनाथ मजमदार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीलंका के साथ व्यापार को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पहचाने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार हेतु विभिन्न प्रस्तावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सरकार का

भारत तथा श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास है। जनवरी, 1992 में हुई भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग की पहली बैठक में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक आदान प्रदान में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, साथ ही कृषि, लघु उद्योग तथा तेल का पता लगाने के क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों की संभाव्यता का पता लगाने पर भी बल दिया गया।

तस्करों द्वारा छोड़ा गया सोना

822. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों द्वारा छोड़े गये टनों सोने की, जिसके बारे में विश्वास है कि उसे भारतीय जल क्षेत्र में छोड़ा गया है वहां से बाहर निकालने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई विदेशी सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) इस बारे में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर कि समुद्र मार्ग से तस्करी करने वाले तस्कर सीमा शुल्क/तट रक्षकों द्वारा रोके जाने के आसन्न भय से निषिद्ध सोने को भारतीय समुद्री तट-रेखा के निकट समुद्र में डाल रहे हैं, सरकार ने राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पता लगाये गये स्थानों में समुद्र तल पर पड़े हुए इस तरह डाले गए सोने को निकालने का कार्य राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान को सौंपने का निर्णय लिया है। डाले गये ऐसे सोने की मात्रा अथवा निकाले जाने वाले सोने की मात्रा के बारे में कोई ठीक-ठाक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस समय विदेशी सहायता लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है।

हिमाचल प्रदेश को जनता कपड़े का आवंटन

823. **श्री डी०डी० लखोत्रिया** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को जनता कपड़े का आवंटन-लक्ष्य राज्यों में कार्यरत हथकरघों तथा उनकी पिछली उत्पादन क्षमता के आधार पर तय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश का क्षतिवर्ष उत्पादन क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को प्रति वर्ष कितना जनता कपड़ा आवंटित किया गया था और 1992-93 के दौरान प्रस्तावित लक्ष्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को जनता कपड़ा आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। जनता कपड़े के

आवंटन का लक्ष्य कुछ अन्य कारणों जैसे उत्पादन क्षमता, देश में निर्धारित कुल लक्ष्य, जनता कपड़े के उपभोग की पात्रता आदि पर आधारित होता है।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश में जनता कपड़े के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा और उत्पादन में हुई उपलब्धि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मिलियन वर्ग मी० में)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1989-90	1.00	शून्य
1990-91	1.00	शून्य
1991-92	0.50	शून्य (सितम्बर, 1991तक)

हिमाचल प्रदेश में जनता कपड़ा उत्पादन का अनुपालन न होने के कारण ऐसी आशा है कि 1992-93 के दौरान राज्य को केवल मामूली लक्ष्य ही दिया जाएगा।

(घ) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों में बुनकरों को निरंतर रोजगार देने के दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने अप्रैल, 1989 में इस योजना के अंतर्गत ऊनी मदों के उत्पादन को भी शामिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश ने अभी तक इस योजना का कोई लाभ नहीं लिया है। आठवीं योजना के अंत तक इस योजना को समाप्त करने की सरकार की हाल ही की नीति के परिणामस्वरूप इसके समूचे लक्ष्य में कमी आई है और कुछ अन्य राज्यों में जनता कपड़े के उत्पादन में कमी आई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सस्ते कपड़े की आवश्यकता की अन्य राज्यों द्वारा पूर्ति किए जाने की व्यवस्था को भी समाप्त करना पड़ा। तथापि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि राज्य के लक्षित उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य में ही जनता कपड़े का उत्पादन किया जाए।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वःरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभ भोगी

824. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वःरोजगार की योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक इसके लाभार्थियों की वर्षवार व राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) वर्षवार और राज्यवार कुल कितनी ऋण राशि दी गई;

(ग) लाभार्थियों से वर्षवार तथा राज्यवार कुल कितनी राशि वसूली गई;

(घ) क्या लाभार्थियों द्वारा योजना के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों का निरीक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक इसके अन्तर्गत लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या और मंजूर की गई राशियां संलग्न विवरण I और II में दी गई हैं।

(ग) योजना के अन्तर्गत मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता जून, 1989 के अन्त तक 26.15 और जुलाई, 1990 के अन्त तक 20.82 थी।

(घ) और (ङ) उद्योग मंत्रालय के विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना का मूल्यांकन किया गया था। 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 55 जिलों में किए गए मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि दो तिहाई इकाइयां कार्य कर रही हैं और एक तिहाई इकाइयां वित्तीय, विपणन आदि समस्याओं के कारण बंद हो गई थीं।

विवरण-I

(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1983-84		1984-85		1985-86		1986-87	
		संख्या	मंजूर की गई राशि	संख्या	मंजूर की गई राशि	संख्या	मंजूर की गई राशि	संख्या	मंजूर की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	14781	2936.00	13084	2733.92	16518	3474.22	14919	3225.60
2.	असम	8021	1540.44	7642	1629.91	4629	1026.55	5837	1494.87
3.	बिहार	14230	2278.64	14806	2674.97	26376	5055 03	22560	5460.78
4.	गुजरात	10497	1538.88	4072	665.96	6522	898.42	4924	696.45
5.	हरियाणा	6189	998.99	5478	957.45	4782	908.68	4808	939.85
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	449.69	2156	448.49	1591	353.25	1406	285.92
7.	जम्मू व कश्मीर	1416	287.95	1119	244.10	1095	254.52	708	157.16
8.	कर्नाटक	12307	1960.00	12810	2379.00	12837	2506.40	12100	2395.00
9.	केरल	10391	2110.00	11907	2129.70	13033	2452.37	19015	3805.65
10.	मध्य प्रदेश	18786	2857.80	18065	3404.38	17224	3368.20	16679	3540.52
11.	महाराष्ट्र	24579	4024.28	18667	3109.28	13848	2631.12	13466	2428.63
12.	मणिपुर	991	179.82	994	227.50	1491	363.10	1493	378.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मेघालय	353	75.09	313	62.92	111	13.58	80	18.79
14.	नागालैंड	189	39.25	269	58.60	166	33.40	129	28.43
15.	उड़ीसा	6823	1368.62	7599	1703.65	8757	2039.64	8620	2145.11
16.	पंजाब	9047	1689.60	12212	2443.00	11677	2373.65	15037	3428.80
17.	राजस्थान	15054	2365.30	15382	2898.57	10986	2162.46	10736	2399.48
18.	सिक्किम	15	3.65	49	10.30	49	12 17	33	8.10
19.	तमिलनाडु	21247	3316.00	22500	4248.86	18722	3744.64	18362	3787.38
20.	त्रिपुरा	696	97.33	707	131.72	912	175.12	909	179.84
21.	उत्तर प्रदेश	36857	5382.85	34400	5981.21	26264	4569.05	23197	5002.38
22.	पश्चिम बंगाल	23680	4481.92	23101	4533.21	21885	4349.14	20468	4845.48
23.	अण्डमान और निकोबार	66	15.22	101	23.68	101	24.56	80	17.57
24.	अरुणाचल प्रदेश	36	6.91	60	12.50	61	15.31	22	5.30
25.	चण्डीगढ़	325	56.50	300	62.00	394	82.74	416	94.20
26.	दादरा और नागर हवेली	54	10.71	68	13.42	40	7.76	19	4.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	गोवा	0	0.00	337	81.62	84	16.22	220	80 20
28.	मिजोरम	196	42.61	202	32.12	104	14.86	233	45.16
29.	पाण्डिचेरी	414	40.00	400	50.68	465	73.06	480	91.26
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	242405	40154.05	228800	42952.72	220724	42999 22	216956	46990.78

विवरण-II

(राशि लाख रुपये में)

क्रम सं॰	राज्य का नाम	1987-88		1988-89		1989-90		1990-91	
		संख्या	मंजूर की गई राशि	संख्या	मंजूर की गई राशि	संख्या	मंजूर की गई राशि	संख्या	मंजूर की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	7421	1740.53	14291	3278.72	7404	1679.47	8047	1866.63
2.	असम	3191	807.42	5378	1372.68	3141	737.41	3067	822.25
3.	बिहार	12025	2826.84	19669	4904.94	9176	2342.91	11545	3005.63
4.	गुजरात	5293	805.47	4552	647.82	5084	722.73	2419	3[illegible]4.92
5.	हरियाणा	2450	500.64	4651	908.04	2418	499.35	2545	543.72
6.	हिमाचल प्रदेश	786	154.53	1340	272.97	769	151.69	870	174.88
7.	जम्मू व कश्मीर	564	137.55	962	192 66	223	53.23	236	71.88
8.	कर्नाटक	6175	1242.97	10585	2019.38	6010	1181.14	5415	1069.64
9.	केरल	9407	1759.66	14846	2643.64	8430	1493.29	6249	1152.22
10.	मध्य प्रदेश	8732	1909.75	14154	2638.93	7936	1617.86	6751	1489.36
11.	महाराष्ट्र	8894	1638.12	14326	2537.44	8210	1493.12	9027	1687.59
12.	मणिपुर	649	182.28	1500	434.50	749	229.09	750	242.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मेघालय	141	25.62	34	6.12	90	17.54	24	5.73
14.	नागालैंड	83	14.30	153	35.71	57	12.69	57	12.69
15.	उड़ीसा	4585	1124.77	8016	1985.23	4347	1096.63	4578	1170.91
16.	पंजाब	7672	1744.88	14472	3259.04	7690	1801.62	7453	1714.40
17.	राजस्थान	5579	1235.52	9204	1967.80	5127	842.27	5330	1159.04
18.	सिक्किम	25	6.03	23	4.25	17	3.15	28	5.30
19.	तमिलनाडु	9278	1864.00	17175	3080.84	8692	1518.78	7644	1363.40
20.	त्रिपुरा	346	81.19	527	136.84	183	46.69	502	132.40
21.	उत्तर प्रदेश	14102	3166.66	24373	5340.60	13749	3283.86	13194	3065.85
22.	पश्चिम बंगाल	12073	2853.53	10330	2485.61	6412	1514.00	3513	865.95
23.	अण्डमान और निकोबार	37	8.32	54	12.64	20	4.50	23	4.57
24.	अरुणाचल प्रदेश	24	5.48	59	14.61	16	3.76	22	4.71
25.	चण्डीगढ़	179	41.99	201	44.62	90	22.72	127	30.58
26.	दादरा और नागर हवेली	12	3.25	36	9.70	26	6.50	20	5 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	गोवा	160	33.11	242	59.52	124	33.91	199	0.00
28.	मिजोरम	92	21.38	32	91.30	109	29.95	136	36.86
29.	पांडिचेरी	240	39.90	473	73.16	230	33.90	305	43.25
30.	लक्षद्वीप	9	0.75	8	1.30	20	3.79	12	2.80
31.	दमन और दीव	—	—	—	—	12	3.49	12	2.51
	जोड़	120224	25976.44	191958	40460.61	106561	22481.04	100100	22097.07

"फेरा" के अंतर्गत मामले

825. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अंतर्गत कितने मामले लम्बित थे;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इसमें सम्मिलित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) 1 अप्रैल, 1991 को कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये या हिरासत में लिये गये;

(घ) चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 1991 तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1991 तक कितने मामलों में और व्यक्तियों के विरुद्ध "फेरा" के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत मामलों के सांख्यिकीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

1. अधिनिर्णयन के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या : (31-12-1991 के अनुसार)	9186
2. जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या : (1991-92 के दौरान)	2246
3. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या : (1-4-91 से 31-12-91 तक)	257
4. नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या : (1-4-90 से 31-3-91) तक	64
5. अधिनिर्णयन के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या : (1-4-91 के अनुसार)	9618

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित कर संबंधी मामले

826. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :
श्री राजदहल चौधरी :
श्री गुमानमल लोढा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्ष-करों संबंधी कितने मामले निपटाए;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 तथा 31 दिसम्बर, 1991 को इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यक्ष करों संबंधी कितने मामले लम्बित थे;

(ग) उनमें सरकार द्वारा दायर की गई अपीलों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त तिथियों को न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में कितनी अपीलें दायर की गईं;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त तिथियों को उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई कितनी अपीलें उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं;

(च) क्या सरकार का विचार न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के कार्यभार को कम करने हेतु इसके समक्ष लम्बित अपीलों की छंटनी करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है:—

1988-89	45,248
1989-90	58,885
1990-91	54,976

(ख) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन पड़े हुए मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

दिनांक 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार : 1,98,915

दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार : 2,18,091

(ग) इन मामलों में सरकार द्वारा दायर की गईं अपीलों की संख्या कुल संख्या की लगभग आधी है।

(घ) दिनांक 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर की गईं अपीलों की संख्या 23,633 थी। सरकार तथा कर-निर्धारितियों द्वारा दायर की गई अपीलों के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) दिनांक 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपीलों की संख्या 2862 थी। सरकार द्वारा कर-निर्धारितियों द्वारा दायर की गई अपीलों के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

(च) और (छ) स्थायी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अपीलों और संदर्भों को अत्यन्त ही चुनिन्दा रूप से न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है और जहां पर राजस्व की मात्रा उनमें अत्यधिक अन्तर्ग्रस्त होती है, वहां पर जबरदस्त समीक्षा किए जाने के पश्चात् ही उन्हें दायर किया जाता है। विधि-विशेषज्ञों के साथ सम्यक्-पूर्व परामर्श भी किया जाता है और जहां तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जाने वाली अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं का संबंध है, उन्हें विधि मंत्रालय की विशिष्ट सलाह के आधार पर ही दायर किया जाता है।

खाद्य तेल व्यापारियों द्वारा कर की चोरी

827. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनन्द द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में बताई गई इस रिपोर्ट की जानकारी है, जिसमें व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कर की चोरी की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कानून के अनुसार उनसे देय कर राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जी हां। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनन्द द्वारा कराए गए सर्वेक्षण मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा करों के अपवंचन की उगाही के संबंध में है। यह प्राप्ति और लाभ के कुछ अनुमानों पर आधारित है। सर्वेक्षण से किसी विशिष्ट मामले में कर अपवंचन का कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

अमरीका से हथियारों की सप्लाई

828. **श्री अमल कुमार मंडल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1992 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में प्रकाशित "डिफक्ट यू०एस० आर्म्स फार इंडिया" समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी फर्मों, जिसमें अमेरिका में स्थित कम्पनियां भी सम्मिलित हैं, से प्राप्त रक्षा उपस्करों के प्रस्तावों का सरकार सभी पहलुओं से अच्छी तरह से मूल्यांकन करती है जिनमें उन्हें सशस्त्र सेनाओं को सौंपने के लिए निर्णय लेने से पूर्व तकनीकी/संक्रियात्मक दृष्टि से उनकी उपयुक्तता की जांच की जाती है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है कि देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताएं हर तरह से पूरी की जाएं।

गुड़ का निर्यात

829. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गुड़ का राज्य-वार कितना उत्पादन होता है; और

(ख) गुड़ के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए 10,000 मी० टन गुड़ निर्यात हेतु निर्गत किया गया है।

विवरण

गुड़ का राज्यवार अनुमानित उत्पादन (खांडसारी सहित)

(1000 हजार मी० टन)

राज्य	1980 81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85**	1985-86**	1989-87
आंध्र प्रदेश	664	780	647	638	487	420	259
असम	146	174	68	181	233	170	179
बिहार	87	नगण्य	—	88	177	83	नगण्य
हरियाणा	286	320	289	330	308	287	298
कर्नाटक	771	656	739	752	755	606	671
महाराष्ट्र	272	नगण्य	83	546	235	नगण्य	नगण्य
मध्य प्रदेश	74	41	41	117	70	192	120
पंजाब	84	382	413	315	299	294	293
तमिलनाडु	1219	996	690	810	919	1101	1138
उत्तर प्रदेश	4241	4310	4911	4955	4693	4701	4637
अन्य राज्य*	508	391	684	809	806	587	336

*गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, त्रिपुरा, दमन और दीव, मिजोरम और पाण्डिचेरी से संबंधित

**अनुमानित

[स्रोत : इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित भारतीय चीनी वर्ष पुस्तक—1988-89 (भाग-1)]

रेशम उद्योग का विकास

830. श्री मल्लारासु इरा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उद्योग के विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक (आई०बी०आर०डी०) परियोजना के अंतर्गत गुजरात का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु में रेशमी धागे की मांग को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड आर०बी०आर०डी० परियोजना के अन्तर्गत तमिलनाडु को भी शामिल करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी हां, गुजरात और तमिलनाडु दोनों को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना में पहले से ही शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

खाद्यान्नों का निर्यात

831. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 के दौरान खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में निर्यात किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बैंक डकैतियां

832. श्री दाऊ दयाल जोशी :
श्री ललित उराव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक राज्य में पड़ी बैंक डकैतियों की संख्या क्या है तथा इन बैंक डकैतियों में, वर्ष-वार तथा बैंक-वार कितनी धन-राशि लूटी गयी;

(ख) प्रत्येक मामले में जान-माल की कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या इन डकैतियों में मारे गये कर्मचारियों तथा ग्राहकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में मुआवजे की कितनी राशि दी गयी;

(ङ) क्या मृतक कर्मचारियों तथा ग्राहकों के आश्रितों को बैंकों में रोजगार दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 (सितम्बर, 1991 तक) के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैती/लूटपाट के मामलों तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। एक दूसरा विवरण, जिसमें देश में बैंक-वार डकैती/लूटपाट के मामलों तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि के बारे में उसी अवधि के लिए सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ख) से (च) प्रत्येक मामले के ब्यौरे न केवल विशालकाय होंगे अपितु उन्हें एकत्रित करने में जो मेहनत करनी पड़ेगी और जो समय लगेगा वह उसके संभावित परिणामों के अनुरूप

नहीं होगा। तथापि, उक्त अवधि के दौरान डकैती/लूटपाट में मारे गए बैंक कर्मचारियों/ग्राहकों/पुलिस कर्मचारियों की संख्या, प्रत्येक बैंक द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति और बैंक कर्मचारियों/ग्राहकों को दी गई नौकरियां संबंधी बैंक-वार सूचना विवरण-III में दी गई है।

(ङ) और (च) बैंकों के परिसरों में डकैतियों/लूटपाट में संबंधित मृतक बैंक कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति तथा अनुकंपा पर नौकरी के बारे में परिशोधित मार्ग-निर्देश 14-10-1991 को जारी कर दिये गये हैं। उपलब्ध कराए गए रोजगारों की बैंक-वार स्थिति विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989		1990		1991 (सितम्बर, 1991 तक)	
		सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	5	3.32	2	19.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	1	127.50
3.	असम	7	14.86	10	123.19	4	1.12
4.	बिहार	24	36.67	26	71.22	24	35.71
5.	चण्डीगढ़	1	0.00	—	—	—	—
6.	दिल्ली	—	—	1	2.06	2	10.59
7.	गुजरात	5	3.41	3	15.16	2	0.06
8.	हरियाणा	2	1.16	2	7.20	2	1.58
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1.02	—	—	1	0.20
10.	जम्मू व कश्मीर	6	2.99	2	0.08	—	—
11.	कर्नाटक	1	0.93	—	—	—	—
12.	केरल	—	—	1	0.52	—	—
13.	मध्य प्रदेश	—	—	1	0.00	2	4.86
14.	महाराष्ट्र	1	6.05	2	20.00	2	2.07
15.	मेघालय	2	5.28	—	—	—	—
16.	नागालैंड	—	—	2	32.57	—	—
17.	पंजाब	23	36.19	98	398.20	16	62.42
18.	राजस्थान	3	5.36	2	2.88	—	—
19.	उत्तर प्रदेश	9	17.29	3	0.16	7	7.80
20.	पश्चिमी बंगाल	3	3.69	11	17.88	18	28.82
	जोड़	88	134.90	169	694.44	83	301.84

विवरण-II

(लाख रुपए)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1989		1990		1991 (सितम्बर, 91 तक)	
		सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	1	1.00	10	12.24	10	8 87
2.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	1	0.27	—	—
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	6	8.70	3	15.20	1	2.00
4.	बैंक ऑफ इंडिया	5	5.15	7	8.30	9	22.12
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	—	—	—	—	1	1.14
6.	केनरा बैंक	2	14.13	6	3.08	5	13.77
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5	3.41	2	1.43	6	4.19
8.	कारपोरेशन बैंक	—	—	—	—	—	—
9.	देना बैंक	—	—	—	—	—	—
10.	इंडियन बैंक	—	—	2	1·42	1	0.79
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	—	—	4	29.33	1	19.11
12.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	2	0.04	3	0.85	—	—
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1	0.00	5	16.70	2	3.70
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	15	27.03	36	64.47	6	23.62
15.	पंजाब नेशनल बैंक	13	27.88	31	170.08	13	40.69
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	—	—	—	—	—	—
17.	भारतीय स्टेट बैंक	18	30.10	26	184.59	10	135.51
18.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	—	—	—	—	—	—
19.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	—	—	—	—	—	—
20.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	—	—	1	0.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2	2.54	3	3.74	2	7.04
22.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—	—	—	—	2	0.06
23.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	—	—	1	0.52	—	—
24.	सिंडिकेट बैंक	3	2.57	1	32.76	—	—
25.	यूको बैंक	4	2.28	21	125.57	2	1.14
26.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4	2.19	1	0.00	2	0.56
27.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	7	7.88	4	17.84	11	17.53
28.	विजया बैंक	—	—	1	6.05	—	—
	जोड़	88	134.90	169	694.44	84	301.84

विवरण-III

क्रम सं०	बैंक का नाम	मारे गए कर्मचारियों/ ग्राहकों/पुलिस अधिकारियों की सं०	क्षतिपूर्ति की राशि	क्या आश्रितों को रोजगार दिया गया
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	1	वित्तीय क्षतिपूर्ति का भुगतान	निकट संबंधी को रोजगार दिया
2.	बैंक आफ बड़ौदा	1 (निजी एजेंसी गार्ड)	1 लाख रु०	शून्य
3.	बैंक आफ इण्डिया	3	7 लाख रुपए	शून्य
4.	केनरा बैंक	3	प्रत्येक को 1.00 लाख रु०	प्रत्येक मामले में एक व्यक्ति को रोजगार

1	2	3	4	5
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	3	2.50 लाख रु०	कर्मचारी के एक आश्रित और ग्राहकों के एक आश्रित को रोजगार
6.	देना बैंक	2	1.00 लाख रु०	मारे गए कर्मचारी के पुत्र को रोजगार
7.	न्यू बैंक आफ़ इण्डिया	3	1.00 लाख रु०	एक आश्रित को रोजगार
8.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1	1.00 लाख रु०	—
9.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1	1.00 लाख रु०	पुत्र को रोजगार
10.	पंजाब नेशनल बैंक	2	1.00 लाख रु०	एक व्यक्ति को रोजगार
11.	भारतीय स्टेट बैंक	8	प्रत्येक को 1.00 लाख रु०	प्रत्येक मृत कर्मचारी के एक पात्र आश्रित को रोजगार
12.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1	1.00 लाख रु०	एक आश्रित को रोजगार
13.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	11	10.50 लाख रु०	3 आश्रितों को रोजगार । 3 मामलों में रोजगार दिया गया
14.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1	शून्य	पुत्र को रोजगार दिया गया
15.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1	1.00 लाख रु०	विधवा को रोजगार

[अनुवाद]

प्रतिरक्षा उपकरणों का निर्यात

833. श्री मुकुल वासनिक :
श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री साईबल मरांडी :
श्री सुधीर गिरि :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा उपकरणों के निर्यात के प्रबंधन हेतु एक विशेष विभाग बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन से प्रतिरक्षा उपकरणों का निर्यात किए जाने का विचार है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनका कितनी मात्रा में वार्षिक निर्यात किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रक्षा सम्बन्धी निर्यात में घातक और गैर-घातक मदें शामिल हैं जो आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों तथा सिविल क्षेत्र द्वारा निर्मित की जाती हैं।

(घ) रक्षा उत्पादन एजेंसियों के लिए निर्यात लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होने वाले रक्षा सम्बन्धी सामान के निर्यात की मात्रा को अभी बताना सम्भव नहीं है। वर्ष 1991-92 के दौरान रक्षा उत्पादन यूनिटों के लिए निर्यात लक्ष्य (संभावित निर्यात सहित) 104 करोड़ रुपये का है।

उद्यान उत्पादों का निर्यात

834. श्री मुकुल वासनिक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यान-कृषि-उत्पादों के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के दौरान गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल निर्यातों में उद्यान-उत्पाद का प्रतिशत कितना था; और

(ग) उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं। वास्तव में अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान उद्यान उत्पाद के निर्यात पिछले वर्ष के 220.52 करोड़ रु० से बढ़कर 325 करोड़ रु० के हो गए जिससे 47.38 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उद्यान उत्पाद सहित कृषि सम्बन्धी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जैसे विभिन्न विकासात्मक निकायों के माध्यम से बाजार विकास, उत्पाद संवर्धन, गुणवत्ता उन्नयन, पैकेजिंग में सुधार, क्रेता-विक्रेता बैठकों की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, आदि संवर्धनात्मक उपाय कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उद्यान सम्बन्धी चुनिन्दा वस्तुओं को ऊंची एक्जिम स्क्रिप्स भी मंजूर की हैं।

कोटा नीति में संशोधन

835. **श्री आर्ज फर्नान्डीज** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि दिसम्बर, 1991 में घोषित कोटा नीति में संशोधनों को वापस किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व वस्त्र बाजार में मंदी चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका देश के वस्त्र निर्यात व्यापार पर किस किस्म का प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1991 में सरकार ने वर्ष 1992 और 1993 के लिए वस्त्र निर्यात हकदारी वितरण नीति के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया था। ऐसे एक संशोधन में यह निर्धारित किया गया है कि जब एक ही निर्यातक वित्त निष्पादन हकदारी (सी०पी०ई०) और संविदा आरक्षण हकदारी (सी०आर० ई०) और पहले आओ पहले पाओ (एफ०सी०एफ०एस०) योजनाओं के अन्तर्गत निर्यात कर रहा है तो आवेदक द्वारा सी० आई० ई० और एफ० सी० एफ० एस० योजनाओं के अन्तर्गत उद्धृत की गई कीमत और उसके द्वारा पी० पी० ई० योजना के अन्तर्गत उद्धृत की गई कीमत में अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

यह संशोधन इस उद्देश्य से किया गया था जिससे कि सी० आर० ई० और एफ० सी० एस० एस० योजनाओं के अन्तर्गत कृत्रिम रूप से अधिक कीमतें उद्धृत करके तथा वित्त निष्पादन हकदारी योजना के अन्तर्गत उद्धृत कीमतों में समंजन करके कोटे हथियाने की गुंजाइश को कम किया जा सके।

सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने अपने दिनांक 20 दिसंबर, 1991 के पत्र के जरिए संशोधन को वापस लेने का अनुरोध किया था। उसके बाद उनके दिनांक 30 दिसम्बर, 1991 के पत्र के जरिए उन्होंने सरकार को सूचित किया था कि यह प्रस्ताव उनको स्वीकार्य है लेकिन

उनका यह अनुरोध है कि जब से यह संशोधन लागू किया जाना है उसकी तारीख को स्थगित किया जाए ताकि कार्यान्वयन की रूपात्मकताओं को तय किया जा सके।

(ग) और (घ) सरकार का कुछ आयात करने वाले देशों में मन्दी की प्रवृत्तियां होने के बारे में सूचनाएं मिली हैं। तथापि, चालू वर्ष के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा है।

रक्षा क्षेत्र में भारत-अमरीका सहयोग

836. **श्री आर्थर फर्नान्डीज :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री शरत चन्द्र पडनायक :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री अवध कुमार पटेल :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री हरिकिशोर सिंह :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्रीमती (प्रो०) मालिनी भट्टाचार्य :
श्री महेश कनोडिया :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राज्य सैन्य शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या चर्चा के दौरान भारत-संयुक्त राज्य के बीच किसी नये क्षेत्र पर समझौते के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार की नीति है कि मित्र देशों के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग स्थापित किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अतिथि अमेरिकी सेना प्रतिनिधिमण्डल के साथ द्विपक्षीय रक्षा सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत हुई थी जिसमें प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक-दूसरे देश की यात्रायें तथा आपसी महत्व के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

कच्चे रेशम/रेशम के धागे का आयात

837. **श्री अन्नाराजु इरा :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री देवीबक्स सिंह :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घरेलू रेशमी धागे की मांग और पूर्ति में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या कच्चे रेशम और रेशम के धागे का आयात किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनका आयात किन-किन देशों से किए जाने की संभावना है; और

(ङ) कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है और इसे कब तक कार्यरूप दिये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रेशम उपजाने वाले प्रमुख राज्यों के क्षेत्रों में कीट-पालन में पैबरिस रोग के फूट पड़ने के कारण कोसा बाजारों में कोसों की आवकों में गिरावट आ गई जिससे अन्ततः देश में कच्चे रेशम की उपलब्धता के साथ-साथ उसकी कीमतें प्रभावित हुईं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इस रोग के नियन्त्रण के लिए पहले से ही विभिन्न उपाय शुरू किए हैं।

कच्चे रेशम की कीमतों को स्थिर बनाने तथा बुनकरों को उचित कीमतों पर कच्चा रेशम प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा मनोनीत एजेंसियों द्वारा 200 मी० टन कच्चे रेशम का आयात करने की अनुमति प्रदान की है। इन संगठनों को यह छूट दी गई है कि वे किसी भी स्रोत से, जो कि उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होगा, रेशम का आयात कर सकते हैं। तथापि, ऐसी संभावना है कि अधिकांशतः आयात चीन से किए जाएंगे।

संगठन यथासंभव शीघ्र रेशम का आयात करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी का मूल्य

838. श्री अन्बारासु इरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भारतीय कॉफी का मूल्य घटा कर 1951 के विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए "क्रय कर" के कारण राज्य के अनेक कॉफी उत्पादकों को कॉफी की खेती करने से अन्य नकदी फसलें उगाने पर विवश होना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी का मूल्य कृत्रिम रूप से नहीं घटाया गया है। लेकिन, 4 जुलाई, 1989 से अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी करार के अन्तर्गत कॉफी के कोटे बन्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप विश्व बाजार में कॉफी की आपूर्ति बढ़ी और निर्यातक देशों में अधिक उत्पादन होना जारी रहा। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है।

(घ) और (च) सरकार को ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि किसानों का रुझान काफी की खेती के बजाय अन्य नकदी फसलों की ओर हुआ है।

निकाले गए कपड़ा श्रमिकों के लिए कोष

839. **श्री अन्बारासु इरा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण इकाइयों से निकाले गए कपड़ा श्रमिकों के पुनर्वास की दृष्टि से सरकार का विचार कपड़ा श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी निधि योजनाओं के अतिरिक्त एक और कोष की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है और इससे तमिलनाडु के कितने श्रमिक लाभान्वित होंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) संघ सरकार ने कामगारों के लिए, जिनमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एकक के कामगार भी शामिल हैं, के पुनर्वासन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है।

(ख) राष्ट्रीय नवीकरण निधि के प्रचालन के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

[हिन्दी]

कंटीनेन्टल फ्लोर ग्लास प्रोजेक्ट

840. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री भगवान शंकर रावत :
आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना कन्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास प्रोजेक्ट की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया भारतीय औद्योगिक वित्त निगम/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संटीनेंटल फ्लोर ग्लास प्रोजेक्ट का वित्तीय संस्थानों द्वारा पुनर्मूल्यांकन का कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। तथापि, परियोजना को पेश आ रही कुछेक समस्याओं के समाधान के बिना वे आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध करने में असमर्थ हैं।

(ग) अलग-अलग परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का निर्णय वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा लिया जाता है, जिसे वे अपने वाणिज्यिक फैसले के आधार पर लेती है और ऐसे निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिए जाते हैं।

यमुना नदी पर नैनी के निकट पुल का निर्माण

841. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री राजवीर सिंह :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर नैनी के समीप यमुना नदी पर एक नये पुल का निर्माण का प्रस्ताव लम्बे समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) प्रस्तावित पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पड़ता। केन्द्रीय निधियों से पुल का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत, सड़क को उपयुक्त शहरी लिंक के रूप में घोषित करने के लिए, केन्द्र सरकार के साथ एक करार करना होता है। चूंकि परियोजना के लिए प्राक्कलन, ऐसा करार किए जाने के बाद ही मंजूर किया जा सकता है, इसलिए, इस समय निधियों का आवंटन बता पाना सम्भव नहीं है।

बासमती चावल का निर्यात

842. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बासमती चावल तथा धान के मूल्यों में वृद्धि के लिए कई निर्यातक उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन निर्यातकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्यातकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमति प्राप्त कोटा से अधिक कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार ने उनके द्वारा निर्यात किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता और क्या उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से 31 जनवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान 285.41 करोड़ रु० मूल्य का

1,80,594 मी० टन बासमती चावल निर्यात किया गया जबकि वर्ष 1990-91 की इसी अवधि में 214.78 करोड़ रु० मूल्य का 1,83,580 मी० टन बासमती चावल निर्यात किया था। इससे प्रतीत होगा कि कीमतों में वृद्धि के लिए पूर्णतया निर्यात को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(ग) बासमती चावल का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। इसलिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमत कोटे की तुलना में निर्यातकों द्वारा निर्यात की गई मात्रा का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कृषि मदों के सम्बन्ध में, जिनमें निर्यातक विदेशी खरीददार से इस आशय का पक्का पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि विदेशी खरीदार यह नहीं चाहता है कि किसी भी भारतीय सरकारी निरीक्षण अभिकरण से लदान-पूर्व निरीक्षण कराया जाए, तो ऐसे मामले में लदान-पूर्व निरीक्षण की शर्त 30 सितम्बर, 1991 से समाप्त कर दी गई है। ऐसे किसी मामले को छोड़कर, बासमती चावल की क्वालिटी का मूल्यांकन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय/निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा किए जाने वाले निर्यात निरीक्षण के दौरान किया जाता है और निर्यात की अनुमति तब दी जाती है बशर्ते कि उसकी क्वालिटी बासमती चावल के लिए निर्धारित निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हो।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किराए में वृद्धि

843. **श्री राज बब्बर :**
डा० लाल बहादुर राजल :
श्री मुमताज अंसारी :
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :
श्री अवध कुमार पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम के बसों के किराये में वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे सरकार को कितनी अतिरिक्त आय होने की संभावना है;

(घ) सरकार ने यात्रियों को बेहतर बस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) वर्ष 1991 के दौरान कुल कितनी निजी बसों के लिए परमिट जारी किए गए थे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) निवेशों की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण किराए में वृद्धि हो जाने के कारण आवश्यक हो गया था क्योंकि पिछली बार फरवरी, 1986 में किराए संशोधित किए गए थे।

(ग) यह अनुमान है कि संशोधित किराया ढांचे से प्रतिवर्ष लगभग 89 करोड़ रु० की अतिरिक्त आय होगी।

(घ) यात्रियों को बेहतर और तीव्र सेवा सुलभ कराने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने प्रति ट्रिप प्रति यात्री 4 रु० के फ्लैट किराए पर ग्रीन लाइन सेवाएं शुरू की हैं। नियमित साधारण सेवाओं के अतिरिक्त विभिन्न रूटों पर प्रति ट्रिप प्रति व्यक्ति 3 रु० के किराए पर सीमित स्टाप बसें भी उपलब्ध हैं। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जनता से शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें निबटाने से संबंधित कार्य को कारगर बनाया गया है। मुख्यालय में केन्द्रीय शिकायत कक्ष और सभी चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय शिकायत कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। दूरभाषा पर शिकायतें दर्ज करने का प्रावधान भी किया गया है और सभी शिकायत कक्षों के दूरभाष नम्बर निगम की बसों में पेंट किए गए हैं।

(ङ) वर्ष 1991 के दौरान राज्य परिवहन प्राधिकरण ने निजी प्रचालकों को 16 स्टेज कैरिज परमिट जारी किए थे।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ऋण हेतु शर्तें

844. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा सरकार को ऋण देने हेतु क्या शर्तें रखी गई थीं;

(ख) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार ने क्रियान्वयन हेतु पहले ही विचार कर लिया है, तथा जिन पर अभी विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा रखी गयी सभी शर्तों को स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की किन शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) वित्त मंत्री ने 16-12-1991 को सदन में अपने वक्तव्य में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उधार लेने के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया था। वास्तव में, आशय-पत्र और इसके अनुलग्नकों "आर्थिक नीतियों का ज्ञापन" 1991-92 से 1992-93 को भी सभा पटल पर रखा गया था।

अमरीका से सहायता

845. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक सहायता प्रदान करने पर सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में दी गई सहायता की तुलना में वह कितनी अधिक है; और

(ग) अमरीकी सरकार द्वारा सहायता के बारे में उठाए गए मुद्दों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1992 के लिए भारत को अमेरिकी सहायता मामूली-सी अधिक है। अमेरिकी प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 1992 के लिए 995 लाख अमेरिकी डालर की सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

(लाख अमेरिकी डालर)

(ख)	अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1989 (अक्तूबर, 1988-सितम्बर, 1989)	अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1990 (अक्तूबर, 1989-सितम्बर, 1990)	अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1991 (अक्तूबर, 1990-सितम्बर, 1991)	अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1992 (अक्तूबर, 1991-सितंबर, 1992)
विकास सहायता	250.0	224.73	198.0	220.0
पी० एल०-480—	850.0	832.04	716.0	ब्यौरा उपलब्ध नहीं
अंतिम शि० तथा प्रशि* (आई०एस०ई०टी०)	—	02.29	03.0	775.0
जोड़ :	1100.0	1059.06	917.0	995.0

(ग) अमेरिकी सरकार द्वारा कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं उठाया गया। अतः ऐसे मुद्दे को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री शिक्षा तथा प्रशिक्षण।

लघु उद्योग क्षेत्र संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक समिति

846. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र में ऋणता तथा वित्तीय ऋण की समस्याओं का निपटान करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन व विचारार्थ विषय संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां। लघ उद्योग क्षेत्र की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की समीक्षा करने, रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के मार्ग-निर्देशों की समीक्षा करने और दूसरे संबंधित मामलों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति गठित की है।

(क) समिति का गठन और विचारणीय विषय इस प्रकार हैं—

गठन

1. श्री पी० आर० नायक, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक—अध्यक्ष
2. श्री एस० एल० कपूर, सचिव, उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार—सदस्य
3. श्री के० जे० रेड्डी, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), भारत सरकार—सदस्य
4. श्री असीम चटर्जी, सलाहकार (ग्राम लघु उद्योग), योजना आयोग, भारत सरकार—सदस्य
5. श्री वी० महादेवन, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक—सदस्य
6. श्री आर० एस० अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक—सदस्य
7. डा० एस० एल० शेट्टी, प्रभारी अधिकारी, आर्थिक विश्लेषण नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक—सदस्य
8. श्री जगदीश कपूर, मुख्य अधिकारी, आई० ई० सी० डी०, भारतीय रिजर्व बैंक—सदस्य
9. श्रीमती सरिता जे० दास, आयुक्त एवं सचिव, उड़ीसा सरकार—सदस्य
10. श्री ए० डब्ल्यू० भडभ्कर, सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार—सदस्य
11. श्री एन० एन० श्रीनिवास राव, 63, चौथा मेन रोड, गांधी नगर, मद्रास—सदस्य
12. श्री बी० जी० कालंत्री, अध्यक्ष, अखिल भारतीय उत्पादक संगठन, बम्बई—सदस्य
13. श्री एन० दत्ता, अध्यक्ष, भारतीय अतिलघु उद्यम परिसंघ, हावड़ा—सदस्य
14. श्री चक्रधारी अग्रवाल, अध्यक्ष नेशनल एलायंस आफ यंग इन्टरप्रेन्योर, नई दिल्ली—सदस्य
15. श्री एम० एस० पार्थसारथी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग परिसंघ, मद्रास—सदस्य
16. श्री आर० के० जालान, मुख्य अधिकारी, ग्रामीण ऋण आयोजन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई—सदस्य

विचारणीय विषय

1. लघु उद्योग क्षेत्र की कार्यशील पूंजी के लिए संस्थागत ऋण की पर्याप्तता की विशेष रूप से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के संदर्भ में, जांच करने और बड़ी कम्पनियों तथा सरकारी एजेंसियों से बिक्री आय की वसूली में देरी के कारण उपलब्ध संसाधनों में रुकावट।

II. लघु औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में टंडन/चोरे समिति के मानदंडों में किसी प्रकार के संशोधन करने/छूट देने की आवश्यकता की जांच करना।

III. इस बात की जांच करना कि रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों में क्या कोई संशोधन अपेक्षित है।

IV. उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव देना--

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि द्वारा पुनर्वित्त सहायता व्यवस्था सहित लघु उद्योग क्षेत्र को कार्यशील पूंजी देने के लिए संस्थागत ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना।

(ख) लघु औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में टंडन/चोरे समिति के मानदंडों से अपेक्षित संशोधन करना/छूट देना, यदि कोई हो।

(ग) ऐसा तरीका निकालना जिससे बिलों की वसूली में देरी के कारण संशोधनों की कम से कम रुकावट पड़े।

(घ) रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के वर्तमान मार्गनिर्देशों में अपेक्षित परिवर्तन करना, यदि कोई हो।

V. किसी अन्य मामले पर सिफारिशें करना जिसे समिति विषय से सम्बद्ध मानती है।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि समिति 30 जून, 1992 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

नई व्यापार नीति

847. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई व्यापार नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित नई व्यापार नीति किस हद तक वर्तमान नीति से भिन्न होगी; और

(घ) वर्तमान व्यापार नीति कितनी सहायक रही है और नई व्यापार नीति देश के लिए कितनी सहायक होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) नई आयात और निर्यात नीति को 1 अप्रैल, 1992 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस समय इसके ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

दिनांक 4 जुलाई और 13 अगस्त, 1991 को घोषित विद्यमान व्यापार नीति ने व्यापार में वृद्धि करने, आयातों को नियन्त्रित करने तथा व्यापार घाटे को कम करने में योगदान दिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर रांची व गुमला खंड की मरम्मत

848. **श्री ललित उरांव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची व गुमला के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-23 यातायात के योग्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो राजमार्ग के इस भाग की मरम्मत व विकास के लिए धनराशि का नियतन करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) रांची और गुमला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-23 सामान्यतया यातायात योग्य स्थिति में है। वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान इस खंड के सामान्य रख-रखाव हेतु अनुदान के अतिरिक्त बाढ़ क्षति/विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 12.005 लाख रु० और सुधार कार्यों के लिए 511.80 लाख रु० की राशि मंजूर की गई।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों के कार्यकलाप

849. **श्री पवन कुमार बंसल** :
श्री प्रताप राव बी० भोंसले :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विदेशी कम्पनियों के कार्यकलाप पर बने कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप कितने अतिरिक्त पूंजी निवेश तथा रोजगार उत्पादन की आशा की जा सकती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्धों में निम्नानुसार ढील दी गई है—

1. भारत में निवासी व्यक्तियों से जमाराशियों को स्वीकार करना या धन उधार लेना।
2. भारत में एजेंट अथवा तकनीकी या प्रबंध सलाहकार के रूप में किसी व्यक्ति या कम्पनी की नियुक्ति स्वीकार करना।
3. प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति या कम्पनियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उनके ट्रेडमार्क की अनुमति देना।

4. व्यापार, वाणिज्यिक या औद्योगिक स्वरूप की किसी गतिविधि को भारत में जारी रखना।

5. किसी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग अथवा ऐसी किसी कम्पनी के शेयरों की खरीद करने वाले किसी उपक्रम को भारत में अधिग्रहीत करना।

6. भारत मे किसी अचल संपत्ति को बिक्री, गिरवी, लीज, उपहार, निपटान या अन्य किसी प्रकार से अधिग्रहीत करना, स्वामित्व में लेना, हस्तांतरण या निपटान करना।

(ग) इन शिथिलताओं के कारण अतिरिक्त निवेश और रोजगार उत्पादन के सम्बन्ध में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

परिसीमन आयोग

850. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री वसुदेव आचार्य :
स्वामी सुरेशानन्द :
श्री काशीराम राणा :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री के० प्रधानी :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सभा और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन के लिए एक नए परिसीमन आयोग की स्थापना का निर्णय किया है;

(ख) क्या आयोग द्वारा आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के आवर्तन पर विचार भी किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह आयोग अपना कार्य कब तक प्रारम्भ कर देगा ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) संविधान के उपबंधों के अनुसार तब तक कोई परिसीमन नहीं किया जा सकता जब तक वर्ष 2000 के पश्चात् की जाने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था जो यह उपबंध करने के लिए है कि निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों की कुल संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े। संविधान (संशोधन) विधेयक संसद् द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् ही आगे कार्रवाई की जा सकती है।

हथकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना

851. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पारम्परिक जुलाहों को भूमि/शेड तथा आसान किश्तों पर कुछ ऋण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां, हथकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के वर्तमान हथकरघा योजनाओं के साथ-साथ कई नई योजनाएं आरंभ की हैं।

(ख) हथकरघा उद्योग के समूचे विकास के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित विकासात्मक योजनाएं तैयार की हैं—

(क) हथकरघा बुनकरों के लिए "प्रोजेक्ट पैकेज योजना"।

(ख) एकीकृत हथकरघा ग्रामीण विकास।

(ग) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी हेतु योजना।

(घ) हथकरघा बुनकरों के लिए संशोधित कार्यशाला-सह-आवास योजना।

(ङ) हथकरघा बुनकरों के लिए संशोधित ग्रिफ्ट फंड योजना।

(ग) और (घ) जी हां। भारत सरकार कार्यशाला-सह-आवास योजना नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित करती रही है जिसमें कार्यशाला-सह-आवास के निर्माण के लिए केन्द्रीय सब्सिडी दी जाती है। चालू वर्ष से लागू की गई संशोधित योजना के अनुसार इकाई मूल्य में बढ़ोतरी की गई है और विद्युतीकरण तथा भूमि मूल्य के प्रावधान को भी इकाई मूल्य में शामिल किया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों की मांगें

852. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की लम्बे समय से लम्बित निम्नलिखित मांगों पर नये सिरे से विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों को अधिक-से-अधिक सुविधायें प्रदान की जाएं। तदनुसार भूतपूर्व सैनिकों की बहुत-सी

आगे समय-समय पर पूरी की गई हैं। सरकार ने सितम्बर, 1991 में, विभिन्न रैंकों के रक्षा सेवा पेंशनरों के मौजूदा पेंशन ढांचे तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों की पुनरीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति के सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

सशस्त्र सेनाओं के पेंशनर, जो सुविधाएं/छूट/कल्याण उपायों का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, वे काफी व्यापक हैं। सशस्त्र सेना पेंशनरों को दी गई सुविधाओं/रियायतों में से कुछ मुख्य सुविधाएं/रियायतें इस प्रकार हैं—

(क) केन्द्रीय सरकार के विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए चलाई जाने वाली किसी भी प्रशिक्षण योजना का लाभ उठाने की पात्रता।

(ग) विभिन्न योजनाओं, जिनमें प्रमुख हैं—सेमफैक्स-1, सेमफैक्स-2, सेमफैक्स-3, के अन्तर्गत स्व-रोजगार शुरू करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को लाभ उठाने की पात्रता। इसके अतिरिक्त पैट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का आवंटन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एजेंसी का आवंटन, कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए एजेंसियां दिया जाना आदि जैसी कुछ योजनाओं और भी हैं जिनका सशस्त्र सेनाओं के पेंशनर लाभ उठा सकते हैं।

(घ) सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं।

(ङ) कैन्टीन सुविधाएं।

(च) जरूरत पड़ने पर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सेना मुख्यालय और अन्य संगठनों से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता।

(छ) सैन्य कार्रवाई में निशक्त हुए पेंशनरों के बच्चों को उनकी पढ़ाई के दौरान रियायतें दी जाती हैं जैसे प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक शिक्षा शुल्क, अन्य शुल्क और छात्रावास प्रभार नहीं लिए जाते। इसके साथ ही उन्हें पुस्तकें, अन्य लेखन सामग्री और वर्दी भी निःशुल्क दी जाती है।

(ज) निशक्त/युद्ध घायल पेंशनरों को लगाए जाने वाले कृत्रिम अंग और उनकी शल्य-क्रिया के काम में आने वाले उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान।

(झ) जो पेंशनर सैन्य सेवा के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं उन्हें 50 रु० प्रतिमाह की विशेष पेंशन।

(ट) युद्ध घायल पेन्शनरों को उचित मामलों में सतत परिचर्या भत्ता, चाहे उनका रैंक कुछ भी हो।

(ठ) इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी बहुत-सी अन्य कल्याण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जिनका सशस्त्र सेनाओं के पेंशनर लाभ प्राप्त कर सकते हैं । हालांकि दिए जाने वाले लाभ अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं ।

अफीम के उत्पादन पर नियंत्रण

853. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अफीम के उत्पादन तथा हेरोइन में बदलने में प्रयुक्त पुरोवर्ती रसायनों के विक्रय पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारत में वैध अफीम का उत्पादन केन्द्रीय सरकार के कड़े लाइसेंसिंग नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन विनियमित होता है । नियंत्रण की इस विस्तृत पद्धति में प्रत्येक प्लॉट का शत-प्रतिशत माप करने, परीक्षण मापन, फसल की स्थिति पर बराबर निगरानी रखने, उपज का दैनिक रूप से माप-तौल करने तथा प्रवर्तन कार्य में तेजी लाने और जोताई-बुआई करने, नश्तर लगाने तथा अफीम संग्रह करने के दौरान चौकसी रखने के कार्य शामिल होते हैं। पोस्त उगाने की खेती वाले क्षेत्रों में तथा उसके आसपास और अधिक कड़ाई से प्रवर्तन लागू करने के लिए उदयपुर, कानपुर और देहरादून में तीन नए निवारक कक्ष स्थापित किए गए हैं जो पर्याप्त वाहनों और संचार नेटवर्क से पूर्णत: सज्जित हैं ।

एसिटिक एनहाइड्राइड के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जो अफीम को हेरोइन में परिवर्तित करने में प्रयुक्त किया जाने वाला एक अनिवार्य प्रारम्भिक रसायन है। इसके अवैध निर्यात को रोकने के लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड को भी सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है ताकि भारत-पाक और भारत-बर्मा सीमाओं के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इसके लाने-ले जाने पर विशेष नियंत्रण रखा जा सके ।

आन्ध्र प्रदेश में बैंक शाखाओं का क्षतिग्रस्त किया जाना

854. **प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेश्वरलू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1991 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं को क्षतिग्रस्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) शाखा-वार कितनी अनुमानित हानि हुई; और

(घ) भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1991 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 28 शाखाओं पर आक्रमण

किए जाने/जलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। शाखा-वार नुकसान और अनुमानित हानि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक/बैंकों ने निम्नलिखित निरोधात्मक उपाय किए हैं—

(i) असुरक्षित शाखाओं में नकदी रखने में कटौती करना;

(ii) दैनिक रिकार्डों की दोहरी प्रतिलिपि रखना और उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजना;

(iii) गिरवी रखे गए सोने/बहुमूल्य वस्तुओं को क्षेत्रीय कार्यालयों/अधिक सुरक्षित शाखाओं को भेजना;

(iv) कार्य घंटों के पश्चात् चाबियों का एक सैट पुलिस स्टेशन में रखा जाना।

(v) संयुक्त कस्टोडियन से कहा गया है कि वह मुख्यालय से दूर रहें; और

(vi) शाखाओं में कारगर अलार्म प्रणाली लगाना।

विवरण

बैंक का नाम	शाखा का नाम	घटना की तारीख	घटना की प्रकृति/ हुआ नुकसान	अनुमानित हानि
1	2	3	4	5
आन्ध्र बैंक	1. अकुपल्ली जिला श्रीकाकुलम	13/14 अप्रैल, 1991	पुराना रिकार्ड, लेखन सामग्री, फर्नीचर और बहुमूल्य दस्तावेज जल गए	रु० 50,000 लगभग
	2. रतनापुर, जिला करीमनगर	25 मार्च, 1991	फर्नीचर और स्थावर वस्तु नष्ट हो गई	रु० 35,000 से रु० 40,000- लगभग
	3. नरसिंहपुर जिला करीमनगर	17/18 सितम्बर, 1991	रिकार्ड और फर्नीचर नष्ट हो गया	नगद हानि नहीं हुई
	4. चल्लूर, जिला करीमनगर	3 दिसम्बर, 1991	शाखा प्रबंधक का अपहरण किया गया और छोड़ दिया गया	नगद हानि नहीं हुई
	5. मालगापुड़ी जिला पूर्वी गोदावरी	25 नवम्बर, 1991	10 एस० बी० लेजर और फर्नीचर जल गया	नगद हानि नहीं हुई

1	2	3	4	5
	6. बेगमपेठ जिला करीमनगर	6/7 दिसम्बर, 1991	रिकार्ड और दस्तावेज जल गए	नगद हानि नहीं हुई
कारपोरेशन बैंक	7. नीरकुला, जिला वारंगल	7/8 अगस्त, 1991	केवल फर्नीचर का कुछ भाग ही क्षति-ग्रस्त हुआ	नगद हानि नहीं हुई
	8. मल्लावरम, जिला ईस्ट गोदावरी	26/27 नवम्बर, 1991	फर्नीचर, लकड़ी का काउंटर और लेखन सामग्री जली	नगद हानि नहीं हुई
भारतीय स्टेट बैंक	9. कोतारमकुर, जिला वारंगल	23 अप्रैल, 1991	लेखन सामग्री, फर्नीचर और रिकार्ड जला	—तदैव—
	10. पुडिमडका, जिला विशाखापत्तनम	9 जून, 1991	बैंक की संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई	नगद हानि नहीं हुई
	11. कल्वाकुर्ती, जिला महबूबनगर	7 जून, 1991	बैंक की संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई	नगद हानि नहीं हुई
	12. निजामपटनम, जिला गुन्टूर	6 मई, 1991	बैंक की संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई	नगद हानि नहीं हुई
	13. ए० डी० बी० बनाकर्ती जिला महबूब-नगर	5 जुलाई, 1991	कुछ वस्तुएं गायब हैं	नगद हानि नहीं हुई
	14. ए० पी० रायंस कमालपुरम जिला वारंगल	21 अक्तूबर, 1991	बैंक की संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई	नगद हानि नहीं हुई
	15. रायपेठ जिला वेस्ट गोदावरी	9/10 नवम्बर, 1991	ग्रिल और रोकड़ कक्ष के दरवाजों को क्षति पहुंची	नगद हानि नहीं हुई
पंजाब नेशनल बैंक	16. बी० ओ० चेनूर, जिला वारंगल	6 अगस्त, 1991	परिसर/दरवाजे और दस्तावेज नष्ट हुए	नगद हानि नहीं हुई

1	2	3	4	5
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	17. तंद्रियल जिला करीमनगर	13 सितम्बर, 1991	फर्नीचर, लेखन सामग्री और रिकार्ड जले	59,000 रु० की अनुमानित हानि (लगभग)
	18. गुंडाला, जिला नालगोंडा	19 सितम्बर, 1991	बैंक की संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई	नगद हानि नहीं हुई
	19. भीमराम जयपुर मंडल जिला आदिलाबाद	11 दिसम्बर, 1991	बैंक की संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई	नगद हानि नहीं हुई
इंडियन बैंक	20. पैडीमंडुगू जिला करीमनगर	4 अगस्त, 1991	शाखा जलाई	50,000 रु० की लगभग हानि
सिंडिकेट बैंक	21. बेमपेठ जिला करीमनगर	13 सितम्बर, 1991	शाखा जलाई	उपलब्ध नहीं
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	22. कलाविकुंडु, जिला मेडक	4 मार्च, 1991	शाखा जलाई	50,000 रु० की अनुमानित हानि
आन्ध्रा बैंक	23. गोंटी जिला मेडक	4 मार्च, 1991	विस्फोट से क्षति हुई	उपलब्ध नहीं
बैंक आफ बड़ौदा	24. जफ्फरगढ़	1 अगस्त, 1991	—तदैव—	उ० न०
पंजाब नेशनल बैंक	25. बेपल्ला	5 जनवरी, 1991	उ० न०	उ० न०
आन्ध्रा बैंक	26. जटप्रोल पदमकर जिला महबूबनगर	24 अप्रैल, 1991	जलने से क्षति हुई	उ० न०

1	2	3	4	5
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	27. मुतीमपेठ आदिलाबाद जिला	14/15 मई, 1991	फर्नीचर और लेखन सामग्री जल गई	6960 रु० की अनुमानित हानि
	28. रमई आदिलाबाद जिला	24 अगस्त, 1991	लेखन सामग्री और जड़ वस्तु	अनुमानित हानि 75,000 रु० (लगभग)

दल-बदल विरोधी कानून

855. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री अवध कुमार पटेल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों की अनर्हता की हाल ही घटनाओं से दल-बदल विरोधी कानून की खामियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कानून में आवश्यक संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) संविधान की दसवीं अनुसूची में कोई विधिक कमी सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रभाव जिसमें उसने दसवीं अनुसूची की, उसके पैरा सात के सिवाय विधिमान्यता को कायम रखा है और अपने निर्णय में उनके संप्रेक्षण और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में व्यक्त की गई राय की समीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है।

अर्कोनिम में नौसैनिक हवाई अड्डा

856. श्री आर० जीवरत्नम : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्कोनिम नौसैनिक हवाई अड्डे की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस निर्माण कार्य के लिए निर्धारित अवधि क्या है; और

(ग) इस अड्डे पर प्रस्तावित प्रशिक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री

(श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अरकोणम में स्थित नौसेना वायु स्टेशन में स्थापित की जाने वाली संक्रियात्मक तथा प्रशासकीय सुविधायें करीब-करीब पूर्ण होने वाली हैं और यह कार्यक्रम है कि उक्त नौसेना वायु स्टेशन शीघ्र ही कार्य करना शुरू करेगा।

(ग) नौसेना वायु स्टेशन अरकोणम की स्थापना की स्वीकृति नौसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई है। इस प्रकार इस स्तर पर वहां प्रशिक्षण सुविधायें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडु में सहकारी सूती धागा मिलें

857. श्री आर० जीवरत्नम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सहकारी सूती धागा मिलों की संख्या क्या है;

(ख) इन मिलों की मिलवार, वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) घाटे पर चल रही इन मिलों से कितने श्रमिकों की छंटनी की गई; और

(घ) इन श्रमिकों को रोजगार/मुआवजा देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति अनुसार तमिलनाडु में 19 सहकारी कताई यानें मिलें हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 3 मिलों को घाटा उठाना पड़ा। तथापि, इन मिलों में छंटनी किए गए कामगारों की संख्या ज्ञात नहीं है।

(घ) सरकार की कामगारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। फिर भी, मिलों के बन्द हो जाने से प्रभावित कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की वस्त्र कामगार पुनर्वासन योजना विद्यमान है ताकि वे वैकल्पिक रोजगार ढूंढ सकें।

विवरण

(31-3-1990 की स्थिति के अनुसार)

मिल का नाम	उत्पादन का बिक्री मूल्य (लाख रु०)	निवल लाभ/हानि (लाख रु०)
1	2	3
अनाकोपेरिटिव स्पि० मिल	929.07	58.34
भारती को० स्पि० मिल	645.52	19.85
धर्मपुरी को० स्पि० मिल	813.91	26.70
काचीपुरम को० स्पि० मिल	719.56	9.02

1	2	3
कन्याकुमारी को० स्पि० मिल	1050.81	73.21
मधुरे को० स्पि० मिल	926.70	35.33
नार्थ अरकोट को० स्पि० मिल	742.03	(—)11.36
पेरीयार को० स्पि० मिल	962.35	89.29
पुडुकोटाइ को० स्पि० मिल	726.91	5.74
रमन्थापुरम को० स्पि० मिल	388.73	(—) 18.13
सेलम को० स्पि० मिल	1849.21	103.95
साउथ अरकोट को० स्पि० मिल	546.70	(—)41.72
साउथ इंडिया (ए० एन० बी० (को० स्पि० मिल (इसमें दो एककों की स्थिति दी हुई है)	2003.98	136.74
श्रीविलीपुत्तुर को० स्पि० मिल	756.65	7.24
पुतंजावोर को० स्पि० मिल	767.71	22.24
तिरुचन्दुर को० स्पि० मिल	920.57	75.09
तिरुचलापल्ली को० स्पि० मिल	973.86	54.76

नोट :(—)घाटे दर्शाता है ।

[हिन्दी]

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में कथित अनियमितताएं/धोखाधड़ी

858. **श्री पीयूष तीरकी :**

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री वी० चोक्का राव :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा 31 दिसम्बर, 1991 तक करोड़ों रुपयों की अनियमितताओं/धोखाधड़ियों के कथित मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शाखा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बैंक कर्मचारियों का भी इन मामलों में हाथ होना पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो शाखावार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(च) यदि हां, तो शाखावार इस बारे में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं/धोखाधड़ियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन से प्रभावी उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1989 में बम्बई (फोर्ट डी० एन० रोड) स्थित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखा में धोखाधड़ी के एक मामले में 168.59 लाख रुपये अन्तर्ग्रस्त होने की सूचना दी थी। एक कम्पनी ने कथित रूप से अन्य एककों में निधियों को लगाकर, अन्य बैंकों में खाते खोलकर निधियों के आहरण द्वारा बैंक के पास दृष्टिबंधक रखे माल में कमी/निकालकर और बैंक के पास बंधक परिसरों को किराये पर देकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी। इस समय बकाया राशि 145.07 लाख रुपये है। दिसम्बर, 1991 में बैंक ने अपनी बम्बई (जावेरी बाजार) की शाखा में ग्यारह फर्मों के खातों में 554.16 लाख रुपये के एक अन्य धोखाधड़ी का मामला सूचित किया था। यह धोखाधड़ी चैकों का दुरुपयोग (काइट फ्लाईंग) किए जाने और बैंक कर्मचारियों द्वारा विवेकाधिकारों का अतिक्रमण किए जाने के कारण हुई है। बैंक ने साख-पत्रों के तहत 325.00 लाख रुपये की देनदारी अस्वीकार कर दी है। बैंक ने अपनी धनराशि की वसूली के भी उपाय किये हैं।

(ग) से (च) डी० एन० रोड शाखा के पहले मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक कर्मचारियों का शामिल होना नहीं पाया है। जावेरी बाजार शाखा के दूसरे मामले में तीन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शिकायत भी दर्ज करा दी गई है।

(छ) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों ने धोखाधड़ियों को रोकने और तुरन्त पता लगाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(i) बैंकों द्वारा निरीक्षणों, लेखा-परीक्षा और आवधिक रिटर्नों के माध्यम से नियन्त्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाना;

(ii) निरन्तरता के आधार पर बहियों के मिलान में बकाया को समाप्त करना और अन्तर-शाखा लेखों का समाधान करना;

(iii) अन्य बैंकों से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करना;

(iv) धोखाधड़ियों के बड़े मामलों में जांच और संवीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष का सृजन करना;

(v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण मामलों पर बैंक के मुख्य कार्यकारियों को चेतावनी नोटिस परिचालित करना;

(vi) परिचालनात्मक कार्मिकों का उचित प्रशिक्षण;

(vii) भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए बैंकों द्वारा भरसक रूप से कार्रवाई करना; और

(viii) निदेशक समिति और बैंकों के निदेशक मण्डलों द्वारा सतर्कता सम्बन्धी मामलों की समीक्षा करना।

[अनुवाद]

बेहतर सड़कों के लिये राज्यों को सहायता

859. श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्रीमती महेश कुमारी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़कों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक सहायता देने का है जैसा कि 30 दिसम्बर, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। पेट्रोल पर उपकर बढ़ाने और डीजल को इसके अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रयोजन से संसद ने 13-5-88 को केन्द्रीय सड़क निधि पर एक संशोधित संकल्प पारित किया था, जिसके अन्तर्गत सड़क विकास के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन मिल सकेगा। यद्यपि, इस निधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है। अतः अभी से यह कहना सम्भव नहीं है कि इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा।

जाफरी की वापसी

860. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :
श्री भाग्ये गोवर्धन :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में जाफरी की वापसी से सम्बन्धित चोरा-घड़ी के तथाकथित मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी राशि की हानि हुई है;

(ग) क्या कुछ सरकारी/भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी इस मामले में शामिल पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके विरुद्ध और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ियां रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) जनवरी, 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक तथा आयकर विभाग की जानकारी में आयकर की राशि की वापसी से सम्बन्धित धोखाधड़ी का एक मामला आया है। आयकर विभाग द्वारा की गई एक जांच-पड़ताल से यह पता चला कि वापसी के वाउचर की कुछ किताबें गुम थीं। पुलिस के पास एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

अब तक की गई जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि लगभग 6 लाख रु० की राशि की वापसी को धोखाधड़ी से भुनाया गया है।

पुलिस ने भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कर्मचारी तथा आयकर विभाग के एक कर्मचारी सहित कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आयकर विभाग के कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

अभी हाल ही में दिसम्बर, 1991 में ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनमें राशि की वापसी की आदेश पुस्तिकाओं की अभिरक्षा तथा हिफाजत पर बल दिया गया है, ताकि वापस की जाने वाली राशि को भुनाने में धोखाधड़ी की रोकथाम की जा सके।

कपास का आयात

861. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खुली सामान्य लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कई लाख कपास गांठों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा इन गांठों का आयात किया जायेगा;

(ग) इन गांठों का आयात करने के क्या कारण हैं;

(घ) इन गांठों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की सम्भावना है; और

(ङ) देश में घरेलू खपत तथा विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से निर्यात हेतु कपास का अधिक उत्पादन करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

(ङ) कपास उपजाने वाले 11 राज्यों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित गहन विकास कार्यक्रम कियान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत नाशी जीव के प्रबन्धन, किसानों के प्रशिक्षण हेतु, कार्यक्रम आदि के लिये सहायता प्रदान की जा रही है।

पाकिस्तानी नौसैनिक सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठ

862. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तानी नौसैनिक सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी ने कच्छ जिले में जखाऊ पत्तन के भारतीय जल सीमा में घुसपैठ की;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेन्सी द्वारा 27 जनवरी, 1992 को भारतीय मछुआरों की कथित रूप से परेशान करने की एक घटना की रिपोर्ट कुछ मछुआरों द्वारा कमान अधिकारी, तटरक्षक स्टेशन, ओखा की दी गई थी। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेन्सी ने 5 भारतीय मछली नौकाओं को लूटा तथा उनकी पकड़ी हुई मछली, मछली गीयर तथा ईंधन को भी छीन लिया जिसकी अनुमानित लागत 6 लाख रुपए बताई गई है। मछुआरे कथित घटना के सही स्थान को नहीं बता पाए।

(ग) तटरक्षक पोत और वायुयान भारतीय समुद्री अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा-रेखा के भारतीय समुद्री क्षेत्र में लगातार गश्त लगाते रहते हैं और पूरी चौकसी रखते हैं।

वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत कुछ विभागों को बन्द करना

863. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन कुछ विभागों को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, नहीं।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नई सेवा शुरू करना

864. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री मुमताज अन्सारी :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री पी० एम० सईद :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के अन्तर्गत चलायी जा रही "ग्रीन लाइन" और "लिमिटेड" स्टाप की बसों के मार्गों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) उन नये मार्गों का ब्यौरा क्या है, जिन पर इन बसों को चलाये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या हाल ही में बड़ी संख्या में सामान्य बसों के स्थान पर इन बसों को चलाये जाने के कारण लोगों को प्रति यात्रा पर अधिक भुगतान करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पुरानी बसों का उपयोग कैसे किया जा रहा है; और

(ङ) सरकार ने विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले समय के दौरान सामान्य बसों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम 68 ग्रीन लाइन रूटों और 2432 सीमित स्टाप ट्रिपों का प्रचालन करता है।

(ख) भविष्य में शुरू किए जाने वाले रूटों का आकलन यात्रियों की मांग तथा बसों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

(ग) और (घ) गत छः महीनों के दौरान केवल 359 सामान्य ट्रिपों को सीमित स्टाप सेवाओं में परिवर्तित किया गया है तथा 134 ग्रीन लाइन बसें लगाई गई हैं। सामान्य किराया देने वाले व्यक्तियों के लिए इन रूटों पर सामान्य नियमित सेवा भी उपलब्ध है। हटाई गई सभी पुरानी बसों को स्क्रैप किया जाता है।

(ङ) संसाधनों के अभाव के कारण दिल्ली परिवहन निगम योजनागत निधियों का उपयोग अपनी पुरानी बसों को आंशिक तौर पर बदलने के लिए ही उपयोग कर सकता है इसलिए बेड़े में कोई वृद्धि नहीं होगी।

तथापि दिल्ली प्रशासन ने यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए निजी प्रचालकों को 3000 स्टेज कैरिज परमिट देने के लिए एक स्कीम को अन्तिम रूप दे दिया है।

[हिन्दी]

काले धन को सफेद धन में बदलना

865. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राकेश कुमार :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1991 के "जनसत्ता" में "स्टेट बैंक की मदद से 25 करोड़ का काला धन सफेद किया गया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस घोटाले में कुछ सीमा शुल्क अधिकारी भी शामिल थे और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दोषी व्यवसायियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) समाचारों में लगाए गए आरोपों की जांच-पड़ताल की जा रही है और जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। जांच-पड़ताल पूरी होने पर उपलब्धियो का ब्यौरा और उस पर की गई कार्रवाई सदन पटल पर रख दी जाएगी।

डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के अधिकारियों से बरामद विदेशी मुद्रा

866. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राकेश कुमार :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के कुछ अधिकारियों के आवासों पर हाल ही में मारे गये छापों के दौरान कुछ विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का तथा बरामद की गई मुद्राओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा श्री आर० सी० सेठी, महाप्रबन्धक (अब सेवा मुक्त) रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के आवास पर दिनांक 23-8-91 को मारे गए छापों के दौरान 264 अमरीकी डालर, 35/-स्ट० पौण्ड 3 टी० सी० आफ० 50/-प्रति पौण्ड, 150 आस्ट्रेलियाई डालर, 60/-डच मार्क, 11/-डी० जी० एल०, 500/बेल्जि० फ्रैंक, 5/-संयुक्त अरब अमी रात के दराम, 1/-सिंगापुर डालर, 500/-इटैलियन लीरा, 5/-रु० पाकिस्तानी, 5/-कुवैती दिनार (कुल लगभग 20,000/-रु० के समतुल्य) की विदेशी मुद्रा जो कि बताया गया कि पहले के विदेशी दौरों से बची है, जब्त की गई थी।

श्री आर० सी० सेठी० के विरुद्ध उनके द्वारा प्राधिकृत डीलर को विदेशी मुद्रा न दे पाने के कारण फेरा "73 के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन की कार्रवाइयां" प्रारम्भ की गई हैं।

विधि आयोग की रिपोर्टें

867. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राकेश कुमार :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग ने अब तक न्यायपालिका के सम्बन्ध में कितनी रिपोर्टें दी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ रिपोर्टों को कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) विधि आयोग ने न्यायपालिका के सम्बन्ध में अब तक 27 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। 27 रिपोर्टों में से 11 रिपोर्टों को कार्यान्वित किया गया है। शेष रिपोर्टों पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रक्रमों पर विचार किया जा रहा है।

संवर्ग समिति की रिपोर्ट

868. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राकेश कुमार :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इ० एम० ई० कार्यशालाओं के औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए गठित संवर्ग समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने विभिन्न विभागों/स्कंधों द्वारा संवर्ग-पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच की जानी होती है। इस पर कार्रवाई की जा रही है।

निजी बस मालिकों को एस०टी०ए० परमिट

869. **श्री बी०एस० शर्मा "प्रेम"** :
डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री बारे लाल जाटव :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** 22 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 367 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेज कैरियेज परमिट स्कीम के अंतर्गत एस०टी०ए० परमिटों के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे परमिट देने हेतु आवेदन पत्रों को चुनने के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाये जाने की संभावना है;

(ग) इन बसों को किन-किन मार्गों पर चलाये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को कब से कार्यान्वित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को 10377 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि यदि पात्र आवेदकों की संख्या विभिन्न श्रेणियो/रूटों के लिये निर्धारित परमिटों की संख्या से अधिक होगी तो परमिट प्रदान करने के लिये आवेदकों का चयन लाटरी निकाल कर किया जाएगा।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि परमिट प्रदान करने के लिये आवेदकों की जांच और चयन करने कार्य में लगभग 4 महीने लग जाएंगे।

विवरण

क्र० सं०	रूट
1.	गांधी विहार—कश्मीरी गेट/गुरुतेग बहादुर नगर बाया मुखर्जी नगर, राजपुर रोड

(1)

क्र० सं०	रूट

2. इन्दिरापुरी (लोनी रोड)—शाहदरा वाया लोनी रोड, ज्योति नगर (6)

3. अशोक विहार फेस II—प्रगति मैदान वाया बर्फखाना, लाल किला, आई०टी०ओ० (2)

4. डब्ल्यू०पी० नगर - मुखर्जी नगर, बांध वाया डी०बी० गुप्ता मार्किट, बर्फखाना, एस० टी०ए० (2)

5. आनंद पर्वत—एच०आर० हस्पताल वाया पहाड़गंज, बारह टूटी, बर्फखाना (4)

6. कल्याण विहार/राणा प्रताप बाग—के०ट० वाया बर्फखाना, पहाड़गंज, जन्तर-मन्तर (10)

7. कल्याण विहार/राणा प्रताप बाग—जामा मसजिद वाया मल्का गंज, तीज हजारी, मोरी गेट (4)

8. सावन पार्क—रेलवे स्टेशन वाया मल्का गंज, मोरी गेट (2)

9. अशोक विहार फेस-II रेलवे स्टेशन वाया भारत नगर, क्रासिंग, बर्फखाना, मोरी गेट (1)

10. सावन पार्क—केन्द्रीय ट० वाया मल्का गंज, सदर थाना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (2)

11. शालीमार बाग—पालिका केन्द्र वाया शास्त्री नगर, गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, मन्दिर मार्ग, केन्द्रीय टर्मिनल (4)

12. आदर्श नगर शिवाजी स्टेडियम वाया घंटाघर, बर्फखाना, पहाड़गंज (2)

13. बी०एस०डी० चौक—केन्द्रीय ट० वाया लाल किला, राउज एवेन्यू, कनाट सर्कस (2)

14. सेवा नगर रेलवे क्रासिंग—बी०एम०डी० चौक वाया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शाहजहां रोड, लाल किला (2)

15. आनंद पर्वत—लाल किला वाया पहाड़गंज, दिल्ली गेट (2)

16. जामा मसजिद—एच० आर० हस्पताल वाया दिल्ली गेट, पहाड़गंज, बर्फखाना (4)

17. झील—मजनपुरा वाया शाहदरा, जी०टी०बी० हस्पताल, यमुना विहार (2)

18. जी०टी०बी० नगर—सेवा नगर, रेलवे क्रासिंग वाया तिमारपुर, लाल किला, शाहजहां रोड (4)

19. मंडोली—शाहदरा, नंद नगरी, लोनी रोड (1)

20. राजेन्द्र नगर—मोरी गेट (ट०) वाया ए०एस० रोड, शिवाजी स्टेडियम, मंडी हाउस, आई०टी०ओ० (4)

क्र० सं०	रूट

21. बाई०पी० नगर—बी०एम०डी० चौक बाया पूसा रोड, शिवाजी स्टेडियम, मंडी हाउस, आई०टी०ओ० (5)

22. शास्त्री नगर—नंद नगरी ट० बाया चन्द्र नगर, सीमापुरी, जी०टी०बी० हस्पताल (1)

23. कन्हैया नगर—प्रगति मैदान बाया आनंद पर्वत, पहाड़ गंज, दिल्ली गेट, आई०टी०ओ० (5)

24. सेवा नगर रेलवे क्रासिंग—लक्ष्मी नारायण मंदिर बाया शाहजहां रोड, कृषि भवन, शिवाजी स्टेडियम (1)

25. त्यागराज नगर—कमला मार्किट बाया कनाट सर्कस, शाहजहां रोड (1)

26. सेवा नगर रेलवे क्रासिंग—आनंद पर्वत बाया शाहजहां रोड, कनाट प्लेस, करोल बाग (5)

27. डब्ल्यू०पी० नगर—जे०एल०एन० स्टेडियम बाया आनंद पर्वत, पहाड़ गंज, कनाट प्लेस, शाहजहां रोड (2)

28. सेवा नगर रेलवे क्रासिंग—इन्द्रपुरी बाया शाहजहां रोड, कृषि भवन, शंकर रोड (1)

29. एस०एस० डिपो—रेलवे स्टेशन बाया स०ज० एयरपोर्ट, जनपथ, दिल्ली गेट, लाल किला (4)

30. एस०एन० डिपो—मोरी गेट टर्मिनल बाया एस०जे० एयरपोर्ट, शाहजहां रोड, दिल्ली गेट (4)

31. बसंत विहार—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बाया मोहम्मदपुर, लोधी कालोनी, शाहजहां रोड, कनाट सर्कस (4)

32. आर०के० पुरम-I—बसंत कुंज सी ब्लाक बाया एस०एम० मंदिर, मुनिरका विहार (2)

33. नारायणा विहार—पालिका केन्द्र बाया पटेल नगर, शंकर रोड, केन्द्रीय टर्मिनल (3)

34. इन्द्रपुरी—पालिका केन्द्र बाया टोडापुर, शंकर रोड, केन्द्रीय टर्मिनल (3)

35. इन्द्रपुरी—राजघाट (ट०) बाया टोडापुर, शंकर रोड, करोल बाग, दिल्ली गेट (4)

36. हरिनगर घंटाघर—केन्द्रीय ट० बाया एस०पी० डिपो, पटेल नगर, शंकर रोड (5)

37. नारायणा विहार—राजघाट (ट०) बाया टोडापुर, पूसा रोड, कनाट सर्कस, आई०टी०ओ० (4)

क्र० सं०	रूट
38.	इन्द्रपुरी जे०जे० कालोनी० बी०एम०डी० चौक वाया टोडापुर शंकर रोड, करोग बाग, दिल्ली गेट (6)
39.	इन्द्रपुरी जे०जे० कालोनी—आई०एस०बी०टी० वाया पटेल नगर, करोग बाग, बर्फखान (4)
40.	न्यू राजेन्द्र नगर—बी०एम०डी० चौक वाया ए०एस० रोड, शिवाजी स्टेडियम, मंडी हाउस, आई०टी०ओ० (2)
41.	इन्द्रपुरी—आजादपुर (ट०) वाया मोतीनगर, जखीरा, पंजाबी बाग, रिंग रोड (4)
42.	कर्मपुरा (ट०)—केन्द्रीय टर्मिनल वाया पटेल नगर, शंकर रोड, राम मनोहर लोहिया हस्पताल (2)
43.	कर्मपुरा (ट०)—शुकर्ची नगर बांध वाया जखीरा, गुलाबी बाग, मौरिस नगर (4)
44.	रंजीत नगर—जामा मसजिद वाया पटेल नगर, पूसा रोड, पहाड़गंज, दिल्ली गेट (4)
45.	हरिनगर डिपो—बारा टूटी वाया एम०पी० डिपो, पटेल नगर, पहाड़गंज (6)
46.	कर्मपुरा (ट०)—प्रगति मैदान वाया पटेल नगर, राजेन्द्र नगर, गोल मार्किट, मंडी हाउस (5)
47.	आनंद पर्वत—लाल किला वाया करोग बाग, बर्फखाना, मोरी गेट (2)
48.	डब्ल्यू०पी० नगर—बी०एम०डी० चौक वाया आनंद पर्वत, करोग बाग, बर्फखाना, मोरी गेट (4)
49.	आनंद पर्वत—केन्द्रीय ट० वाया पहाड़गंज, गोल मार्किट, एन०डी०पी०ओ० (3)
50.	देव नगर—एस०एन० डिपो वाया ए०एस० रोड, कनाट सर्कस, कृषि भवन, तुगलक रोड (5)
51.	मल्का गंज—केन्द्रीय टर्मिनल वाया बर्फखाना, ईदगाह, पहाड़गंज, गोल मार्किट, एन० डी० पी०ओ० (2)
52.	त्रिनगर—केन्द्रीय टर्मिनल वाया किशन गंज, पहाड़गंज, कनाट सर्कस एन०डी०पी० ओ० (5)
53.	प्रताप नगर—बी०एम०डी० चौक वाया बर्फखाना, आई०एस०बी०टी०, जी०पी० ओ० (3)
54.	रामपुरा—रेलवे स्टेशन (3)
55.	त्रिनगर—रेलवे स्टेशन वाया किशन गंज, बर्फखाना (4)

क्र० सं०	रूट

56. प्रताप नगर—केन्द्रीय टर्मिनल वाया डी०सी०एम० सदर थाना, शिवाजी स्टेडियम, जन्तर-मन्तर (4)

57. इन्द्र लोक—सुपर बाजार वाया सराय रोहिल्ला, देव नगर, पहाड़गंज (2)

58. कन्हैया नगर—आई०एस०बी०टी० वाया अशोक विहार, राणाप्रताप बाग, मौरिस नगर, आई०पी० कालेज (2)

59. केशव पुरम्—अम्बेडकर स्टेडियम वाया सराय रोहिल्ला, करोल बाग, अजमेरी गेट (4)

60. आदर्श नगर—केन्द्रीय टर्मिनल, वाया मौरिस नगर, बर्फखाना, करोल बाग, शिवाजी स्टेडियम (7)

61. जी०टी०बी० नगर—शिवाजी स्टेडियम वाया पुराना सचिवालय, बर्फखाना, सदर थाना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (4)

62. आदर्श नगर—लाल किला वाया राणाप्रताप बाग, बर्फखाना, मोरी गेट (5)

63. नरेला—रेलवे स्टेशन वाया अलीपुर, आजादपुर, रिंग रोड, आई०एस०बी०टी० (2)

64. निरंकारी कालोनी—शिवाजी स्टेडियम वाया गुरुतेग बहादुर नगर, पुराना सचिवालय, लाल किला, आई०टी०ओ० (4)

65. बुरारी—आई०एस०बी०टी०/गुरुतेग बहादुर वाया निरंकारी कालोनी, गुरुतेग बहादुर नगर, पुराना सचिवालय (3)

66. कुतुबगढ़/औचंडी बार्डर—रेलवे स्टेशन वाया बादली, आजाद पुर, राणाप्रताप बाग, बर्फखाना, आई०एस०बी०टी० (8)

67. कटवरा—रेलवे स्टेशन वाया दरियागंज, बादली, आजादपुर, गुरुतेग बहादुर नगर, पुराना सचिवालय, आई०एस०बी०टी० (2)

68. हरिनगर चंटाघर—बी०आर० अस्पताल वाया मायापुरी, जवीरा, गुलाबी बाग, माल रोड (4)

69. बिंकनेर—रेलवे स्टेशन वाया नरेला, अलीपुर, राणाप्रताप बाग, बर्फखाना, आई०एस० बी०टी० (1)

70. बी०आर० हस्पताल—केन्द्रीय ट० वाया पुराना सचिवालय, एस०टी०ए०, तेलीवाड़ा, गोल मार्किट, एन०डी०पी०ओ० (6)

71. जी०टी०बी० नगर—जी०टी०बी० नगर (+)(—) वाया मौरिस नगर, अशोक विहार, रोहिणी, जी०टी० के० डिपो (6)

क्र० सं०	रूट
72.	शाफिआबाद बार्डर—रेलवे स्टेशन वाया अलीपुर, आजादपुर, पुराना सचिवालय, आई०एस०बी०टी०, मोरी गेट (2)
73.	साम्नोठ—रेलवे स्टेशन वाया बवाना, बादली, आजादपुर, पुराना सचिवालय, आई० एस०बी०टी० (1)
74.	कुतुबगढ़—रेलवे स्टेशन वाया कंझावला, प्रीतमपुरा, डब्ल्यू०पी० डिपो, आजाद-पुर, बर्फखाना (8)
75.	बजीरपुर जे०जे० कालोनी—रेलवे स्टेशन वाया भारत नगर, बर्फखाना, आई०एस० बी०टी० (3)
76.	शालीमार बाग—लाल किला वाया आजादपुर, मुकर्जी नगर, मौरिस नगर, पुराना सचिवालय, आई०एस०बी०टी० (3)
77.	जहांगीर पुरी—रेलवे स्टेशन वाया आजादपुर, जी०टी०बी० नगर, तिमारपुर, पुराना सचिवालय, आई०एस०बी०टी० (4)
78.	कल्याणपुरी—राणाप्रताप बाग वाया मदर डेयरी, आई०टी०ओ०, लाल किला, एस० टी०एस० मौरिस नगर (4)
79.	बाजितपुर—रेलवे स्टेशन वाया बादली, आजादपुर, राणाप्रताप बाग, आई०एस०बी० टी० (1)
80.	शाहदरा—मौरिस नगर वाया बाबरपुर, यमुना विहार, तिमारपुर, माल रोड (4)
81.	जहांगीर पुरी—लाल किला वाया आजादपुर, जी०टी०बी० नगर, मल्का गंज, बर्फ-खाना, मोरी गेट (3)
82.	करोवली—मोरी गेट (टी०) वाया दरयापुर, बादली, आजादपुर, जी०टी०बी० नगर, शक्ति नगर, बर्फखाना (1)
83.	मुखमेल पुर—रेलवे स्टेशन वाया अलीपुर, आजादपुर, जी०टी०बी० नगर, शक्ति नगर, आई०एस०बी०टी० (1)
84.	पल्ला—रेलवे स्टेशन वाया अलीपुर, आजादपुर, राणा प्रताप बाग, बर्फखाना, आई०एस०बी०टी० (3)
85.	बादली—रेलवे स्टेशन वाया आजादपुर, मौरिस नगर, बर्फखाना, आई० एस० बी० टी० (4)
86.	हैदरपुर—रेलवे स्टेशन वाया शालीमार बाग, राणाप्रताप बाग, बर्फखाना आई० एस० बी० टी० (5)

क्र० सं०	रूट

87. खेड़ा खुर्द—मोरी गेट (ट०) बाया नांगली पूना, आजादपुर, राणाप्रताप बाग, आई० एस० बी० टी० (3)

88. किंगोला—रेलवे स्टेशन बाया अलीपुर, आजादपुर, राणाप्रताप बाग, आई० एस० बी० टी० (1)

89. बवाना—केन्द्रीय टर्मिनल बाया बादली, जी० टी० बी० नगर, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी०, राजघाट, आई० टी० ओ०, मंडी हाउस, पटेल चौक (1)

90. लामपुर बार्डर—रेलवे स्टेशन बाया सिंघु बार्डर, आजादपुर, राणाप्रताप बाग, बर्फखाना (5)

91. अशोक विहार—लाल किला बाया आजादपुर, जी० टी० बी० नगर, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी० (4)

92. नरेला—मोरी गेट बाया बादली, राणाप्रताप बाग, बर्फखाना, न्यू कोर्ट (3)

93. इब्राहिमपुर—आई० एस० बी० टी० बाया नांगली पूना, आजादपुर, मौरिस नगर, बर्फखाना (1)

94. नरेला—एस० बी० एस० टर्मिनल बाया अलीपुर, आजादपुर, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी०, राजघाट, आई० टी० ओ० (3)

95. बोगा—रेलवे स्टेशन बाया अलीपुर, राणाप्रताप बाग, बर्फखाना, आई० एस० बी० टी० (1)

96. होलुम्बी कलां—रेलवे स्टेशन बाया नांगली पूना, आजादपुर, गुरुतेग बहादुर नगर, घंटाघर, आई० एस० बी० टी० (4)

97. माडल टाउन-III—शिवाजी स्टेडियम बाया मुकर्जी नगर, माल रोड, आई० एस० बी० टी०, दिल्ली गेट, आई० टी० ओ० (3)

98. रिठाला—रेलवे स्टेशन बाया डब्ल्यू० पी० डिपो, अशोक विहार, गुलाबी बाग, बर्फखाना (1)

99. जहांगीर पुरी—आई० एस० बी० टी० बाया अशोक विहार, गुलाबी बाग, किशनगंज, बर्फखाना (5)

100. संत नगर—मोरी गेट (ट०) बाया निरंकारी कालोनी, मौरिस नगर, मलका गंज, न्यू कोर्ट (1)

101. सिंघू स्कूल—रेलवे स्टेशन बाया आजादपुर, राणाप्रताप बाग, बर्फखाना, आई० एस० बी० टी० (1)

102. जहांगीर पुरी—नेहरू विहार बाया आजादपुर, गुरुतेग बहादुर नगर, सिमारपुर (1)

क्र० सं०	रूट
103.	हिरंकी—रैलवे स्टेशन वाया अलीपुर, आजादपुर, राणा प्रताप बाग, बर्फखाना (1)
104.	टिगीपुर—रैलवे स्टेशन वाया अलीपुर, आजादपुर, राणाप्रताप बाग, बर्फखाना (1)
105.	आदर्श नगर—प्रगति मैदान वाया बुरुतेग बहादुर नगर, मौरिस नगर, सदर थाना, दिल्ली गेट, आई० टी० ओ० (2)
106.	निरंकारी कालोनी—करोल बाग (ट०) वाया मौरिस नगर, बर्फखाना, सदर थाना, पहाड़गंज (4)
107.	एस० पी० डिपो—मुकर्जी नगर बांध वाया शंकर रोड, करोल बाग, बर्फखाना, मौरिस नगर (4)
108.	नांगलोई सैद—आजादपुर टर्मिनल वाया पीरागढ़ी, आउटर रिंग रोड, जी० टी० रोड (2)
109.	अशोक विहार—करोल बाग (ट०) वाया केशवपुरम, जखीरा, देवनगर (2)
110.	नेहरू विहार—केन्द्रीय टर्मिनल वाया मजनू का टीला, आई० एस० बी० टी०, बर्फखाना, मन्दिर मार्ग (1)
111.	एस० पी० डिपो—माडल टाउन-III वाया पटेल नगर, करोल बाग, सदर थाना, बर्फखाना, राणाप्रताप बाग, आजादपुर (2)
112.	अशोक विहार—पालिका केन्द्र वाया सुभद्रा कालोनी पहाड़गंज, गोल मार्किट, कनाट सर्कस (5)
113.	घोगा—आजादपुर वाया अलीपुर, बुढपुर, आदर्श नगर (1)
114.	एस० पी० डिपो—जहांगीर पुरी वाया मोतीनगर, जखीरा, पंजाबी बाग, आजादपुर (5)
115.	शालीमार बाग—के० टर्मिनल वाया डब्ल्यू० पी० डिपो, कर्मपुरा, पूसा रोड, मंदिर मार्ग (4)
116.	सरस्वती विहार—आई० एस० बी० टी० वाया टी० वी० टावर, डब्ल्यू० पी० डिपो, अशोक विहार, राणा प्रताप बाग (2)
117.	सरस्वती विहार—शिवाजी स्टेडियम वाया टी० वी० टावर, डब्ल्यू० पी० डिपो, रिंग रोड, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी०, आई० टी० ओ० (3)
118.	समयपुर—आई० एस० बी० टी० वाया आजादपुर, जी० टी० नगर, घंटाघर, बर्फखाना (2)
119.	शालीमार बाग—पालिका केन्द्र वाया अशोक विहार, लिबर्टी, करोल बाग, कनाट सर्कस (5)

क्र० सं०	रूट

120. यू० पीतमपुरा—शिवाजी स्टेडियम वाया डब्ल्यू० पी० डिपो, रिंग रोड, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी०, आई० टी० ओ० (2)

121. अशोक विहार फेज-II—केन्द्रीय टर्मिनल वाया पंजाबी बाग, कर्मपुरा, पूसा रोड, मन्दिर मार्ग (1)

122. जहांगीरपुरी—रानीबाग वाया आजादपुर, डब्ल्यू० पी० डिपो, महेन्द्र पार्क (1)

123. सरस्वती विहार—के० टर्मिनल वाया डब्ल्यू० पी० डिपो, कर्मपुरा, पूसा रोड, मन्दिर मार्ग (6)

124. शालीमार बाग—मंडी हाउस वाया आजादपुर, पुराना सचिवालय, रिंग रोड, दिल्ली गेट, आई० टी० ओ० (1)

125. जहांगीरपुरी—रेलवे स्टेशन वाया आजादपुर, आर० पी० बाग, घंटाघर, बर्फखाना (1)

126. भारत नगर—रेलवे स्टेशन वाया शक्तिनगर, बर्फखाना, आई० एस० बी० टी० (1)

127. लामपुर गांव—रेलवे स्टेशन वाया नरेला, अलीपुर, आजादपुर, राणा प्रताप बाग, बर्फखाना (1)

128. पल्ला—आजादपुर (ट०) वाया हिरनकि, अलीपुर, आदर्शनगर (1)

129. मंगेशपुर—मोरी गेट (ट०) वाया बवाना, रा०प्र० बाग, बर्फखाना (2)

130. नरेला—आजादपुर वाया भोरगढ़, नांगली पूना, आदर्शनगर (1)

131. जहांगीरपुरी—के० टर्मिनल वाया गुरुतेग बहादुर नगर, आई० एस० बी० टी०, राजघाट, आई० टी० ओ०, कनाट सर्कस (4)

132. जहांगीरपुरी—के० टर्मिनल वाया रा०प्र० बाग, सराय रोहिल्ला, करोल बाग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (3)

133. शालीमार बाग—रेलवे स्टेशन वाया आजादपुर, रा०प्र० बाग, बर्फखाना, आई० एस० बी० टी० (2)

134. मुकर्जी नगर बांध—के० टर्मिनल वाया मौरिस नगर, पुराना सचिवालय, लाल किला, अजमेरी गेट (6)

135. यू० पीतमपुरा—रेलवे स्टेशन वाया डब्ल्यू० पी० डिपो, आजादपुर, मौरिस नगर, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी० (1)

136. सिरसपुर—पालिका केन्द्र वाया पीतमपुरा, डब्ल्यू० पी० डिपो, कर्मपुरा, शंकर रोड, एन० डी० पी० ओ० (3)

क्र० सं०	रूट
137.	कुतुबगढ़—के० टर्मिनल बाया बवाना, आजादपुर, गुरुतेग बहादुर नगर, आई० एस० बी० टी०, राजघाट, आई० टी० ओ० (1)
138.	नाथू पुरा—आई० एस० बी० टी० बाया बुरारी, निरंकारी कालोनी, गु०ते० ब० नगर, पुराना सचिवालय (4)
139.	सिंधू बार्डर—मोरी गेट (ट०) बाया अलीपुर, आजादपुर, गु०ते० ब० नगर, पुराना सचिवालय (2)
140.	सिरसपुर—रेलवे स्टेशन बाया समयपुर, आजादपुर, मौरिस नगर, बर्फखाना (1)
141.	यू० पीतमपुरा—के० टर्मिनल बाया डब्ल्यू० पी० डिपो, कर्मपुरा, पूसा रोड, मन्दिर मार्ग (3)
142.	राजापुर—रेलवे स्टेशन बाया पीतमपुरा, डब्ल्यू० पी० डिपो, आजादपुर, मौरिस नगर (1)
143.	हैदरपुर—केन्द्रीय टर्मिनल बाया शालीमार बाग, आजादपुर, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी०, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कनाट सर्कस (1)
144.	यादव नगर—मिन्टो रोड बाया आजादपुर, पुराना सचिवालय, आई० एस०बी० टी०, राजघाट, दिल्ली गेट (1)
145.	तीनमूर्ति—मोरी गेट (ट०) बाया कृषि भवन, कनाट प्लेस, राउज एवेन्यू, लाल किला (2)
146.	गाजीपुर—कौड़िया पुल बाया प०प० ग० डिपो, झील, यमुना पुल (2)
147.	झील—मलका गंज बाया यमुना पुल, रेलवे स्टेशन, बर्फखाना (4)
148.	कृष्णानगर—कौड़िया पुल—बाया गांधीनगर, यमुना पुल (3)
149.	शाहदरा—कौड़िया पुल बाया सीलमपुर, यमुना पुल (2)
150.	नई सीमापुरी—कौड़िया पुल बाया शाहदरा, सीलमपुर, आई० एस० बी० टी०, यमुना बाजार (6)
151.	घरौली डेरी—झील बाया गाजीपुर डेरी, जगतपुरी, राधेपुरी (1)
152.	नानकपुरा—आई० एस० बी० टी० बाया घौलाकुआं, रिज रोड, करोल बाग, बर्फखाना (2)
153.	राजौरी गार्डन एक्सट०—रेलवे स्टे० बाया जखीरा, किशनगंज, बर्फखाना (2)
154.	पंजाबी बाग एक्सट०—आई० एस० बी० टी० बाया पंजाबी बाग, जखीरा, किशनगंज, बर्फखाना (2)

क्र० सं०	रूप

155. आनंद पर्वत—नंदनगरी (ट०) बाया करोल बाग, बर्फखाना, मौरिस नगर, तिमारपुर (5)

156. नंदनगरी (ट०)—जामा मसजिद बाया शाहदरा, यमुना पुल, लाल किला (3)

157. शाहदरा—ल०ना० मंदिर बाया सीलमपुर, आई० एस० बी० टी० पुल, लाल किला, मिन्टो रोड (5)

158. नई सीमापुरी—ल०ना० मंदिर बाया शाहदरा, यमुना पुल, राजघाट, आई० टी० ओ०, मंडी हाउस (6)

159. गोकल पुरी—कौड़िया पुल बाया बाबरपुर, सीलमपुर, आई० एस० बी० टी० (4)

160. सादीपुर डिपो—आई० एस० बी० टी० बाया पटेल नगर, करोल बाग, बर्फखाना (3)

161. नांगलोई—रेलवे स्टेशन बाया पंजाबी बाग, जखीरा, किशनगंज, बर्फखाना (5)

162. अशोक विहार—के० टर्मिनल बाया भारत नगर, क्रासिंग, मौरिस नगर, पुराना सचिवालय, राजघाट, आई० टी० ओ० (6)

163. शाहदरा—मोरी गेट बाया सीलमपुर, आई० एस० बी० टी० पुल (3)

164. चन्द्रनगर—मौरिस नगर बाया गांधीनगर, आई० एस० बी० टी० पुल, एस० टी० ए०, माल रोड (2)

165. शाहदरा—मौरिस नगर बाया लोनी रोड, बजीराबाद रोड, तिमारपुर (3)

166. शाहदरा—मोरी गेट (ट०) बाया बाबरपुर, भजनपुरा, तिमारपुर, पुराना सचिवालय (1)

167. आदर्श नगर—विवेक विहार बाया रा०प्र० बाग, बर्फखाना, रेलवे स्टेशन, यमुना पुल, झील, विश्वास नगर (3)

168. आदर्श नगर—विवेक विहार बाया गु०ते० ब० नगर, माल रोड, एस० टी० ए०, आई० एस० बी० टी० पुल, शाहदरा (2)

169. करावल नगर—रेलवे स्टेशन बाया नानकसर, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी० (2)

170. जनकपुरी बी ब्लाक—आई० एस० बी० टी० बाया तिलकनगर, जखीरा, किशनगंज, बर्फखाना (5)

171. पश्चिम विहार—रेलवे स्टेशन बाया मादीपुर, जखीरा, शिवटी, बर्फखाना (2)

क्र० सं०	रूट

172. मंगोलपुरी एस ब्लाक—रेलवे स्टेशन वाया पीरागढ़ी, जखीरा, किशनगंज, बर्फखाना (6)

173. मंगोलपुरी बी ब्लाक—रेलवे स्टेशन वाया—यथोक्त—

174. नांगलोई सैयद—आई० एस० बी० टी० वाया मादीपुर, पंजाबी बाग जखीर फ्लाई ओवर, बर्फखाना (1)

175. नंदनगरी (सी० सी०)—कमंपुरा (ट०) वाया भजनपुरा, तिमारपुर, मौरिस नगर, गुलाबी नगर (5)

176. नंदनगरी (ट०)—बजीरपुर जे० जे० कालोनी वाया भजनपुरा, तिमारपुर, जी० टी० बी० नगर, अशोक विहार, फ्रांसिंग (3)

177. ज्वालापुरी—रेलवे स्टेशन वाया पीरागढ़ी, जखीरा, किशनगंज, बर्फखाना (1)

178. जहांगीरपुरी—बाबरपुर एक्सट० वाया गु०ते० ब० नगर, तिमारपुर, भजनपुरा (5)

179. सुभाषनगर—आई० एस० बी० टी० वाया राजा गार्डन, जखीरा, किशनगंज, बर्फखाना (2)

180. नई सीमापुरी—मोरी गेट वाया नंदनगरी, बाबरपुर, भजनपुरा, तिमारपुर, आई० एस० बी० टी० (2)

181. शक्ति नगर—के० टर्मिनल वाया मौरिस नगर, पुराना सचिवालय, शान्ति वन, आई० टी० ओ० (4)

182. बाबरपुर एक्सट०—कौड़िया पुल वाया सीलमपुर, यमुना पुल (3)

183. सीलमपुर III—कौड़िया पुल वाया सीलमपुर, यमुना पुल (1)

184. सीलमपुर बाजार—जामा मसजिद वाया सीलमपुर, आई० एस० बी० टी० पुल, लाल किला (4)

185. कस्तुरबा नगर—कौड़िया पुल वाया शाहदरा बार्डर, सीलमपुर, आई० एस० बी० टी० पुल (2)

186. शाहदरा—बाबरपुर एक्सट० वाया ज्योतिनगर लोनी रोड (1)

187. सीमापुरी—शिवाजी स्टे० वाया शाहदरा, आई० एस० बी० टी० पुल, दिल्ली गेट, मिन्टो रोड (1)

188. कृष्ण नगर—आई० एस० बी० टी० वाया सरस्वती विहार, डब्ल्यू० पी० डिपो, गुलाबी बाग, बर्फखाना (3)

क्र० सं०	रूट

189. जौहरी पुरी—मोरी गेट (ट०) बाया भजनपुरा, तिमारपुर, पुराना सचिवालय, आई० एस० बी० टी० (2)

190. नागलोई-II—अम्बे० स्टे० बाया पीरागढ़, मधुबन चौक, डब्ल्यू० पी० डिपो, गु०ते० ब० नगर, आई० एस० बी० टी०, लाल किला (1)

191. दिलशाद गार्डन—आई० एस० बी० टी० बाया नंदनगरी, बाबरपुर, भजनपुरा, तिमारपुर (1)

192. नंदनगरी (ट०)—आर० के० पुरम-I बाया बाबरपुर, स्वर्ण, लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ०, प्रगति मैदान, शाहजहां रोड, ए० आई० आई० एम० एस० (1)

193. यमुना बिहार—आर० के० पुरम-I बाया भजनपुरा, मजनू का टीला, राजघाट, मिंटो रोड, कनाट प्लेस, कृषि भवन, विनय मार्ग (1)

194. जहांगीरपुरी—नंदनगरी—सी० सी० बाया गु०ते० ब० नगर, तिमारपुर, भजनपुरा (4)

195. यमुना बिहार—केन्द्रीय टर्मिनल बाया भजनपुरा, मजनू का टीला, आई० एस० बी० टी, दिल्ली गेट, आई० टी० ओ० (6)

196. नंदनगरी—प्रगति मैदान बाया भजनपुरा, तिमारपुर, आई० एस० बी० टी०, दिल्ली गेट, आई० टी० ओ० (6)

197. नंदनगरी सी० सी०—बिरला मिल बाया भजनपुरा, तिमारपुर, मौरिस नगर (4)

198. इन्दिरापुरी (लोनी)—मोरी गेट (ट०) बाया लोनी रोड क्रासिंग, तिमारपुर, भजनपुरा, आई० एस० बी० टी० (2)

199. नंदनगरी—शिवाजी स्टे० बाया भजनपुरा, तिमारपुर, मौरिस नगर, अर्फलाना, मंदिर मार्ग (2)

200. इन्दिरापुरी (लोनी)—के० टर्मिनल बाया बाबरपुर, स्वर्ण, लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ०, मण्डी हाउस (2)

201. करावल नगर—के० टर्मिनल बाया भजनपुरा, तिमारपुर, आई० एस० बी० टी०, दिल्ली गेट, आई० टी० ओ० (6)

202. जगतपुरी—शिवाजी स्टे० बाया तिमारपुर, लाल किला, मिन्टो रोड, कनाट प्लेस (2)

203. नेहरू बिहार—शिवाजी स्टेडियम बाया तिमारपुर, आई० एस० बी० टी०, लाल किला, मिन्टो रोड (2)

क्र० सं०	रूट

204. कृष्णनगर—आई० एस० बी० टी० वाया गांधीनगर, आई० एस० बी० टी० पुल (1)

205. नंदनगरी—के० टर्मिनल वाया शाहदरा, स्वर्ण, लक्ष्मीनगर. आई० टी० ओ०, मंडी हाउस (5)

206. दिलशाद गार्डन—के० टर्मिनल वाया आई० पी० एक्सट०, लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ०, मण्डी हाउस (2)

207. कोण्डली—लाल किला वाया मदर डेयरी, आई० टी० ओ०, दिल्ली गेट (3)

208. शास्त्री नगर—लाल किला वाया लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ०, दिल्ली गेट (1)

209. पटपड़ गंज—लाल किला वाया खुरैजी, गांधी नगर, यमुना पुल (1)

210. कल्याणपुरी—लाजपतनगर वाया सड़क पुल, प्रगति मैदान, निजामुद्दीन, आश्रम (4)

211. शास्त्री नगर—कौड़िया पुल वाया गांधी नगर, यमुना पुल (2)

212. कल्याणपुरी—ओखला औ० क्षेत्र वाया रोड ब्रिज, महारानी बाग (4)

213. त्रिलोकपुरी—कमला मार्किट वाया मदर डेयरी, आई० टी० ओ०, दिल्ली गेट (6)

214. तिलक नगर—अम्बेडकर स्टेडियम वाया मोती नगर, पटेल नगर, करोलबाग, अजमेरी गेट (6)

215. कल्याणपुरी—आनन्द पर्वत वाया मदर डेयरी, आई० टी० ओ०, मंडी हाउस, अजमेरी गेट (6)

216. झील—के० टर्मिनल वाया पुस्ता मार्ग, आई० टी० ओ०, मंडी हाउस, कृषि भवन (4)

217. चन्द्रनगर—कौड़िया पुल वाया गांधीनगर, आई० एस० बी० टी० पुल (2)

218. विवेक विहार—मोरी गेट ट० वाया विश्वास नगर, लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ०, लाल किला (5)

219. विवेक विहार—इन्द्रपुरी वाया आनन्द विहार, आई० टी० ओ०, कनाट प्लेस, पटेल नगर (5)

220. शकरपुर—लाल किला वाया आई० टी० ओ०, लाल किला (1)

221. झील—शिवाजी स्टे० वाया पुस्ता मार्ग, आई० टी० ओ०, दिल्ली गेट, मिन्टो रोड (4)

222. शालीमार पार्क—शिवाजी स्टे० वाया गांधी नगर, आई० एस० बी० टी० पुल, दिल्ली गेट, मिन्टो रोड (5)

क्र० सं०	रूट
223.	शाहदरा—शिवाजी स्टे० वाया झील, पुस्ता मार्ग, आई० टी० ओ०, राउज एवेन्यू (5)
224.	शादीपुर डिपो—प्रगति डिपो वाया पटेल नगर, करोल बाग, कनाट प्लेस, मंडी हाउस, आई० टी० ओ० (4)
225.	शाहदरा--केन्द्रीय टर्मिनल वाया स्वर्ण, लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ, मंडी हाउस, कृषि भवन (6)
226.	शाहदरा—चिल्ला वाया झील, मदर डेयरी, मयूर विहार (1)
227.	त्रिलोकपुरी—आई० एस० बी० टी० वाया गाजीपुर, लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ०, लाल किला (3)
228.	मयूर विहार फेज-I—मोरी गेट ट० वाया मदर डेयरी, आई० टी० ओ०, लाल किला (3)
229.	मयूर विहार फेज-II—अजमेरी गेट वाया मदर डेयरी, प्रगति मैदान, कनाट सर्कस (2)
230.	कृष्णा नगर—आर० के० पुरम-1 वाया शकरपुर, आई० टी० ओ०, शाहजहां रोड, स० ज० हवाई अड्डा, एम० आई० आई० एम० एस० (2)
231.	मयूर विहार फेज-I—के० टर्मिनल वाया मदर डेयरी, आई० टी० ओ०, पालिका केन्द्र, एन० जी० पी० ओ० (4)
232.	कड़कड़ डूमा—मोरी गेट (ट०) वाया शकरपुर, आई० टी० ओ०, लाल किला, रेलवे स्टेशन (2)
233.	शाहदरा—केन्द्रीय टर्मिनल वाया स्वर्ण, लक्ष्मीनगर, प्रगति मैदान, बड़ोदा हाउस (1)
234.	शालीमार पार्क—केन्द्रीय टर्मिनल वाया खुरेजी, आई० टी० ओ०, पटियाला हाउस, कृषि भवन (2)
235.	नन्दनगरी एक्सट०—राजघाट (ट०) वाया शाहदरा, शकरपुर, आई० टी० ओ०, दिल्ली गेट (2)
236.	जहांगीरपुरी—दिलशाद गार्डन वाया गुरुतेग बहादुर नगर, तिमारपुर, भजनपुरा, तहीरपुर (2)
237.	शास्त्रीनगर—मोरी गेट वाया गांधी नगर, आई० एस० बी० टी० पुल (1)
238.	नन्दनगरी—हौजखास (ट०) वाया शाहदरा, स्वर्ण, लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ०, शाहजहां रोड, ए० आई० आई० एम० एस (1)

क्र० सं०	रूट
239.	विवेक विहार—वसंत विहार, जगतपुरी, आई० टी० ओ०, भारती नगर, सफदरजंग हस्पताल (1)
240.	विवेक विहार—मोरी गेट(ट०) वाया शकरपुर, आई० टी० ओ०, दिल्ली गेट, यमुना बाजार (1)
241.	मयूर विहार—घौलाकुंआ वाया रोड ब्रिज, हाई कोर्ट, लोदी कालोनी, सफदरजंग हस्पताल, ए० आई० आई० एम० एस० (1)
242.	मंडावली फजलपुरी—मोरी गेट ट० वाया मदर डेयरी, आई० टी० ओ०, लाल किला, आई० एस० बी० टी० (1)
243.	सीमापुरी—के० टर्मिनस वाया आई० पी० एक्सट०, जगतपुरी, आई० टी० ओ०, मंडी हाउस (5)
244.	विवेक विहार—केन्द्रीय टर्मिनल वाया आई० पी० एक्सट०, आई० टी० ओ०, पालिका केन्द्र (2)
245.	विवेक विहार—नई दिल्ली रेलवे स्टे० वाया लक्ष्मी नगर, आई० टी० ओ०, कनाट प्लेस (1)
246.	कल्याणपुरी—हौजखास टर्मिनल वाया रोड ब्रिज, प्रगति मैदान, शाहजहां रोड, ए० आई० आई एम० एस० (3)
247.	आनन्द विहार—उद्योग भवन, वाया लक्ष्मीनगर, आई० टी० ओ०, पटियाला हाउस, कृषि भवन (1)
248.	मयूर विहार-II—आई. एस. बी. टी. वाया मदर डेयरी, आई. टी. ओ., लाल किला (1)
249.	मयूर विहार-II—केन्द्रीय टर्मिनल वाया मदर डेयरी, आई.टी. ओ., पालिका केन्द्र (1)
250.	शाहदरा—करोल बाग टर्मिनल, वाया कृष्णा नगर, आई० टी. ओ. कनाट प्लेस, पहाड़ गंज (8)
251.	गाजीपुर—आनन्द पर्वत वाया मदर डेयरी, आई. टी. ओ., कनाट प्लेस, पहाड़ गंज (3)
252.	कृष्णा नगर—आनन्द पर्वत वाया पुस्ता मार्ग, आई. टी. ओ., कनाट प्लेस, पहाड़गंज (2)
253.	बावरपुर एक्सटेंशन—अजमेरी गेट वाया विश्वास नगर, खुरेजी, आई. टी. ओ., दिल्ली गेट (2)
254.	विवेक विहार-II—केन्द्रीय टर्मिनल वाया विश्वास नगर, खुरेजी, आई. टी. ओ., पालिका केन्द्र (2)

क्र० सं०	रूट

255. सुख विहार—मोरी गेट बाया लक्ष्मी नगर, आई. टी. ओ., लाल किला (1)

256. शालीमार पार्क—करावल नगर बाया शाहदरा, जी. टी. बी. अस्पाल, बाबरपुर (1)

257. विवेक विहार-II—करोल बाग (टर्मिनल) बाया विश्वास नगर, कृष्णा नगर, आई. टी. ओ., मण्डी हाउस, पहाड़ गंज (2)

258. न्यू अशोक नगर—प्रगति मैदान बाया आई. टी. ओ., मदर डेयरी, मायापुर विहार लिंग (1)

259. पड़पड़गंज—केन्द्रीय टर्मिनल बाया मदर डेयरी, आई. टी. ओ., मण्डी हाउस, कृषि भवन (1)

260 पड़पड़ गंज—लाल किला बाया मदर डेयरी, आई. टी. ओ., दिल्ली गेट (1)

261. कस्तूरबा नगर—मोरी गेट बाया आई. पी. एक्ट्र. आई. टी. ओ., दिल्ली गेट, यमुना विहार, आई. एस. बी. टी. (1)

262. कल्याणपुरी—लाजपत नगर बाया रोड ब्रिज, महारानी बाग, आश्रम (7)

263. शालीमार पार्क—मौरिस नगर बाया सीलमपुर, आई. एस. बी. टी. ब्रिज, एस. टी. ए., माल रोड (1)

264. कृष्णा नगर—बापू धाम बाया आई. टी. ओ., शाहजहां रोड, ए. आई. आई. एम. एस., मोती बाग (3)

265. कृष्णा नगर—नेहरू प्लेस (टर्मि.) बाया रोड ब्रिज, पी. मैडन, मथुरा रोड, एम. सी. के. आर. होस्पीटल (1)

266. बाबरपुर एक्सटेंशन—नेहरू प्लेस (टर्मि०) बाया शाहदरा, लक्ष्मी नगर, आई. टी. ओ., पी. मैडन, एम. सी. के. आर. होस्पीटल (4)

267. दिलशाद गार्डन—नेहरू प्लेस (टर्मि.) बाया आई. पी. एक्टे., आई. टी. ओ., भारती नगर, एम० सी. के. होस्पीटल (1)

268. न्यू सीमा पुरी—प्रगति मैदान बाया आई. पी. एक्ट्र, लक्ष्मी नगर, आई. टी. ओ., रिंग रोड (1)

269. बाबरपुर एक्ट्र.—केन्द्रीय टर्मिनल बाया स्वर्ण, लक्ष्मी नगर, आई. टी. ओ., मण्डी हाउस, पटेल चौक (2)

270. त्रिलोक पुरी—ए. एस. रोड बाया मदर डेयरी, आई. टी. ओ., पालिका केन्द्र, केन्द्रीय टर्मिनल, मन्दिर मार्ग (1)

क्र० सं०	रूट
271.	त्रिलोक पुरी—उद्योग भवन वाया पी. पी. जी. डिपो, आई. टी. ओ., कनाट प्लेस, जन्तर-मन्तर (6)
272.	कल्याणपुरी—केन्द्रीय टर्मिनल वाया मदर डेयरी, आई. टी. ओ., मण्डी हाउस, कृषि भवन (4)
273.	ओखला—मिन्टो रोड टर्मिनल वाया आश्रम, ए. आई. आई. एम. एस., एस. जे. एयर पोर्ट, तुगलक रोड, के. भवन (6)
274.	ग्रेटर कैलाश-I—सुपर बाजार वाया एल. पी. नगर, निजामुद्दीन, बड़ौदा हाउस (2)
275.	ओखला—जामा मज्जिद वाया आश्रम, सुन्दर नगर, दिल्ली गेट, (3)
276.	ओखला—रेलवे स्टेशन वाया आश्रम, सुन्दर नगर, लाल किला (4)
277.	मदनपुर खादर—रेलवे स्टेशन वाया आश्रम, लाजपत नगर, पन्त नगर, आई. टी. ओ., लाल किला (2)
278.	बदरपुर बार्डर—रेलवे स्टेशन वाया आश्रम सुन्दर नगर, आई. टी. ओ., लाल किला (6)
279.	आर. के. पुरम-I—एल. पी. नगर वाया आई. आई. टी. गेट, नेहरू प्लेस, मोदी मिल्स (2)
280.	रघुबीर नगर—एल. पी. नगर वाया मोती नगर, शंकर रोड, कृषि भवन, लोधी कालोनी (3)
281.	मोलर बांध स्कूल—रेलवे स्टेशन वाया मथुरा रोड, निजामुद्दीन, चिड़िया घर, आई. टी. ओ., लाल किला (2)
282.	जल विहार (टर्मि.)—केन्द्रीय टर्मिनल वाया आश्रम, इण्डिया गेट, कृषि भवन (4)
283.	अलखनन्दा—जामा मज्जिद वाया ग्रेटर कैलाश, मूल चन्द होस्पीटल, आश्रम, चिड़िया घर, आई. टी. ओ. (4)
284.	तुगलकाबाद—जल विहार (टर्मि.) वाया हमदर्द नगर, सी. आर. पार्क, कैलाश कालोनी, सपना सिनेमा (1)
285.	महरौली—निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन वाया बेगमपुर, एम. सी. के. आर. होस्पीटल, लाजपत नगर, आश्रम (3)
286.	तुगलकाबाद रेलवे कालोनी—लाजपत नगर वाया लाल कैन, कालकाजी डिपो, कैलाश कालोनी (4)
287.	बदरपुर बार्डर—जल विहार (टर्मि.) वाया मथुरा रोड, आश्रम, लाजपत नगर (5)
288.	अम्बेडकर नगर (टर्मि.)—लाजपत नगर वाया हमदर्द नगर, गोविन्द पुरी, कैलाश कालोनी (8)

क्र० सं०	रूट

289. प्रेस इन्क्लेव—लाल किला वाया चिराग दिल्ली, कैलाश, कालोनी, पन्त नगर, आई. टी. ओ. (4)

290. शाहदरा—जल विहार (टर्मि.) वाया कृष्णा नगर, पुस्ता मार्ग, आई. टी. ओ., शाहजहां रोड, ज. ला. नेहरू स्टेडियम, आश्रम, लाजपत नगर (4)

291. अम्बेडकर नगर (टर्मि.)—रेलवे स्टेशन वाया चिराग दिल्ली, एम. सी. के. आर. होस्पीटल, पन्त नगर, आई. टी. ओ. (7)

292. ओखला—जल विहार (टर्मि.) वाया भारत नगर, आश्रम, लाजपत नगर (1)

293. ग्रेटर कैलाश-I—मोरी गेट (टर्मि.) वाया कैलाश कालोनी, डिफेन्स कालोनी, शाहजहां रोड, आई. टी. ओ. (3)

294. देवली—मोरी गेट (टर्मि.)वाया चिराग दिल्ली, पन्त नगर, आई. टी. ओ., राजघाट, आई. एस. बी. टी. (3)

295. अम्बेडकर नगर—ओखला वाया चिराग दिल्ली, एम. सी. के. आर होस्पीटल, लाजपत नगर, आश्रम (5)

296. नेहरू प्लेस (टर्मि.)—रेलवे स्टेशन, वाया कैलाश कालोनी, पन्त नगर, आई. टी. ओ., लाल किला (7)

297. हमदर्द नगर—लाजपत नगर वाया अम्बेडकर नगर, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, सपना सिनेमा (4)

298. महरौली—निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन वाया साकेत, चिराग दिल्ली, सी. आर. पार्क, मोदी मिल, लाजपत नगर (6)

299. जल विहार (टर्मि.) रेलवे स्टेशन वाया बंगपुरा, निजामुद्दीन, आई. टी. ओ., लाल किला (2)

300. डी. डी. ए. फ्लैट्स—रेलवे स्टेशन वाया गोविन्द पुरी, मोदी मिल्स, आश्रम, चिड़िया घर, आई. टी. ओ., लाल किला (8)

301. नेहरू प्लेस (टर्मि.) केन्द्रीय टर्मिनल वाया कैलाश कालोनी, पन्त नगर, शाहजहां रोड, कृषि भवन (7)

302. मालवीय नगर—निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन वाया साकेत, सादिक नगर, लाजपत नगर-बंगपुरा (1)

303. सी. आर. पार्क—रेलवे स्टेशन वाया नेहरू प्लेस, कैलाश कालोनी, पन्त नगर, आई. टी. ओ. (2)

क्र० सं०	रूट
304.	सी. डब्ल्यू. एस. II—जन्तर-मन्तर बाया कालकाजी डिपो, लाजपत नगर, ए. आई. आई. एम. एस., कृषि भवन (5)
305.	लेबर कालोनी—ओ. आई. एस्टेट फेज-I बाया एम्बू ज गंज, लाजपत नगर, मोदी मिल, कालकाजी डिपो (3)
306.	सुखदेव विहार—मिन्टो रोड टर्मिनल बाया भारत नगर, आश्रम, इण्डिया गेट, कृषि भवन (2)
307.	जैतपुर—रेलवे स्टेशन बाया मथुरा रोड, निजामुद्दीन, चिड़िया घर, आई. टी. ओ., यमुना बाजार (2)
308.	सी. डब्ल्यू एस-II—मोरी गेट (टर्मि.) बाया कालकाजी डिपो, मोदी मिल, आश्रम, चिड़ियाघर आई. टी. ओ. (3)
309.	कालका जी—जन्तर मन्तर बाया कैलाश कालोनी, डिफेन्स कालोनी, शाहजहां रोड (3)
310.	सी. डब्ल्यू. एस-II—लाजपत नगर बाया कालकाजी डिपो, मोदी मिल्स (2)
311.	नेहरू प्लेस टर्मिनल—आजादपुर टर्मिनल बाया मूल चन्द, रिंग रोड, डब्ल्यू. पी. डिपो (5)
312.	अलकनन्दा—मिन्टो रोड टर्मिनल बाया गोविन्द पुरी, मोदी मिल्स, लाजपत नगर, पन्त नगर, बड़ौदा हाउस, कनाट सर्कस (4)
313.	ओखला—मोरी गेट बाया भारत नगर, आश्रम, चिड़ियाघर, आई. टी. ओ., राजघाट (2)
314.	तारा आर्ट्स—मोरी गेट (टर्मि.) बाया ग्रेटर कैलाश, मूलचन्द, सन्त नगर, चिड़ियाघर, आई. टी. ओ. राजघाट (4)
315.	रघुवीर नगर—ज. ला. ने. स्टेडियम बाया एम. पी. डिपो क्रासिंग, पटेल नगर, केन्द्रीय टर्मिनल, एस. एस. पार्क (2)
316.	डी. डी. ए. कालकाजी—मोरी गेट (टर्मि.) बाया मोदी मिल, आश्रम, चिड़ियाघर, आई. टी. ओ., राजघाट (3)
317.	जल विहार (टर्मि.)—करोल बाग (टर्मि.) बाया अम्बू ज गंज, एस. एस. पार्क, बडौदा हाउस, पहाड़गंज (6)
318.	जैतपुर—जन्तर-मन्तर बाया आश्रम ए. आई. आई. एम. एस., तुगलक रोड, कृषि भवन (2)

क्र० सं०	रूट
319.	मदनपुर खादर—मोरी गेट (टर्मि.) वाया आश्रम, चिड़ियाघर, आई. टी. ओ., राजघाट (1)
320.	जल विहार (टर्मि.)—करोल बाग (टर्मि.) वाया जंगपुरा, चिड़ियाघर, बड़ौदा हाउस, कनाट प्लेस (1)
321.	बदरपुर बार्डर—मिन्टो रोड टर्मिनल वाया आश्रम, ए. आई. आई. एम. एस., तुगलक रोड, कृषि भवन (5)
322.	साकेत—लाल किला वाया एम. सी. के. आर. होस्पीटल, सुन्दर नगर, आई. टी. ओ., दिल्ली गेट (2)
323.	अम्बेडकर नगर (टर्मि.)—ओखला वाया हमदर्द नगर, मोदी मिल्स, आश्रम (2)
324.	तुगलकाबाद रेलवे कालोनी—एस. एन. डिपो वाया कालकाजी डिपो, लाजपत नगर, ए. आई. आई. एम. एस. (4)
325.	भौला कुआं—लाजपत नगर वाया आर. के. पुरम., आई. आई. टी. गेट, नेहरू प्लेस, मोदी मिल (3)
326.	हमदर्द नगर—अम्बेडकर स्टेडियम वाया मोदी मिल, आश्रम, चिड़ियाघर, आई. टी. ओ. (2)
327.	ग्रेटर कैलाश—I—जन्तर-मन्तर वाया कैलाश कालोनी, एम. सी. के. आर. होस्पीटल, सफदरजंग अस्पताल, लोधी कालोनी (2)
328.	ग्रेटर कैलाश-I—सुपर बाजार वाया कैलाश कालोनी, लाजपत नगर, पन्त नगर, बड़ौदा हाउस (2)
329.	डी. डी. ए. फ्लैट्स कालकाजी—केन्द्रीय टर्मिनल वाया मोदी मिल, लाजपत नगर, ए. आई. आई. एम. एस, कृषि भवन (3)
330.	कालकाजी एक्ट.—केन्द्रीय टर्मिनल वाया नेहरू प्लेस, एन्ड्रूजगंज, एस. एस. पार्क, कृषि भवन (2)
331.	कालकाजी एक्ट.—मोरी गेट (टर्मि.) वाया नेहरू प्लेस, एम. सी. के. आर. होस्पीटल, चिड़ियाघर, आई. टी. ओ, राज घाट (2)
332.	कालकाजी एक्ट.—मिन्टो रोड टर्मिनल वाया नेहरू प्लेस, आई. पी. नगर, ए. आई. आई. एम. एस, तुगलक रोड, कृषि भवन (2)
333.	डी, डी. ए. फ्लैट्स कालकाजी—जन्तर-मन्तर वाया सी. आर. पार्क, एम. सी. के. आर. होस्पीटल, बड़ौदा हाउस, कृषि भवन (4)

क्र० सं०	रूट
334.	साकेत—सुपर बाजार बाया खेल गांव, ए. आई. आई. एम. एस, तुगलक रोड, कृषि भवन (3)
335.	साकेत—मोरी गेट (टर्मि.) बाया आई.आई. टी. गेट, ए. आई. आई. एम. एस. शाहजहां रोड, आई. टी. ओ, राजघाट (4)
336.	महरौली—रेलवे स्टेशन बाया ए. आई. एम. एस, सफदरजंग एयर पोर्ट, शाहजहां रोड, आई. टी. ओ, लाल किला (5)
337.	मालवीय नगर—मोरी गेट (टर्मि.) बाया ए. आई. आई. एम. एस, सफदरजंग एयर पोर्ट, शाहजहां रोड, आई. टी. ओ, राजघाट (5)
338.	मालवीय नगर—कमला मार्किट बाया खेल गांव, लाजपत नगर, जंगपुरा, निजामुद्दीन, आई. टी. ओ. (2)
339.	महरौली—कमला मार्किट बाया ए. आई. आई. एम. एस. सफदरजंग एयरपोर्ट, जनपथ, कनाट सर्कस (4)
340.	मुनीरका—ओखला बाया आई. आई. टी. गेट, ए. आई. आई. एम. एस, आश्रम, भारत नगर (4)
341.	प्रैस इन्क्लेव—अम्बेडकर स्टेडियम बाया खेल गांव, ए. आई. आई. एम. एस. तुगलक रोड, कृषि भवन, कनाट प्लेस, मन्डी हाउस, आई. टी. ओ. (1)
342.	मदन गिरी—एस. जे. टर्मिनल बाया आई. आई. टी. गेट, साकेत, नव सराय (2)
343.	हौज खास टर्मिनल—केन्द्रीय टर्मिनल बाया ए. आई. आई. एम. एस., तुगलक रोड, कृषि भवन (3)
344.	सफदरजंग टर्मिनल—धौला कुआं बाया आई. आई. टी. गेट, कुतुब इन्क्लेव, आर. के. पुरम, मोती बाग (2)
345.	एस. एन. डिपो—ए. एन. टर्मिनल सैक्टर 4 बाया आई. एन. ए, ए. आई. आई. एम. एस., साकेत (8)
346.	एस. एस. पार्क—ए. एन. टर्मिनल बाया सफदरजंग एयरपोर्ट, आई. आई. टी. गेट, साकेत (3)
347.	एस. एन. डिपो—कालकाजी एक्ट्र. बाया ए. आई. आई. एम. एस. मालवीय नगर, चिराग दिल्ली (4)
348.	हौज खास टर्मिनल—रेलवे स्टेशन बाया खेल गांव, डिफेंस कालोनी, एस. एस. पार्क, बड़ौदा हाउस, मन्डी हाउस, दिल्ली गेट (3)

क्र० सं०	रूट

349. सफदरजंग टर्मिनल—माटी काल गांव बाया ए. आई. आई. एम. एस, महरौली, फतेहपुर बेरी (5)

350. सफदरजंग टर्मिनल—आया नगर बाया ए. आई. आई. एम. एस., महरौली, सुलतानपुर (4)

351. तिलक नगर—लोधी कालोनी बाया सिल्वी प्लेस, धौला कुआं, ए. आई. आई. एम. एस., आई. एन. ए. (5)

352. मन्डी गांव—सफदरजंग टर्मिनल बाया गांधी पुर, महरौली, ए. आई. आई. एम. एस. (4)

353. मालवीया नगर—सुपर बाजार बाया आई. आई. टी. गेट, सफदरजंग एयरपोर्ट, कृषि भवन (4)

354. अम्बेडकर नगर सैक्टर—प्लाजा बाया चिराग दिल्ली, एम्स जंक्शन, लोधी कालोनी, जनपथ (7)

355. अम्बेडकर नगर टर्मिनल—ए. एस. रोड बाया चिराग दिल्ली, एम्स जंक्शन, लोधी कालोनी, शिवाजी स्टेडियम, मन्दिर मार्ग (3)

356. महरौली—माटी खान बाया झरपुर, जावन पब्लिक स्कूल (4)

357. मालवीय नगर—रेलवे स्टेशन बाया मेडिकल एम्स जंक्शन, पंत नगर, आई. टी. ओ., लाल किला (3)

358. बदरपुर बार्डर—आर्या नगर बाया एम. बी. रोड, महरौली, गटोरली, एयरफोर्स स्टेशन (2)

359. ए. एन. टर्मिनल—केन्द्रीय टर्मिनल बाया सातकेत, आई. आई. टी. गेट, सफदरजंग हवाई अड्डा, कृषि भवन (2)

360. बापू धाम—पुष्पा विहार सैक्टर 1 बाया धौला कुआं, आर. के. पुरम, कुतुब इन्क्लेव, प्रैस इन्क्लेव (3)

361. खेल सराय फेज 1—मिन्टो रोड टर्मिनल बाया पंचशील क्लब, सफदरजंग हवाई अड्डा, कृषि भवन (1)

362. ज्वालापुरी स्कूल—सफदरजंग टर्मिनल बाया चेड़ागढ़ी पंजाबी बाग, रिंग रोड, मेडिकल (1)

363. महरौली—केन्द्रीय टर्मिनल बाया आई. आई. टी. गेट, सफदरजंग हवाई अड्डा, कृषि भवन (1)

क्र० सं०	रूट

364. साकिन नगर—मिन्टो रोड टर्मिनल बाया एन्ड्रूज गंज मेडिकल, सफदरजंग हवाई अड्डा, कृषि भवन (1)

365. पुष्प विहार सैक्टर—मिन्टो रोड टर्मिनल बाया खेल गांव, मेडिकल, तुगलक रोड, कृषि भवन (2)

366. महरौली—मोरी गेट टर्मिनल बाया आई. आई. टी. गेट, सफदरजंग हवाई अड्डा, इंडिया गेट, आई. टी. ओ., राजघाट (5)

367. राजेन्द्र नगर मार्किट—मालवीय नगर बाया करोल बाग, कनाट प्लेस, कृषि भवन, आई. आई. टी. गेट (3)

368. एस. एन. डिपो—छतपुर बाया मेडिकल, महरौली, अधेरिया बाग (2)

369. रिंग पुरी स्कूल—सफदरजंग टर्मिनल बाया महिपाल पुर, किशन गढ़, महरौली, मेडिकल (1)

370. मालवीय नगर—विकास पुरी बाया आई.आई.टी. गेट, कुतुब इन्क्लेव, आर. के. पुरम, धोला कुआं, किल्ली प्लेस, जनकपुरी, तिलक नगर (3)

371. महरौली—नांगलोई बाया किशन गढ़, कामस सेड़ा, झट्टीकरा, नजबगढ़ (3)

372. अलकनन्दा—केन्द्रीय टर्मिनल बाया गेटर कैलाश, खेल गांव, मेडिकल, तुगलक रोड, कृषि भवन (3)

373. सी. आर. पार्क—जन्तर मन्तर बाया —वही— (3)

374. एस. एन. डिपो—ए. एन. टर्मिनल बाया मेडिकल, एन्ड्रूज गंज, शेख सराय (3)

375. तुगलकाबाद गांव— मिन्टो रोड टर्मिनल बाया दक्षिणपुरी, मालवीय नगर, सफदरजंग हवाई अड्डा, कृषि भवन (3)

376. हौस खास टर्मिनल—आनन्द पर्वत बाया मेडिकल, नौरोजी नगर, विनय मार्ग, कृषि भवन, गोल मार्किट, करोल बाग (1)

377. जन्तर मन्तर—सफदरजंग इन्क्लेव बाया कृषि भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, कमल, मुहम्मद पुर (2)

378. सफदरजंग इन्क्लेव—मोरी गेट टर्मिनल बाया कमल सिनेमा, मेडिकल, शाहजहां रोड, आई. टी. ओ., राजघाट (3)

379. नांगलोई—सफदरजंग टर्मिनल बाया पीढ़ागढ़ी, पंजाबी बाग, रिंग रोड, मेडिकल (1)

380. मंगोल पुरी एस ब्लाक—सफदरजंग टर्मिनल बाया पीढ़ागढ़ी, पंजाबी बाग, रिंग रोड, मेडिकल (3)

क्र० सं०	रूट

381. सुलतान पुरी डी-ब्लाक -- सफदरजंग टर्मिनल बाया पीढ़ागढ़ी, पंजाबी बाग, रिंग रोड, मेडिकल (3)

382. नजबगढ़—सफदरजंग टर्मिनल बाया झावला कापस गेढ़ा, महिपाल पुर, बसंत गांव (2)

383. ए. नगर सेक्टर-5—केन्द्रीय टर्मिनल बाया चिराग दिल्ली, खेल गांव, डिफेंस कालोनी, शाहजहां रोड, कृषि भवन (5)

384. देवली—केन्द्रीय टर्मिनल बाया खेल सराय, आई. आई. टी. गेट, सफदरजंग हवाई अड्डा, कृषि भवन (2)

385. तिलक नगर—ज. ला. ने. स्टेडियम बाया किंग्ज वे प्लेस, धौला कुआं, मेडिकल, लोधी कालोनी (2)

386. आर. के. पुरम-1—यू. प्रीतमपुरा बाया रिंग रोड, पंजाबी बाग, महिन्द्रा पार्क (4)

387. बसन्त विहार—लाल किला बाया आर. के. पुरम, विनय मार्ग, कृषि भवन, कनाट सर्कस, मिन्टो रोड, दिल्ली गेट (2)

388. बसन्त विहार—मोरी गेट (टर्मि.) बाया मोती बाग, विनय मार्ग, कृषि भवन, कनाट प्लेस, मन्डी हाउस, आई. टी. ओ., राजघाट (2)

389. आर. के. पुरम-1—केन्द्रीय टर्मिनल बाया एस. एन. डिपो, विनय मार्ग, कृषि भवन (4)

390. बापू धाम—प्रगति मैदान बाया धौला कुआं, आर. के. पुरम, लोधी कालोनी, चिड़िया घर (3)

391. पूर्वांचल होस्टल—मिन्टो रोड टर्मिनल बाया आई. आई. टी. होस्टल, एस. एन. डिपो, सफदरजंग हवाई अड्डा, जनपथ (4)

392. बसन्त कुंज—जन्तर मन्तर बाया जे. एल. एन. यूनि., एस. एन. डिपो, विनय मार्ग, कृषि भवन (3)

393. एस. पी. डिपो—सफररजंग टर्मिनल बाया शंकर रोड, रिंग रोड, यू. एस. एस. आर. अम्बेसी, आर. के. पुरम, कुतुब इन्क्लेव, मेडिकल (2)

394. हौस खास टर्मिनल—प्लाजा बाया एस. एम. टैम्पल, मोती बाग, कृषि भवन (8)

395. मुनिरका—मोरी गेट (टर्मि.) बाया एस. एम. टैम्पल, मुहम्मद पुर, मेडिकल, शाहजहां रोड, आई. टी. ओ. (3)

396. आर. के. पुरम-1—कृष्णा नगर बाया मेडिकल, शाहजहां रोड, आई. टी. ओ., लाल किला, गांधी नगर (5)

क्र० सं०	रूट
397.	वसन्त विहार टर्मिनल—निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन वाया आर. के. पुरम, सफदरजंग हवाई अड्डा, भारती नगर, स्टाफ क्लब (4)
398.	आर. के. पुरम-1—उत्तम नगर (टर्मि.) वाया धौला कुआं, फ्रिज़ी प्लेस, तिलक नगर (4)
399.	आर. के. पुरम-1—ब्यासा जी कालोनी वाया धौला कुआं, फ्रिज़ी प्लेस, तिलक नगर (3)
400.	जन्तर मन्तर—साउथ कैम्पस वाया कृषि भवन, विनय मार्ग, मोती बाग (1)
401.	आर. के. पुरम-1—शालीमार बाग वाया रिंग रोड, वजीरपुर डिपो-1 (3)
402.	नानक पुरा (सी. सी.) - लाल किला वाया मोती बाग, तीन मूर्ति, कृषि भवन, कनाट सर्कस, मिन्टो रोड, दिल्ली गेट (2)
403.	मुनिरका—केन्द्रीय टर्मिनल वाया वसन्त विहार, मोती बाग, तीन मूर्ति, कृषि भवन (1)
404.	बारा टूटी—वसन्त विहार वाया पहाड़ गंज, एन. डी. पी. ओ., कृषि भवन, तीन मूर्ति, मोती बाग (1)
405.	वसन्त विहार (टर्मि.)—जन्तर मन्तर वाया मोती बाग, विनय मार्ग, कृषि भवन (4)
406.	पूर्वांचल होस्टल—पूर्वांचल होस्टल वाया ज. ला. ने. यू., आर. के. पुरम, मेडिकल, आई. आई. टी. गेट, कुतुब इन्क्लेव (1)
407.	अम्बेडकर नगर (टर्मि.)—केन्द्रीय टर्मिनल वाया साकेत, कुतुब इन्क्लेव, आर. के. पुरम, तीन मूर्ति, कृषि भवन (6)
408.	नरैला—नजबगढ़ वाया कुतुबगढ़, रानी खेड़ा, नांगलोई, डी. के. डिपो (3)
409.	धौला कुआं—शाहदरा वाया रिंग रोड, आश्रम, चिड़ियाघर, आई. टी. ओ., राज-घाट, यमुना ब्रिज (4)
410.	शक्करपुर-ए-1—जनकपुरी वाया आई. टी. ओ., कनाट प्लेस, केन्द्रीय टर्मिनल, रेलवे कालोनी, धौला कुआं, फ्रिज़ी प्लेस (2)
411.	शक्करपुर-बी-1—जनकपुरी वाया आई. टी. ओ., कनाट प्लेस, केन्द्रीय टर्मिनल, रेलवे कालोनी, धौला कुआं, फ्रिज़ी प्लेस (2)
412.	धौला कुआं—ज. ला. ने. स्टेडियम वाया मोती बाग, आर. के. पुरम, सफदरजंग इन्क्लेव, मेडिकल, डिफेंस कालोनी (1)

क्र० सं०	रूट

413. किंग्सी प्लेस—नजफगढ़ बाया जनकपुरी, डाबरी, ककरोला, नांगली सकरौती (1)

414. आई. जी. आई. हवाई अड्डा—सुलतानपुरी बाया पालम हवाई अड्डा, धौला कुआं, पंजाबी बाग, पीढ़ामढ़ी (1)

415. धौला कुआं/बापूधाम—केन्द्रीय टर्मिनल बाया मोती बाग, तीन मूर्ति, कृषि भवन (1)

416. बी-1—जनकपुरी—लाजपत नगर नगर बाया किंग्सी प्लेस, धौला कुआं, आर. के. पुरम, मेडिकल (6)

417. चाणक्यपुरी टर्मिनल—कापस हेरा बार्डर बाया धौला कुआं, पालम हवाईअड्डा, रंगपुरी, समलका (2)

418. काजोकरी हरिजन बस्ती—सफदरजंग टर्मिनल बाया समलका, महिपालपुर, किशन गढ़, महरौली, आई. आई. टी. गेट (1)

419. मंगला पुरी—महरौली बाया पालम हवाई अड्डा, महिपाल पुर, फ्लाईंग, किशन गढ़, कुतुब (1)

420. धुलसिराम—चाणक्यपुरी टर्मिनल बाया पवन पुर, पालम कालोनी, धौला कुआं (1)

421. बदरपुर बार्डर—नांगल डेरी बाया एम. बी. रोड, महरौली, किशन गढ़, महिपाल पुर (1)

422. आई. जी. आई. हवाई अड्डा—कर्मपुरा (टर्मि.) बाया पालम हवाई अड्डा, किंग्सी प्लेस, तिलक नगर (1)

423. केन्द्रीय टर्मिनल—जनकपुरी बी-1 बाया कृषि भवन, तीन मूर्ति, धौला कुआं (4)

424. आई. एस. बी. टी.—मंगलापुरी बाया आईस फैक्ट्री, करोल बाग, टोडापुर, मायापुरी, डाबरी (4)

425. अम्बेडकर नगर (टर्मि.)—बदु सराय बाया मण्डी हाउस, केन्द्रीय टर्मिनल, धौला कुआं, महिपाल पुर, फ्लाईंग, कापस हेडा, बिजवासन, कापस हेड़ा (2)

426. उत्तम नगर (अर्थ.)—नेहरू प्लेस (टर्मि.) बाया किंग्सी प्लेस, धौला कुआं, कैलाश कालोनी (2)

427. हौज खास (टर्मि.)—इन्द्रापुरी, जे. जे. कालोनी बाया सफदरजंग हवाई अड्डा, कृषि भवन, शंकर रोड, टोडर पुर (1)

428. चाणक्य पुरी (टर्मि.)—विकास पुरी बाया रिंग रोड, मायापुरी, हरिनगर, घंटाघर (1)

क्र० सं०	रूट
429.	ज. ला. ने. स्टेडियम (टर्मि.)—पालम गांव वाया एम. सी. के. आर. होस्पीटल, रिंग रोड, आर. के. पुरम, पालम हवाई अड्डा (6)
430.	जनकपुरी ए-1—केन्द्रीय टर्मिनल वाया वाइकिल डिपो, धौला कुआं, तालकटोरा गार्डन (2)
431.	पोचन पुर—बी. एम. डी. चौक वाया धौला कुआं, तालकटोरा गार्डन, कनाट सर्कस, अजमेरी गेट (1)
432.	पालम गांव —मोरी गेट (टर्मि.) वाया दिल्ली कैन्ट, एम. पी. डिपो, मोती नगर, बर्फ-खाना (1)
433.	बिजवासन बार्डर—शिवाजी स्टेडियम वाया समालका, धौला कुआं, तीन मूर्ति, कृषि भवन (1)
434.	मटियाला—सफदरजंग (टर्मि.) वाया पालम गांव, वसंत गांव, मोती बाग (1)
435.	नजबगढ़—ज. ला. ने. स्टेडियम वाया पालम गांव, राय तुला राम मार्ग, डिफेन्स कालोनी (1)
436.	उत्तम नगर (टर्मि.) —केन्द्रीय टर्मिनल वाया दिल्ली कैन्ट, रेलवे कालोनी, नार्थ एवेन्यू (4)
437.	करोल बाग (टर्मि.)—एस. एन. डिपो वाया धौला कुआं, मुनिरका, मुहम्मद पुर (4)
438.	जनकपुरी सी-1—कमला मार्किट वाया लाजवन्ती गार्डन, नारायणा विहार, राजेन्द्र नगर (4)
439.	उत्तर नगर (टर्मि.)—मोरी गेट टर्मिनल वाया जनकपुरी, नारायण विहार, अजमेरी गेट, आई. एस. बी. टी. (2)
440.	क्रिश्चियन प्लेस—कमला मार्किट वाया धौला कुआं, फैज रोड, पहाड़गंज (1)
441.	नारायणा विहार—भाई परमानन्द कालोनी वाया शंकर रोड, बर्फखाना, बी. बी. एम. डिपो (1)
442.	क्रिश्चियन प्लेस—बी. एम. डी. चौक वाया धौला कुआं, केन्द्रीय टर्मिनल, अजमेरी गेट, लाल किला (3)
443.	पालम (मंगला पुरी)—आजाद पुर (टर्मि.) वाया जनकपुरी, बाहरी रिंग रोड, बजीरपुर डिपो (4)

क्र० सं०	रूट

444. नजबगढ़—नेहरू प्लेस टर्मिनल वाया पालम गांव, मुनिरका, कालकाजी मोड़ (2)

445. पालम गांव—अम्बेडकर स्टेडियम वाया धोला कुआं, केन्द्रीय टर्मिनल, आई. टी. ओ. (4)

446. अमरोही गांव—केन्द्रीय टर्मिनल वाया पालम गांव, धोला कुआं, तालकटोरा गार्डन (1)

447. आई. जी. आई. हवाई अड्डा—चाणक्यपुरी टर्मिनल वाया पालम गांव, दिल्ली कैन्ट, धोला कुआं (1)

448. भरथल—अम्बेडकर स्टेडियम वाया धोला कुआं, केन्द्रीय टर्मिनल, आई. टी. ओ. (1)

449. मधु विहार—कर्मपुरा टर्मिनल वाया लाजवती गार्डन, एम. पी. डिपो, कीर्ति नगर (1)

450. आई. जी. आई. हवाई अड्डा—सुपर बाजार वाया बसंत गांव, कृषि भवन, पालिका केन्द्र (4)

451. पालम गांव—मिन्टो रोड (टर्मि.) वाया बसन्त गांव, विनय मार्ग, कनॉट सर्कस (2)

452. नजबगढ़—शहीद भगत सिंह मार्ग (टर्मि.) वाया जनकपुरी, धौलाकुआं, तीन मूर्ति, मण्डी हाउस (3)

453. नजबगढ़—केन्द्रीय टर्मिनल वाया कापस हेड़ा, सुब्रतो पार्क, गुड़गांव (3)

454. विकासपुरी एच 3—अम्बेडकर स्टेडियम वाया तिलक नगर, धौला कुआं, कृषि भवन, आई. टी. ओ. (2)

455. आई. जी. आई. हवाई अड्डा—कर्मपुरा टर्मिनल वाया पालम गांव, जनकपुरी, तिलक नगर (2)

456. राजागार्डन टर्मिनल—मोरी गेट टर्मिनल वाया मोती नगर, पंचकुइयां रोड, दिल्ली गेट (3)

457. किंग्ज प्लेस—कर्मपुरा टर्मिनल वाया तिलक नगर, राजागार्डन (2)

458. चाणक्यपुरी टर्मिनल—कर्मपुरा टर्मिनल वाया बरार स्क्वायर, एम. पी. डिपो, राजागार्डन (1)

459. मेजर भूपेन्द्र सिंह नगर—आई. एस. बी. टी. वाया मोती नगर, दयाबस्ती, बर्फ खाना (4)

460. पपरावत गांव—कर्मपुरा टर्मिनल वाया नजबगढ़, तिलक नगर, राजागार्डन (1)

क्र० सं०	रूट
461.	कैलाश पुरी—कर्मपुरा टर्मिनल बाया सी-2 बी जनकपुरी, राजागार्डन (2)
462.	मंगोल पुरी एस. ब्लाक—तिलक नगर बाया पीढ़ागढ़ी, पंजाबी बाग टर्मिनल, एम. पी. डिपो (4)
463.	नीलबल गांव—तिलक नगर बाया दिचाऊं कला, ककरोला, ब्रिज, उत्तम नगर (1)
464.	उत्तम नगर (टर्मि.)—केन्द्रीय टर्मिनल बाया मोती नगर, शंकर रोड, राम मनोहर लोहिया होस्पीटल (6)
465.	जनकपुरी सी-1—कर्मपुरा (टर्मि.) बाया जिला केन्द्र, तिलक नगर, मोती नगर (1)
466.	जनकपुरी सी-1— आई. एस. बी. टी. बाया तिलक नगर, शक्ति नगर, आई. पी. कालेज (2)
467.	ब्याला—पहाड़ गंज थाना बाया मोती नगर, राजेन्द्र नगर, झंडेवालान (2)
468.	चुखंडी—करोल बाग (टर्मि) बाया राजागार्डन, पटेल नगर (1)
469.	उत्तम नगर (टर्मि.) —मलकागंज बाया मोती नगर, शक्ति नगर, जवाहर नगर (4)
470.	नजबगढ़/मोती नगर—रेलवे स्टेशन बाया तिलक नगर, जखीरा, बर्फ खाना, आई. एस. बी. टी. (8)
471.	जटीकरा—तिलक नगर/कश्मीरी गेट बाया नजबगढ़, जखीरा, बर्फ खाना (1)
472.	पंडवालाकलां—तिलक नगर बाया रेवला खानपुर, नजबगढ़, उत्तम नगर (1)
473.	सुभाष नगर—शिवाजी स्टेडियम बाया मोती नगर, शंकर रोड, केन्द्रीय टर्मि. (4)
474.	जाफरपुर कलां—तिलक नगर बाया मिराऊ, नजबगढ़, उत्तम नगर (1)
475.	ईशापुर—तिलक नगर/रेलवे स्टेशन बाया उत्तम नगर, जखीरा, बर्फ खाना, बस अड्डा (1)
476.	कर्मपुरा टर्मि.—प्रगति मैदान बाया देवनगर, दिल्ली गेट, आई. पी. डिपो (4)
477.	कैयर गांव—तिलक नगर बाया मितराऊ, नजबगढ़, उत्तम नगर (1)
478.	झड़ौदा—तिलक नगर/रेलवे स्टेशन बाया नजबगढ़, जखीरा, बर्फ खाना बस अड्डा (4)
479.	खेरा डाबर—तिलक नगर/के. ब्रिज बाया नजबगढ़, जखीरा, बर्फ खाना, बस अड्डा (1)
480.	दौराला—तिलक नगर/के. ब्रिज बाया नजबगढ़, जखीरा, बर्फ खाना, बस अड्डा (3)

क्र० सं०	रूट

481. गालिब पुर—तिलक नगर/के. ब्रिज वाया नजबगढ़, जखीरा, बर्फ खाना, बस अड्डा (2)

482. शिकारपुर—तिलक नगर वाया दौलतपुर, नजबगढ़, उत्तम नगर (1)

483. क्याला—केन्द्रीय टर्मिनल मुखर्जी पार्क, पटेल नगर, शंकर रोड (4)

484. जनकपुरी डी ब्लाक—शाहदरा वाया तिलक नगर, पटेल नगर, पुषा रोड, आई. टी. ओ. (4)

485. जनकपुरी डी ब्लाक—शाहदरा वाया जखीरा, बस अड्डा, सीलमपुर (4)

486. ताजपुर गोला—कमंपुरा वाया नजबगढ़, उत्तम नगर, राजागार्डन (1)

487. नानक हेड़ी—नजबगढ़ वाया बादुसराय कांगन हेड़ी, रोशन पुरा (1)

488. डांसा बार्डर—तिलक नगर/रेलवे स्टेशन वाया नजबगढ़, जखीरा, बर्फ खाना (4)

489. मंडेला कलां—तिलक नगर के ब्रिज वाया नजबगढ़, जखीरा, बर्फ खाना, बस अड्डा (2)

490. उत्तम नगर टर्मि.—जामा मज्जिद वाया एम. पी. डिपो, पटेल नगर, करोल बाग टर्मि., दिल्ली गेट (7)

491. हस्थल—रेलवे स्टेशन वाया तिलक नगर, जखीरा, बर्फ खाना, बस अड्डा (1)

492. हरिनगर डिपो—शिवाजी स्टेडियम वाया नारायण विहार, पुषा रोड, एन. डी. पी. ओ. (2)

493. क्याला—जे. जे. कालोनी—बस अड्डा वाया मोती नगर, जखीरा, बर्फ खाना, बस अड्डा (3)

494. रघुवीर नगर—बस अड्डा वाया मोती नगर, देव नगर, बर्फ खाना (4)

495. उत्तम नगर (टर्मि.)—शालीमार बाग, वाया जनकपुरी, तिलक नगर, डब्ल्यू. पी. डिपो (2)

496. सारंगपुर—नजबगढ़ वाया झुल-झूलसी, सुमासपुर, मितराऊ (1)

497. दौलतपुर—तिलक नगर वाया रेवया खानपुर, नजबगढ़, नवादा (1)

498. तिलक नगर—सुलतानपुर वाया हरी नगर चौक, घंटाघर, एम. पी. डिपो, पंजाबी बाग (टर्मि.) (1)

499. उत्तम नगर (टर्मि.)—बस अड्डा वाया जखीरा, किशन गंज, मार्किट, बर्फ खाना (3)

क्र० सं०	रूट
500.	बकर गढ़ बार्डर—तिलक नगर बाया मित्राऊ, नजफगढ़, उत्तम नगर (1)
501.	नागलोई जे. जे. कालोनी—तिलकनगर बाया पंजाबी बाग, (ट.) एम. पी. डिपो, एच. एस. डिपो (2)
502.	राजा गार्डन (ट.)—एस. भगत सिंह (ट.) बाया पटेल नगर, करोलबाग (ट.) अजमेरी गेट (2)
503	उत्तम नगर (ट.)—भगत सिंह (ट.) बाया मोती नगर, पूसा रोड, कनाट सर्कस, आई. टी. ओ. (7)
504.	एच. एन ब्लाक टावर—करोल बाग (ट.) बाया तिलक नगर, पटेल नगर, देव नगर (4)
505.	उत्तम नगर (ट.)—करोल बाग (ट.) बाया एम. पी. डिपो, इन्द्रपुरी, संतनगर (4)
506.	जनकपुरी सी-1—शिवाजी स्टेडियम (ट.) बाया मोती नगर, पचकुईयां रोड, गोल मार्केट (4)
507.	उत्तम नगर (ट)—पी. एस. पहाड़गंज बाया मोती नगर, पूसा रोड, झंडेवालान (3)
508.	सुभाष नगर—मिन्टो रोड (ट.) बाया मोती नगर, पटेल नगर, पहाड़गंज (1)
509.	रघुबीर नगर—थाना पहाड़गंज बाया मोती नगर, पटेल नगर, पूसा रोड (3)
510.	राजोरी गार्डन एक्स.—कमला मार्केट बाया मोती नगर शंकर रोड, करोलबाग (ट) (2)
511.	राजौरी गार्डन एक्सटे.—शिवाजी स्टेडि. बाया मोतीनगर, सतनगर, गोल मार्केट (2)
512.	विकासपुरी—केन्द्रीय टर्मिनल बाया मोती नगर, शंकर रोड, राम मनो. लोहिया अस्पताल (4)
513.	तिलक नगर—जहांगीर पुरी बाया राजागार्डन, बजीरपुर डिपो, आदर्श नगर (5)
514.	जनकपुरी (डेसू)—मोरी गेट (ट.) बाया तिलक नगर, शंकर रोड, अजमेरी गेट, रिंग रोड (1)
515.	हरि नगर डिपो—आई. एस. बी. टी. बाया एम. पी. डिपो, पूसा रोड, करोल बाग (ट.), बर्फ खाना (2)
516.	तिलक नगर—नेहरू प्लेस (ट.) बाया एम. पी. डिपो, रिंग रोड, कैलाश कालोनी (4)
517.	विकासपुरी—नेहरू प्लेस (ट.) बाया जनक सेतु, धौला कुआं, कैलाश कालोनी (3)
518.	कंझरोला गांव—धर्मपुरा (ट.) बाया उत्तम नगर, तिलक नगर, मोती नगर (1)

क्र० सं०	रूट

519. तिलक नगर—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बाया मोती नगर, देव नगर, पहाड़गंज, अजमेरी गेट (1)

520. विकासपुरी—शिवाजी स्टेडियम बाया मोती नगर, पूसा रोड, मंदिर मार्ग (4)

521. तेजपुर खुर्द—तिलक नगर बाया नजफगढ़, नवादा, उत्तम नगर (1)

522. तिलक नगर—नारायणा विहार बाया तिलक नगर, मोती नगर, लोहा मंडी (2)

523. कैलासपुरी—करोलबाग (ट.) बाया एम. पी. डिपो, पटेलनगर, पूसा रोड (1)

524. डिचाऊं कलां—धरमपुरा (ट) बाया नजफगढ़, उत्तम नगर, तिलक नगर (1)

525. राजा गार्डन(ट.)—विजयासन रेलवे स्टेशन बाया एम. पी. डिपो, पंखा रोड, पोखनपुर मरथल (1)

526. मलिकपुर मोड़—नजफगढ़ बाया समसपुर, मितराऊ (1)

527. विकासपुरी एच-3—मुखर्जी नगर बॉध बाया जखीरा, कन्हैया नगर, माडल टाउन, गुरुतेग बहादुर नगर (1)

528. उत्तम नगर(ट.)—आई. एस. बी. टी. बाया विकास पुरी, आउटर रिंग रोड, आजाद पुर, माल रोड (9)

529. नजफगढ़—कन्हैया नगर बाया तिलक नगर, मोती नगर, जखीरा (1)

530. रेवालाखान पुर—तिलक नगर बाया रोशन पुरा, नजफगढ़, उत्तम नगर (1)

531. नजफगढ़—महरौली बाया चावला, इन्दिरा गांधी हवाई अड्डा, वसंत कुंज, कुतुब (1)

532. उत्तम नगर (ट.)—उत्तम नगर (ट.) बाया पीरा गढ़ी, पंजाबी बाग (ट.), राजा गार्डन (1)

533. हरि नगर घंटाघर—जहांगीरपुरी, बाया रिंग रोड, मोहिन्द्रा पार्क, ज. पीतम पुरा (2)

534. पंजाबी बाग (ट.)—केन्द्रीय टर्मिनल बाया किशनगंज मार्किट, करोल बाग (ट.), आर. एम. एल. अस्पताल (6)

535. कमला मार्केट वाई ब्लाक—मंगोलपुरी बाया लाल किला, गुरु तेग बहादुर नगर, रिंग रोड, मधुबन (8)

536. रेलवे स्टेशन—शकूरपुर जे. जे. कालोनी बाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, शास्त्री नगर, जखीरा (3)

क्र० सं०	रूट

537. आर. ब्लाक, न्यू राजेन्द्र नगर—सुल्तानपुरी वाया पटेल नगर, जखीरा, पंजाबी बाग (ट), नांगलोई (4)

538. शकर पुर—लाजपत नगर वाया रिंग रोड (2)

539. मोरी गेट—कमरुद्दीन नगर वाया आजाद मार्केट, इन्द्रलाल, रोहतक रोड (1)

540. आई. एस. बी. टी—रानी बाग वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, शास्त्री नगर, पंजाबी बाग (ट) (1)

541. रेलवे स्टेशन—सुल्तान नगर वाया आजाद मार्केट, इन्द्र लोक, रोहतक रोड (1)

542. कर्मपुरा (ट.)—सुल्तानपुरी वाया राजागार्डन, पंजाबी बाग (ट.), पीरा गढ़ी (6)

543. रेलवे स्टेशन—रानी बाग वाया आजाद मार्केट, इन्द्रलोक, रोहतक रोड (2)

544. शिवाजी स्टे०—पश्चिम विहार (डब्ल्यू. टी.) वाया शंकर रोड, राजागार्डन, पंजाबी बाग एक्सटेंशन (5)

545. तिलक नगर—रानी बाग वाया राजागार्डन, पंजाबी बाग (ट.) (2)

546. राजागार्डन—मुखर्जीनगर बांध वाया ब्रिटिनिया, अशोक विहार, मौरिस नगर, गुरु तेग बहादुर नगर (6)

547. पंजाबी बाग एक्सटेंशन—बी. आर. अस्पताल वाया ब्रिटिनिया, अशोक विहार, शक्ति-नगर, यूनिवर्सिटी (2)

548. पंजाबी बाग (ट.)—नांगलोई जे. जे. कालोनी-2 वाया मादीपुर, जे. जे. कालोनी, ज्वालाहेड़ी, पीरागढ़ी (1)

549. पंजाबी बाग (ट.)—कंझावाला वाया पीरागढ़ी, मुद्रिका कराना (2)

550. प्रगति मैदान—पश्चिम विहार (डब्ल्यू. टी.) वाया आई. टी. ओ., अजमेरी गेट, आर्य समाज रोड, मोती नगर (2)

551. देव नगर—मादीपुर जे. जे. कालोनी वाया पटेल नगर, जखीरा, पंजाबी बाग (ट.) (3)

552. देव नगर—नांगलोई, जे. जे. कालोनी-2 वाया शास्त्री नगर, रामपुरा, पीरा गढ़ी, नांगलोई (2)

553. देव नगर—पश्चिमपुरी जनता क्वार्टर्स वाया सराय रोहिल्ला, पंजाबी बाग (ट.) मादीपुर, जे. जे. कालोनी (3)

554. पालिका केन्द्र—केशवपुरम (डब्ल्यू. टी.) वाया आर. एम. एल. अस्पताल, मोती नगर, पंजाबी बाग (ट.) (2)

क्र० सं०	रूट
555.	फतेहपुरी—रानीखेड़ा वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, पंजाबी बाग (ट.), बजीरपुर डिपो (1)
556.	फतेहपुरी—नजबगढ़ वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, रोहतक रोड, हिरन कुदमा (1)
557.	फतेहपुरी—नजबगढ़ वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, रोहतक रोड, नांगलोई (1)
558.	मोरी गेट - माजरा डबास वाया आजाद मार्केट, जखीरा, नांगलोई, कंझावला (2)
559.	फतेहपुरी—निलोठी गांव वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, नांगलोई (1)
560.	फतेहपुरी—टिकरी बोर्डर वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, रोहतक रोड (2)
561.	पंजाबी बाग (ट.)—बारावालान वाया रोहतक रोड, चांदपुर क्रासिंग
562.	फतेहपुरी—गढ़ी रडौला वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, नांगलोई, निजामपुर (2)
563.	फतेहपुरी—मुबारकपुर डबास वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, नांगलोई (1)
564.	केन्द्रीय टर्मिनल—रानीबाग वाया शंकर रोड, कर्मपुरा (ट.), पंजाबी बाग (ट.) (3)
565.	पंजाबी बाग (ट.)—बक्करवाला वाया नांगलोई, रनहोला, बकरोला क्रासिंग (1)
566.	आई. एस. बी. टी.—रानी बाग वाया मौरिस नगर, आजादपुर, बजीरपुर डिपो, डी. टी. सी. कालोनी (2)
567.	मोरी गेट—नांगलोई, जे.जे. कालोनी-II वाया गुरू तेग बहादुर नगर, बजीरपुर डिपो, मंगोलपुरी स्कूल (1)
568.	पंजाबी बाग (ट.)—नीलवाल गांव वाया नांगलोई, मुडका, हीरान कुंडा क्रासिंह (1)
569.	आजादपुर (ट.)—माजरा डबास वाया पंजाबी बाग (ट), रानी खेड़ा, चांद पुर (1)
570.	रेलवे स्टेशन—सुलतान पुरी वाया आजाद मार्केट, जखीरा, रोहतक रोड (3)
571.	आजाद पुर (ट.)—टिकरी बोर्डर वाया बजीर डिपो, करारा, खेबरा गांव (1)
572.	मोरी गेट (ट.)—मंगोलपुरी डी ब्लाक वाया आजाद मार्केट, जखीरा, पीरा गढ़ी (2)
573.	शिवाजी स्टे.—एस-ब्लाक मंगोलपुरी वाया केन्द्रीय टर्मिनल, पटेल नगर, जखीरा, पीरा गढ़ी (3)
574.	रेलवे स्टेशन—कुतुबगढ़ वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, नांगलोई, कझोलावाला (1)

क्र० सं०	रूट
575.	फतेहपुरी—कैर/झड़ौदा कालान वाया आजाद मार्केट, लिबर्टी, नांगलोई, नजबगढ़ (1)
576.	सुपर बाजार—जीएच-ब्लाक सुल्तानपुरी वाया पचकुईया रोड, वेस्ट पटेल नगर, पंजाबी बाग (ट.), नांगलोई (1)
577.	केन्द्रीय टर्मिनल—सुल्तानपुरी वाया वेस्ट पटेल नगर, पंजाबी बाग (ट.), नांगलोई (3)
578.	केशवपुरम (डब्ल्यू. टी.)—मफदरजंग अस्पताल वाया सराय रोहिल्ला, पालिका केन्द्रा, लोदी कालोनी (1)
579.	रेलवे स्टेशन—ई ब्लाक सरस्वती विहार वाया आई. एस. बीटी, आजादपुर, मौर्या इन्कलेव, मधुसुदन चौक (1)
580.	पंजाबी बाग (ट)—नरेला वाया कंझालावाला, बजीर पुर, बवाना (1)
581.	अम्बेडकर स्टेडियम (ट.)—गुरू हरिकिशन नगर वाया करोल बाग (ट.), पटेल नगर, पंजाबी बाग एक्सटेंशन (3)
582.	शहीद भगत सिंह (ट.)—मौहिन्द्रा पार्क वाया कनाट सर्कस, देव नगर, शास्त्री नगर, पंजाबी बाग (ट.) (2)
583.	कमला मार्केट—रानी बाग वाया कनाट सर्कस, देव नगर, सराई रोहिल्ला, पंजाबी बाग एक्स (ट.) (5)
584.	पंजाबी बाग एक्स.—कमला मार्केट वाया इन्द्र लोक, आजाद मार्केट करोल बाग (ट.) पहाड़गंज (3)
585.	मंगोलपुरी साउथ ब्लाक—करोलबाग बाग (ट) वाया पंजाबी बाग (टर्मिनल), जखीरा, पटेल नगर, देव नगर (10)
586.	सुल्तानपुरी सी/9 सी—करोल बाग (ट) वाया पंजाबी बाग (ट), लिबर्टी, रोहतक रोड (3)
587.	ज्वालापुरी पी. बी. सी. मार्केट, करोल बाग (ट) वाया पंजाबी बाग (ट.) पटेल नगर, देव नगर (1)
588.	पश्चिम विहार—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया पंजाबी बाग (ट.), कमंपुरा, लिबर्टी, पहाड़गंज (1)
589.	बुध विहार—शिवाजी स्टेडियम वाया मोहिन्द्रा पार्क, रोहतक रोड, चित्रगुप्ता रोड (1)

क्र० सं०	रूट

590. गुरु हरिकिशन नगर—राजागार्डन वाया पश्चिम विहार, पंजाबी बाग (ट.), रिंग रोड (1)

591. सुल्तान पुरी—अम्बेडकर स्टेडियम वाया पंजाबी बाग (ट.), लिबर्टी, अजमेरी गेट (1)

592. नांगलोई सैयद—केन्द्रीय टर्मिनल वाया पश्चिम विहार, करमपुरा (ट.), पूसा रोड, एन. डी. पी. ओ. (2)

593. नजबगढ़ —नरेला वाया हिरन कुंडा, जोन्टी, कुतुबगढ़, बवाना (1)

594. बुध विहार—केन्द्रीय टर्मिनल वाया वजीरपुर डिपो, पंजाबी बाग (ट.), शंकर रोड (1)

595. रामपुरा डी. डी. ए. फ्लैट—केन्द्रीय टर्मिनल वाया मोती नगर, पटेल नगर, शंकर रोड (1)

596. सरस्वती विहार—नेहरू प्लेस (ट.) वाया पंजाबी बाग (ट.), रिंग रोड, कैलास कलोनी (2)

597. पश्चिम विहार बी. जी.-5—केन्द्रीय टर्मिनल वाया पंजाबी बाग (ट.), पटेल नगर, मन्दिर मार्ग (1)

598. नांगलोई जे. जे. कालोनी—शिवाजी स्टेडियम वाया पंजाबी बाग (ट.). देव नगर, डब्ल्यू. डी. पी. ओ. (1)

599. टिकरी बार्डर—धौलाकुआं वाया नजफगढ़, तिलक नगर, दिल्ली कैन्ट (1)

600. डांसा गांव—पंजाबी बाग (ट.) वाया नजफगढ़, नांगलोई, मादी पुर (1)

601. ठिठाला गांव—आजाद पुर (ट.) वाया मधुबन चौक, वजीरपुर डिपो, रिंग रोड (1)

602. रोहिणी सैक्टर-1—केन्द्रीय टर्मिनल वाया मोहिन्द्रा पार्क, करमपुरा, शंकर रोड (1)

603. रोहिणी सैक्टर-1—रेलवे स्टेशन वाया वजीर डिपो, रिंग रोड, आई. एस. बी. टी. (1)

604. नरेला—नजफगढ़ वाया बवाना, कर्जा, नांगलोई (1)

605. केशवपुरम (डब्ल्यू. टी.)—पालिका केन्द्र वाया मोती नगर, शंकर रोड, केन्द्रीय टर्मि. (1)

क्र० सं०	रूट
606.	मादी पुर जे. जे. कालोनी—अम्बेडकर नगर बाया राजागार्डन, सफदरजंग अस्पताल, महरौली (1)
607.	रोहिणी सेक्टर-6 -केन्द्रीय टर्मिनल बाया वजीरपुर डिपो, लिबर्टी, झंडेवालान, लक्ष्मी नारायण मन्दिर (1)
608.	नरेला—नजफगढ़ बाया बवाना, कंझालावाला, नांगलोई (1)
609.	नजबगढ़ —आजाद पुर (ट.) बाया नांगलोई, पंजाबी बाग (ट.), रिंग रोड (1)
610.	नांगलोई—जे. जे. कालोनी—केन्द्रीय टर्मिनल बाया पंजाबी बाग (ट.), करमपुरा, आर. एम. एल. अस्पताल (3)
611.	नरेला—टीकरी बोर्डर बाया बयाना, कंझालावाला, टिकरी गांव (1)
612.	रोहिणी सेक्टर-3 (ट.)—सफदरजंग (ट.) बाया वजीरपुर डिपो, लिबर्टी, गोल मार्केट, इंडिया गेट (2)
613.	रोहिणी सेक्टर 16—वजीरपुर डिपो बाया मधुबन चौक, मोर्या इन्क., टी. वी. टावर (2)
614.	रोहिणी सेक्टर-16 (ट.)—सफदरजंग (ट.) बाया वजीरपुर डिपो, रिंग रोड, जी. टी. रोड (2)
615.	रिठाला—शिवाजी स्टेडियम बाया वजीर पुर डिपो, कर्मपुरा, मंदिर मार्ग (3)
616.	शाहदरा डिपो—पटपड़गंज डिपो बाया दिलशाद गार्डन, जगत पुरी, करकारी मोड़ (1)
617.	पूसा इंटीच्यूट—अजमेरी गेट बाया शंकर रोड, ए. एस. रोड, पहाड़गंज (1)
618.	झड़ौदा गांव—जी. टी. बी. नगर बाया निरंकारी कालोनी, ढांके गांव (1)
619.	हामिदपुर—रेलवे स्टेशन बाया आजादपुर, आर. पी. बाग, आईस फैक्ट्री (1)
620.	टिकरी खुर्द—रेलवे स्टेशन बाया आजादपुर, बर्फ खाना, आई. एस. बी. टी. (1)
621.	ताजपुर कलां—रेलवे स्टेशन, आजादपुर, आईस फैक्ट्री, आई. एस. बी. टी. (1)
622.	सुलतानपुर डबास—रेलवे स्टेशन बाया बरवाला, आर. पी. बाग, आई. एम. बी. टी. (1)
623.	शुगरपुर टेम्पल—मोरी गेट बाया बुरारी, गुरु तेग बहादुर नगर, न्यू कोर्टस (1)
624.	कांझालावाला—वजीरपुर डिपो बाया मंगोलपुर, रोहिणी, पीतमपुरा (1)
625.	संतो गांव—रेलवे स्टेशन बाया अलीपुर, आर. पी. बाग, आई. एस. बी. टी. (1)

क्र० सं०	रूट

626. रिठाला—रेलवे स्टेशन वाया रिंग रोड, मौरिस नगर, आई. एस. बी. टी. (1)

627. नरेला—आजादपुर वाया सिंघु बार्डर, हिरांकी, आदर्श नगर (1)

628. हरवेली गांव—मोरी गेट वाया बवाना, आजादपुर, आई. सी. कालेज (1)

629. बकरौली मंदिर—रेलवे स्टेशन वाया आजादपुर, आर. पी. बाग, आई. एस. बी. टी. (1)

630. अली गांव—रेलवे स्टेशन वाया आश्रम, दिल्ली गेट, लाल किला (1)

631. रजोकरी—अम्बेडकर स्टेडियम वाया घौला कुआं, केन्द्रीय टर्मिनल, आई. टी. ओ. (1)

632. नरेला—नजबगढ़ वाया कंझालावाला, नांगलोई, डी. के. डिपो (1)

633. नासीरपुर—चाणक्यपुरी (ट) वाया जनकपुरी, दिल्ली कैन्ट, घौला कुआं (1)

634. सागरपुर स्कूल—केन्द्रीय टर्मिनल वाया जनकपुरी, घौला कुआं, कृषि भवन (1)

635. दौलतपुर गांव—नेहरू स्टेडियम वाया कापस हेड़ा, आर. के. पुरम, मोदी कालोनी (1)

636. ककरोला—रेलवे स्टेशन वाया घौला कुआं, फेज रोड, दिल्ली गेट (1)

637. चाणिक्यपुरी (ट.)—आई. ओ. सी. टर्मिनल वाया सुबर्तो पार्क, रेंमपुरी, कापस हेड़ा (1)

638. बिजवासन बार्डर—करोल बाग (ट.) वाया पालम गांव, नारायणा विहार, ए. एस. रोड (1)

639. भरथल—मोरी गेट वाया धौला कुआं, बी. जयंती पार्क, डी. सी. एम. (1)

640. नजफ गढ़—कौड़िया पुल वाया पंखा रोड, राजा गार्डन, फिल्मिस्तान (1)

641. नजबगढ़—सुरखपुर वाया सुराखपुर मार्ग (1)

642. गढ़ी रंघाला—आजादपुर वाया मुडका, पजाबी बाग (ट.) रिंग रोड (1)

643. पंजाबी बाग (ट.)—निधारी गांव वाया नांगलोई, किरारी स्कूल (1)

644. नांगलोई—नरेला वाया किरारी, कंझालावाला, बवाना (1)

645. जल विहार टर्मिनल—तुगलकाबाद गांव वाया लाजपत नगर, कालकाजी, हमदर्द नगर (1)

646. सेवा नगर रेलवे क्रासिंग—हमदर्द नगर (ट.) वाया खेल गांव, चिराग दिल्ली क्रासिंग (1)

क्र० सं०	रूट

647. सफदरजंग (ट.) - महरौली बाया आर. के. पुरम, कुतुब इन्कलेव, कुतुब (1)

648. पालम गांव—चाणिक्य पुरी रेलवे स्टेशन बाया प्रहलाद पुर, दिल्ली कैन्ट, धौला कुआं (1)

649. जनकपुरी सी-1 —बरार स्कायर रेलवे स्टेशन बाया लाजवंती गार्डन, एम. पी. डिपो, रिंग रोड (1)

650. किर्तीनगर रेलवे स्टेशन—उत्तम नगर (ट.) बाया रिंग रोड, तिलक नगर, जिला सेन्टर (1)

651. कुतुब गढ़—कुतुब गढ़ बाया बवाना, आजादपुर, रोहतक रोड, कंझालावाला (2)

652. जी. टी. बी. नगर— जी. टी. बी. नगर बाया शक्ति नगर, पंजाबी बाग (ट.), मधुबन (4)

653. नजबगढ़—नजबगढ़ बाया कुम्मन हेडा मार्ग, रतवा मार्ग, डासा मार्ग (1)

654. नेताजी नगर—धौला कुआं, पंजाबी बाग (ट.), आई. एस. बी. टी., ए. आई. आई. एम. एस., आजादपुर बाया रिंग रोड, माल रोड, प्रगति मैदान, रिंग रोड (2)

655. लाजपत नगर—राजा गार्डन बाया रिंग रोड, माल रोड (8)

656. रोहिणी टर्मिनल-3—आर. के. पुरम-1 बाया वजीरपुर डिपो, धौला कुआं (9)

657. रोहिणी सेक्टर-16—नेहरू स्टेडियम बाया मधुबन, पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, पटेल नगर (9)

658. रोहिणी सेक्टर-16—जनकपुरी बाया पीरागढ़ी, आउटर रिंग रोड, पंखा रोड (9)

659. बसंतु कुंज सेक्टर-ए —मोरी गेट टर्मिनल बाया आर. के. पुरम, ए. आई. आर. एम. एस., रिंग रोड, आई. टी. ओ., आई. एस. बी. टी. (8)

660. बसंत कुंज सेक्टर-सी—मिन्टो रोड टर्मिनल बाया कुतुब, ए. आई. आई. एम. एस. सफदरजंग हवाई अड्डा, कनाट सर्कस (7)

661. पुष्प विहार सेक्टर-4 —मिन्टो रोड टर्मि. बाया चिराग दिल्ली, पंत नगर, इंडिया गेट, कनाट सर्कस (6)

662. नेहरू प्लेस टर्मिनल—आई. जी. आई. एयर पोर्ट बाया आई. आई. टी. गेट, मुनीरिका, बसंत गांव, पालम मार्ग (9)

663. विकासपुरी—आई. जी. आई एयर पोर्ट बाया जनकपुरी, पालम गांव, महिपालपुर (7)

क्र० सं०	रूप

664. संगम विहार—किर्बी प्लेस बाया ए. एन. टर्मि. कुतुब इन्कलेव, आर. के. पुरम, धौला कुआं (8)

665. मीठापुर—मोरी गेट टर्मिनल बाया मथुरा रोड, आश्रम, रिंग रोड, आई. एस. बी. टी. (7)

666. रजोकरी—मोरी गेट टर्मिनल बाया धौला कुआं, करोग बाग, आईस फैक्ट्री (6)

667. मदनगिर—इन्द्रपुरी, जे. जे. कालोनी बाया कुतुब इन्कलेव, आर. के. पुरम, धौला कुआं, नरायणा (8)

668. मैदान गढ़ी—मोरी गेट टर्मि. बाया कुतुब, ए. आई. आई. एम. एस., रिंग रोड, आश्रम. आई. टी. सी., आई. एस. बी. टी. (6)

669. सुखदेव विहार—धौला कुआं बाया आश्रम, ए. आई. आई. एम. एस., मोती बाग (8)

670. रंगपुरी—मोरी गेट टर्मि. बाया धौला कुआं, करोल बाग, आईस फैक्ट्री (6)

671. सरिता विहार—पंजाबी बाग टर्मि. बाया आश्रम, ए. आई. आई. एम. एस. धौला कुआं, राजा गार्डन (8)

672. अलकनन्दा –मोरी गेट टर्मि. बाया मोदी मिल, ओखला क्रासिंग, आश्रम, रिंग रोड, आई. टी. ओ, आई. एस. बी. टी. (8)

673. सरिता विहार– मोरी गेट टर्मि. बाया आश्रम, रिंग रोड, आई. टी. ओ., आई. एस. बी. टी. (9)

674. निलोठी—मोरी गेट टर्मि. बाया नांगलोई, पीरागढ़ी, मधुबन, जी. टी. के. बाई पास, तिमारपुर, आई. एस. बी. टी. (9)

675. जाकिर नगर—धौला कुआं बाया महारानी बाग, रिंग रोड, ए. आई. आई. एम. एस., मोती बाग (6)

676. आर. के. पुरम-4—मौरिस नगर बाया धौला कुआं, करोल बाग, बर्फखाना, मलका गंज (8)

677. नांगलोई सैयद—सफदरजंग टर्मि. बाया पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, रिंग रोड, धौला कुआं, ए. आई. आई. एम. एस. (8)

678. रोहिणी टर्मिनल-1—प्रगति मैदान बाया पीतमपुरा, बजीरपुर डिपो, आजादपुर, माल रोड, आई. टी. ओ. (8)

679. तेखंड—मोरी गेट टर्मि. बाया कालकाजी डिपो, आश्रम, रिंग रोड, आई. टी. ओ., आई. एस. बी. टी. (8)

क्र० सं०	रूट

680. पप्पनकलां सेक्टर-ए—कन्हैया नगर वाया उत्तम नगर, राजा गार्डन, पंजाबी बाग, बजीरपुर डिपो (8)

681. यमुना विहार (ट.)—मोरी गेट (ट.) वाया बजीराबाद रोड, बेला रोड, बोलबार्ड रोड (8)

682. इन्दिरा पुरी (लोनी बार्डर)—मोरी गेट (ट.) वाया करावल नगर, बजीराबाद रोड, बेला रोड, बोलबाड रोड (8)

683. भजनपुरा—प्रगति मैदान वाया बजीराबाद रोड, बेला रोड, रिंग रोड (8)

684. दिलशाद गार्डन—आजादपुर वाया बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड, जी. टी. रोड (9)

685. गुरेजी—ओखला इन्ड. इस्टेट वाया विकास मार्ग, रिंग रोड, मथुरा रोड (9)

686. गोकलपुरी—राजघाट (ट.) वाया सीलमपुर, रिंग रोड (8)

687. कटकड़डूमा गांव—ओखला इंडस्ट. इस्टेट वाया आई. टी. ओ., रिंग रोड, मथुरा रोड (8)

688. करावल नगर—राजघाट (ट.) वाया बजीराबाद रोड, बेला रोड, रिंग रोड, (8)

689. आनन्द विहार—चौला कुआं वाया आई. टी. ओ., आश्रम, रिंग रोड (9)

690. कल्याणपुरी—न्यू सीमापुरी वाया नेशनल हाईवे, रोड नं० 56, शाहदरा बोर्डर (8)

691. दिलशाद गार्डन—ओखला इन्ड. इस्टेट वाया रोड नं० 56, नेशनल हाइवे, मथुरा रोड (9)

692. सूरजमल पार्क—मोरी गेट (ट.) वाया रोड नं०-57, जी. टी. रोड, आई. एस. बी. टी. ब्रिज (8)

693. त्रिलोकपुरी—मोरी गेट (ट.) वाया नेशनल हाइवे, रोड ब्रिज, रिंग रोड, बोलबाड रोड (8)

694. सीमापुरी—मोरी गेट (ट.) वाया गगन सिनेमा, बजीराबाद रोड, बेला रोड, बोलबार्ड रोड (9)

695. नन्द नगरी—प्रगति मैदान वाया शाहदरा बोर्डर, रोड नं०-56, नेशनल हाईवे, रिंग रोड (8)

696. यमुना विहार—प्रगति मैदान वाया गगन सिनेमा, शाहदरा बोर्डर, रोड नं०-56, एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड (9)

क्र० सं०	रूट

697. नन्दनगरी—मोरी गेट (ट.) बाया वजीराबाद रोड, बेला रोड, बोलबार्ड रोड (9)

698. बाबरपुर एक्सटे.—प्रगति मैदान बाया शाहदरा बोर्डर, रोड नं०-56, एन. एस. डब्ल्यू. रिंग रोड (8)

699. नन्द नगरी—आजादपुर बाया वजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड (9)

700. नन्द नगरी—बुराडी गांव बाया वजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड, बुराडी रोड (8)

701. त्रिलोकपुरी—प्रगति मैदान बाया नेशनल हाईवे, रोड ब्रिज, रिंग रोड (8)

702. कल्याणपुरी—प्रगति मैदान बाया कोटला मार्ग, नेशनल हाईवे, रिंग रोड (8)

703. शालीमार पार्क—प्रगति मैदान बाया रोड नं०-56, नेशनल हाईवे, रिंग रोड (9)

704. विवेक विहार—करावल नगर बाया शाहदरा बोर्डर, गगन सिनेमा, लोनी रोड, जौहरीपुर मार्ग (9)

705. इन्दिरापुरी (लोनी बार्डर)—प्रगति मैदान बाया लोनी रोड, गगन सिनेमा, शाहदरा बोर्डर, एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड (9)

706. विवेक विहार—प्रगति मैदान बाया सूरजमल पार्क, रोड नं०-57, रोड नं०-58, एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड (9)

707. नन्दनगरी (सी. सी.)—मीरी गेट (ट.) बाया वजीराबाद रोड, बेला रोड, बलिबार्ड रोड (9)

708. त्रिलोकपुरी—जगतपुर गांव बाया एन.एस. डब्ल्यू., आऊटर रिंग रोड (8)

709. त्रिलोकपुरी—संतनगर बाया एन. एस. डब्ल्यू., आऊटर रिंग रोड (8)

710. नन्दनगरी—समयपुर बाया वजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड, जी. टी. के. बाईपास (8)

711. करावल नगर—नांगलोई बाया वजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड, रोहतक रोड (8)

712. लक्ष्मी नगर जिला सेन्टर—कटवारिया सराय बाया एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड; सफदरजंग अस्पताल, हौसखास (8)

713. लक्ष्मीनगर जिला सेन्टर—साकेत बाया एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड, मोदी मिल्स, चिराग दिल्ली (8)

क्र० सं०	रूट

714. मयूर विहार फेज-III—बतरा अस्पताल बाया एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड, मथुरा रोड, एम. बी. रोड. (8)

715. लक्ष्मीनगर जिला सेन्टर—तेलंड बाया एन. एस. डब्ल्यू., आश्रम, मोदी मिल्स, कालकाजी डिपो (8)

716. एम. आई. जी. फ्लैट लोनी रोड—प्रगति मैदान बाया बजीराबाद रोड, रिंग रोड, मैरों रोड (8)

717. एम. आई. जी. फ्लैट लोनी रोड—नेहरू प्लेस बाया गगन सिनेमा, साहदरा बोर्डर, रोड नं० 56, एन. एच. डब्ल्यू., आश्रम (9)

718. एम. आई. जी. फ्लैट लोनी रोड—राजेन्द्रा प्लेस बाया बजीराबाद रोड, आई. एस. बी. टी., फिल्मिस्तान, करोल बाग (9)

719. खिल्ला गांव—प्रगति मैदान बाया मयूर विहार फेज-1, रोड ब्रिज, रिंग रोड (7)

720. खिल्ला गांव—नेहरू प्लेस बाया मयूर विहार फेज-1, रोड ब्रिज, रिंग रोड, आश्रम (9)

721. वसुन्धरा इन्कलेव—शिवाजी स्टेडियम बाया कल्याणपुरी, एन. एस. डब्ल्यू, रिंग रोड, प्रगति मैदान (8)

722. वसुन्धरा इन्कलेव—भोला कुआं बाया कल्याणपुरी, एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड, ए. आई. आई. एम. एस. (9)

723. मंडावली (एन. एस. डब्ल्यू.)—शिवाजी स्टेडियम बाया रोड ब्रिज, प्रगति मैदान, मंडी हाउस (8)

724. तेजपुर—दिलशाद गार्डन बाया पुस्ता मार्ग, बजीराबाद रोड, नाथू कालोनी (6)

725. जौहरीपुर गांव—प्रगति मैदान बाया बजीराबाद रोड, रिंग रोड (8)

726. लक्ष्मीनगर जिला सेन्टर—मोरी गेट (ट.) बाया विनय मार्ग, रिंग रोड, आई. एस. बी. टी. (8)

727. नन्द नगरी एक्सटे.—प्रगति मैदान बाया बजीराबाद रोड, रिंग रोड, आई. टी. ओ. (9)

728. सूरजमल पार्क—जे. एल. एन. स्टेडियम बाया विकास मार्ग, रिंग रोड, प्रगति मैदान (8)

729. गोकलपुरी—शिवाजी स्टेडियम बाया बजीराबाद रोड, रिंग रोड, प्रगति मैदान, मंडी हाउस (9)

क्र० सं०	रूट

730. करावल नगर—आजादपुर बाया बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड, जी. टी. रोड (7)

731. आनन्द विहार—आजादपुर बाया रोड नं०-57, सीलमपुर, आई. एस. बी. टी. पुल, आऊटर रिंग रोड (9)

732. नन्द नगरी (ट.)—आनन्द विहार बाया शाहदरा बोर्डर, रोड नं०-56, श्रेष्ठा विहार (6)

733. सीमापुरी—आजादपुर बाया गगन सिनेमा, बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड (9)

734. सीमापुरी—ओखला इन्ड. इस्टेट, बाया शाहदरा बोर्डर, रोड नं०-56, एन. एस. डब्ल्यू., ब्रिज रोड, आश्रम (9)

735. शालीमार पार्क—धौला कुआं बाया रोड नं०-57, पी. पी. जी. डिपो, एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड, ए. आई. आई. एम. एस. (9)

736. विवेक विहार—आजादपुर बाया शाहदरा बोर्डर, बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड, जी. टी. रोड (9)

737. कस्तूरबा नगर—शिवाजी स्टे. बाया विवेक विहार, रोड नं०-56, एस. एन. डब्ल्यू., प्रगति मैदान, मंडी हाउस (9)

738. नन्द नगरी (सी.सी.)—शिवाजी स्टे. बाया बजीराबाद रोड, रिंग रोड, प्रगति मैदान, मंडी हाउस (9)

739. लक्ष्मी नगर जिला सेन्टर—बाबरपुर एक्टे. बाया पी. पी. जी. डिपो, रोड नं०-57, शाहदरा बोर्डर, गगन सिनेमा (7)

740. किशन नगर—धौला कुआं बाया रोड नं०-57, पी. पी. जी. डिपो, एन. एस. डब्ल्यू., रिंग रोड, ए. आई. आई. एम. एस. (9)

741. कृष्णा नगर—ओखला इण्डस्ट. इस्टेट बाया रोड नं०-57, विकास मार्ग, मदर डेयरी, एन. एस. डब्ल्यू, आश्रम (8)

742. कृष्णा नगर—आजादपुर बाया रोड नं०-57, सीलमपुर, आई.एस. बी.टी. पुल, आऊटर रिंग रोड (9)

743. झील—प्रगति मैदान बाया पुस्ता मार्ग, मदर डेयरी, एन. एस. डब्ल्यू., रोड ब्रिज, रिंग रोड (8)

744. दिलशाद गार्डन—ओखला इन्ड. इस्टेट बाया शाहदरा बोर्डर, रोड नं०-56, एन. एस. डब्ल्यू., रोड ब्रिज, आश्रम (9)

क्र० सं०	रूट

745. दिलशाद गार्डन—शिवाजी स्टे. वाया नन्द नगरी, बजीराबाद रोड, रिंग रोड, प्रगति मैदान, मंडी हाउस (9)

746. मयूर विहार फेज-II—आजादपुर वाया एन. एस. ठब्ल्यू., रोड ब्रिज, रिंग रोड, आई, एस. बी. टी. आऊटर रिंग रोड (9)

747. मयूर विहार फेज-II—नेहरू प्लेस (ट.) वाया एन. एस. डब्ल्यू., रोड पुल, रिंग रोड, आश्रम, मोदी मिल (8)

748. शाहदरा—आजादपुर वाया लोनी रोड, बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड (9)

749. शाहदरा—ओखला इन्डस्ट. इस्टेट-वाया शाहदरा बोर्डर, रोड नं०-56, एन. एस. डब्ल्यू., रोड पुल, आश्रम (9)

750. कड़कड़डूमा डी. डी. ए. फ्लैट—प्रगति मैदान वाया रोड नं०-57, पी. पी. जी. डिपो, एन. एस. डब्ल्यू., रोड पुल, रिंग रोड (8)

751. कड़कड़डूमा डी. डी. ए. फ्लैट्स—आजादपुर वाया रोड नं०-57, सीलमपुर, आई. एस. बी. टी. पुल, आउटर रिंग रोड (9)

752. कल्याणपुरी—जे. एल. एन. स्टेडियम वाया एन. एस. डब्ल्यू., रोड पुल, प्रगति मैदान, मथुरा रोड (9)

753. कल्याणपुरी—मोरी गेट (ट.) वाया एन. एच. डब्ल्यू., रोड नं०-56, शाहदरा बोर्डर, बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड (9)

754. डी. डी. ए. फ्लैट गाजीपुर—धौला कुआं वाया एन. एच. डब्ल्यू., रोड पुल, रिंग रोड, आश्रम, ए. आई. आई. एम. एस. (9)

755 त्रिलोकपुरी—शिवाजी स्टेडियम वाया मयूर विहार फेज, पुस्ता मार्ग, एन. एच. डब्ल्यू., रोड पुल, प्रगति मैदान (9)

756. जाफराबाद—संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर वाया बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड (9)

757. जाफराबाद—चिल्ला गांव वाया कान्ती नगर, पी. पी. जी. डिपो, कोटला गांव (8)

758. जाफराबाद—बदरपुर वाया कान्ती नगर, शक्करपुर, मदर डेयरी, मथुरा रोड (9)

759. जाफराबाद—दिलशाद कालोनी वाया लोनी चौक, नन्द नगरी (8)

क्र० सं०	रूट

760. सबोली गांव—संजय नगर ट्रांस. नगर बाया बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड (9)

761. सबोली गांव—चिल्ला गांव बाया गगन सिनेमा, सूर्या नगर, एम. एच. डब्ल्यू. (8)

762. सबोली गांव—प्रगति मैदान बाया बजीराबाद, रिंग रोड (9)

763. विश्वास नगर—संजय गांधी ट्रांस. नगर बाया सीलमपुर, आई. एस. बी. टी. पुल, आऊटर रिंग रोड (8)

764. विश्वास नगर—प्रगति मैदान बाया रोड नं०-57, मदर डेयरी, एम. एच. डब्ल्यू., रिंग रोड (8)

765. सेवापुर—संजय गांधी ट्रांस. नगर बाया बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड (8)

766. शास्त्री पार्क—राजापुर बाया यमुना पुल, रिंग रोड, आऊटर रिंग रोड (9)

767. शास्त्री पार्क—बदरपुर बाया यमुना पुल, रिंग रोड, मथुरा रोड (9)

768. कैलाश नगर—रोहिणी सैक्टर-8 बाया यमुना बाजार, रिंग रोड, आऊटर रिंग रोड (9)

769. कैलाश नगर—ओखला इन्ड, एरिया बाया यमुना बाजार, रिंग रोड, मथुरा रोड (9)

770. कोटला गांव—जंगपुरा बाया रोड पुल, आश्रम (8)

771. कोटला गांव—अगरपुर गांव बाया रोड पुल, रिंग रोड (8)

772. मंडावली गांव—संजय गांधी ट्रांस. नगर बाया मदर डेयरी, एम. एच. डब्ल्यू., रिंग रोड (9)

773. मटियाला—मोरी गेट (ट.) बाया जनकपुरी, आऊटर रिंग रोड (8)

774. झंडा बोर्डर—नांगलोई बाया नजफगढ़, हीरान कुम्हरा (9)

775. दौराला—नांगलोई बाया नजफगढ़, हीरान कुम्हरा (8)

776. ईसापुर—किसी प्लेस बाया नजफगढ़, पंखा रोड (8)

777. बजीराबाद गांव—मोरी गेट बाया आऊटर रिंग रोड, आई. एस. बी. टी. (4)

778. पप्पन कलां—नांगलोई बाया आऊटर रिंग रोड (8)

779. पप्पन कलां—बीजा कुआ बाया पंखा रोड (8)

780. कौशिक एन्क्लेव—मोरी गेट बाया बुरारी, आऊटर रिंग रोड, आई. एस. बी.टी. (8)

क्र० सं०	रूट

781. वसुन्धरा इन्क्लेव—मोरी गेट (ट.) वाया पी. पी. पी. डिपो, सीलमपुर, आई. एस. बी. टी. पुल (8)

782. एम. आई. जी. फ्लैट लोनी रोड —केम्ब्रिय टर्मिनस वाया बाबरपुर, आई. एस. बी. टी., दिल्ली गेट (9)

783. दिलशाद गार्डन—कौड़िया पुल वाया जी. टी. बी. अस्पताल, नत्थू कालोनी, शाहदरा, सीलमपुर (8)

784. यमुना बिहार (ट.)—कमला मार्केट वाया बाबरपुर, सीलमपुर, आई.एस.बी.टी. (7)

785. यमुना बिहार(ट.)—नेहरू प्लेस (ट.) वाया सीलमपुर, आई. एस. बी.टी., आश्रम, (9)

786. चिल्ला गांव—शिवाजी स्टेडियम वाया मयूर बिहार, प्रगति मैदान, मंडी हाउस (5)

787. ए. डी. डी. ए. फ्लैट गाजीपुर—लोदी कालोनी वाया पड़पड़गंज, रोड पुल, प्रगति मैदान (7)

788. मयूर बिहार फेज-III—मोरी गेट टर्मि. वाया पहाड़गंज डिपो, शक्करपुर, आई. टी. ओ. (6)

789. मयूर बिहार फेज-III—शिवाजी स्टे. वाया रोड पुल, मंडी हाउस (8)

790. शाहदरा—रोहिणी सैक्टर-6 आई. ए. बी. टी., आजादपुर, वजीरपुर डिपो (9)

791. शाहदरा—सुलतानपुरी वाया आई. एस. बी. टी., आऊटर रिंग रोड, मंगोलपुरी (8)

792. यमुना बिहार (ट.) —रघुबीर नगर एफ ब्लाक वाया बाबरपुर, आई. एस. बी. टी., पंजाबी बाग (ट.) राजागार्डन (8)

793. गाजीपुर डी. डी. ए. फ्लैट—बदर पुर वाया मयूर बिहार फेज-II, रिंग रोड, मथुरा रोड (8)

794. गाजीपुर डी. डी. ए. फ्लैट—मोरी गेट (ट.) वाया मयूर बिहार फेज-II, आई. टी. ओ., बेलबार्ड रोड (5)

795. चिल्ला गांव—मोरी गेट (ट.) वाया मयूर बिहार फेज-I, रिंग रोड, बेलबार्ड रोड (8)

796. मंडावली (ए. एच. डब्ल्यू.)—मोरी गेट (ट.) वाया मयूर बिहार फेज-II, रिंग रोड, बेलबोर्ड रोड (5)

797. लोनी चौक— मोरी गेट (ट.) वाया वजीराबाद रोड, बेला रोड, बेलबर्ड रोड (7)

क्र० सं०	रूट

798. समयपुर—मोरी गेट (ट.) बाया पुस्ता मार्ग, बजीराबाद रोड, तिमार पुर, बोलबार्डर रोड (8)

799. जौहरी पुर गांव—मोरी गेट (ट.) बाया लोनी रोड, जी. टी. रोड, न्यू पुल (8)

800. पटपड़गंज गांव—मोरी गेट (ट.) बाया विकास मार्ग, रिंग रोड, बोलबार्डर रोड (8)

801. ताहीर पुर गांव—आजादपुर (ट.) बाया गगन सिनेमा, लोनी चौक, बजीराबाद रोड, आऊटर रिंग रोड (8)

802. नन्द नगरी एक्स.—झील बाया लोनी चौक, बाबरपुर, सीलमपुर (9)

803. न्यू सीमा पुरी—प्रगति मैदान बाया शाहदरा बार्डर, रोड नं.-56, नेशनल हाई वे, रिंग रोड (7)

804. सूरजमल पार्क—राजेन्द्र प्लेस बाया शकर पुर, आई. टी. जो., मंडी हाउस, गोल मार्केट (8)

805. मयूर विहार फेज-III—शाहदरा बाया कल्याण पुरी, गाजीपुर, शाहदरा बार्डर, जी. टी. रोड (9)

806. महीपालपुर—ओखला इन्ड. स्टेट बाया किशनगढ़, महरौली, बदरपुर रोड (9)

807. तेखंड—लक्ष्मी नगर जिला सेन्टर बाया मोदी मिल, श्रम, एन. एच. डब्ल्यू. मदर डेयरी (8)

808. गोयला ताजपुर—टिकरी बार्डर बाया नजफगढ़, नांगलोई (8)

809. छावला—मंगोल पुरी बाया नजफगढ़, उत्तम नगर, आऊटर रिंग रोड (9)

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन

870. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री हरिन पाठक :
श्री शिवाजी पटनायक :
डा० सुधीर राय :
श्री सुधीर गिरि :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रत्यक्ष वित्त संचालन

को नरसिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर बांट कर तथा इसका निजीकरण करके इसका पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) श्री एम० नरसिंहम की अध्यक्षता में गठित वित्तीय प्रणाली समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की संवर्धनात्मक, शीर्षस्थ तथा पुनर्वित्त संबंधी भूमिका को इसके प्रत्यक्ष पुनर्वित्त कार्य से अलग करने की सिफारिश की गयी है। उक्त रिपोर्ट में निहित अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इस सिफारिश पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना

871. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के लिए इस्पात और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना को चलाने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) यह खर्च सरकार द्वारा कहां से जुटाया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) इस्पात के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना के तहत इंजीनियरी माल के निर्यातकों को निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त इस्पात के कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमत के अन्तर की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह प्रतिपूर्ति इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि के अधीन एकत्रित राशि से अनिवार्य रूप से की जाती है। यह निधि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०, टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी, इण्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जैसे इस्पात के प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादित बिक्री योग्य ढलुवां लोहे तथा इस्पात पर वसूल किए गए उपकर से बनायी गयी है। वर्ष 1990-91 के दौरान की गई प्रतिपूर्ति की कुल राशि 277 करोड़ रु० और वर्ष 1991-92 (अप्रैल, 91—जनवरी, 92) के दौरान 203 करोड़ रु० रही।

भूतपूर्व सैनिकों को महाराष्ट्र में पुनर्वास

872. **श्री शंकर राव काले** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है जिनको अभी तक पुनर्वास नहीं दिया गया;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं अथवा उठाये जाने हैं; और

(ग) इन सबका पुनर्वास कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जिला सैनिक बोर्डों द्वारा रखे गये रजिस्टरों के आधार पर, 30 सितम्बर, 1991 को महाराष्ट्र में भूतपूर्व सैनिकों की जिले-वार संख्या, जिनका अभी तक पुनर्वास किया जाना था, विवरण में दी गयी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने समूह "ग" और "घ" पदों के लिए क्रमशः 10 तथा 20 प्रतिशत का आरक्षण किया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" तथा समूह "घ" के पदों के लिए आरक्षण क्रमशः 14½ तथा 24½ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य सरकार व इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने समूह "ग" और "घ" के पदों में प्रत्येक के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण किया है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध आरक्षण के अतिरिक्त महाराष्ट्र में अनेक स्व-रोजगार योजनायें भी चलाई जा रही हैं, जिनमें से सेम्फेक्स-I, सेम्फेक्स-II तथा सेम्फेक्स-III मुख्य हैं।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने तथा स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका परिणाम प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक की अभिरुचि पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में, ऐसी समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है, जिनमें रोजगार/सहायता चाहने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया जा सके।

विवरण

क्रम सं०	जिला सैनिक बोर्ड का नाम	रजिस्टर में दर्ज भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2	3
1.	अकोला	405
2.	अमरावती	482
3.	अहमदनगर	789
4.	औरंगाबाद	691*
5.	थाणे	1200
6.	बम्बई	1497
7.	बीड	उपलब्ध नहीं
8.	चन्द्रपुर	उपलब्ध नहीं
9.	पुणे	168

1 2	3
10. जलगांव	296
11. जालना	239+
12. कोल्हापुर	1544
13. लातूर	637
14. नागपुर	324
15. नासिक	556
16. उस्मानाबाद	363
17. पुणे	464
18. रतनागिरी	833
19. रायगड	369
20. सांगली	947*
21. सोलापुर	1135
22. सतारा	3027
23. सिंधुदुर्ग	466
24. ठाणे	203
25. यवतमाल	175

*ये आंकड़े जून, 1991 के हैं।

+ये आंकड़े मार्च, 1991 के हैं।

अहमदनगर जिले में के० के० रेंज का विस्तार

873. श्री शंकर राव काले : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में के० के० रेंज का निकट भविष्य में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने एकड़ कृषि-भूमि का उपयोग किए जाने की संभावना है;

(ग) इस विस्तार का कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा अदा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सेना ने के० के० रेंज के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत करने की आवश्यकता तैयार की है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) भूमि अधिग्रहीत करने पर प्रभावित व्यक्तियों को नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा।

मुम्बई उच्च-न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में न्यायाधीशों की संख्या

874. **श्री शंकर राव काले** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है अथवा उठाएगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) मुंबई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद स्थित स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) आदेश, 1984 की धारा 2 के अनुसार 'मुंबई उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो संख्या में 4 से कम नहीं होंगे, जिन्हें समय-समय पर उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नामनिर्दिष्ट करें, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों के बारे में उक्त उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए औरंगाबाद में बैठेंगे। अत: मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए कि नामनिर्दिष्ट न्यायाधीशों की संख्या 4 से कम न रहे इतने न्यायाधीशों को नामनिर्दिष्ट करते हैं जितने वे औरंगाबाद न्यायपीठ में बैठने के लिए पर्याप्त समझें।

लघु और अनुषंगी उद्योगों को सीधी सहायता की योजना

875. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :
श्रीमती कुलदीप कौर :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री अम्मा जोशी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु और अनुषंगी उद्योगों को सीधी सहायता प्रदान करने के लिए कोई नई योजना शुरू की है जिससे वे प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति और उत्पादों का विविधिकरण कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में कितने उद्योगों को सहायता देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) योजना का उद्देश्य विद्यमान आनुषंगिक/उप संविदिक इकाइयों, जो भली-भांति स्थापित मुख्य इकाइयों, विपणन संगठनों अथवा निजी क्षेत्रों में निर्यात घरानों से सम्बद्ध हैं और जो बड़े महानगरीय शहरों की सीमाओं के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित हैं, को प्रगामी तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनकी मुख्य इकाइयों की सिफारिशों के आधार पर उनके विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना है।

(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत सहायता के लिए उद्योगों की संख्या का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सभी प्रस्ताव, जो इस योजना के विभिन्न मानकों के अनुरूप हैं तथा अर्थक्षम हैं, वे इस योजना के तहत सहायता के पात्र हैं।

सहायक बैंकों को भारतीय स्टेट बैंकों से असम्बद्ध करना

876. **श्रीमती कुलदीप कौर :**
श्री दत्तात्रेय बंडारु :
श्री बलराम पासी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में "एमपीज फेवर डिमांड टु डीलिंक एसोसिएटेड बैंक्स फ्रोम एस० बी० आई०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने कुछ माननीय संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के सम्बन्ध में प्रश्न में उल्लिखित समाचार देखा है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी बैंकों को उस बैंक से अलग करके उन्हे एक निगम के रूप में गठित किया जाए।

वित्तीय प्रणाली के ढांचे, संगठन, कार्यकरण और प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए श्री एम० नरसिंहम की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

जापान से सहायता

877. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री राम विलास पासवान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जापान द्वारा भारत को 6,000 मिलियन येन की सहायता देने के सम्बन्ध में एक समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि किन परियोजनाओं पर खर्च की जायेगी और ये परियोजनायें कब तक पूरी कर ली जायेंगी; और

(ग) इन ऋणों के लिये जापान ने क्या शर्तें रखी हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 66082 मिलियम जापानी येन के पांच ऋण करारों पर 9-1-1992 को हस्ताक्षर किए गए थे :

परियोजना	मिलियम येन में धनराशि	पूरा होने की अनुमानित तारीख
1. गंधार गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्रोजेक्ट (II)	42,599	जुलाई, 1995
2. राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 उन्नत परियोजना	4,855	जून, 1996
3. शहरी क्षेत्र जल आपूर्ति परियोजना	6,788	दिसम्बर, 1995
4. अमरावली पहाड़ी वृक्षारोपण परियोजना	8,095	मार्च, 1997
5. अजन्ता-एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना	3,745	दिसम्बर, 1996

(ग) क्रम संख्या (1) पर दी गई परियोजना के अन्तर्गत अधिप्राप्ति न्यूनतम विकसित देश (एल० डी० सी०) अनाबद्ध है और क्रम संख्या (II) से (V) पर दी गई परियोजनाओं के मामले में यह सामान्य अनाबद्ध है। उपर्युक्त समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि के ऋण की वापसी अदायगी 30 वर्षों में की जायेगी जिसमें 10 वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है और उस पर वार्षिक ब्याज दर 2.6 प्रतिशत होगी।

[अनुवाद]

मुंबई से लांच सेवा

878. **श्री राम नाईक :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मुम्बई से रेवा, मोरा तथा एलिफेन्टा द्वीपों के लिए लांच सेवा अनुमति अब से राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयात की मात्रा

879. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान किये गये आयात की मात्रा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किये गये कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की मात्रा व प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) व्यापार आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि मदों की मिश्रित शृंखला को देखते हुए कुल आयात की मात्रा के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। मूल्य की दृष्टि से कलेण्डर वर्ष 1991 में भारत के आयात 45624 करोड़ रु० मूल्य के होने का अनुमान है।

(ख) कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान 12360 करोड़ रु० मूल्य के कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात होने का अनुमान है जो उसी अवधि में किए गए कुल आयात का 27.1% हिस्सा है। मात्रा की दृष्टि से 31.5 मिलियन मी० टन कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात हुआ आंका गया है।

रूस से रक्षा उपकरणों के कलपुर्जों की सप्लाई

880. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**
श्री रामनिहोर राय :
श्री भीकांत जेना :
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :
श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री मोहन सिंह :
श्री बापू हरि चौरे :
श्री महेश कनोडिया :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूस के साथ कोई रक्षा संबंधी समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रक्षा उपकरणों के कलपुर्जों की कमी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे वैकल्पिक प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रमण्डल (सी० आई० एस०) का गठन होने के साथ ही पूर्व सोवियत संघ रूस गणराज्य (यू० एस० एस० आर०) समाप्त हो गया। 21 दिसम्बर, 1992 को अल्मा अता में हुई उनकी समिति की बैठक में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्यों ने अपने संविधान से संबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार पूर्व सोवियत संघ (यू० एस० एस० आर)० की संधियों और करारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, रूस ने स्वयं "राज्य निर्वाहक" (स्टेट कंटीन्यूअर) होने की घोषणा की है। भारत ने रूस को पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना है बशर्ते कि अन्तर्राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों और उत्तरदायित्वों के बंटवारे से संबंधित कुछ बकाया मामले सोवियत संघ के गणराज्यों के बीच निपटा लिए जाएं। उपर्युक्त ढांचे के प्रसंग में कर ली गई अथवा की जा रही व्यवस्थाओं का ब्यौरा देना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चित्रदुर्ग में आवास वित्त निगम की शाखा का खोला जाना

881. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्रदुर्ग में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित आवास वित्त निगम की शाखा खोलने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक खोल दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि० के पास अभी तक ऐसी कोई मांग आई नहीं लगती। इस समय जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि० का मंगलौर क्षेत्र कार्यालय चित्रदुर्ग से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करता है। चित्रदुर्ग से आवास ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अभी तक बहुत ही कम अर्थात् केवल 12 है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर श्वेत-पत्र

884. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर श्वेत-पत्र जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो श्वेत-पत्र कब तक जारी किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) आर्थिक समीक्षा, 1991-92, 27 फरवरी, 1992 को संसद में प्रस्तुत कर दी गई है।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया निवेश

885. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आंध्र प्रदेश में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ख) इस धनराशि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा आंध्र प्रदेश में निवेश की गई राशि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए)

	1988-89	1989-90	1990-91
I. जीवन बीमा निगम	238.95	124.24	101.63
II. साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियां	10.87	12.31	25.03

(ख) उपर्युक्त निवेशों का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए किया गया :—

I. **जीवन बीमा निगम** :

1. राज्य सरकार प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीशुदा विपणन योग्य प्रतिभूतियां।

2. **निम्नलिखित को ऋण** :

(क) सामाजिक आवासीय योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड को।

(ग) जल आपूर्ति और मलजल स्कीमों के लिए ऋण।

(घ) राज्य सड़क परिवहन निगम।

(ङ) शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां और

3. निजी निगमित क्षेत्र में निवेश।

II. साधारण बीमा निगम और सहायक कंपनियां :

(क) राज्य सरकार प्रतिभूतियां।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास के लिए राज्य सरकार को ऋण।

(ग) अग्नि शमन उपस्कर की खरीद के लिए राज्य सरकार को ऋण।

(घ) आंध्र प्रदेश में कंपनियों के इक्विटी, प्रिफरेंस और ऋण-पत्रों में निवेश।

(ङ) आंध्र प्रदेश में कंपनियों को ऋण; और

(च) आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए हुडको को ऋण।

ऋण-पत्रों पर ब्याज का भुगतान

886. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या वित्त, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत-सी कम्पनियां ऋण-पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं करती अथवा ऋण-पत्र न्यास के दस्तावेज को अन्तिम रूप देने में विलम्ब करती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम्पनियों द्वारा समय पर ब्याज का भुगतान कराने तथा ऋण-पत्र न्यास दस्तावेजों की शीघ्र अन्तिम रूप देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) ऋण-पत्रों पर ब्याज का भुगतान न करने या ऋण-पत्र न्यास विलेख को अन्तिम रूप में होने वाले विलम्ब के लिए कम्पनियों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों में, कम्पनियों के साथ मामले उठाए जाने के अतिरिक्त, शिकायतकर्त्ताओं को ऋण-पत्र निधि के न्यासियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। ऐसा मालूम हुआ है कि सामान्य तौर पर बैंकों तथा कम्पनियों द्वारा ऐसे लेन-देन के मामलों को करने में विलम्ब के कारण ही चूक होती है। मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया था और उन्होंने पब्लिक सैक्टर के बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशकों को ऋण-पत्र न्यास विलेख को तत्परता से अन्तिम रूप देने तथा ऋण-पत्र-धारकों को ब्याज के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु पत्र द्वारा संबोधित किया है और इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करके आदर्श न्यास विलेख तैयार करने पर विचार करने हेतु संबोधित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यासियों के कर्त्तव्य भी कवर किए गए हों कि इसका प्रयोग सभी ऋण-पत्र न्यासियों द्वारा किया जा सके।

[हिन्दी]

थल सेना रेजिमेंटों के नाम रखना

888. **श्री छेदी पासवान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक थल सेना रेजिमेंटों के नाम जातियों के आधार पर रखे गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रेजिमेंटों के नाम बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सेना की कुछ रेजिमेंटों के नाम जाति/धर्म के आधार पर हैं। इन रेजिमेंटों के नाम इनकी ऐतिहासिक और पारस्परिक पृष्ठभूमि, जिनसे सैनिकों में प्रेरणा, समूहबद्धता और एकता की भावना उत्पन्न होती है, को देखते हुए बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि स्वतंत्रता के बाद सरकार की यह नीति रही है कि किसी भी रेजिमेंट को जाति, वंश, क्षेत्र, धर्म के आधार पर न बनाया जाए।

बुनकर सहकारी समितियों को ऋणों को माफ करना

890. **श्री देवी पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बुनकर सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों को माफ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 से है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, कारीगरों और बुनकरों सहित पात्र उधारकर्ताओं को प्रति उधारकर्ता 10,000 रुपए तक की ऋण राहत प्रदान की गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू थी जबकि राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाएं संबंधित राज्यों के सहकारी बैंकों पर लागू थीं। ये योजनाएं 31-3-1991 को समाप्त हो गईं। ऋण राहत योजनाओं के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों के अतिदेय ऋण, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए हों, आवश्यक ऋण राहत प्रदान किए जाने के पात्र थे। यह योजना शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों के बुनकरों या कारीगरों पर लागू नहीं थी।

[अनुवाद]

कताई मिलों का आधुनिकीकरण

891. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पार्वती मिल, क्विलोन सहित कुछ कताई मिलों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) संघ सरकार को केरल की कताई मिलों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एन० टी० सी० (ए० एस० के० के० एण्ड एम०) के एक एकक पार्वती मिल्स, क्विलोन, केरल को उसके कताई, बुनाई और प्रोसेसिंग अनुभागों के आधुनिकीकरण के लिए अक्तूबर, 1988 में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना (टी० एम० एफ० एस०) के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त केरल की 23 वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत 58 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

केरल में स्वापक औषध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे

892. **श्री डी० जे० अंथनीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में स्वापक औषध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा कितने छापे मारे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को हिरासत में लिया गया तथा पकड़े गए स्वापक औषधों का उनके मूल्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वापक औषधि पकड़े जाने के बाद फरार हो गए अपराधियों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में की गई तलाशियों व अवैध पौधों को नष्ट करने की कार्यवाहियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	तलाशियों/अवैध पौधों को नष्ट करने सम्बन्धी कार्यवाहियों की संख्या
1989	9
1990	5
1991	4

(ख) और (ग) उक्त तलाशियों/कार्यवाहियों के दौरान पकड़े गए नशीले पदार्थों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	औषधों की मात्रा (कि०ग्रा० में)			
	हेरोइन	अफीम	गांजा	
1989	2.175	23.040	1785	
1990	—	—	736	
1991	—	—	नष्ट किए गए गांजे के पौधे (लगभग 2.09 एकड़)	

उक्त अवधि के दौरान उन तलाशियों की कार्यवाहियों में 18 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उन मामलों में कोई भी अपराधी फरार नहीं हुआ। कुछ मामलों में अधिकारियों के आगमन पर, कुछ अपरिचित व्यक्ति वहां से भाग गए।

नशीले पदार्थ, जो नष्ट किए जाने योग्य हैं, का सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 के त्रिवेन्द्रम-चिंचलोन सेक्शन को चार लेनों में चौड़ा करना

893. **श्री टी० वै० अंजलोस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 के त्रिवेन्द्रम-चिंचलोन सेक्शन को चार लेनों में चौड़ा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू होने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य को पूरा होने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनंतीराम टाईटलर) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रुपये का मूल्य

894. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 को आधार वर्ष मानते हुए रुपए का इस समय मूल्य कितना है;

(ख) क्या रुपये का मूल्य गत पांच वर्षों के दौरान काफी कम हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1980 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम के रूप में मापित रुपए का मूल्य दिसम्बर, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) में 33 पैसे था।

(ख) और (ग) 1990 को आधार वर्ष मानते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान रुपए का मूल्य नीचे दिया गया है :—

रुपए का मूल्य

वर्ष	पैसे
1986	59
1987	54
1988	49
1989	46
1990	43

उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी का प्रयोग

895. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उच्च न्यायालयों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कितने निर्णय हिंदी में दिए गए; और

(ख) हिंदी में निर्णय देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 348 (1) में यह उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अनुच्छेद 348 (2) के अधीन, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा; परन्तु ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में ही होंगे। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आदि, के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चार राज्यों, अर्थात्, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों और साथ ही निर्णयों, डिक्रियों, आदि, में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत किया है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा हिन्दी में दिए गए निर्णयों की संख्या के बारे में जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

नारियल के तेल का आयात

896. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, और अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में नारियल के तेल का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार, 1992-93 के दौरान बड़ी मात्रा में नारियल के तेल का आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) आयात के नवीनतम आंकड़े मार्च, 1989 तक उपलब्ध हैं। वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान आयात किए गए नारियल तेल की मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (टनेज)
1986-87	166
1987-88	1362
1988-89	1997

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान नारियल तेल आयात करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

कन्हर नदी पर पुल

897. **श्री रामसिंहोर राय** : क्या अल्प-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्हर नदी पर सोमभद्र-मिर्जापुर को मध्य प्रदेश-बिहार के साथ जोड़ते हुए एक पुल का निर्माण करने की योजना गत अनेक वर्षों से अन्तिम निर्णय हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इस पुल पर निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

अल्प-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संवैधानिक तौर पर भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के रख-रखाव और विकास के लिए जिम्मेदार है। कन्हर नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण के बाद एक राज्य-सड़क पर आएगा। अतः सम्बन्धित राज्य सरकार इसके निर्माण के लिए अनिवार्यतः जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

अमेरिका से बादाम का आयात

898. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बादाम के आयात के लिए अमेरिका के साथ किये गये व्यापार समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि सूखे मेवे आयातकर्ताओं को बादाम के आयात हेतु दिए जाने वाले लाइसेंस देश में प्रीमियम पर बेचे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) बादाम के आयात के सम्बन्ध में अमरीका तथा भारत के बीच मई, 1988 में एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौता ज्ञापन के मुख्य घटक ये थे छिलके वाले तथा बिना छिलके वाले बादामों के सम्बन्ध में भारत द्वारा बादामों का विश्वव्यापी आयात प्राधिकार 1988-91

तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था। लाईसेंसों का न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 20,000 रु० किया जाना था। भारत सरकार इस बात पर सहमत थी कि किसी प्रकार के निर्यात दायित्व के प्रावधानों के बावजूद बादाम के आयात का प्राधिकार जारी करने का उपर्युक्त स्तर कायम रखा जाएगा। वर्ष 1991-1994 की अवधि के लिए बादाम को ओ० जी० एल० पर रख दिया जाएगा, बशर्ते की भुगतान संतुलन की स्थिति में उस हद तक सुधार आ जाए कि विदेशी मुद्रा आरक्षण से 6 महीने के लिए आयातों की व्यवस्था हो जाए। अगर भुगतान सन्तुलन की स्थिति असंतोषजनक बनी रहती है तब 20 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर आयात प्राधिकरण जारी रहेगा। 31 मार्च, 1994 से पहले बाद की अवधियों के लिए बादाम के लिए वार्षिक आयात प्राधिकार पर सहमति के प्रयोजनार्थ परामर्श किए जाएंगे। ये परामर्श भारत के विदेशी आरक्षित पूंजी तथा भुगतान सन्तुलन की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित होंगे। गाट वार्ताओं के अनुच्छेद 28 के अनुसार भारत सरकार छिलके वाले बादाम के लिए 50 रु० प्रति किग्रा० तथा बिना छिलके वाले बादाम के लिए 28 रु० प्रति किग्रा० के स्तरों पर बादाम के सम्बन्ध में अपनी टैरिफ को सीमित रखने पर भी सहमत हुई थी।

दिनांक 30-3-1990 की यथा घोषित चालू आयात नीति के पैरा 166 के अनुसार मेवा के पात्र आयातकों द्वारा 1972-77 से आगे किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान मेवा (काजू तथा खजूर को छोड़कर) के सम्बन्ध में सर्वोत्तम वर्ष के आयात के सी० आई० एफ० मूल्य के 25% तक के आयात लाइसेंस प्राप्त किए जा सकते थे, बशर्ते की उनका न्यूनतम मूल्य 20,000 रु० तक हो। इसके अतिरिक्त मेवा का प्रत्येक पात्र लाईसेंस धारी मेवा लाइसेंस के मूल्य पर ध्यान दिए बिना बादाम के आयात के लिए 20,000 रु० मूल्य का अलग लाइसेंस भी प्राप्त कर सकता था। मेवा तथा बादाम के लाइसेंस पिछले वर्ष के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों के समग्र मूल्य तक किए गए निर्यातों के साक्ष्य के अध्यधीन जारी किए जाएंगे। तथापि, मेवा तथा बादाम के लिए आयात लाइसेंसों की मंजूरी सम्बन्धी यह प्रावधान हटा दिया गया था, देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 143 आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 28-3-1991 नीति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि 20-9-91 से विशेष लाइसेंस दिये जाएंगे जिनका रुपयों में अधिकतम मूल्य वर्ष 1991-92 के लिए 1300 अमरीकी डालर के बराबर होगा। ये लाइसेंस उन सभी को दिए जाएंगे जिन्होंने इस नीति के पैरा 166 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 1990-91 में बादाम के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त किये थे और उन्होंने ऐसे लाइसेंसों के सम्बन्ध में निर्यात दायित्व पूरा किया हो। ये लाइसेंस स्थानान्तरणीय अथवा बिक्री योग्य नहीं हैं। सरकार को ऐसे लाइसेंसों की बिक्री के जरिए इस नीति के किसी प्रकार के उल्लंघन की जानकारी नहीं है।

कोचीन में बारपुझा पुल का निर्माण

899. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-सूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्नाकुलम जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर बारपुझा में पुल के निर्माण के लिए जमीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब शुरू करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बारापूजा पुल तथा इसके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) परियोजना की अनुमानित लागत 24.43 करोड़ रु० है। चूंकि भू-अधिग्रहण कार्य अभी प्रगति पर है इसलिए निर्माण कार्य शुरू होने के समय के बारे में अभी बताना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

कोटा छावनी में सैन्य कर्मियों के लिए स्थायी आवास

900. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन सैन्य छावनियों में सैन्य कर्मियों के लिए अस्थायी और स्थायी आवास बनाए गए हैं;

(ख) क्या कोटा छावनी में रेजीमेंट के लिए केवल अस्थायी आवास बनाए गए हैं;

(ग) क्या छावनी की कुछ भूमि को आवासीय उद्देश्यों के लिए किराये पर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन छावनियों में सैन्य कर्मियों के लिए स्थायी आवास बनाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (छ) छावनियों/सैन्य स्टेशनों में अस्थायी आवास का निर्माण सामान्यतः सेना कार्मिकों के लिए किया जाता है। परन्तु कुछ स्टेशनों पर धनराशि की कमी होने या किन्हीं अन्य कारणों से सैनिकों के लिए अस्थायी आवास का निर्माण किया जाता है जिसे बाद में स्थायी आवास में बदल दिया जाता है। राजस्थान में सेना कार्मिकों के लिए अजमेर और नसीराबाद स्थित दो छावनियों और 14 सैन्य स्टेशनों पर आवासों का निर्माण किया गया है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) अलवर

(2) बाड़मेर

(3) जलीपा

(4) भरतपुर

(5) जयपुर

(6) जैसलमेर

(7) झुंझुनू

(8) जोधपुर

(9) बनार

(10) कोटा

(11) पोखरन

(12) उदयपुर

(13) माउंट आबू

(14) जसाई

2. कोटा छावनी नहीं है बल्कि सैन्य स्टेशन है। सेना कार्मिकों के लिए इस स्टेशन पर अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के आवासों का निर्माण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

3. राजस्थान में विभिन्न सैन्य स्टेशनों/छावनियों में अफसरों के 80 क्वार्टरों, जे० सी० ओ० के 88 क्वार्टरों, अन्य रैंकों के 1022 क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है। इस राज्य में विभिन्न छावनियों/सैन्य स्टेशनों पर अफसरों के 1244 क्वार्टरों, जे० सी० ओ० के लिए 1364 क्वार्टरों और अन्य रैंकों के लिए 6451 क्वार्टरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

4 कोटा में रिहायशी उपयोग के लिए कोई रक्षा भूमि नहीं बेची गई है। परन्तु नसीराबाद छावनी में 172.50 एकड़ भूमि और अजमेर छावनी में 9.35 एकड़ भूमि लीज/ओल्ड ग्रांट शर्तों पर रिहायशी उपयोग के लिए प्राइवेट व्यक्तियों के पास है जो नियमों के अनुसार अनुमेय है।

राजस्थान में रेशम कीट पालन तथा रेशम का उत्पादन

901. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड का राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में रेशम उत्पाद अथवा रेशम कीट पालन के लिए कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना और विभिन्न क्षेत्रों पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में किसी केंद्र को बंद किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) रेशम उत्पादन के विकास के लिये राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी० एस० बी०) ने वर्ष 1981-82 के दौरान राजस्थान के कोटा जिले में ढकार खेरी फार्म में एक अनुसंधान विस्तार केन्द्र शुरू किया था जिसको वर्ष 1989-90 में तकनीकी सेवा केन्द्र के रूप में पुन: गठित किया था। वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा इस केन्द्र पर लगभग 11.20 लाख रु० खर्च किये गये हैं।

इस अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(1) 10 चौकी रेशम कीट पालन केन्द्र स्थापित किये गये और 19132 रोग-मुक्त चक्ता चौकियों की सप्लाई की गई।

(2) 2 प्रदर्शन प्लाटों का निर्माण किया गया और 39 एकड़ क्षेत्र को शहतूती कृषि क्षेत्र से अन्तर्गत शामिल किया गया।

(3) 5 स्थानों पर शहतूती पौध के प्रदर्शन तथा रेशम कीट पालन की व्यवस्था का गई।

(4) रेशम उत्पादन की प्रक्रियाओं के लिये किसानों को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

(5) शहतूती कलमों/पौधों की सप्लाई की गई।

(6) 2740 रोग-मुक्त चक्रतों की छंटाई तथा सप्लाई की गई।

(ग) और (घ) परम्परा के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के ऐसे अनुसंधान विस्तार केन्द्रों (आ० ई० सी० एस०) को, जिन्होंने एक ही स्थान पर 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनके भावी रख-रखाव के लिये उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकार को सौंप दिया जाना अपेक्षित है। तथापि, राजस्थान सरकार ने आई० ई० सी०, कोटा को अधिग्रहण करने और उसके भावी रख-रखाव के लिये असमर्थता प्रकट की थी। इसलिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा इस केन्द्र को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के परियोजना क्षेत्र में जोकि बोर्ड द्वारा बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में क्रियान्वित की जा रही हैं, पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। जब तक इस केन्द्र को परियोजना क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं कर लिया जाता तब तक के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस केन्द्र को कोटा में ढकार खेरी फार्म में ही न्यूनतम स्टाफ संघटक से बनाए रखेगा।

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीयों द्वारा दिये गये सुझाव

902. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :
श्रीमती छन्नेन्द्र कौर :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री जग्गा जोशी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1992 के "इकानामिक्स टाइम्स" में छपी इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अप्रवासी भारतीयों द्वारा कुछ सुझाव दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार मुख्य रूप से भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता मंजूर करने के सम्बन्ध में ध्यान केन्द्रित करता है।

(ग) सरकार ने व्यापारिक प्रयोजनों के लिए बीसा-विनियमों में और विदेशी निवेश विनियमित करने वाले कानूनों में हाल ही में कई परिवर्तन किए हैं ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं पर काबू पाया जा सके।

बैंक तुलन पत्र तथा लेखाओं हेतु फार्म

903. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री अम्बा जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को लेखा वर्ष 1991-92 के लिए अपने तुलन पत्र तथा लाभ व हानि के लेखाओं को नए प्रारूप के अनुसार तैयार करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों की राशि बनाने के लिए भी कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) प्रकाशन की तारीख से तीन माह की समाप्ति के पश्चात् सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र और लाभ-हानि के फारमेटों में संशोधन करने के अपने विचार का नोटिस देते हुए दिनांक 18 जनवरी, 1991 को एक अधिसूचना जारी की थी। उक्त अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त हुए कतिपय सुझावों की सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जांच की थी और प्रकाशन की तारीख से तीन माह की समाप्ति के पश्चात् संशोधित फारमेट प्राप्त करने के सरकार के विचार को दर्शाते हुए एक अन्य अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर, 1991 को जारी की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित फारमेटों में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी :—

(1) वे आय और व्यय दोनों की एक अधिक विस्तृत रूप-रेखा देंगे।

(II) वे परिसम्पत्तियों और देनदारियों के साथ-साथ आय और व्यय की विभिन्न मदों के वर्गीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करेंगे; और

(III) सहज रूप से समझने के लिए उनमें लेखे से सम्बन्धी नीतियों पर विवरण शामिल होंगे।

31 मार्च, 1992 को समाप्त चालू लेखा वर्ष से नये फारमेटों को लागू किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) और (घ) बैंकरों के बीच प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और ऋण हानियों के लिये किये गये प्रावधानों को प्रकट करने के लिए बैंकों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। बहरहाल, नये फारमेंट लाभ-हानि खाते के व्यय भाग में समेकित रूप में अशोध्य ऋणों, मूल्यह्रास और करों के लिए प्रावधानों को दिखायेंगे।

रुपए का अवमूल्यन

904. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री अन्ना जोशी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए के विनिमय मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मुद्राओं में से प्रत्येक मुद्रा की तुलना में रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है और क्या यह मूल्य अवमूल्यन किए जाने से अब तक सबसे कम कितना रहा; और

(ग) इस अवमूल्यन को रोककर पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई के रूप में रुपए

	नवीनतम रुपया मूल्य (18 फरवरी, 1992 को)	निम्नतम रुपया मूल्य (निर्दिष्ट तारीख को)
अमरीकी डालर	25.8963	26.3100 (9 सितम्बर, 1991)
पौंड स्टर्लिंग	45.9400	48.8900 (26 दिसम्बर, 1991)
डयूक मार्क	16.9497	17.1300 (8 जनवरी, 1992)
येन	0.2040	0.2106 (21 जनवरी, 1992)

(ग) सरकार ने विनिमय दर समायोजन, सख्त राजकोषीय अनुशासन, कठोर मौद्रिक नीति और व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक सुधारों जैसे वृहत्-आर्थिक स्थिरीकरण के एकमुश्त उपाय पहले ही आरम्भ कर दिए हैं जिनसे भारतीय उद्योग की कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होने और उससे उच्च स्तर पर निर्यातों के लिए एक ठोस आधार प्राप्त होने तथा भारतीय रुपए को एक स्थिर और प्रतिस्पर्धात्मक आधार प्राप्त होने की आशा है।

"टेक्सटाइल इंडस्ट्री अन्डर सीज"

905. श्री बालराज पासी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1992 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "टेक्सटाइल इंडस्ट्री अन्डर सीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 1991 के दौरान वस्त्रों के निर्यात में कितनी कमी आई है; और

(घ) वस्त्र उद्योग को वर्तमान संकट से उबारने हेतु सहायता के लिये क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) समाचार में वर्ष 1991 में वस्त्र उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। सरकार इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि निर्यात क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान वस्त्रों के निर्यात में समग्र वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए वस्त्रों के निर्यात की तुलना में 38.1 प्रतिशत रही। वर्ष 1991-92 के दौरान वस्त्र माल के निर्यात 11,233 करोड़ रुपये के लक्ष्य को संभवत: पार कर जायेंगे।

(घ) सरकार ने सभी तीन क्षेत्रों में कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठाए हैं। उठाए गए/उठाए जाने के लिये प्रस्तावित कुछ एक कदम निम्नोक्त अनुसार हैं :—

1. वस्त्र उद्योग के सभी तीन क्षेत्रों का आधुनिकीकरण;
2. उन्नत प्रौद्योगिकी पर हथकरघा बुनकरों के साथ-साथ विद्युतकरघा बुनकरों का प्रशिक्षण;
3. उन्नत प्रौद्योगिकी के अंतरण में बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिये "बुनकर सेवक" के संवर्ग के प्रशिक्षण की योजना;
4. हथकरघा को हथकरघा क्षेत्र में विशेष रूप से उत्पादन करने के लिये कुछ एक किस्मों के कपड़े का आरक्षण करके संरक्षण प्रदान करना;
5. कपास और कच्चे रेशम का आयात करने जैसे कुछ एक उपाय किए गए हैं ताकि कच्चे की कीमतें नियंत्रित की जा सकें;

6. शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना।

नया मंगलौर पत्तन

906. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान नए मंगलौर पत्तन से क्रमश: कितनी वार्षिक आय हुई;

(ख) क्या पत्तन पर अतिरिक्त बर्थ सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पत्तन का वर्तमान माल प्रहस्तन क्षमता कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अवधेश दाईडलर) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान हुई वार्षिक आय निम्नलिखित है :—

1989-90	26.03 करोड़ रु०
1990-91	33.15 करोड़ रु०

वर्ष 1991-92 अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) 28.45 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से दो बहु-उद्देश्यीय बर्थों के निर्माण के एक प्रस्ताव को 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल किया गया है।

(घ) पत्तन की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता 10 मिलियन टन है।

हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन

907. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा क्षेत्र मे प्रतिवर्ष वस्त्रों का निर्माण औसतन कितनी मात्रा में किया जा रहा है;

(ख) क्या हथकरघा वस्त्रों के निर्यात की कोई संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में लगभग क्रमश: 4155 मिलियन वर्ग मीटर और 4541 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन।

(ख) और (ग) निर्यात बाजारों में हथकरघा कपड़े की मांग में वृद्धि हुई है। वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान लगभग क्रमश: 19.01 करोड़ रुपये, 31.13 करोड़ रुपये और 71.38 करोड़ रुपये मूल्य के सूती हथकरघा वस्त्रों का निर्यात किया गया।

इलायची और काली मिर्च की खेती

908. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलायची तथा काली मिर्च उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक में इलायची तथा काली मिर्च की खेती के विकास हेतु कोई परियोजनाएं शुरू कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) इलायची और काली मिर्च के उपजकर्त्ताओं को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं : इलायची की नीलामियों का विनियमन, प्रसार परामर्शी योजना, रोपण सामग्री का उत्पादन तथा सप्लाई और सिंचाई तथा भूमि विकास कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करना।

काली मिर्च सहित मसालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में मसालों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र एकीकृत कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिस पर 5.00 करोड़ रु० का परिव्यय आएगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक में 18.25 लाख रु० के परिव्यय से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जैसे— जड़ वाली काली मिर्च की कलमों का उत्पादन तथा काली मिर्च के लिए नर्सरी बेड का निर्माण, निविष्ट साधनों तथा पौध संरक्षण फौव्वारों की सप्लाई का कार्यक्रम।

कूडिग में सैनिक स्कूल की स्थापना

909. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के कोडागु जिले में कूडिग में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कूडिग में 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) सैनिक स्कूल की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सैनिक स्कूल किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के विशेष अनुरोध पर स्थापित किया जाता है क्योंकि सैनिक स्कूल का सारा पूंजीगत व्यय तथा अनुवर्ती व्यय का एक बड़ा भाग उसी राज्य सरकार को वहन करना होता है। कर्नाटक सरकार से कोडागु जिले में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम की मिलों का निजीकरण

910. **श्री रूपचन्द पाल** :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम की छः राष्ट्रीयकृत जूट मिलों को 30 करोड़ रुपये के पट्टा शुल्क भुगतान के बदले, निजी कम्पनी को सौंपने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पट्टे की शर्तें, यदि कोई हों, तो क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आयात निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय में पदों का समाप्त किया जाना

911. **श्री रूपचन्द्र पाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में हाल ही में सैकड़ों पद समाप्त कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पद समाप्ति के कारण कितने अधिकारी और कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) नई व्यापार नीति द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के कार्यालय का पुनर्गठन किया जा रहा है । मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के कार्यालय में कर्मचारियों को रखने के लिए नए तरीके की जांच करने के लिए एक विभागीय समिति गठित कर दी गई है । जिन पदों को अनावश्यक या फालतू पाया जाएगा उन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात संगठन के किसी नियमित कर्मचारी के हितों को प्रभावित किए बिना समाप्त कर दिया जाएगा । तथापि, अभी तक मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात संगठन में कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है और न ही किसी कर्मचारी की छंटनी की गई है ।

भारतीय साधारण बीमा निगम में सेवानिवृत्ति की आयु

912. **श्री रूपचन्द्र पाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय साधारण बीमा निगम में सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गरीबों को सस्ता और नियंत्रित मूल्य के कपड़े की सप्लाई बन्द करना

913. **श्री रूपचन्द्र पाल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को जनता कपड़े/नियंत्रित मूल्य के कपड़े की सप्लाई बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) समाज के कमजोर और गरीब लोगों के लिए जनता कपड़े और नियंत्रित कपड़े की सप्लाई तुरन्त बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि यह प्रस्तावित है कि पांच वर्ष की अवधि में धीरे-धीरे जनता कपड़े के उत्पादन में कमी की जाए क्योंकि ऐसी नीति है कि गैर-योजना व्यय में सब्सिडी को कम किया जाए। जनता और नियंत्रित कपड़ा दोनों ही मदों के उत्पादन में सब्सिडी दी जाती है। तथापि जनता कपड़े के उत्पादन में कार्यरत बुनकरों जिन्हें कम आय पर ही सही लेकिन निरंतर रोजगार मिलता है, को वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा और उन्हें धीरे-धीरे उच्च कोटि उत्पादन और अधिक आय वाले मदों के उत्पादन में लगाया जाएगा। आठवीं योजना के दौरान एक प्रोजेक्ट पैकेज योजना कार्यान्वित की जाएगी जिसमें करघों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण डिजाइन के प्रावधान, जनता कपड़े के उत्पादन में कार्यरत बुनकरों सहित बुनकरों को विपणन सहायता और अवस्थापना के लिए राशि दी जाएगी।

सेवा क्षेत्र में राजसहायता का वितरण

914. डा० अतीक खान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सेवा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में राजसहायता के आवंटन/वितरण की विधि अमरीका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों और अन्य विकसित देशों की तुलना में कैसी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : आर्थिक सहायताओं को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् सुनिश्चित आर्थिक सहायताएं, जिनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाते हैं और सन्निहित आर्थिक सहायताएं, जो लोक सेवाओं की वसूली न की गई लागतों के रूप में होती है और जिनके लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए जाते। 1991-92 के केन्द्रीय बजट में सुनिश्चित आर्थिक सहायताओं के लिए 10,395 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी जिसमें से 75.3 प्रतिशत खाद्य उर्वरक और निर्यात संवर्धन के लिए थी, 14.4 प्रतिशत किसानों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए और शेष 10.3 प्रतिशत हथकरघा कपड़ा, ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायताओं आदि पर सहायता के लिए थी। सेवा क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायताएं अधिकांशतः सन्निहित स्वरूप की होती हैं। किसी देश में आर्थिक सहायताओं की व्यवस्था मुख्य रूप से उस देश के आर्थिक विकास की अवस्था और सामाजिक तथा आर्थिक विचारों जैसे उपादानों द्वारा शासित होती है। इस प्रकार, हमारे देश में दी जाने वाली आर्थिक सहायताएं विकसित देशों में दी जाने वाली आर्थिक सहायताओं से तुलनीय नहीं हैं।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा

915. डा० अतीक खान :
श्रीमती विमल कुमारी मंडावरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई उच्च शक्ति प्राप्त रूसी प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत के दौरे पर आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या द्विपक्षीय व्यापार और रुपया-रूबल अनुपात की समस्या के बारे में कोई बात-चीत हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ हुए व्यापार समझौते और अब रूस के साथ किए गए समझौते में क्या अन्तर है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) जी, हां। इस दौरे के दौरान कैलेन्डर वर्ष 1992 के लिए एक व्यापार संलेख सम्पन्न किया गया। दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। तथापि रुबल-रुपया दर से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श नहीं किया गया।

(ङ) पिछले भारत-सोवियत व्यापार संलेखों के विपरीत वर्ष 1992 के लिए भारत रूस संलेख में रुपया-व्यापार का प्रावधान है और साथ ही प्रति-व्यापार, वस्तु-विनिमय, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान या अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य किसी अन्य व्यापार-सहयोग के रूप में व्यापार करने की अनुमति भी दी गई है। संलेख की शर्तों के तहत सभी व्यापारिक लेन-देन मुक्त रूप से परिवर्तनीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में किए जाएंगे। इस संलेख में व्यापार एक व्यावसायिक लेन-देन के लिए एक व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था करने का भी प्रावधान है।

सरकारी विभागों द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम से कपड़े की खरीद

916. **श्री मोहन रावले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थल, जल तथा वायुसेना सहित देश में सभी सरकारी कार्यालयों को उनकी आवश्यकता का कपड़ा केवल राष्ट्रीय कपड़ा निगम से ही खरीदने के निर्देश देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम से खरीदारी करने के लिए सरकारी कार्यालयों और रक्षा विभाग को नए निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा दिसम्बर, 1983 में जारी अनुदेश, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया था कि वे एकल निविदा योजना के अन्तर्गत

एन० टी० सी० से खरीदारी करें, अभी भी लागू हैं। रक्षा विभाग द्वारा खरीदारी के मामले में नवम्बर, 1990 में एकल निविदा योजना समाप्त कर दी गई। रक्षा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान से रखते हुए संशोधित अनुदेशों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

मुम्बई में कपड़ा मिलों का बन्द होना

917. **श्री मोहन रावले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण 70 हजार से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मिलों को मजदूरों को सहकारिता के आधार पर चलाने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31-1-1992 की स्थिति अनुसार बम्बई में 7 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के बन्द होने के कारण 18275 कामगार प्रभावित हुए हैं।

(ख) सरकार की प्रभावित कामगारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि मिलों के बन्द होने से प्रभावित कामगारों की राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी० डब्ल्यू० आर० एस० एस०) विद्यमान है ताकि वे वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर सकें।

(ग) और (घ) यदि कामगार सहकारी समितियां बना कर मिलों को चलाने की पेशकश करें तो सिद्धांत रूप से सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी बैंकों की नई शाखाएं

918. **श्री मोहन रावले** :
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :
श्री रवि राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी बैंकों ने देश में बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि कार्यालय और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक आवेदन करने वाले बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या विदेशी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और क्या विदेशी बैंकों में जमा धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा बहुत ही अधिक रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विदेशी बैंकों की नई शाखाओं के बारे में नीति निदेशों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या विदेशों में भारत को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिक शाखाएं खोलने दी जाएंगी;

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी बैंक भारत में अपनी शाखाएं तथा साथ ही प्रतिनिधि कार्यालय खोलने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

(ख) इस समय उन विदेशी बैंकों के नाम प्रकट करना जनहित में नहीं होगा जो अपनी शाखाएं और/अथवा प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति के वास्ते अनुरोध कर रहे हैं।

(ग) और (घ) विदेशी बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बेहतर ढंग से काम करते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ उनके बेहतर कार्य निष्पादन के कारण हैं : महानगरीय तथा पत्तन नगरों मे उनकी शाखाओं की अधिकता, परिचालनों का यंत्रीकरण और कम्प्यूटरीकरण, निम्न प्रत्यक्ष उधार और गैर-निधि कारोबार का उच्च स्तर। मार्च, 1990 और 1991 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में विदेशी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों की प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार थी :—

	1990	1991
विदेशी बैंक	37	31
सरकारी क्षेत्र के बैंक	18	14

(ङ) और (च) विदेशी बैंकों को लाइसेंस देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति अभी भी चयनात्मक और आवश्यकता पर आधारित है।

(छ) से (झ) इस समय भारतीय बैंकों की तकरीबन सभी देशों में, जहां के निगमित बैंकों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गयी है, शाखाएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारत से बाहर भारतीय बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक को लंदन में अपना अनुषंगी बैंक खोलने की अनुमति दी गयी है।

[हिन्दी]

आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे

919. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री नारायण सिंह चौहरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) आयकर विभाग द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों, उद्योगपतियों तथा हलवाईयों के यहां मारे गए छापों के फलस्वरूप उनके पास से जब्त अघोषित सम्पत्ति तथा नकदी का मूल्य क्या है;

(ख) मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने वर्ष 1991-92 (दिनांक 31 जनवरी, 1992 तक) के दौरान 1654 तलाशियां की थीं। इन तलाशियों के दौरान निम्नलिखित लेखा-बाह्य परिसम्पतियां अभिगृहीत की गई थीं :—

	(करोड़ रुपयों में)
(I) नकदी	17.48
(II) जेवर-जवाहिरात	17.89
(III) अन्य	29.55
कुल :	64.92

अभिगृहीत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा करने तथा आयकर अधिनियम के अध्यधीन यथादेशिक अनुवर्ती कार्यवाही करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी, उन्होंने इस बीच आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन 70.00 करोड़ रुपये की छिपाई गई आय की घोषणा कर दी है।

राडारों का निर्माण

920. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी मुद्रा के संकट के कारण अनेक अत्याधुनिक राडारों के निर्माण में विलम्ब होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वदेशी तकनीक का विकास न किये जाने तथा आवश्यक कलपुर्जों का आयात करने के कारण कितने राडारों के निर्माण पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) विदेशी मुद्रा की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा राडारों के उत्पादन में कुछ देरी हुई है।

(ख) और (ग) ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) कम्पनी को सलाह दी गई है कि विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए सप्लायर्स/बैंकर्स से ऋण लें। यह कमी मार्च, 1992 के अन्त तक पूरी होने की आशा है।

[अनुवाद]

निर्यात योग्य हथकरघा परिधानों की प्रदर्शनी

921. **श्री पी० सी० मुदालगिरियप्पा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में निर्यात योग्य हथकरघा परिधानों की एक प्रदर्शनी राजधानी में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रदर्शनी के उद्देश्य क्या थे और इससे क्या उपलब्धि प्राप्त की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां। आगामी मौसम के लिए निर्यात बाजार हेतु बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा विकसित मदों को दर्शाने वाली विशेष प्रदर्शनी के साथ-साथ हथकरघा विकास निगमों और शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा निर्यात की जाने वाली और निर्यात हथकरघा कपड़ों की मदों की एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये प्रदर्शनियां इस समय दिल्ली में आयोजित वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हथकरघा के कार्यालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का भाग है।

(ख) निगमों और शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा निर्यात की जाने वाली मदों की इस प्रदर्शनी-सह-बिक्री में निम्नलिखित संगठन भाग ले रहे हैं :

1. हस्तशिल्प व हथकरघा निर्यात निगम लि०, नई दिल्ली।
2. अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली।
3. कर्नाटक हथकरघा विकास निगम लि०, बंगलौर।
4. आंध्र प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि०, हैदराबाद।
5. उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर।
6. उड़ीसा राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि०, भुवनेश्वर।
7. तमिलनाडु हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि०, मद्रास।
8. केरल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि०, त्रिवेन्द्रम।

दूसरी प्रदर्शनी में मद्रास, दिल्ली, बंगलौर, बम्बई, पानीपत, भागलपुर और कन्नानूर के बुनकर सेवा केन्द्र शामिल हैं।

(ग) इन प्रदर्शनियों के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी में हथकरघा मदों की बिक्री में बढ़ोतरी करना और सामान्य जनता, निर्यातकों आदि के लिए इस प्रदर्शनी को और अधिक आकर्षित बनाना।

2. सरकारी संगठनों और सहकारिताओं द्वारा निर्यात की जाने वाली हथकरघा मदों के सम्बन्ध में आम जनता को जानकारी देना और उनको ऐसी मदों की खरीद के अवसर प्रदान करना।

3. निर्यातकों और आयातकों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार के हथकरघा मदों को देखने और हथकरघा मदों के निर्यात में बढ़ावा देने और इस प्रकार हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाना।

इन दोनों प्रदर्शनियों से उद्देश्य की पूर्ति हुई है और सामान्य जनता तथा साथ ही भारतीय हथकरघा के निर्यात में रुचि रखने वाले लोगों ने इन प्रदर्शनियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा प्रत्यावर्तित की गई राशियां

922. **श्री ललित उराँव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा विभागवार, योजनागत और योजनावार, कितनी धनराशि प्रत्यावर्तित की गई;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन

923. **श्रीमती डी० के० मण्डारी :**
श्री नानिकराव होडाल्या गावीत :
श्री प्रतापराव जी० भोंसले :

क्या **अल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सड़क निर्माण के क्षेत्र में निजी कम्पनियों की भागीदारी की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। एक्सप्रेसवेज सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों पर शुल्क वसूल करने की व्यवस्था करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव है। सड़क निर्माण कार्य में निजी क्षेत्र की सहभागिता का अधिकार देने हेतु पूर्व-अपेक्षाओं में से यह संशोधन भी एक है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिये, मैं हरेक को चांस दूंगा।

श्री अब्दुल्ला प्रसाद शुक्ला (ललीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना के लिए दी गयी धनराशि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 1992-93 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4034 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी जिसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार को 2559 करोड़ रुपये की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी है जोकि वर्ष 1991-92 की पूर्व निर्धारित योजना व्यय में लगभग 1150 करोड़ रुपये कम है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में 3710 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी तथा केवल 2848 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। अतः इस प्रकार की कटौती से प्रदेश पिछड़ेपन की ओर अग्रसर होता जा रहा है। औसतन प्रति व्यक्ति आय में भी यह प्रदेश काफी पीछे है। प्रदेश में विनियोग का प्रतिशत 1988-89 से 8.6 प्रतिशत था जबकि लगभग 16 प्रतिशत होना चाहिये था। नवम् वित्त आयोग की स्वतः संस्तुति पर आधारित 787 करोड़ रुपये का विशेष ऋण तथा आमपारा तापीय परियोजना के लिए रु० 700 करोड़ की सहायता वचनबद्धता भी सम्मिलित थी। वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय वित्त पोषण की लगभग 800 करोड़ की कमी के कारण केवल 2848 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल सकी। इस प्रकार वर्ष 1992-93 में केवल 4034 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव था। अतः इस परिव्यय के सापेक्ष में मात्र 2559 करोड़ को स्वीकार किये गये। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है कि जबकि आगामी वर्ष के लिए विगत वर्षों से भी कम परिव्यय स्वीकार किया जा रहा है जो कि प्रदेश के साथ यह सौतेला व्यवहार है।

आमपारा बी-तापीय परियोजना जिसमें लगभग अब तक दो हजार करोड़ रुपया व्यय हो चुका है, उपयुक्त पूंजी के अभाव में वर्ष 1992-93 की परिव्यय सूची में इसे शामिल नहीं किया गया। मैं आपका ध्यान तमिलनाडु सरकार की पुनरीक्षित परिव्यय दिये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर 1486 करोड़ रुपया से 1751 करोड़ रुपया वर्ष 1992-93 के परिव्यय के लिए स्वीकृति दी गयी थी। अतः उसी तारतम्य में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के अनुरोध को भी स्वीकार किया जाना चाहिये जिससे कि उत्तर प्रदेश का बहुमुखी विकास हो सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिए तभी समझ में आएगा।...मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है मैं आपको भी सुनूंगा। आप प्लीज एक के बाद एक बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबकी बात सुनूंगा। लेकिन मैं आपको एक के बाद दूसरे को बोलने की अनुमति दूंगा। जी हां, श्री भक्त।

श्री अनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए शिपिंग सेवाएं अत्यन्त आवश्यक हैं। पिछले दो वर्षों से हमने बहुत-सी कठिनाइयों का सामना किया है। अनेक यात्री कलकत्ता और मद्रास तट पर फंस गए थे और उनमें से कुछ यात्री मर भी गये थे क्योंकि वहां उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं था और उन क्षेत्रों में उनकी देखभाल के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। हमारे पास चार यात्री जहाज थे। भारत सरकार ने तीन यात्री जहाज वापिस ले लिए हैं। एम० वी० अकबर और एम० वी० रामानुजम वापिस ले लिये गये हैं और एम० वी० निकोबार वापिस लिया जाने वाला है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में व्यावहारिक रूप से वहां यात्री सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो गयी हैं। जबकि यह विवादास्पद मामला नहीं है, मुझे आशा है कि सदन के सभी वर्ग अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों की भलाई के लिए मेरा समर्थन करेंगे। सरकार को एम० वी० निकोबार जो वापिस लिया जाना है उसे यात्रियों की सेवाओं से वापिस न लेने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए। मैं सरकार से कार्यवाही करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यात्री सेवाओं में खलल न पड़े।

कुछ माननीय सदस्य : हम सब उनका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी और वाजपेयी जी श्री भक्त का समर्थन कर रहे हैं। हम सब उनका समर्थन करते हैं।

मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के सदस्य कुछ कहना चाहते हैं। आपमें से कोई एक कृपया हमें स्पष्ट करें।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यात्रियों को द्वीप समूह से मुख्य भूमि तक और मुख्य भूमि से द्वीप समूह तक आने जाने में इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रति वर्ष इन चार जहाजों में से कुछ जहाज हटा लिये जाते हैं...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी श्री भक्त का समर्थन कर रहे हैं ? प्रत्येक व्यक्ति उनका समर्थन कर रहा है और मैं भी उनका समर्थन करता हूं । मेरे विचार से सरकार इस पर विचार करेगी । कृपया बैठ जाइये ।

श्री वसुदेव आचार्य : इस वर्ष तीन जहाज हटा लिये गये हैं । एक जहाज की मरम्मत की जाने वाली है । हमने मांग की है कि जो जहाज चालू हैं उन्हें हटाया नहीं लिया जाना चाहिए और जिससे यात्रियों को मुख्य भूमि से द्वीप समूह तक और द्वीप समूह से मुख्य भूमि तक आने जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ इस बार प्लानिंग कमीशन ने बड़ा अन्याय किया है । हम लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, पिछले 40 वर्षों से अन्याय होता रहा है और कई बार इस अन्याय के पीछे तर्क यह दिया जाता था कि तुम्हारे प्रदेश का तो प्रधानमंत्री है, इसलिए तुम खामोश रहो, नहीं तो लोग नाराज हो जायेंगे । इस प्रकार से हमारी योजनाओं में कटौती होती रही और जनसंख्या के आधार पर हमें पैसा नहीं दिया जाता रहा । इस बार प्लानिंग कमीशन ने इतना बड़ा अन्याय किया है कि हमने जो योजना बना कर भेजी थी, अपने संसाधन जुटाये, उसके बाद प्लानिंग कमीशन की एक टीम वहां गयी । उसने कहा कि आप अपनी योजना को और बढ़ाइये क्योंकि आपने अच्छे संसाधन जुटाये हैं, हम आपको और सहायता देंगे । जब हमने रिवाइज्ड स्कीम बनाकर भेजी तो हमारी योजना में लगभग 1500 करोड़ रु० की कटौती कर दी गयी । हमने जो पहली योजना बनायी थी, उसकी राशि में भी कटौती कर दी गयी ।

मैं इस विषय पर कोई लम्बा-चौड़ा भाषण देना नहीं चाहता लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आयें, वे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं, अपने वाइस चेयरमैन के द्वारा किये गये अन्याय का समाधान सदन के सामने करें ।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : यह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि केरल में भी···

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की योजना में जो कटौती की गयी है, उसे अविलम्ब समाप्त किया जाये । हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे साथ किये गये अन्याय को समाप्त नहीं कर दिया जाता और हमारी जो योजना राशि काटी गयी है, उस कटौती को समाप्त नहीं कर दिया जाता । मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री जी को यहां बुलायें और वे यहां आकर समस्या का समाधान करें । उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य की योजना में 1500 करोड़ रुपये की कटौती की जा रही है, उस रुपये को हमें दिलायें ताकि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर किया जा सके । उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ा है, पिछले 40 वर्षों से उसकी उपेक्षा की जाती रही

है। हमें किसी भी योजना में पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। मेरी मांग है कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी यहां आकर इसका जवाब दें।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के श्रमिक और अधिकारी आज हड़ताल पर हैं। सरकार के विराष्ट्रीयकरण के निर्णय लेने के कारण और प्राइवेट शेयर होल्डरों को सौंपने के कारण यह हड़ताल हुई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सबसे महत्त्वपूर्ण गतिविधि अर्थात् इसकी प्रत्यक्ष वित्तीय भूमिका है जो इसकी गतिविधियों का साठ प्रतिशत है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक संविधिक निगम है। इसका अभिप्राय है कि इसका संविधिक दर्जा बदल दिया जायेगा और इसे कम्पनी अधिनियम के तहत लाया जायेगा।

अब हम जानना चाहते हैं कि आई० डी० बी० आई० का विघटन हो गया है या इसे पूरी तरह से कम्पनी अधिनियम के तहत लाया गया है। हमारा विचार है कि यदि विराष्ट्रीयकरण किया जाता है तो इसका जो मूल उद्देश्य इस देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था, को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह उसकी विशेषता है कि आई० डी० बी० आई० सबसे बड़ी और बढ़िया वित्तीय संसाधन है और सरकार के धन पर निर्भर नहीं है। हमारे विचार से यह नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। और फण्ड बैंक का दबाव पड रहा है। हमें यह भी डर है कि इसके कारण इस प्रथम कदम से हमारे वित्तीय क्षेत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर उन्कल ड्राफ्ट के अनुरूप बहु-राष्ट्रीय निगमों और विदेशी बैंकों के लिए खोला जा रहा है।

महोदय, इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार के इस निर्णय को बदलना होगा और हम यह भी मांग करते हैं कि नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट की किसी सिफारिश को लागू करने से पहले संसद में इस पर पूरी चर्चा की जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस पर उत्तर दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्रीजी और कम्पनी मामलों के मंत्री यहां उपस्थित है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला हैं। हमें उनका उत्तर अवश्य मिलना चाहिए।

डा० वसंत पवार (नासिक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र नासिक जिले में है। वहां प्याज की अच्छी फसल हुई है। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वह नाबार्ड को निर्देश दे कि वह लासलगन, मर्नाड, निफाड़, येदा, सिनेर और नासिक बाजार में उपलब्ध प्याज की अधिक से अधिक खरीद करे।

साथ ही वहां अंगूर की भी अच्छी पैदावार हुई है। वहां पर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह अंगूर और प्याज की ढुलाई के लिए अधिक से अधिक रैक्स और वैगन उपलब्ध कराए।...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : उत्तर प्रदेश की योजना आवंटन के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा की

गई शिकायत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के ध्यान में लाऊंगा और जो भी संभव होगा वह करेंगे···(व्यवधान)···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं इस पर प्रधानमंत्री की अनुक्रिया जानना चाहता हूं। ···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत इम्पोर्टेण्ट इश्यू एलोकेशन का उठाया है। केरल ने भी उठाया है।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग सदन में इस मामले पर चर्चा कर सकें। यह इस तरह से नहीं चल सकता है। यह ठीक नहीं है,

···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आपने फिर बोलना शुरू कर दिया। कृपया आप बैठ जाइए। मैंने आपको कहा था कि आपने बहुत इम्पोर्टेण्ट इश्यू उठाया है और शायद आप सब लोग इसके ऊपर डिस्कशन चाहेंगे, जनरल डिबेट जब होती है, प्रेसीडेंट्स एड्रेस पर या जनरल डिबेट जब बजट पर होती है, उस पर भी आप इस इश्यू को उठा सकते हैं। आपकी अगर यह राय हो कि···

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, ये क्या है ? आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। यह सही नहीं है। यदि आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो मैं सरकार से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार को किस तरह आप लोगों की सहायता करनी चाहिए और आप लोग खड़े होकर व्यवधान पहुंचा रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का जब मैंने टाइम दिया है, तो आपको मुझे भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, आप ही बोलते रहेंगे, मेरी सुनेंगे नहीं ? मैं आपको बता रहा था कि जनरल डिबेट के डिस्कशन पर आप इसको ले लें या प्रेसीडेंट्स एड्रेस पर लें ले और यदि आप चाहें और इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत हो, तो वह भी करवाएंगे।

(व्यवधान)

श्री रामनाथ सोमकर शास्त्री (सैंदपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके समर्थन की मुझे जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में इससे इस सम्माननीय सभा की गरिमा का ह्रास हो रहा है। एक ओर तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और दूसरी ओर आप इसका परिहास करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इस तरह से मत कीजिए। मैं आपकी सहायता करना चाह रहा हूं। मैं इसे संसदीय कार्य मंत्री पर छोड़ रहा हूं। मैं उनसे आशा करता हूं कि वे यह कहेंगे कि इस पर इस प्रकार चर्चा हो सकती है या उस प्रकार चर्चा की जा सकती है। वे पहले ही यह कह चुके हैं कि वे इसे माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लायेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप एक विशेष चर्चा करना चाहते हैं तो हम इसका आयोजन कर सकते हैं। यदि आप इस बात से संतुष्ट हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा अथवा सामान्य बजट पर होने वाली चर्चा के दौरान इस पर चर्चा की जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप विशेष चर्चा करना चाहते हैं तो हम इसका आयोजन कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चन्द्रशेखर जी को अनुमति दी है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मुद्दों पर आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। माननीय सदस्य महोदया ने एक प्रश्न उठाया है कि आई० डी० बी० आई० का राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या इस सम्माननीय सभा को दो या तीन दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ? माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या इसे गैर राष्ट्रीयकृत करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उनके पास है अथवा नहीं या फिर यह खबर बिल्कुल ही भ्रामक है। क्योंकि इसका अपना ही आशय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अन्य मुद्दों पर हम कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं और कुछ समय बाद चर्चा कर सकते हैं। किन्तु आई० डी० बी० आई० जैसी किसी संस्था को गैर-राष्ट्रीयकृत किया जा रहा है, ऐसी बात इस सम्माननीय सभा में कही जा रही है, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और आप हम लोगों से पूछ रहे हैं। "हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए या फिर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि इसे गैर-राष्ट्रीयकृत किया जा रहा है।" उन्हें यह कहना चाहिए कि वे इसका गैर-राष्ट्रीयकृत कर रहे हैं अथवा यह खबर ही गलत है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय मंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार जवाब देना चाहती है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् (सलेम) : यह उचित है कि माननीय सदस्य, भूतपूर्व प्रधान-मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी इस बात से अवगत होंगे कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो बिना इस सम्मानीय सभा में उपस्थित हुए राष्ट्रीयकरण समाप्त करने अथवा एक संवैधानिक निगम के रूप में आई० डी० बी० आई० के परिवर्तन सम्बन्धी कोई कदम, जैसा कि उन्होंने परामर्श दिया है, नहीं उठाया जा सकता है। अतः इसे इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है।

श्री चन्द्रशेखर : इस सम्मानीय सभा को इस प्रकार नहीं लिया जा सकता है। मैं इस पर एक विनिर्णय चाहता हूं। मैं सदन के नियमों को जानता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि इस सम्माननीय सभा को किस प्रकार से कार्यों का निष्पादन करना है। माननीय मंत्री महोदय को मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें इस सम्मानीय सभा में आना होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इसका प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। यह एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। माननीय सदस्य महोदया ने कहा है कि सरकार इसका राष्ट्रीयकरण समाप्त करने जा रही है। माननीय मंत्री महोदय, उप मंत्री महोदय अथवा राज्यमंत्री जी, मैं यह नहीं जानता हूं—प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि मैं जानता हूं कि उन्हें संसद मे आना है। यदि माननीय वित्त मंत्री जी यहां नहीं होते तो मैं इस मुद्दे पर जोर नहीं डालता। कल प्रेस में क्या समाचार छपेगा ? सम्पूर्ण मुद्दे के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कर्मचारी हड़ताल पर हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। मैं समझता हूं कि सरकार को एक उचित उत्तर देना चाहिए "हां, ना या विचाराधीन है।"

श्री वसुदेव आचार्य : उन्हें उत्तर देने चाहिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं उन्हें कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। विश्व बैंक का कहना है कि तीन और बैंकों को गैर-राष्ट्रीयकृत किया जाना है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्हें कहने दीजिए कि आज आई० डी० बी० आई० मे क्या होने जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने इसके लिए पूछा है।

श्री चित बसु (बारसाट) : यह नीतिगत मामला नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सम्माननीय सभा में हम कार्य किस प्रकार कर सकते है ?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री चन्द्रशेखर और माननीय सदस्य महोदया ने एक मुद्दा उठाया है। मैं नहीं जानता हूं कि उनकी जानकारी का स्रोत क्या है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कर्मचारी हड़ताल पर हैं। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि आई० डी० बी० आई० के गैर-राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सरकारी निवेश को कम करने का कोई प्रस्ताव है ?···(व्यवधान) वे इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? यह क्या है ? ···(व्यवधान) महोदय, आपके विषय में मान लिया गया है कि आप उनके अनुसार ही निर्णय देंगे। आपके निर्देश का निरादर किया गया है। हम इसे पुनः उठायेंगे। महोदय, मैं आपको एक सूचना दूंगा और फिर मैं यह मुद्दा उठाऊंगा।···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे आई० डी० बी० आई० का पुनर्गठन करने जा रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्ण चर्चा नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कुछ कहा है हम उससे अधिक की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अब यह मामला यहां खत्म होता है। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी···

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, मुद्दों को उठाने का एकाधिकार उन्हें ही प्राप्त नहीं होना चाहिए। कृपया हमें भी समय दीजिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइये। अब श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे आश्चर्य है कि आप पूर्वतः स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हैं, और आज भी उस पद को सुशोभित कर रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके पूर्ण सहयोग से।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सोचा कि आप जारी नहीं रख पाएंगे क्योंकि 5 दिसम्बर का यह समझौता आपने नहीं पढ़ा जो भारत सरकार ने विश्व बैंक और इन्टरनेशनल डवलपमेंट एसोसिएशन से किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं चल सकता। बजट प्रस्तुत होने के बाद आपको इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं। यह दस्तावेज इतना खिन्नेकारी है कि मुझे भय था कि इसे पढ़ने के बाद आप भी बीमार हो जाएंगे। इसीलिए, मैं विशेष तौर पर इस पर नहीं हूं। किन्तु बात यह है कि···(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, वह बीमार क्यों नहीं हुए ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह उनकी समझ है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसकी अपेक्षा कि वे रोज एक ही मुद्दा उठाएं उनके पास कई अच्छे मुद्दे हैं जिन्हें वे उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, कल आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण आज सांसदों को कुछ अन्य पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं । महोदय, विकास नीति के पत्र के साथ वित्त मंत्री ने उदारतापूर्वक विश्व बैंक और इंटरनेशनल डिवेलपमेंट एसोसिएशन से हुए समझौते को भी ग्रंथालय में रखा है··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने उदारतापूर्वक समझौता किया है··· (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अनुबंध 3 के अनुच्छेद 5 में कहा गया है :

"सरकार ने··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को अभी इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा । यह सही नहीं है । आप इस विषय पर बोलना जारी नहीं रख सकते । और यदि आप इसी प्रकार बोलते रहे, तो यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा ।

(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मुझे सिर्फ दो मिनट बोलने की अनुमति दें । समझौते में एक उपबंध है कि कर्जदार अर्थात् भारत सरकार ने एक कार्य योजना अपनाई है जिसमें ऐसी योजना को अपनाने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसोसिएशन अर्थात् विश्व बैंक के लिए संतोषजनक हो एक समय सारणी शामिल है ताकि बजटीय हस्तांतरण को समाप्त किया जा सके । इसलिए, सेन्ट्रल पब्लिक इन्टरप्राइज को कोई भी हस्तांतरण नहीं किया जाएगा । यह वायदा है जो किया गया है । इसका क्या हुआ ? हम यह सब नहीं जानते··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक यह हमें स्पष्ट नहीं होता, हम··· (व्यवधान) मैं विवरण की बात नहीं कर रहा । इसमें कहा गया है "बजटीय प्रावधानों का समापन, बजटीय सहायता का समापन ।" यह उनकी मांग है । इसके बाद, इस सरकार का इस दृष्टि से क्या रह जाता है ।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान) इसलिए, इस प्रश्न पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। हम इस प्रश्न पर तुरंत चर्चा चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस पर तुरंत चर्चा करना चाहते हैं। सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। हम सरकार से ब्यौरा चाहते हैं। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। इस मुद्दे पर शीघ्र चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। (व्यवधान) हम इसमें भाग नहीं ले सकते। हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

12.32 म०प०

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, सदन के अन्दर चर्चाओं को अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन सदन के बाहर चर्चाएं हो रही हैं। आपने भी कल का दूरदर्शन कार्यक्रम अवश्य देखा होगा जिसमें वे इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आप यहां इसकी चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम इस पर व्यापक चर्चा चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य कोई विचार और अन्य मामले भी हैं जिन पर चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान) इससे बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र को उधार देना कम हो जाएगा। (व्यवधान) हम इसमें भाग नहीं ले सकते। हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

12.33 म० प०

(इस अवसर पर, श्री चित्त बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सत्र के प्रारम्भ होने के ठीक दूसरे दिन मैंने इस सदन में एक महत्त्वपूर्ण मामला उठाने के बारे में सूचना दी थी। यह बिहार बारा क्षेत्र में हुए हत्याकाण्ड के बारे में थी। हममें से प्रत्येक इसके बारे में जानता है और इस घृणित व दुखद घटना से प्रत्येक का सम्बन्ध है। स्पष्टतः, वहां एक ऐसी घटना हुई है जिसमें बहुत से भोले-भाले लोग, 47 अथवा इसके आस-पास मारे गए हैं और बहुत से लोग घायल हुए हैं। यह सभा वहां की राज्य सरकार के कृत्यों के कारण हुआ है। इस घटना के बाद भी सर-

कार आवश्यक आगामी उपाय नहीं कर रही है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में आज तक तनाव व्याप्त है।

केन्द्रीय गृह मन्त्री महोदय वहां नहीं गए हैं। इसलिए, आपके माध्यम से, मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वहां की अद्यतन स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिए और इस घटना के कारणों के बारे में भी बताया जाना चाहिए। सरकार द्वारा इस दुर्भाग्यजनक, दुखद, शर्मनाक व अशोभनीय घटना, जो कि हमारे देश के सुन्दर नाम पर एक काला धब्बा है, कलंक है, की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, के बारे में भी वक्तव्य दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति भी दी जानी चाहिए। मैं इस सदन के बीचों-बीच इस पर एक चर्चा चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे आवश्यक नहीं समझता।

(व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कई बार अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (भिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश में जिस तरह अराजकता फैली हुई है, वहां के मुख्य मंत्री के कृत्यों के कारण जिस तरह से जातीय भावना फैली हुई है... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सर, हाउस में इस बात को नहीं कह सकते।

श्री वीरेन्द्र सिंह : गया में बारा में जो हत्याकाण्ड हुआ है, इस हत्याकाण्ड के कारण बिहार में जो जनाक्रोश फैला हुआ है, जो जातीय भावना फैली हुई है, वह जातीय भावना आग की लपट की तरह चारों तरफ फैल रही है और इससे जातीय द्वेष फैल रहा है। वहां.....*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम नहीं। नाम को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : बिहार के मुख्य मंत्री के जातीय भावना फैलाने से वहां सेनाएं खड़ी की की जा रही हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। ऐसा नहीं।

---

* का० वृ० में शामिल नहीं किया गया।

12.35 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वायु सेना अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 267, जो 7 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय वायु सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए वायु सेना की शाखाओं को विनिर्दिष्ट किया गया हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1367/92]

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुम्बई के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :

(1) मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1368/92]

(2) (एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1369/92]

नाविक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1991; भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) (श्रेणी 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1991 आदि

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अंतर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1971, जो 7 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 683 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1370/92]

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) (श्रेणी "ग" तकनीकी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991, जो 30 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 671 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1371/92]

(3) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1372/92]

(4) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 1373/92]

(5) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वर्ष 1990-91 के लिए सीमैन भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1374/92]

(7) (एक) मारमूगांव डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमूगांव डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1375/92]

(9) (एक) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1376/92]

(11) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1377/92]

(13) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और जल भूतल परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार के बीच समझौते ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1378/92]

(14) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त के होने के पश्चात् नौ मास की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1379/92]

(15) प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1380/92]

(16) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1381/92]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 713(अ) जो दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 1 मार्च, 1986 से आरम्भ होने वाले और 28 फरवरी, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मुजिया और चवेना पर देय उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 733(अ) जो 11 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश में भूकम्प से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए दान में दिए गए या नकद दान से खरीदे गये अस्थायी

आश्रयगृहों का निर्माण करने के लिए आवश्यक कतिपय वस्तुओं और सामग्रियों को उन पर संदेय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से कतिपय शर्तों पर छूट देने के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1992 जो 3 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1382/92]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सामान (दूसरा संशोधन) नियम, 1991 जो 14 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 684(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आवास स्थानान्तरण (दूसरा संशोधन) नियम, 1991 जो 14 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 685(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमा शुल्क गृह अनुज्ञप्ति (संशोधन) विनिमय, 1991 जो 15 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 690(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा० का० नि० 16(अ) जो 3 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 30 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 150/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 17(अ) जो 3 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13-सी० शु०/91 में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का० आ० 788(अ), जो 19 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या 106-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जो सीमाशुल्क दस्तावेज में संशोधन करने के लिए दिए जाने वाले शुल्क में समानता के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का० आ० 803(अ), जो 27 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में

तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय मुद्राओं में परिवर्तन की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का० आ० 920(अ), जो 27 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 42(अ), जो 15 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अन्तरणीय अग्रिम विज्ञप्ति के विरुद्ध भारत में आयातित माल को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 43(अ), जो 15 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जो आनुषंगिक सीमाशुल्क की छूट से सम्बन्धित 14 मार्च, 1991 की अधिसूचना संख्या 24/91 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का० आ० 79(अ), जो 27 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डच मार्क्स को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को डच मार्क्स में परिवर्तन की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1383/92]

(3) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 714(अ), जो 3 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 से 8 दिसम्बर, 1991 तक भारत की यात्रा पर आये सिंगापुर गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री वांग कान सेंग तथा शिष्टमंडल के तीन सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 722(अ), जो 5 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 11 से 16 दिसम्बर, 1991 तक भारत की यात्रा पर आये चीन लोक गणराज्य के प्रधान मंत्री महामहिम श्री ली पंग तथा शिष्टमंडल के 29 सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 723(अ), जो 5 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 से 10 दिसम्बर, 1991 तक भारत की

यात्रा पर आये नेपाल के प्रधान मंत्री राइट माननीय श्री गिरजा प्रसाद कोईराला और शिष्टमंडल के चौबन सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट दी गई है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 748(अ), जो 18 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 से 19 दिसम्बर, 1991 तक भारत की यात्रा पर आये क्यूबा के विदेश मंत्री महामहिम श्री इसिडोरी पी मैलमीरका और श्रीमती मेलमीरका को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 18(अ), जो 3 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 से 8 जनवरी, 1992 तक भारत की यात्रा पर आये श्रीलंका के विदेश मंत्री महामहिम श्री हैरोल्ड हैराट तथा शिष्टमंडल के सात सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 35(अ), जो 9 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत की सहकारी अथवा राजकीय यात्रा के दौरान राज्याध्यक्षों, उपराष्ट्रपतियों, विदेश मंत्रियों, राजकुमारों, शासनाध्यक्षों, किसी बाहरी देश के अधिकारियों तथा उनके साथ आने वाली पत्नियों/पतियों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 41(अ), जो 13 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 से 16 जनवरी, 1992 तक भारत की यात्रा पर आये चीन लोक गणराज्य के महालेखापरीक्षक श्री लू पेजियन तथा तीन लेखापरीक्षा पदाधिकारियों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1384/92]

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1991, जो 12 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 680 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (दूसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 25 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 698 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, 1991, जो 4 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 716 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, 1991, जो 4 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 717 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन नियम, 1991, जो 4 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 718 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत उन्नीसवें वार्षिक प्रतिवेदन, जो 1 जनवरी, 1989 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 1387/92]

दिल्ली वित्तीय निगम के कार्यकरण की समीक्षा, वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1990-91 के लेखाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 1388/92]

गर्म मसाला बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा वर्ष 1990-91 का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : मैं श्री सलमान खुर्शीद की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) (एक) गर्म मसाला बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गर्म मसाला बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गर्म मसाला बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये सं० एल० टी० 1389/92]

(2) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 1390/92]

(3) (एक) मूल रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद् मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मूल रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद् मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब से कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1391/92]

नवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड, नवेली के कार्यकरण की समीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड, नवेली के वर्ष 1990-91 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड, नवेली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (तीन) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 1392/92]

12.37 म० प०

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

बारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं वित्त मन्त्रालय (वार्षिक मामले सम्बन्धी विभाग)—वित्तीय नीति—घाटे के प्रबन्धन—बाह्य और आंतरिक ऋणों पर प्राक्कलन समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) और इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.37½ म० प०

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 3 मार्च, 1992 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना।

(क) नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992।

(ख) लोक दायित्व बीमा संशोधन विधेयक, 1992।

3. 1992-93 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय सम्मिलित किए जाएं :—

1. राजस्थानी भाषा को मान्यता देकर संविधान की अनुसूची में शामिल करने पर विचार।

2. पश्चिमी राजस्थान की सूखे और अकाल की स्थिति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता देने और अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. राजस्थान राज्य में अस्त-व्यस्त हो रही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुसंगठित करने के लिए आवंटित गेहूं, चावल, शक्कर एवं मिट्टी का तेल का कोटा अविलम्ब बढ़ाने की आवश्यकता।

2. अजमेर शहर के तारागढ़ पर शक्तिशाली टी.वी. रिले टावर लगाने की आवश्यकता।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित करें।

तहसील केन्द्र तथा विकास खंड स्तर पर गैस एजेंसी दी जाए तथा विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली तहसील दातागंज तथा प्रमुख केन्द्र बजीरगंज में गैस एजेंसी दी जाए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को शामिल किया जाए।

बिहार में सैकड़ों की संख्या में खानें बंद पड़ी हैं, उन्हें चालू किया जाए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

[अनुवाद]

श्री बी० धनंजय कुमार (मंगलौर)। अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जायें :—

(1) मंगलौर में एयर बस की उड़ानों के लिए सभी मौसमों में कार्य करने वाले हवाई अड्डे के निर्माण की आवश्यकता।

(2) बंतवाल से यू० एच० एफ० टी० वी० ट्रांसमीटर को हटाकर पुत्तुर में किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता ताकि जिससे कि आसपास के ताल्लुकों में प्रसारण देखा जा सके।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाए :

गंगनहर (राजस्थान) के निर्माण के लिए सरहिन्द फीडर में पन्द्रह दिन का क्लोजर दिया जाए।

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

जे० के० पेट्रोकेमिकल्स परियोजना, सलेमपुर अलीगढ़ को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किए जाने हेतु आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जायें :—

1. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य, उपलब्धियां और निगरानी पर चर्चा।

2. अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :—

1. भारत सरकार के पास राजस्थान के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 1992 में दिये आश्वासन के अनुसार विचाराधीन परियोजना को पूरा करने के लिए धनराशि स्वीकृत करें।

2. राजस्थान के सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मूल आवंटन राशि को रकम जो कम दी गयी है इसे पूरा दिया जाये।

———

[अनुवाद]

12.40 म० प०

संविधान तिहत्तरवां (संशोधन) विधेयक, 1991 सम्बन्धी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1901 (नये भाग 9क का अन्तःस्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय चौथे सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान अर्थात् संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग 9क का अन्तःस्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय चौथे सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.40½ म० प०

[अनुवाद]

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक*

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 28-2-92 के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

12.41 म० प०

[अनुवाद]

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991

तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1393/92]

12.41½ म० प०

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.42 म० प०

[अनुवाद]

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1992

तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० फोतेदार) : मैं भारतीय रेड क्रास

---

* दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1394/92]

12.42½ म० प०

राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : श्री जगदीश टाईटलर की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड की राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषणा का उपबंध करने और उक्त जल मार्ग पर पोतपरिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड की राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषणा का उपबंध करने और उक्त जल मार्ग पर पोतपरिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अशोक गहलोत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.43 म० प०

नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

---

* दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

"कि नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बलराम जाखड़ : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.44 म०प०

नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन) और विधिमान्यकरण अध्यादेश, 1992

तुरंत विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1395/92]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) प्रस्तावित सहायक कोयला कम्पनी को उसकी मुख्यालय संबलपुर, उड़ीसा खोलकर शीघ्र चालू करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन उड़ीसा में एक पृथक सहायक कोयला कम्पनी खोलने का भारत सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इस प्रस्तावित कम्पनी को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1-4-1992 से कार्य आरम्भ कर देना चाहिये तथा इसका मुख्यालय संबलपुर में खोला जाना चाहिये और इसके साथ-साथ इसका एक डिवीजन तल्चर में भी खोला जाना चाहिये।

(दो) कर्नाटक को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्रीमती वासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : कर्नाटक सरकार ने दिनांक 2-1-92 को केन्द्रीय कोयला मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था कि कर्नाटक में अनेक सीमेंट और कागज के संयंत्र थे तथा कोयले की कम आपूर्ति के कारण इन दो मुख्य उद्योगों का उत्पादन एवं कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ था। कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने तथा उत्तरी कर्नाटक के बीदर, बीजापुर, गुलबर्गा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में कोयले का समुचित भण्डार सुनिश्चित करने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इन स्थानों पर कोयले के भण्डार बनाने के काम में तेजी लाने का भी अनुरोध किया था।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करे तथा कर्नाटक के उद्योगों को बचाने के लिए वहां पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराये।

(तीन) मरौली बिछिया रोड, धौलपुर में धौलपुर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : मैं राजस्थान के धौलपुर में विद्युत तापीय संयंत्र की शीघ्र स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धौलपुर में एक विद्युत तापीय संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। परियोजना रिपोर्ट में प्रारम्भिक क्षमता 2×210 मे०वा० तथा अधिकतम क्षमता 5×210 मेगावाट निर्धारित की गई थी। संयंत्र स्थापित करने में देरी के कारण मूल अनुमानित लागत 474 करोड़ रु० में चार गुना वृद्धि होकर लगभग 2000 करोड़ रु० तक हो गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास यह परियोजना सात वर्ष से भी अधिक समय तक लम्बित पड़ी रही है और राजस्थान सरकार को किसी वैकल्पिक स्थल की खोज करने के लिए कहा गया था। जब केन्द्रीय स्तर के पर्यावरण एवं विद्युत सचिवों ने वर्ष 1991 में एक स्थल पर अपनी स्वीकृति दे दी थी तब फिर केन्द्रीय सरकार को किसी वैकल्पिक स्थल की खोज करने के निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान स्थल सर्वाधिक उचित स्थल है चूंकि सभी आवश्यक सामग्री जैसे बड़ी रेलवे लाइन और जल आपूर्ति की सुविधा इत्यादि वहां उपलब्ध हैं। जबकि केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ताजमहल से 30 कि०मी० की रेंज तक किसी भी विद्युत स्टेशन की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसको देखते हुए वर्तमान स्थल ताजमहल की रेंज से काफी दूर स्थित है। अतएव धौलपुर के विद्युत तापीय स्टेशन से ताजमहल को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी।

राजस्थान में इस समय विद्युत का घोर संकट है। इसको ध्यान में रखते हुए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस परियोजना को शीघ्र ही स्वीकृति दे दे।

(चार) उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर मार्ग पर ऊषरी पुल के शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

*** श्री अनादि चरण दास** (जाजपुर) : दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत जाजपुर-क्योंझर मार्ग

* मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण जाजपुर, उड़ीसा के लोग बहुत अधिक उत्तेजित हैं। इस परियोजना के लिए धनराशि आबंटित की जा चुकी है और करीब पांच वर्ष पूर्व निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। लेकिन कार्य की प्रगति बहुत धीमी है और यह कहना बहुत ही कठिन है कि यह परियोजना कितने वर्षों में पूरी होगी। यदि इसे जल्द पूरा नहीं किया गया तो निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि से परियोजना की लागत भी बढ़ जाएगी।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्य को युद्ध स्तर पर किया जाए ताकि जाजपुर क्योंझार मार्ग के ऊपरी पुल का निर्माण शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

(पांच) मध्य प्रदेश में एड्स फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में एड्स के फैल जाने की आशंका की ओर दिलाना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दी गयी नवीनतम सूचना के अनुसार वर्तमान वर्ष में जनवरी तक 49 विदेशी छात्रों सहित 51 व्यक्ति इस भयंकर रोग से ग्रस्त पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश, विशेषकर जबलपुर के विकासशील क्षेत्र जहां इन 51 मामलों में से 21 पाये गये हैं, एड्स के फैलने का गंभीर खतरा बना हुआ है और जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक खतरा है।

चूंकि इस रोग के अधिकांश संवाहक विदेशी छात्र हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन क्षेत्रों में प्रवेश करने और बसने से पूर्व विदेशियों की एड्स सम्बन्धी पूरी जांच की जाए और जिन लोगों को एड्स रोग है या एड्स के वाइरस हैं अर्थात् एच० आई० वी० पोजिटिव वाले व्यक्तियों को अलग रखा जाए और उन्हें रोग मुक्त होने की अवधि तक अलग रखा जाए और उन्हें इन असुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि जिलावार मध्य प्रदेश में एच० आई० वी० पोजिटिव पाये गये व्यक्तियों की संख्या की जानकारी दें। मैं सरकार से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, रायपुर और बिलासपुर में अविलम्ब एड्स का पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना की जाए।

(छः) पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन के अन्तर्गत अरंगघाट और मजदिया स्टेशनों का दर्जा घटाने के प्रस्ताव को लागू न करने की आवश्यकता

डा० अशीम बाला (नवद्वीप) : पूर्व रेलवे के सियालदाह मंडल के अंतर्गत अरंगघाट और मजदिया स्टेशन हैं। यह रेलवे लाइन रानाघाट स्टेशन से शुरू होती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में इसे रानाघाट ग्रिड लाइन कहा जाता है। सियालदाह मंडल की स्थापना किये जाने के समय से ही अरंगघाटा और मजदिया प्रखण्ड स्टेशनों के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् जनसंख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है लेकिन रेलवे के अधिकारीगण इन स्टेशनों का विकास करने की जगह इन दोनों प्रखण्ड स्टेशनों को 'फ्लैग स्टेशन' में परिवर्तित करने का विचार कर रहे हैं।

हजारों लोग और दैनिक यात्री इन स्थानों से यात्रा करते हैं। अपने आप में भी ये दोनों स्थान महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों की जगह महत्त्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान हैं जिसमें उच्च विद्यालय तथा महाविद्यालय शामिल हैं तथा अन्य कार्यालय हैं। साथ ही ये दोनों स्थान व्यापार के विशेषकर जूट, बर्तन चटाई, सब्जी और हस्तशिल्प के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं।

मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि इन दोनों स्टेशनों के दर्जा को और घटाने का प्रस्ताव स्वीकार न किया जाए तथा इस क्षेत्र के लोगों के सुधार हेतु कदम उठाये जाएं।

(सात) मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री थाइना सिंह खुमनाम (आंतरिक मणिपुर) : दिसम्बर, 1991 से ही मणिपुरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पूरे मणिपुर राज्य में व्यापक स्तर पर भूख-हड़ताल एवं क्रमिक भूख-हड़ताल किये जा रहे हैं। इसमें साहित्य प्रा० परिषद, भाषा मांग समन्वय समिति, शिक्षक गण, प्राध्यापक, छात्र, स्वयंसेवी संगठन तथा व्यापारी लोग शामिल हैं। असहयोग आन्दोलन के रूप में छात्रों तथा युवा वर्ग द्वारा अब आन्दोलन शुरू कर दिया गया है। अतः स्थिति बिगड़ गयी है।

इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाता है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल कर लिया जाए।

12.53 म० प०

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प

और

मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 7 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट तथा घोषणा-पत्र की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गयी हैं।

संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अन्तर्गत 24 जुलाई, 1990 को अध्यक्ष द्वारा मणिपुर विधानसभा, जिसकी सदस्य संख्या 60 है, के सात सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया था। मणिपुर के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित अपनी 2 जनवरी, 1992 की रिपोर्ट में लिखा था कि 12 नवम्बर, 1991 को उच्चतम न्यायालय द्वारा सात सदस्यों की अयोग्यता समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय दिये जाने से राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ही तेजी से चढ़ाव आया है। सत्तारूढ़ यूनाईटेड फ्रंट की सरकार के 34 सदस्य सभा में थे। फिर भी 4 दिसम्बर, 1991 को तीन कांग्रेस (एस०) के सदस्यों द्वारा समर्थन वापस ले लेने से यू० एल० एफ० की शक्ति कम हो गयी थी। बहुत ही उलझनपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण 9 दिसम्बर, 1991 को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए मुख्यमन्त्री द्वारा विधान सभा की विशेष बैठक आयोजित की गयी थी। अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस (इ) के सात अयोग्य घोषित सदस्यों के लिए स्थान दिये जाने से इन्कार कर देने के कारण कांग्रेस (इ०) ने विधान सभा के सत्र का बहिष्कार किया। अध्यक्ष को छोड़कर 29 सदस्यों द्वारा पक्ष में मतदान करने के साथ ही यू० एल० एफ० की सरकार विश्वास मत प्राप्त कर पाने में सफल हो पायी थी।

राज्यपाल द्वारा आगे फिर यह रिपोर्ट दी गयी थी कि दल-बदल कानून के अन्तर्गत 31-12-91 को विधान सभा के तीन सदस्यों को अयोग्य ठहराया गया था।

राज्यपाल की रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख था कि विधायक गण अपनी निष्ठा में निरन्तर परिवर्तन कर रहे हैं। राज्यपाल के अनुसार वस्तुत: दो शिविर बन चुके थे एक तत्कालिन मुख्यमंत्री के सरकारी निवास स्थान में और दूसरा सी० एल० पी० के नेता श्री आर० के० दोरेन्द्र सिंह के निजी निवास स्थान में, जहां ये सदस्यों को अपने-अपने शिविरों में बन्द कर रखे हैं। किसी को भी दूसरे शिविर में आने-जाने की अनुमति नहीं है। दोनों ही शिविरों द्वारा परस्पर विधायकों को बलपूर्वक अपने शिविरों में रोके रखने के आरोप लगाये गये हैं।

राज्यपाल ने आगे यह भी कहा था कि यद्यपि कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति आमतौर पर नियंत्रण में थी लेकिन विद्रोही गुटों की छुट-पुट गतिविधियां गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रही थी। राज्यपाल का यह मत है कि राजनैतिक अस्थिरता के कारण स्थिति में तेजी से गिरावट आ जाएगी। एक मन्त्रिमण्डल जिसे स्वयं अपनी स्थिरता का खतरा हो और इसके अधीन प्रशासन विद्रोहियों का मुकाबला उस पर जमकर नहीं कर सकता था जिसकी आवश्यकता थी। कुछ विधायकों द्वारा निरन्तर अपनी निष्ठा में परिवर्तन किये जाने से राजनैतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिला। इसके परिणामस्वरूप, इन घटनाओं ने राज्य प्रशासन को वस्तुत: स्थिर बना दिया।

राज्यपाल ने आगे यह उल्लेख किया है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री आर० के० दोरेन्द्र सिंह ने 33 सदस्यों की सूची के साथ मंत्रिमंडल बनाने का दावा किया और यह घोषणा की कि एक बार यदि उन्हें मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए तो उन्हें विश्वास है कि उन्हें अन्य अनेक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा। राज्यपाल ने यह उल्लेख भी किया है कि 33

सदस्यों में से 10 को पहले ही अयोग्य ठहराया जा चुका था और तीन के बारे में अनिश्चितता की स्थिति थी।

राज्यपाल ने यह भी कहा था कि उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिस पर विचार करते हुए वह श्री दोरेन्द्र सिंह के दावे को उचित समझकर स्वीकार कर सकें। राज्यपाल मंत्रालय के गठन के पक्ष में नहीं थे, चूंकि इससे और अधिक दल-बदल होगा। राज्यपाल ने सूचित किया था कि उन्होंने राज्य में संवैधानिक तंत्र को गिरने से रोकने के अथवा उसे बचाने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों और मार्गों का पता लगाया था, परन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। राज्यपाल के अनुसार यदि राज्य की वर्तमान स्थिति को और ऐसे ही बने रहने दिया जायेगा तो इसके राज्य की राजनीतिक स्थिति पर बहुत गम्भीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कि पहले से ही अलगाववादी गतिविधियों से प्रभावित हो चुकी है।

राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया था कि राज्य विधानसभा को बर्खास्त करना ही उचित होगा, क्योंकि इतनी जल्दी पुनः चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। मणिपुर की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक स्तर पर हिंसा होने की काफी सम्भावना है, चूंकि कुछ उम्मीदवारों को किसी न किसी उग्रवादी दल का समर्थन मिला हुआ है। दूसरे, किसी एक अथवा दूसरे पक्ष के लिए यह भी संभव हो सकता है कि स्थिर मंत्रालय का गठन करने के लिए वर्तमान सभा से उन्हें पर्याप्त समर्थन मिल जाए। तीसरे, पिछले अनुभव को देखते हुए भी कोई यह आशा नहीं कर सकता, दूसरे चुनाव होने पर ऐसे उम्मीदवार निर्वाचित होकर आयेंगे जो बेहतर राजनैतिक विचारधाराओं के होंगे और जो अपने दल के प्रति और अधिक वफादार होंगे।

पिछली बातों को देखते हुए राज्यपाल ने सिफारिश की थी कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर सकता है और राज्य विधानसभा आस्थगित रही थी। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि इस दौरान स्थिति पर निगरानी रखी जाये और यदि ऐसा लगता है कि उचित उपायों द्वारा यदि कोई भी दल पर्याप्त रूप से बहुमत लेकर विजयी नहीं होता है तब विधानसभा को भंग कर दिया जाये।

मणिपुर के राज्यपाल ने दिनांक 5-1-92 के अपने संदेश द्वारा यह भी सूचित किया था कि दिनांक 4-1-92 को आयोजित अपनी बैठक में राज्यमंत्री परिषद ने राज्यपाल को यह सिफारिश भेजने का संकल्प लिया था कि वह संविधान के अनुच्छेद 1/4 (2) (ख) के अन्तर्गत वर्तमान मणिपुर विधानसभा को भंग कर दें। उसी के अनुसार दिनांक 5-1-92 को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में परामर्श दिया था कि वह मणिपुर विधानसभा को भंग कर दें। राज्यपाल ने बताया था कि वह मुख्यमंत्री के परामर्श पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे थे चूंकि वह वर्तमान स्थिति के बारे में पहले ही सूचना भेज चुके थे।

केन्द्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट और मणिपुर की स्थिति पर विचार किया था तथा राष्ट्रपति को यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत एक उद्घोषणा जारी कर दें और विधानसभा को तब तक आस्थगित रखें। राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 1992 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह उद्घोषणा जारी की गई थी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सिफारिश करता हूं कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 7 जनवरी, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा को इस सम्माननीय सभा द्वारा स्वीकृत किया जाये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि वह मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 7 जनवरी, 1992 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करें।" (**व्यवधान**) मैं बाद में बोलूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

(i) "कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 7 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

(ii) "कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि वह मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 7 जनवरी, 1992 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करें।"

इस संकल्प और प्रस्ताव पर चर्चा मध्याह्न भोजनावकाश के पश्चात् की जायेगी।

सभा पुनः 2.00 बजे म०प० पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प

और

मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में प्रस्ताव

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मणिपुर राज्य के संबंध में प्रस्तुत सांविधिक संकल्प और श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा उपस्थित प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी रिजोल्यूशन का मैं समर्थन करने के लिये इस सदन में उपस्थित हुआ हूं। इस समर्थन के साथ, हमारा यह मत अवश्य है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ, वहां की विधान सभा को जिस तरह निलंबित किया गया, मूर्छित अवस्था में रखा गया और विधान सभा भंग करके चुनाव नहीं कराये गये, उसे हम संविधान के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात मानते हैं, यह वहां की जनता के साथ, जनतंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ और जमहूरियत के साथ विश्वासघात है।

जब लगातार दो वर्ष तक वहां आया राम, गया राम और पलटू राम का क्रम निरंतर, अवरुद्ध गति से चलता रहा, कभी 7 विधायक इधर आ गये, कभी तीन विधायक उधर चले गये, कभी दो मंत्री इधर आ गये, विधायकों और मंत्रियों की जिस तरह से खरीद-फरोख्त होती रही, इससे वहां का सारा वातावरण इतना दूषित हो गया कि सरकार का चलना सम्भव नहीं था तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आने वाले समय में वे कौन-सी परिस्थितियां आयेंगी जब उन्हीं विधायकों के द्वारा एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां बनायी जा सकेगी या स्टेबल गवर्नमेंट वहां बन जायेगी।

मणिपुर के इतिहास के बारे में, अभी यहां मंत्री महोदय ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार वहां बार-बार परिवर्तन हुए, दल-बदल हुआ और एक बार नहीं कई बार हुआ। यहां तक कि वहां की विधान सभा के अध्यक्ष के बारे में भी बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह उठाये गये। सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञाएं दीं परन्तु उन आज्ञाओं की अवज्ञा की गई, एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। कल ही फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है स्पीकर महोदय को, अवमानना का, अपमान का, मानहानि का, कन्टैम्प का, यह बहुत दुखद स्थिति है। हमारे जनतंत्र और जमहूरियत में यदि हम उन सिद्धान्तों का पालन नहीं करेंगे जो इस राष्ट्र के मौलिक आधारभूत सिद्धांत हैं कि हमारी न्यायपालिका किसी क्षेत्र में सार्वभौम है तथा संविधान की धारा 141 से 144 तक जो प्रावधान किये गये हैं, उसके द्वारा केवल उन विषयों को छोड़कर, जहां पर कि संसद के अन्दर, वहां का अध्यक्ष, अपनी सार्वभौम सत्ता रखता है, उसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। कानून राजाओं का राजा है। मनु ने कहा था कि राजाओं का राजा कानून है और कानून का प्रस्ताव करना, सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। इस कारण मणिपुर में जो कुछ हुआ, बार-बार सुप्रीम कोर्ट की आज्ञाओं की अवज्ञा की गई, अवहेलना की गई, यह बहुत ही दुखद स्थिति है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक प्रश्न यह उठता है कि गवर्नर महोदय को वहां की यू० एल० एफ० ने 7 जनवरी को राष्ट्रपति की आज्ञा निकलने के पहले एक प्रस्ताव मन्त्रिमण्डल की ओर से पास करके भेजा। गवर्नर महोदय की ओर से जो टेलैक्स राष्ट्रपति महोदय को दिया गया, उसमें स्वयं उन्होंने यह स्वीकार किया था, 2 जनवरी, 1992 को यह लिखा था कि मेरे सामने कई विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि कांग्रेस पार्टी को या यू० एल० एफ० को सरकार बनाने का आमंत्रण दूं और दूसरा विकल्प यह है कि विधान सभा को भंग कर दूं और तीसरा

विकल्प यह है कि यहां की विधान सभा को भंग न करके मूर्छित रखूं, ताकि बाद में यदि कोई स्थिति आए, तो विधान सभा जीवित की जा सके। लेकिन निलम्बित करने का जहां तक प्रश्न है, उसमें यह आशंका अवश्य है कि यदि विधान सभा भंग नहीं की गई और निलम्बित की गई, तो विधायकों की खरीद-फरोख्त हो सकती है, उनकी नीलामी हो सकती है। उसमें लोभ-लालच देकर, दबाव डालकर, इधर-उधर से कर के फ्लोर क्रॉस कराई जा सकती है। इसलिए केवल एक ही विकल्प मेरे सामने है कि विधान सभा को भंग करूं, लेकिन इसके होते हुए भी मैं यह उचित समझता हूं कि विधान सभा को भंग न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने टैलेक्स के अन्दर यह लिखा है, जो सदन के पटल पर रखा है—

[अनुवाद]

"पिछले अनुभव को यदि हम देखें, तो हम पायेंगे कि कोई भी व्यक्ति उसको देखकर यह आशा नहीं कर सकता कि पुनः अगला चुनाव होने पर ऐसे उम्मीदवार निर्वाचित होकर आयेंगे जो दल के प्रति और अधिक निष्ठावान् होंगे अथवा बेहतर राजनैतिक विचारधारा के होंगे। राजनैतिक रूप से संवेदनशील अवधि के दौरान किसी ऐसे मन्त्रालय के होने पर कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ हो सकता है जो कुछ सीमा तक विवेकशीलता और जिम्मेदारी के भाव के साथ कार्य सम्पादन कर सके। इसके विपरीत यदि विधान सभा को केवल निलम्बित ही किया जाता है तो उस स्थिति में या तो धन अथवा लालच द्वारा समर्थन मिलने की सम्भावना हो जाती है।"

[हिन्दी]

मैं सदन का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"इसके विपरीत यदि सभा को केवल निलम्बित ही किया जाता है तब चाहे धन अथवा लालचवश समर्थन मिलने की संभावना है। दूसरी ओर सभा को भंग करने से विभिन्न राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, अतः मैं यह समझता हूं कि राज्य विधान सभा को केवल निलम्बित करना ही ठीक रहेगा।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब वे स्वयं कहते हैं कि चांदी के चन्द चमकते सिक्कों के कारण विधायकों की खरीद-फरोख्त होगी, उनकी नीलामी की जाएगी और उनकी बेचा जाएगा और इस प्रकार से जनतंत्र का मखौल होगा, तो उसके बाद कोई कारण नहीं था कि विधान सभा को निलम्बित करते।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 174 के अन्दर यह भी लिखा हुआ है कि जब कभी किसी राज्य का मंत्रिमण्डल कोई प्रस्ताव पास करके गवर्नर को भेजे, तो उसे गवर्नर को मानना

चाहिए। विधान सभा डिजॉल्व करने का जब प्रस्ताव एक बार मंत्रिमण्डल ने पास करके गवर्नर को भेज दिया तो किसी प्रकार का विवेक या अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है।

राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है, जिस समय तक वहां का मंत्रिमंडल शासन है और मंत्रिमण्डल कोई प्रस्ताव करके भेजे, और उसे गवर्नर अस्वीकार कर दे, यह बिल्कुल गलत है, यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हुआ यह कि वहां के मंत्रिमण्डल ने 2 तारीख को यह प्रस्ताव भेजा कि वहां की विधान सभा को भंग कर दिया जाए, लेकिन केन्द्र ने 7 तारीख तक उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 5 जनवरी को टैलेक्स आता है, उसमें लिखा है :—

[अनुवाद]

"दिनांक 2 जनवरी, 1992 को दिये गये अपने पूर्व संदेश में मणिपुर में निम्नलिखित राजनैतिक गतिविधियों का उल्लेख आपकी जानकारी के लिए कर रहा हूं। दिनांक 4 जनवरी, 1992 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह सिफारिश करने का संकल्प लिया गया था तथा मुझसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) (ख) के अंतर्गत मणिपुर विधान सभा को भंग करने का अनुरोध किया गया था। उसी के अनुसार मुख्य मंत्री श्री आर०के० रणबीर सिंह जी ने आज (5 जनवरी, 1992 को) मुझे लिखे पत्र में संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ख) के अन्तर्गत मणिपुर विधान सभा को भंग करने का मुझे परामर्श दिया है। मैं इस···पर कार्यवाही नहीं कर रहा हूं···"

[हिंदी]

मैं पूछना चाहूंगा कि राज्यपाल को किसने अधिकार दिया। संविधान यह अधिकार नहीं देता, कानून अधिकार नहीं देता, विधि अधिकार नहीं देती, न्यायालय के निर्णय अधिकार नहीं देते कि राज्यपाल अपनी राय जाहिर करे। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी देख रहे थे कि उनकी सरकार गिर जाएगी, उन्होंने प्रस्ताव पास करवाकर डिजौल्व करवा दी और मंत्रिमण्डल में बने रहे यद्यपि उनके पास बहुमत नहीं था। इसके पहले कि कांग्रेस के लोग जाकर उनके पास साबित करते मुलायम सिंह जी ने अपना स्टे राज्यपाल के पास जाकर चतुराई से रात के दो बज किया और राज्यपाल ने उसको स्वीकार करके विधान सभा को डिजौल्व कर दिया और उन्हें मंत्रिमण्डल में रहने दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मणिपुर की यही स्थिति थी। यह हमारा दुर्भाग्य है। इसी सदन में मेघालय के प्रश्न को लेकर जिस प्रकार खिलवाड़ किया गया। इस सदन में कांग्रेस की ओर से आश्वासन दिया गया कि हम आज या कल मेघालय में राष्ट्रपति शासन वापिस ले रहे हैं और वहां पर जनतंत्रीय सरकार लाएंगे। लेकिन जब तक वहां पर कांग्रेस का बहुमत नहीं हुआ तब तक प्रोक्लेमेशन को जारी रखा। लोक सभा का सैशन समाप्त हो गया, उसके बाद वहां पर जो विश्वास दिया गया था उस विश्वास के साथ विश्वासघात करके मेघालय में जब कांग्रेस

का बहुमत होने लगा उस समय राष्ट्रपति शासन को वापिस ले लिया गया। यही स्थिति मणिपुर में की जा रही है। जहां हम इनके प्रेक्लेमेशन का, 356 का सपोर्ट करते हैं वहीं मांग करते हैं कि मणिपुर की जनता के जनतंत्र को रैस्टोर किया जाए, वहां चुनाव कराए जाएं, वहां की जनता के दुखदर्द को, समस्याओं को हल किया जाए।

आज छोटे-छोटे राज्यों में वहां की भाषा को स्थान दिया गया है लेकिन मणिपुरी को हमारे संविधान में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया ? इसलिए नहीं दिया गया कि मणिपुर के यहां से जब तक शासक दल के अनुरूप कोई स्थिति वहां नहीं बनती तब तक वहां की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते। यही कारण है कि वहां पर इनसरजैंसी होती है, आतंकवाद फैलता है, जनतंत्र से लोगों का विश्वास चला जाता है। यही स्थिति दूसरे स्थानों में बनी, मणिपुर में भी बनने वाली है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 356 में जो प्रेक्लेमेशन जारी किया है उसकी पुष्टि यहां से करवा लें लेकिन इसके तुरन्त बाद विधान सभा को डिजौल्व करके वहां चुनाव कराएं, लोकतंत्र को बहाल करें और न्यायालय का सिलवाड़ दुबारा न करें अन्यथा भारत की जनता का विश्वास हट जाएगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो० एम० कामसन (बाह्य मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम दूसरी पक्ष के श्री गुमान मल लोढ़ा को सुन रहे थे। परन्तु मेरे विचार उनके विचारों से बिल्कुल भिन्न हैं। सर्वप्रथम मैं प्रस्ताव का समर्थन करना चाहूंगा। इतना ही नहीं मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में कुछ ही समय पूर्व की स्थिति में कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था। राज्यपाल ने इस संबंध में पहले ही बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट दे दी है। अतः उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वह वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करते और विधान सभा को निलम्बित रखते। लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में लोकप्रिय सरकार के विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता। परन्तु इस स्थिति में चूंकि राज्यपाल महोदय कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर नहीं देना चाहते थे और जनता भी यू० एल० एफ० सरकार की समाप्ति चाहती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मणिपुर की जनता के लिए यू० एल० एफ० सरकार के शासन की तुलना में राष्ट्रपति शासन अधिक उचित है। चूंकि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही स्पष्ट कर दिया है, मैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से बस थोड़ी देर पूर्व ही वहां की विद्यमान स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। स्थिति इस हद तक इतनी बिगड़ चुकी थी कि कोई भी व्यक्ति मणिपुर में यू० एल० एफ० सरकार को एक क्षण के लिए भी और अधिक देखना नहीं चाहता था। यह सरकार अपने कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, दुःशासन तथा चावल और अन्य नागरिक आपूर्ति सम्बन्धी वस्तुओं में घोटाले के लिए बहुचर्चित थी। उसके शासनकाल में कोई कानून और व्यवस्था नहीं थी तथा लोगों की जान और माल की भी सुरक्षा नहीं थी। इसके शासनकाल के दौरान काफी हिंसा और हत्यायें हुईं। संभवतः आपने इस बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट और समाचारपत्रों में भी पढ़ा होगा कि वहां हर रोज कई हत्यायें हो रही

हैं, तथा असैनिक, पुलिसकर्मी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राज्य गुप्तचर ब्यूरो के अधिकारियों को भी मारा जा रहा था। इनमें अस्त्र-शस्त्र एवं गोला-बारूद छीनना इत्यादि की घटनाएं भी शामिल हैं। एक बार उन्होंने 73.20 लाख रु० की राशि भी छीन ली थी जो कि इम्फाल—मोरेह मार्ग पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान के पास थी। इसी प्रकार की अनेक घटनायें हुई थीं। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी यू० एल० एफ० सरकार का शासन नहीं चाहता। मणिपुर राज्य में यह सबसे अधिक कुप्रशासन वाली सरकार थी। वहां पर स्कूल के बच्चों का भी फिरौती वसूल करने के वास्ते अपहरण किया जा रहा था। वहां पर यह रोजमर्रा की बात थी। हर दूसरे दिन, मणिपुर में आप पाएंगे कि कहीं न कहीं कक्षा तीन या चार या पांच के बच्चों का अपहरण किया जाता है, विशेषकर बाजार से सम्बन्धित व्यापारी वर्ग के बच्चे। आप जानते हैं कि इम्फाल में भारत के सभी वर्ग रहते हैं। कई समुदाय तो वहां सौ वर्षों से रह रहे हैं। इन दिनों, काफी बच्चों की फिरौती के लिए अपहरण किया गया। अभिभावक सरकार को सूचना नहीं दे सकते। कई बार वे पुलिस को और सरकार को सूचित करते हैं। किन्तु ऐसे अभिभावकों को उग्रवादी धमकी देते हैं कि अगर वे दोबारा पुलिस के पास गए तो उन्हें सजा मिलेगी। अतः, अभिभावकों के पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता कि वे एक बच्चे के लिए 3 या 4 या 10 लाख रुपए दें। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से ठीक पहले यह स्थिति थी। उस समय, यदि राज्यपाल कांग्रेस दल को सरकार बनाने देते तो, इस उद्घोषणा से बचा जा सकता था। किन्तु इस रिपोर्ट में, राज्यपाल ने कहा कि उन्हें वहां किसी प्रकार की स्थिर सरकार बनने की संभावना दिखाई नहीं देती। मैं इस बात पर उनसे असहमत हूं। वहां अस्थिरता का कोई प्रश्न नहीं था। उस समय दल के समर्थकों सहित कांग्रेस के पास 33 विधायक थे। और दूसरे पक्ष के पास सिर्फ 26 सदस्य थे।

हमारे एक मित्र ने कहा कि राज्यपाल के सभा को भंग करने के मंत्रिमंडल के सुझाव को नहीं माना। किन्तु 60 सदस्य संख्या वाले सदन में सरकार के पास सिर्फ 26 सदस्य रह गए थे और वह अल्पमत में आ गई थी। राज्यपाल एक अल्पमत सरकार का सुझाव कैसे मान सकते थे? इसलिए, राज्यपाल ने इसे नहीं माना। यह स्पष्टीकरण है, यदि मुझे इसे राजनीतिक रूप से इसकी व्याख्या करनी पड़े।

राज्यपाल कांग्रेस दल को सरकार बनाने का एक अवसर दे सकते थे। फरवरी, 1990 में कांग्रेस दल ने 60 में से 26 सीटें जीतीं। मुझे कहना पड़ेगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल ने कांग्रेस दल को सरकार बनाने का अवसर देने से मना कर दिया। उस समय मैं वहीं था। जब मैं और मणिपुर के सी० एल० पी० नेता सायं 4 बजे राज्यपाल के पास गए, तो वह इस स्थिति में थे कि वह स्पष्ट रूप से यह उत्तर नहीं दे सकते थे कि वह कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले ही एम० पी० पी० से वायदा कर चुके हैं जिसे चुनाव में कुल 10 स्थान प्राप्त हुए थे। उपचुनाव के बाद उनकी संख्या 11 हो गई है। तब उनकी संख्या सिर्फ 10 थी और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राज्यपाल ने 10 सदस्यों के दल को अवसर दिया है और 26 सदस्यों के दल की उपेक्षा की है। और विधानसभा में कांग्रेस अकेला सबसे बड़ा दल है। सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया, यह दुर्भाग्यतः लोकतंत्र के मापदंडों

के विरुद्ध है। यदि उस समय राज्यपाल ने सरकार बनाने का एक अवसर दिया होता, तो निश्चित रूप से स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती जैसी कि आज है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस दल काफी अच्छी तरह से राज्य का शासन सम्भालती रही है। आप इतिहास पर दृष्टि डालें। आपपाएंगे कि 1981-89 के बीच मणिपुर में कांग्रेस का लगातार शासन, अर्थात् फरवरी, 1990 से ठीक पहले जबकि यू०एल०एफ० ने सत्ता संभाली, मणिपुर की राजनैतिक स्थिति में सर्वाधिक शांतिपूर्ण अवधि थी। इस कारण भी, कांग्रेस दल को उस समय सरकार बनाने का अवसर दिया जा सकता था। किन्तु दुर्भाग्य से, कांग्रेस को अवसर नहीं दिया गया। उस समय, मैं एक जनवरी की बात कर रहा हूं, जब सी० एल० पी० नेता को सरकार बनाने की पेशकश की गई तो कांग्रेस दल के 33 विधायक थे। पांच या छः दिन बाद, राज्यपाल ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी। उस समय कांग्रेस के लगभग 38 सदस्य थे जबकि अन्य पक्ष के साथ सिर्फ 21 सदस्य ही थे।

इस अवसर पर मैं आपको कुछ बताता हूं। हमारे एक मित्र ने कहा कि वहां काफी दल-बदल हुआ। राज्यपाल की रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि उन्हें किसी स्थिर सरकार की संभावना नहीं दिखती। किन्तु मैं उनसे असहमत हू। इस विषय पर मैं उनसे असहमत होने की हिम्मत कर रहा हूं। मैं आपको ऐसे तथ्य और आंकड़े भी दूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह दल-बदल का प्रश्न नहीं है। जिसने भी कांग्रेस पक्ष में जाने का निर्णय लिया उसका कारण यह था कि उन्हें यह वातावरण बहुत दमघोटूं लग रहा था और वे एक क्षण भी सरकार में नहीं रह सकते थे। उनके पास सरकार से समर्थन वापस लेने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं बचा था। किन्तु यह दल-बदल नहीं था, क्योंकि सरकार कई दलों से बनी थी—एम० पी० पी० के 11 सदस्य, 11 जनता दल से, 6 कांग्रेस (एस०) से, 3 सी० पी० आई० से और 2 एक स्थानीय दल के० एन० ए० से और 1 एन० पी० पी० से। इस प्रकार कई दल सरकार बनाने के लिए मिल गए। अतः दल-बदल का तो प्रश्न ही नहीं है। यह सरकार में भाग लेने या नहीं लेने और सरकार का समर्थन देने या वापस लेने का प्रश्न है।

अब, मैं उनके नाम दूंगा जिन्होंने 4 दिसम्बर, 1991 को सरकार से समर्थन वापस लिया था। ये हैं—श्री डूंगेल, केन्द्रीय स्तर के वित्त मंत्री, श्री सेल्काई औषधि मंत्री—केन्द्रीय स्तर, श्री कुञ्ज सिंह केन्द्रीय स्तर के राजस्व मंत्री; श्री हो खो मांग, केन्द्रीय स्तर के उद्योग मंत्री; श्री आगीर सिंह; श्री डायसन, श्री कोमल सिंह; थंगखंलाल और श्री हंग्खंलियान, सभी राज्य मंत्री। क्या आप यह सोचते हैं कि इन सभी लोगों ने किसी उच्च पद पाने के लिए या किसी प्रलोभन के कारण अपना समर्थन वापस लिया था? मुख्य मंत्री पद के अतिरिक्त कोई अन्य इससे ऊंचा पद नहीं है और वे सभी मुख्य मंत्री नहीं हो सकते थे। उन्हें कोई पैसा नहीं मिला और उन्होंने कोई धन नहीं लिया। इनके खिलाफ हम प्रलोभन का आरोप कैसे लगा सकते हैं? उन्होंने अपना समर्थन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि वे भ्रष्टाचार, कु-प्रशासन और सरकार और उग्रवादियों के बीच के संबंध, उग्रवादी गतिविधियों के पुनः शुरू होने, अनियंत्रित कानून व्यवस्था व ऐसी ही अन्य बातों से भली-भांति अवगत थे। जन असंतोष इतना अधिक था कि ये मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों में और विधान सभा में भी जनता का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए, जब वे अच्छी तरह समझ गए कि इस स्थिति से उबरने का और मणिपुर की जनता की सेवा करने का सिर्फ यही रास्ता बचा है, तो उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया।

आप उन पर धन का प्रलोभन आदि आरोप कैसे लगा सकते हैं ? यह बिल्कुल असंभव है क्योंकि वे सभी केबिनट स्तर के मंत्री थे। अत:, इस विषय पर मैं कहूंगा कि यह दल-बदल का प्रश्न नहीं है। मैं राज्यपाल से असहमत हूं कि यह दल-बदल है। महोदय, 4 दिसम्बर से आज तक ये सभी लोग केन्द्रीय सरकार से या राज्यपाल से सरकार बनाने के निर्देश की प्रतीक्षा में थे ताकि इस स्थिति से बचा जा सके। उन पर काफी दबाव था। यू० एन० एफ० ने एक या दो सदस्यों को 5 लाख या 15 लाख रुपए देने की पेशकश की थी ताकि वे ऐसी रिपोर्ट बनाएं कि वहां अस्थिरता है। दो विधायकों को उग्रवादियों ने टेलीफोन पर कांग्रेस से समर्थन वापस लेने के लिए कहा। यह दल-बदल का प्रश्न नहीं है। यह स्थिति से बचने का प्रश्न है। उन्होंने शांति से, दृढ़ निश्चय से और विवेक से यह निर्णय लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास समय बहुत कम बचा है।

प्रो० एम० कामलन : सचेतक की अनुमति से, मैं कुछ और समय लूंगा।

महोदय, यहां आप शीर्षस्थ संस्था के पीठासीन अधिकारी के तौर पर बैठे है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं।**

इस समय में इस समस्या के राष्ट्रीय पहलू के प्रति चिंतित नहीं हूं क्योंकि यह उचित समय नहीं है। किन्तु, मैं विशेष रूप से कहूंगा कि उन्होंने मणिपुर में समस्या उत्पन्न की। बल्कि मैं यह कहूंगा कि यह दल-बदल सिर्फ उसी के द्वारा करवाया गया था।

सबसे पहले, इन सातों सदस्यों को बिना किसी नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड के अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्हें किसी भी सदस्य से कोई शिकायत नहीं मिली थी। अध्यक्ष ने इन सातों सदस्यों को 24 जुलाई, 1990 को अयोग्य घोषित कर दिया और बाद में शाम को 5.30 बजे शिकायत मिली।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या किसी भी दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी के किसी कार्य के प्रति यहां सदन में आक्षेप किया जा सकता है ? माननीय सदस्य जो अभी भाषण कर रहे हैं, वे मणिपुर एसेम्बली के स्पीकर के एक्शन को डिसाउन्स कर रहे हैं। क्या किसी भी प्रिसाइडिंग आफिसर के अपने हाऊस के अन्दर की उसकी एक्टिविटी की या उसकी रूलिंग की समीक्षा इस सदन में हो सकती है ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आक्षेपात्मक टिप्पणी मणिपुर के स्पीकर के प्रति की गई है, उसको कार्यवाही में से काट दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देंगे। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

प्रो० एम० कामसन : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है ? मैं अध्यक्ष की मंशा की आलोचना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो अध्यक्ष है उसने मणिपुर में इस तरह की राजनैतिक स्थिति उत्पन्न की। मैं सिर्फ इसके राजनैतिक पहलू की बात कर रहा है। मैंने कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष को या एक संस्था के रूप में अध्यक्ष पर प्रहार नहीं किया है। फिर भी, यदि आपका विनिर्णय इसके विरुद्ध है, तो मैं इसे वापस लेना चाहूंगा। अगर अध्यक्ष ने नियमों के अनुसार कार्य किया होता तो मैं इसका उल्लेख नहीं करता। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय ने 19 सदस्यों में से 7 सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार एक-तिहाई सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है; या तो दल में विभाजन हो सकता है अथवा उन्हें उसी दल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। 19 सदस्यों में से 7 सदस्य एक-तिहाई से कम नहीं हैं। यह एक आसान गणित है। यदि अध्यक्ष महोदय यह नहीं जानते कि 7, 19 के एक-तिहाई से ज्यादा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना मुंह बन्द रखूं और इस बारे में कुछ न कहूं। मेरा यही मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० एम० कामसन : महोदय, मैं उस राज्य से सम्बन्ध रखता हूं। यदि इस बारे में मैं विस्तार से न बताऊं तो और कौन बताएगा। मेरा सदन से यही अनुरोध है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, मैं आपके माध्यम से, सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि वे अधिक समय लेना चाहें तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यदि हम इसे आज पारित न करें तो हमारे सामने संवैधानिक संकट आ जायेगा। यह वास्तविक स्थिति है और मैं सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि वे सहयोग करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : चुनाव···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं चुनाव नहीं करा सकता।

प्रो० एम० कामसन : अब, मैं सदन के सदस्यों के समक्ष कुछ छोटे मुद्दे रखना चाहता हूं जो मेरे विचार में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। क्या हो रहा है ? क्या गलत है ? इसके कारण, राष्ट्र के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई है।

हम जानते हैं कि इसी स्थिति के कारण पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। अतः, मैं केवल आपको तथ्यों से अवगत करा रहा हूं।

राष्ट्रपति शासन के दौरान भी उन्होंने तीन और सदस्यों को अयोग्य घोषित किया था। संविधान में बहुत कुछ कहा गया है किन्तु समय की कमी के कारण उन सबका उल्लेख करना कठिन है। नियमों के अधीन यह उल्लिखित किया गया है :

"राष्ट्रपति शासन के दौरान अयोग्यता अधिनियम के अन्तर्गत अयोग्य घोषित करने अथवा कोई कार्यवाही करने का अध्यक्ष को अधिकार नहीं है।"

ऐसा इसलिए है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ, कानून सम्बन्धी सभी कार्य अथवा शक्तियां संसद के पास आ जाती हैं। अतः, जो कुछ विधान सभा में हो रहा था वह संसद की कार्यवाही का ही एक हिस्सा था।

मैं आपके विचारार्थ एक मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के दौरान, जो कुछ मणिपुर विधान सभा में जो कुछ हो रहा है, क्या आप उसे संसद की ही कार्यवाही मानते हैं अथवा नहीं ?

क्योंकि, राष्ट्रपति का आदेश यह स्पष्ट करता है :

"कि उद्घोषणा के साथ, उक्त राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद के अधिकार में रहेगा।"

अतः उस समय के दौरान उन्होंने जो भी अयोग्यता सम्बन्धी कार्यवाही की थी उसे इस सदन की कार्यवाही माना जायेगा न कि उस सदन की। अतः, मेरे विचार में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आप पीठासीन अधिकारी हैं और संसद के पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके अधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण होने की सम्भावना रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने पहले ही बीस मिनट ले लिए हैं। अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। कृपया अध्यक्षपीठ अधिकारी के साथ सहयोग करें।

प्रो० एम० दामदम : चूंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बात समाप्त करने के लिए कह दिया है, मैं केवल एक बात कहूंगा और अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मणिपुर में, इस समय, गम्भीर समस्या है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष मांग है कि छठी अनुसूची के अन्तर्गत स्वायत्तशासी पर्वतीय जिला परिषद् का आगे विस्तार किया जाये और घाटी के लोगों के हित के लिए, मणिपुर को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाये। इसी कारण, हड़ताल तथा बन्द का आह्वान किया गया। इसकी जांच की जानी चाहिए और साथ ही, एक वैकल्पिक सरकार की स्थापना के लिए केवल कांग्रेस को ही अवसर दिया जाये। केवल तभी, लोकप्रिय सरकार के होने से, यह समस्या सुलझाई जा सकती है।

श्री बाइजा सिंह सुमनाम (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव प्रिंसली राज्य—प्रिंसली प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य—जिसने 1891 में स्वतन्त्रता हेतु अंग्रेजों से लड़ाई की थी, के कार्यकलापों से सम्बन्ध रखता है।

राज्यपाल ने सही कहा है कि वहां पर लोगों, युवाओं ने 15 अक्तूबर को 'काला दिवस' के रूप में मनाया था। क्योंकि उस दिन, इस प्रिंसली राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था।

जैसा कि आप जानते हैं यह एक सीमावर्ती राज्य है जो देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में है जोकि एक महत्वपूर्ण स्थान है।

अब कांग्रेस (ई) ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसके अन्तर्गत यह उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी करवाई जाती है। आम चुनाव के परिणामस्वरूप मणिपुर पीपुल्स पार्टी, जनता दल, कांग्रेस (एस), सी० पी० आई० और के० एन० ए० ने संयुक्त विधायक मोर्चा (यू०. एल० एफ०) की स्थापना की थी; और कांग्रेस पार्टी के 26 सदस्यों की तुलना में इस पार्टी में 34 सदस्य थे, राज्यपाल ने यू० एल० एफ० के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया था। इस मायने में राज्यपाल बहुत सही थे।

तत्पश्चात् कांग्रेस (ई०) के 26 विधान सभा सदस्यों में से 14 विधान सभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। इन 14 विधान सभा सदस्यों में से सात अन्य विधान सभा सदस्यों ने मणिपुर कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया और अध्यक्ष ने सात विधान सभा सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया। अतः, इस स्थिति में, संयुक्त विधायक मोर्चा सरकार तो चला रहा था किन्तु असहाय था। जैसे ही केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ, कांग्रेस (ई) पार्टी के शेष 12 विधान सभा सदस्यों के प्रतिनिधि दिल्ली आये और केन्द्रीय सरकार—मेरा अर्थ है केन्द्र में कांग्रेस (ई) पार्टी—की श्रीमती रामदुलारी सिन्हा के नेतृत्व में दो अन्य संसद सदस्यों के साथ तीन नेताओं के एक दल को भेजने के लिये कहा। वे 25 दिसम्बर को मणिपुर आये और वक्तव्य देने में उनका हाथ था; यूनाईटेड नेशनल फ्रन्ट में राज्य मन्त्री को उप मुख्यमन्त्री बनाने का और लाखों रुपयों का लालच देकर दलबदल कराने में सफल रहे। वे उनके घर...** *...

उपाध्यक्ष महोदय : नाम का प्रयोग मत करें।

श्री याइमा सिंह युमनाम : कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे अपने बचाव में बोलने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं आपके विनिर्णय से सहमत हूं। इस पक्ष के मेरे माननीय मित्र ने उग्रवादियों की गतिविधियों सम्बन्धी जो स्थिति पेश की है वह सच है। किन्तु यह कांग्रेस पार्टी का किया-धरा था; यह तत्कालीन कांग्रेस (ई) सरकार की उत्पत्ति थी जिसके दो मुख्य मन्त्रियों को हटा दिया गया था। एक मुख्य मंत्री को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय हटाया गया था। जब वे मुख्य मन्त्री थे तब श्रीमती गांधी को अन्य सूत्रों से यह सूचना मिली थी कि उनका उग्रवादियों से सम्पर्क था; वे अपने राजनैतिक हितों के लिए उग्रवादियों और भूमिगत की सेवाओं का उपयोग कर रहे थे। उन्हें हटा दिया गया। चूंकि आप नहीं चाहते कि मैं उनका नाम लूं तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा।

तब, अगले मुख्य मंत्री को भी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हटा दिया क्योंकि उन्हें भी यह सूचना मिली थी कि वे भी अपने राजनैतिक हितों के लिए उन भूमिगत नागा राष्ट्रवादी समाजवादी परिषद्, इत्यादि की सेवाओं का उपयोग कर रहे थे।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

एक कांग्रेस (ई) पार्टी के उप मुख्य मन्त्री—वे अब नहीं हैं—के भी उग्रवादियों से सम्पर्क थे। अतः उस समय की गैर-कानूनी गतिविधियों की उत्पत्ति वास्तव में कांग्रेस सरकार एवं राज्य की कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के कारण हुई। अतः, क्या हुआ ? तब कांग्रेस (ई) के 14 विधान सभा के सदस्यों ने दल बदल लिया। तत्कालीन उप मुख्य मन्त्री ने तो अध्यक्ष की कुर्सी पर पेशाब भी कर दिया था। ऐसा कार्यवाही वृत्तान्त में है। यही कांग्रेस (ई) की संस्कृति है।

यद्यपि मणिपुर एक छोटा राज्य है, यह इतिहास का जनक है। आज, इस समय इस सदन में भी इसका उल्लेख किया गया है, कि राज्य के माननीय अध्यक्ष को न्यायालय की अवमानना हेतु नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

श्री विजय एम० पाटील (इरनदोल) : यह मामला न्यायाधीन है। उसका यहां पर उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। यह न्यायाधीन है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : आपका विनिर्णय स्वीकार करता हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं; कि मणिपुर के माननीय अध्यक्ष इतने दृढ़निश्चयी हैं कि वे जेल जाने को भी तैयार हैं। वे शायद न्यायालय में हार जाएं, किन्तु राज्य में युवा वर्ग और अन्य लोग उनके लिए बलिदान देने को तैयार हैं। यह अभियान मणिपुर की सड़कों तक आयेगा। इसे राज्य में एक राजनैतिक मुद्दे के रूप में माना जायेगा। कृपया देखें यहां पर इससे कितनी उत्तेजना है। किस प्रकार राज्य विधान सभा के अध्यक्ष को दण्डित किया जा सकता है; तथापि चूंकि आपने कहा है कि यह मामला न्यायाधीन है, मैं यह बात यहीं समाप्त करता हूं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, डा० बोरे बाबू सिंह का प्रतिनिधित्व करता हूं क्योंकि वे मेरी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं। हम मणिपुर की सड़कों पर भी यह लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और वे तो जेल की सजा भी भुगतने को तैयार हैं। वे इतने दृढ़निश्चयी हैं। मैं बात समाप्त करता हूं। मैं अब आगे कुछ और नहीं कहूंगा।

किन्तु मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि यह दलबदल कांग्रेस (ई) पार्टी ने कराई थी ताकि उक्त राज्य में कांग्रेस सरकार बनाई जा सके। यद्यपि इसके अनुसार कांग्रेस का कहना है कि साधन लक्ष्य प्राप्ति का औचित्य सिद्ध करते हैं, यह महात्मा गांधी का मन्त्र था।

अब वे उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अब वे सोचते हैं कि जो कुछ हुआ है वही सही है। श्री राजीव गांधी जी इस प्रकार के दल-बदल को रोकना चाहते थे। इसलिए दल-बदल विरोधी कानून पारित किया गया। लेकिन आज उनकी भावना का कोई भी पालन नहीं कर रहा है ? आज कौन उसका पालन कर रहा है ?

राज्य के स्थानीय कांग्रेस दल की इकाइयां दल-बदल को प्रोत्साहन दे रही हैं, वे दूसरों सदस्यों को आकर्षित कर रहे हैं, राज्यों में कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने के उद्देश्य से वे इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह एक सच्चाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मेरे मित्र को बीस मिनट से अधिक समय दिया है। इसलिए मुझे भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई पूर्वोदाहरण नहीं हो सकता।

श्री याइमा सिंह सुमनाम : श्रीमान, अब मैं राज्यपाल के रिपोर्ट की बात करता हूं। कुछ हद तक यह सही है। उन्होंने जो कहा है कि दल-बदल हुआ है और कई एम०एल०ए० इसमें शामिल थे, यह बात सही है।

माननीय मंत्री, श्री जैकब ने राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह का उस समय पालन किया गया जब वह अल्पमत में थे। यह सच नहीं है। मैं इस बात को चुनौती देता हूं। यदि वे मेरी चुनौती को स्वीकार करते हैं तो मैं उन्हें सभी तथ्यों से अवगत करा दूंगा। जब यू०एल०एफ० सरकार बहुमत में थी, मंत्री परिषद ने राज्यपाल से उसे भंग करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। केवल राज्यपाल और सरकार ने ही उसका पालन नहीं किया। अनुच्छेद 174 (2) (ख) के अन्तर्गत राज्यपाल और सरकार को उसका पालन करना चाहिए था। इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। यह एक सत्य है कि जब सदन में मंत्री परिषद बहुमत में था, उस समय सिफारिश की गई थी··· (**व्यवधान**)

प्रो० एम० कामसन : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। 4 जनवरी को परिषद द्वारा विधान सभा भंग करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन 4 दिसम्बर से पहले कम से कम छह मंत्री दल को छोड़ गए थे··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री याइमा सिंह इस सदन के सदस्य हैं। वे उस क्षेत्र से आये हैं। वे इस विषय में अच्छी तरह कह सकते हैं। जब मंत्री जी उत्तर देंगे तब ये उनको उत्तर देंगे और वह निश्चय ही उनकी बातों का खण्डन करेंगे।

श्री याइमा सिंह सुमनाम : श्रीमान, राज्यपाल को संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा करना चाहिए था और उसे भंग करना चाहिए था। अब राज्य विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। यह एम०एल०ए० को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु रुपयों का प्रलोभन देने के लिए कांग्रेस दल द्वारा लिया गया मात्र एक संदिग्ध चाल है। विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का मतलब है, विधान सभा सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित करना। रुपयों का प्रलोभन देने के लिए कांग्रेस दल, कोई दूसरा तरीका अपना रही है, जिससे कि वहां पर कांग्रेस (इ०) सरकार की स्थापना हो सके। ये सत्ताधारी दल का बहुत घटिया कृत्य है। वे कह रहे हैं : "केन्द्र में हमारा, कांग्रेस दल का अधिकार है··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री याइमा सिंह जी, आपने भी 20 मिनट का समय ले लिया है। अब अपनी बात समाप्त कीजिएगा। कुछ अन्य सदस्य भी वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक हैं। हमें इस विषय को आज ही समाप्त करना होगा। आपका सहयोग अत्यावश्यक है।

श्री याइमा सिंह सुमनाम : उन्होंने मुझे टोका है अन्यथा मैंने अपना भाषण समाप्त कर दिया होता।

उपाध्यक्ष महोदय : इतने गड़बड़ के बाद भी आपने अपने भाषण को समाप्त नहीं किया।

श्री थाइना सिंह युमनाम : महोदय, मुझे ऐसे कई बातों को छोड़ना पड़ रहा है जो कि सदन के लिए रोचक हो सकते हैं। अब, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं आपके आदेश का पालन करने को तैयार हूं।

सरकार से मेरा यह निवेदन है। कृपया अनिश्चित काल तक स्थगित की गई सभा को और लम्बे समय तक स्थगित न करें। कृपया इस सभा को भंग कर दें। यदि कांग्रेस दल के पास हिम्मत है तो मैं उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनौती देता हूं। मैं यू०एल०एफ० की ओर से कांग्रेस दल को फिर से चुनाव लड़ने के लिए चुनौती देता हूं।

क्या उनमें हिम्मत है : आप लोग ऐसी शरारत क्यों कर रहे हैं ? इससे होने वाले परिणाम का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। उन्हें सही ढंग से चुनाव करवाने दो। उनमें हिम्मत नहीं है। वे गुप्त नीति एवं गलत रास्ते से सत्ता में आना चाहते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और रुपयों की शक्ति से ऐसा कई बार करने का प्रयत्न किया। मणिपुर ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस (इ) दल की चल सके। आपको यह बात समझ जानी चाहिए। यदि वे हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो वे सभा को भंग कर दें और जनादेश प्राप्त करें।

जहां तक राज्यपाल की रिपोर्ट का संबंध है, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इस समय मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। मैं नहीं जानता कि राज्यपाल क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर चुनाव कराए जाने जैसी स्थिति नहीं है। जब पंजाब में चुनाव हो सकता है तो मणिपुर में क्यों नहीं हो सकते हैं ? चुनाव होने चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनावों का विरोध करके मणिपुर में दूसरा कश्मीर या दूसरा पंजाब तैयार न करें। (व्यवधान) कृपया इसे गम्भीरता से लीजिए। इसे यों ही मत लीजिए। जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, मणिपुर एक साधारण राज्य नहीं है। यह सीमावर्ती क्षेत्र है। जैसा कि मैंने कहा था, केवल चालीस साल पहले ही इसका, भारतीय संघ में विलय हुआ है। ऐसे हालात को देखकर जनता को लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है।

मणिपुरी भाषा को संविधान के आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना, प्रदेश की एक न्यायसंगत मांग है। अब तक यह काम नहीं हुआ। राष्ट्र ने अब तक जनता की भावनाओं को मान्यता नहीं दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र से हजारों की संख्या में, जिसमें स्त्रियां और विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं, अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल और आन्दोलन कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने असहयोग आन्दोलन शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में, स्थगित समय को और बढ़ाया नहीं जा सकता। चुनाव होना चाहिए। जनता से जनादेश प्राप्त करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आपने हमारे मित्र से तीन मिनट अधिक समय लिया है और अपनी वरिष्ठता सिद्ध की है। अब श्री विजय कृष्ण हाण्डिक।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय···

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं और चूंकि सरकार ने कहा है कि इसको आज ही पास कराना है तो यदि एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से बोलेंगे तो ठीक होगा। यदि सरकार की नीयत है तो अपने मैम्बर्स को रोके·····

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कांग्रेस दल के एक ही सदस्य ने भाषण दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि अभी जनता दल, सी०पी० एम०, सी०पी०आई०, फार्वर्ड ब्लाक बोलेंगे। इसलिए यदि सभी बोलेंगे तो आज का मामला नहीं रहेगा। इस प्रकार यह आज पास होने वाला नहीं है। आपको इसको प्रोलांग करना पड़ेगा·····

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई है। अब जनता दल की बारी है। श्री राम विलास पासवान भाषण दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह इसलिए क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया था।

श्री राम विलास पासवान : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान जी।

[हिन्दी]

3.0 म० प०

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता था कि चूंकि मणिपुर की समस्या काफी गम्भीर समस्या है और आपने बतलाया कि इसके पास न होने से आपके सामने कोई राजनीतिक संकट आने वाला है, लेकिन आप कांस्टीट्यूशनल क्राइसेज की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि यह मामला है तो 3.30 तो प्राइवेट मेम्बर्स बिल शुरू होगा। हम लोगों के पास आधे घंटे का समय है और सारे दल के लोग इस पर बोलना पसन्द करेंगे। ऐसी स्थिति में 3.30 बजे तक क्या यह सम्भव है कि हम इसको समाप्त करेंगे? हमारे माननीय सदस्य के बोलने पर मुझे कोई एतराज नहीं था। मैंने कहा था कि आपको सुनने के बाद बोलूंगा।

उपाध्यक्ष जी, अभी जो मणिपुर के सारे प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हू और इस मामले में विरोध करता हूं कि अभी हमारे मणिपुर के साथी ने आपको सारी चीज बतलाई कि कितने मेम्बर्स थे। 34 मेम्बर्स सत्तारूढ़ दल के आए थे। कांग्रेस के 26 में से 7 डिसक्वालिफाई हो गए। 7 ने मणिपुर कांग्रेस फार्म कर ली। फिर यह मामला कोर्ट में चल रहा है। मैं इस मामले की ओर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। जो गवर्नर की रिपोर्ट है और जो अपने आप में कंट्राडिक्ट्री है उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे मणिपुर के माननीय साथी ने जो कहा है मैं समझता हू कि मणिपुर के गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में वही सारी बातें कही हैं और यदि गवर्नर की रिपोर्ट को हिन्दी में पेज 2 पर देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि—"जब उनको यह मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो उन्होंने मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत सिद्ध करने की सलाह दी और सदन के अध्यक्ष ने सदन की बैठक बुलाई और इसके बाद लिखा गया है कि अयोग्य घोषित किए गए 7 विधायकों को अध्यक्ष द्वारा सदन में बैठने की अनुमति देने से इंकार किए जाने पर कांग्रेस 'आई' ने विधान सभा सत्र का बहिष्कार किया और यह आरोप लगाया कि अध्यक्ष उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में पक्षपात कर रहे हैं और यू० एल० एफ० सरकार अपने पक्ष में 29 सदस्यों (अध्यक्ष को छोड़कर) का विश्वास मत प्राप्त करने में सफल हो गई।"

ठीक इसी तरीके से मेघालय में हुआ था और मैं इसलिए कंपैरिजन करना चाहता हू। आज हमें इस बात की शंका है कि प्रश्न मणिपुर का नहीं है। प्रश्न है जो हमारा नार्थ ईस्ट का इलाका है, जो शांत है और यह मणिपुर शांत इलाकों में से है जो शांत रहा है, लेकिन जो सरकार की कार्यवाही रही है जैसा मेघालय में इन्होंने किया वह ठीक नहीं है। मेघालय में हमें मालूम है कि जैकब साहब थे। प्राइम मिनिस्टर ने बैठक बुलाई थी और यही बात कही थी कि 'लीव इट टु मी'। 16 तारीख तक उसका एक पेटेण्ट वर्ड हो गया 'लीव इट टु मी, आई विल डू इट।' और उन्होंने कहा था कि 16 दिसम्बर तक जो आप कह रहे हैं, आपकी भावना के मुताबिक हो जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। क्योंकि कल इसका पीरियड समाप्त हो रहा है इसलिए आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया था लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। इसलिए मैं अकेला सदस्य था जिसने प्रधान मंत्री से कहा था कि आपकी बात पर हमें विश्वास नहीं है। आप येन-केन-प्रकारेण यहां कांग्रेस की सरकार को कायम करना चाहते हैं। हमारे सब वरिष्ठ साथी हैं, सबको आप पर विश्वास है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन 16 तारीख तक कुछ नहीं होने वाला है और नतीजा यह हुआ कि मेघालय में अपनी सरकार बना ली। यह मामला मणिपुर तक सीमित रहने वाला नहीं है। कल यह मामला नागालैंड में भी आएगा। हमें इस बात की भी चिन्ता नहीं है कि वहां आपकी सरकार बनती है या हमारी सरकार बनती है या किसकी सरकार बनती है। प्रश्न यह है कि यह देश की चिंता है। क्या देश में हम ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे हैं जिससे हमें एक तरफ तो उग्रवाद को झेल रहे हैं, चाहे पंजाब में हो या कश्मीर में हो, कहीं भारत सरकार अपने काम से जो राज्य शांत है उस राज्य में भी अशांति फैलाने का काम तो नहीं कर रही है यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

उपाध्यक्ष जी, यदि गवर्नर की रिपोर्ट को देखेंगे, तो गवर्नर ने तेज 3 पर क्या कहा है कि पिछले तीन सप्ताह से खेले जा रहे लुकाछिपी के खेल से ऐसा माहौल हो गया है जिसका राज्य के प्रशासन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। फिर वह कहते हैं कि 4 दिसम्बर, 1991 से दो खेमे बन गए—एक मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर और दूसरा आर० के० दोरेन्द्र सिंह के निजी आवास पर। जब से मुख्यमंत्री का सरकारी आवास और श्री आर० के० दोरेन्द्र सिंह का खेमा निजी खेमों में बदल गए हैं जहां सदस्यों को रोक कर रखा गया है तथा न किसी को बाहर और न अन्दर आने दिया जा रहा है तब से दोनों ओर से विधायकों को दबाव में रोके रखने के आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं।

फिर गवर्नर कहते हैं कि मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है वहां अनेक प्रकार की विद्रोही गतिविधियां विद्यमान हैं। यह गवर्नर की रिपोर्ट है। विश्वस्त सूत्रों से यह बताया जा रहा है कि नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड के गैर-कानूनी घोषित उग्रवादी ग्रुपों ने हाल ही में परिष्कृत हथियार प्राप्त कर लिए हैं और वह लूटमार की योजना बना रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपने ग्रुप में कई युवकों को भी भर्ती कर लिया है। फिर गवर्नर कहता है कि मणिपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बसे एम० जे० आर० जनजातियों के सम्पर्क बने हुए हैं तथा उस पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। 11 जून, 1991 को सेना के 3 जासूसी अधिकारियों और एस० बी० आई० के दो अधिकारियों की जघन्य हत्याएं, 30 जनवरी, 1991 को इम्फाल कस्बे के बीचों-बीच एस० पी० इम्फाल पर पूर्ण नियोजित हमला, इसमे एक पुलिसकर्मी और एक सिविलियन मारे गए। फिर गवर्नर कहता है कि हालांकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, तो भी विद्रोही ग्रुपों की लूटपाट की गतिविधियों गम्भीर समस्याएं पैदा कर रही हैं। अभी भी हम विद्रोही गतिविधियों का खात्मा करने और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में काफी दूर हैं। फिर गवर्नर कहता है कि यह आशा करना पूर्णत: अवास्तविक होगा कि मणिपुर में बहुत कम बहुमत से कोई भी सरकार कुछ भी समय के लिए काम कर सकती है। पिछले एक महीने से ऐसी राजनीतिक स्थितियों के कारण दिशाहीनता का वातावरण पैदा हुआ है। ऐसी स्थिति का राज्य प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लास्ट में गवर्नर कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके कारण उनके दावों को हम स्वीकार कर लें। मतलब हुआ बहुमत है और मैंने राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल होने से रोकने या उसमें सुधार करने के लिए उपलब्ध विकल्पों का उपयोग कर लिया है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। गवर्नर कहता है कि मैंने राज्य के संवैधानिक तंत्र को विफल होने से रोकने और उसमें सुधार करने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग कर लिया है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। यदि इस स्थिति को लम्बे समय तक जारी रहने दिया जाए, तो इसका भी राजनीतिक व्यवस्था पर गम्भीर तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहां पहले ही अलगाववादी आन्दोलन विद्यमान है, समय की पुकार है कि संसदीय प्रजातांत्रिक पद्धति से विश्वसनीयता को बहाल किया जाए।

मैं पूछना चाहता हूं कि संसदीय प्रजातांत्रिक पद्धति से विश्वसनीयता को बहाल किया जाए, इसका मतलब क्या होता है ? आपको अभी पंजाब में चुनाव कराए। पंजाब में चुनाव इसलिए कराए कि हम संसदीय प्रजातांत्रिक तरीके से जो उसका पालिटिकल सॉल्यूशन है, उसके

माध्यम से हमको समस्या का हल करना है और यहां आपका गवर्नर लगातार कहता है, फिर भी आप उसकी नहीं मानते हैं। हालांकि मेरे गवर्नर के ऊपर कोई आरोप नहीं है या मैं उसके पद की गरिमा को घटाना चाहता हूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो गवर्नर इतनी बात लिखता है क्या कारण है कि वही गवर्नर, किसी दबाव में आकर के अपनी बात को लास्ट सेंटेंस में कंट्राडिक्ट कर देता है। वह कहता है अपदस्थ हो रही मंत्रिपरिषद् तथा मुख्य विरोधी दल कांग्रेस आई और अधिकांश अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर सिलम्बम को पसन्द करेंगे कि उनमें से अधिकांश इतनी जल्दी चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे। इसका क्या मतलब है? डेट में हम नहीं जाना चाहेंगे। कोई कहता है कि इस डेट को मुख्य मंत्री ने कहा, कोई कहता है कि उस डेट को मुख्य मन्त्री ने कहा। सवाल यह है कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला किया, किस तारीख को लिया, वह छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राज्य की गतिविधियां ऐसी हैं कि एक-एक एम०एल०ए० दो महीने में चार-चार बार फ्लोर क्रॉस कर चुका है और गवर्नर भी इस नतीजे पर पहुंचा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है और कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता है कि वहां किसी एक दल की सरकार बनेगी और काम हो सकेगा। गवर्नर यह भी कहता है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है। गवर्नर यह भी कहता है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास कौन-सा दूसरा उपाय है। इसके आगे, गवर्नर लास्ट में कहते हैं कि हम इतनी जल्दी चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे, चुनाव कराना क्यों नहीं चाहेंगे, इसलिए कि पैसा खर्च होगा। क्या उनके लिये पैसा ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है, इस देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखना ज्यादा इम्पोर्टेन्ट नहीं है। इसके बाद दूसरे वाक्य को भी मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि सिलम्बम के पक्ष में वे इसलिये नहीं हैं क्योंकि वर्तमान विधान सभा 22 महीने पहले ही चुनी गयी थी और यह वांछनीय नहीं होगा कि इतनी जल्दी वहां दोबारा चुनाव कराये जायें। मतलब यह है कि मणिपुर की विधान सभा 22 महीने पुरानी हो गयी है, लेकिन हमने तो भारत सरकार का चुनाव 11 महीने में ही करवा दिये थे। पूरे देश की सरकार, संसद के चुनाव यदि 11 महीने बाद और अस्थिरता के कारण करा सकती है तो मणिपुर विधान सभा के चुनाव 22 महीने बाद कराने में क्या आपत्ति हो सकती है। वहां की विधान सभा 22 महीने तक चली, सरकार 22 महीने तक चली है। यदि 22 महीने बाद, वहां के गवर्नर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है, ऐसी परिस्थिति में, येन केन प्रकारेण, अपनी पार्टी के स्वार्थ को लेकर, जिसे कहते हैं घटिया किस्म के राजनैतिक स्वार्थ के लिये, यदि आप एक प्रदेश के साथ और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो समझ लीजिये कि आप देश के प्रति ज्यादा चिन्तित हैं या अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा चिन्तित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और इसलिये अंत में एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। गवर्नर अंत में कहते हैं कि "तथापि कुछ समय तक स्थिति को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी दल वैधानिक साधनों के जरिये पर्याप्त बहुमत जुटा पाने में समर्थ नहीं है तो विधान सभा भंग की जानी चाहिये।" इसका मतलब है कि जैसा गवर्नर ऊपर कहते हैं, वही बात बीच में भी कहते हैं लेकिन अंत में, सैंटर के दबाव में

आकर, आप गवर्नर से एक ऑप्शन लिखवा लेते हैं कि कुछ दिन के लिये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये ताकि राष्ट्रपति शासन में पैसे का खेल हो और सारी तिकड़मबाजी आप कर सकें और येन केन प्रकारेण आपकी सरकार बनायी जाये। मैं कहता हूं जैकब साहब, आप बहुत अनुभवी आदमी हैं मगर यह सदन सर्वोपरि है। कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा नहीं तो कम से कम कभी-कभी दलीय भावना से ऊपर उठकर सोचा कीजिये ईमानदारीपूर्वक। क्या कोई नॉर्थ ईस्ट का आदमी कह सकता है कि आप मणिपुर के कोई स्थायी सरकार दे सकते हैं। यदि आप मणिपुर को स्थायी सरकार नहीं दे सकते हैं तो जैसा कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वहां रिकमैंड किया था कि विधान सभा को भंग कर दो, जैसा हमारे साथी ने यहां चैलेंज किया, मैं पार्टी के दृष्टिकोण से चैलेंज तो नहीं करूंगा लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि वहां यदि चुनाव होगा, चुनाव का नतीजा चाहे गलत हो या अच्छा हो, आपकी इस कार्यवाही की तुलना में चुनाव कराना लाख गुना, हजार गुना ज्यादा बेहतरीन होगा। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक मैसेज भेजने का काम किया है कि येन केन प्रकारेण आप सत्ता में रहेंगे। पंजाब की समस्या का भी यही कारण है कि आपने बरनाला की बहुमत वाली सरकार को गिराकर एक अल्पमत वाली सरकार बनायी थी।

आज फिर यदि लोगों में यह धारणा बन गयी, यह बात फैल गयी कि आप नॉर्थ ईस्ट में राजनैतिक दृष्टिकोण से इंजैक्शन कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसके बहुत बुरे नतीजे सामने आयेंगे।

इसलिये हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप वहां जितनी जल्दी हो सके, चुनाव कराइये और वहां की असैम्बली को डिजौल्व कीजिये। जनता पार्टी की तरफ से, लैफ्ट फ्रंट और नेशनल फ्रंट की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से, मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इस रिजौल्यूशन को कदापि सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी हालत में। हम इसका विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि रिजौल्यूशन के बदले आप वहां तुरन्त चुनाव करायें। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, जनता दल इसका विरोध करता है।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर राज्य की विधान सभा में घटित कुछ गतिविधियों के कारण, इस राज्य की वर्तमान राजनैतिक स्थिति हमारे देश की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की खराब छवि प्रस्तुत करती है। मुझे भय इस बात का है कि इसने समूची प्रणाली को एक तमाशा बना दिया है। मणिपुर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों को चुनौती दी गई है।

यह सही बात है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में दल-बदल का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ-साथ दल-बदल विरोधी कानून को लागू करने के तर्क पर राजनीति से प्रेरित किसी ढांचे द्वारा बिछ गई मध्यस्थ व्यवस्था भी अच्छी नहीं है और इसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा लोकतन्त्र की एक मूलभूत संस्था न्यायपालिका को भी बदनाम किया गया। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय द्वारा किसी-न-किसी आधार पर पर्याप्त लम्बे समय

तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अपेक्षा करना मुझे इस बात के लिए भयभीत कर रहा है कि इसमें भी राजनीति की गंध हो सकती है जिसमें भ्रम और अधिक जटिल बन रहा है। जो लोग हमेशा इस तरह का माहौल बनाये रहते हैं कि न्यायपालिका से टकराव नहीं किया जाना चाहिए, भय इस बात का है कि वही लोग जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है, अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता इन सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। यदि लोकतांत्रिक मूल्यों व मानदण्डों की बिना किसी नियंत्रण के, इसी तरह से अवमानना की जाती रही तो भय इस बात का है कि जनता इस प्रणाली में ही अपना विश्वास खो देगी।

जैसा कि किसी ने सुझाव भी दिया है, निसंदेह दोबारा जनता के पास जाना ही इस स्थिति का आखिरी उत्तर हो सकता है। इसलिए किसी कार्य के लिए उचित समय क्या है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यही स्थिति का सार होता है और इसके साथ-साथ अन्य विचारणीय बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां विद्रोह का माहौल है और पंजाब और कश्मीर की तरह मणिपुर में खाड़कू आतंकवादी तथा विद्रोही और आतंकवादियों का किसी तरह की सामग्री चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती, विशेषकर पिछले चुनाव में राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। यह एक स्पष्ट संकेत है और हमें इस संकेत को गम्भीरता से लेना चाहिए। हम इस संकेत पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते।

किसी भी व्यक्ति को इस विचारधारा से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि किसी स्थिति को सुधारने में चुनाव करा देने से उस पर जादू-सा असर हो जाता है।

इससे पूर्व उचित माहौल तैयार करना आवश्यक होता है और यह अनिवार्य है कि इस प्रणाली की विश्वसनीयता और इसके संरक्षक समझे जाने वालों की विश्वसनीयता, चुनाव के आयोजन से पूर्व कायम रहनी चाहिए। इसके लिए समय चाहिए। विश्वसनीयता की बहाली अनिवार्य है। जो लोग इस तरह की खेदजनक स्थिति और गतिरोध के लिए जिम्मेदार हैं, वे चुनाव की बात करने से पूर्व इस बात को स्पष्ट कर लें। और तभी चुनाव के लिए उचित स्थिति, उचित माहौल बन सकेगा। सत्तारूढ़ दल के लिए ऐसे स्थिति में विधान सभा को भंग करने की सलाह देना उचित नहीं है जबकि उनके कार्य सामने आ गए हैं और सत्ता में बने रहने के लिए उनका हर तरह की कोशिश असफल हो गई है। हमें इस तरह के तर्क का सहारा नहीं लेना चाहिए। जनता की आंखों में धूल नहीं डाली जा सकती। वे देख रही है कि इस तरह की कूटता से दल-बदल का एक घटिया नाटक काफी लम्बे समय से चलता आ रहा है। क्या इस बात की क्या गारन्टी है कि लोग इतने आसानी से चुनाव स्वीकार कर लेंगे। लोगों का लोकतंत्र के प्रति आदर और विश्वास, चुनाव के प्रति विश्वास और आदर तीव्र गति से गिरता जा रहा है। आखिरकार लोगों का धन ही बर्बाद किया जा रहा है। और संक्षेप में यह कह सकते हैं कि इस स्थिति से सत्ता परिवर्तन की भावना तथा हिंसा की राजनीति जन्म लेती है।

इससे पूर्व कि समय हाथ से निकल जाए, मणिपुर में वर्तमान परिस्थिति में हमें राज्य को और इसकी जनता को अनिश्चितता की दलदल से ऊपर उठाना है; उन्हें तनाव और आक्रोश से ऊपर उठाना है और इसके साथ-साथ हमें प्रशासन को एक प्रकार की अनिश्चितता, अस्थिरता,

उद्देश्यहीनता और अकार्यकुशलता में बहने से रोकना है। दोनों ही स्थितियों में जनता को ही हानि होती है। और इसी बीच राज्यपाल महोदय जनता की सरकार स्थापित करने का उचित प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जब जनता की सरकार बन जाएगी तो एक प्रतिनिधि सरकार पिछली सरकार द्वारा की गई गलतियों को हल कर सकेगी। सरकार किस दल की बनेगी, यह मैं अभी नहीं कह सकता। इसे स्थिति की आवश्यकता पर छोड़ दिया जाए। लेकिन इस बीच पहले से चुनी सरकार को इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना होगा जहां इनकी सेवाओं की अधिक आवश्यकता है। इससे लोगों की आहत भावनाओं को राहत मिल सकेगी। केवल तभी चुनाव आयोजित कराए जाने के लिए उचित माहौल तैयार हो सकेगा।

हम चुनावों का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसे गलत न समझा जाए। लेकिन हमें चुनाव आयोजित कराने के लिए उचित माहौल पैदा करना होगा। प्रश्न चुनावों को उनके उचित समय पर कराने का है। क्या वहां चुनाव कराये जाने के लिए यह उचित समय है। मैं ऐसा नहीं समझता। लेकिन कोई भी चुनाव आयोजित कराये जाने का विरोध नहीं कर रहा है। हम यह अनुभव करते हैं कि यह चुनावों के आयोजन के लिए उचित समय नहीं है। मुझे विश्वास है कि राज्यपाल महोदय, अपनी तर्कशक्ति से यह देखेंगे कि मणिपुर विधान सभा में कौन-सी पार्टी स्थायी बहुमत दे सकती है और कौन-सी पार्टी स्थायी सरकार दे सकती है ताकि वह जनता की अच्छी तरह से सेवा कर सके। यदि ऐसी सरकार असफल हो जाती है तो हम विधान सभा को भंग कर सकते हैं और नये चुनाव करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी चुनाव आयोजित कराये जाने का खण्डन नहीं कर रहा है। लेकिन यह केवल चुनावों को उचित समय पर कराये जाने का प्रश्न है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री एम०एम० जैबक द्वारा रखे गए सांविधानिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्य मंत्री द्वारा रखे गए सांविधानिक संकल्प का विरोध करता हूं। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने से राज्य के राजनीतिक वातावरण पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, हम विधान सभा को भंग करने और राज्य में नये चुनावों की मांग करते हैं ताकि इस समय राज्य में जो अस्थिरता व्याप्त है, वह समाप्त हो सके। देखा यह गया है कि राष्ट्रपति शासन तो लागू कर दिया गया है लेकिन विधान सभा को निलम्बित रखा गया है। जैसा कि मेघालय का अनुभव से पता चलता है कि निलम्बन काल को जनता के लिए कांग्रेस सरकार के गठबंधन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान दल-बदल की संभावना हो सकती है, लालच देकर सदस्यों को अपना बनाना जैसी बातें रोजमर्रा की घटनाएं हो सकती हैं।

महोदय, यदि हम राज्यपाल महोदय द्वारा रखी गई रिपोर्ट को पढ़ें, तो उसमें यह कहा गया है कि जब कांग्रेस विधायिका दल के नेता ने सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया, तो उन्होंने 33 सदस्यों की सूची रखी। राज्यपाल महोदय ने आगे यह टिप्पणी की है कि उन 33 सदस्यों में से 10 तो पहले से अयोग्य ठहराये गए थे और 3 की स्थिति अनिश्चित थी।

राज्यपाल महोदय ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि सत्ता पक्ष में रहने वाले कुछ विधायकों द्वारा अपनी विश्वसनीयता में इतनी जल्दी बदलाव लाने की प्रक्रिया ने राजनीतिक अस्थिरता को बल दिया है और इस घटना ने वहां की राजनीतिक व्यवस्था को दूषित कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें डर है कि निलम्बन काल को एक ऐसी सरकार के जोड़-तोड़ के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो कि मणिपुर के लोग नहीं चाहते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जनादेश प्राप्त किया जाए। इसके लिए विधान सभा को भंग किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मणिपुर के लोग बुरी तरह से उन्मादग्रस्त हैं। मणिपुर बहुत ही भावुक प्रदेश है। कुछ अलगाववादी तथा आतंकवादी संगठन पहले से ही वहां कारगर हैं। वे इस उन्माद और बदलाव की स्थिति का अपने हित में लाभ उठा रहे हैं। एक अन्य पहलू भी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी मणिपुरी भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि यह भाषा 20 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इस अवधि से हमने देखा है कि हजारों लोग संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करने की मांग करते रहे हैं। इसका प्रभाव आसाम में अनुभव किया जा रहा है क्योंकि बहुत से मणिपुरी लोग आसाम में रहते हैं। यद्यपि साहित्य अकादमी ने इस भाषा को मान्यता प्रदान की है, यद्यपि हमारी पार्टी द्वारा इस सदन में यह मांग उठाई गई है कि मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, फिर भी इन भाषाओं को शामिल करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गए हैं।

मणिपुरी भाषा का आठवीं अनुसूची से शामिल न करके, इस प्रदेश की जनता के साथ अत्यधिक भेदभाव किया जा रहा है। इस राज्य में कोई आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। मणिपुर में व्यवहारतः कोई उद्योग नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है; जे०एन०यू० की केवल एक शाखा वहां है। आदिवासी लोगों को उचित स्वतन्त्रता नहीं है, उन्हें दी गई स्वतन्त्रता को सशक्त नहीं बनाया गया। यह सभी समस्याएं वहां मौजूद है। इनके परिणामस्वरूप, वहां के लोगों में एक प्रकार की अलगाववादी प्रवृत्ति विकसित हो रही है और यह कई समस्याओं को जन्म दे रही है। मैं समझता हूं कि मणिपुर के लोग पहले से ही उपेक्षित हैं। उन्हें यहां तक कि उनकी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के लागू रहने से लोग और अधिक उन्मादी हो जाएंगे, विद्रोह पर उतर आएंगे तथा और अधिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

हमारे कुछ मित्र पहले ही यह आशंका व्यक्त कर चुके हैं कि मणिपुर राज्य एक अन्य पंजाब, कश्मीर बन जाएगा यदि वहां एक अच्छी विचारधारा प्रवृत्त नहीं होती और विधान सभा भंग नहीं होती और लोगों को राज्य में अपनी लोकप्रिय सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जाता।

मैं पुनः इस संवैधानिक संकल्प का कड़ा विरोध करता हूं और विधान सभा भंग करने की मांग करता हूं और यह चाहता हूं कि वहां चुनाव कराये जायें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से यह मांग करता हूं कि मणिपुर की विधान सभा को भंग कर तत्काल जनता की ओर से चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में मणिपुर की व्यवस्था दी जाय।

यह बहुत ही अफसोस की बात है कि जो हमारे सीमा के छोटे-छोटे राज्य हैं, उनमें केन्द्र सरकार के राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते न केवल पृथकतावाद, अलगाववाद बल्कि आतंकवाद में भी लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन अफसोस की बात है कि पंजाब और कश्मीर का दृष्टान्त होने के बावजूद हमारे जो कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं, जिनके हाथों में इस देश की हुकूमत को चलाने का बहुत बड़ा दायित्व आया है, इस कठिनाई को और इस संवेदना को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लगातार इस सदन में और इस सदन के बाहर यह मांग होती रही कि विधान सभा में किसका बहुमत है और किसका अल्पमत है, इसका फैसला सदन के भीतर होना चाहिए, राज्यपाल भवन के कठघरे में नहीं होना चाहिए। राज्यपाल अपनी टिप्पणी में यह तो जरूर लिखते हैं कि वहां दो खेमों में विधायक बंटे हैं। एक खेमे का नेतृत्व कांग्रेस-ई के नेता दोरेन्द्र सिंह कर रहे हैं और दूसरा खेमा वहां के मुख्य मंत्री के निवास में है और पिछले एक महीने में दोनों के घरों में आना और जाना प्रतिबन्धित है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में विधायकों को कैद करके रखा गया है इसलिए कौन-सी पार्टी वहां बहुमत में है और कौन-सी अल्पमत में है, इसका सही-सही निष्पादन गवर्नर के बूते की बात नहीं रह गई। फिर भी जब गवर्नर इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जिस सरकार को विधान सभा में अल्पमत लाने का कोई फैसला नहीं हुआ, यदि उस सरकार और उस कैबिनेट ने 4 तारीख को ही इस बात का फैसला किया कि वहां की विधान सभा को भंग करके फिर से चुनाव कराये जाने चाहिए और जनता के जरिये इसका फैसला होना चाहिए कि किसका अल्पमत है और किसका बहुमत। उस निर्णय से भारत सरकार के गृह मंत्री को अवगत कराने का काम हमारी पार्टी के कई नेताओं ने स्वयं फैक्स ले जाकर इनके घर पर किया···

जब ऐसी स्थिति हो गई, तो गृह मंत्री को यह अधिकार नहीं था कि वहां की विधान सभा को निलंबित करने का काम करते। जब विधान सभा कार्य में नहीं है, निलम्बित है, तो विधान सभा के सदस्यों को घर पर बैठा कर वेतन देने पर जितना खर्च होगा, उससे कम खर्च में नए चुनाव वहां कराए जा सकते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको टाल कर के ऐसी स्थिति लाई जाए। वहां का नौजवान, वहां का राजनीतिक कार्यकर्ता और वहां के लोग इस बात को मान कर चलते हैं कि वहां की यूनाइटेड फ्रन्ट की गवर्नमेंट का आज भी बहुमत है, उसको क्यों आज आतंकवाद का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को केवल 26 सीटें, जब चुनाव हुआ था, उस समय मिली थीं। साठ की विधान सभा में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि 26 सीटें जीत कर आने वाली पार्टी···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, आप अपना बाकी वक्तव्य बाद में दीजिएगा। अब, हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेंगे।

3.28 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी० पी० कासिला वैक्यम (कुड्डालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 26 फरवरी, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 26 फरवरी, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये और तीसरे प्रतिवेदनों से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.29 म० प०

अनिवार्य मतदान विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में निर्वाचक गणों द्वारा अनिवार्य मतदान करवाने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में निर्वाचक गणों द्वारा अनिवार्य मतदान करवाने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.30 म० प०

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक*

(धारा I आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.31 म० प०

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक*

(धारा I आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले अधिनियम को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले अधिनियम को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

13.31½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.32 म० प०

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 और संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 और संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.33 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री थाइमा सिंह थुमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्तुत करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री याइमा सिंह खुमनाम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.34 म० प०

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*
(धारा 51 आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी० पी० कालिया पेरुमल (कुड्डालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० पी० कालिया पेरुमल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.34½ म० प०

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक (निर्वाचनों में मतदान का अधिकार) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में होने वाले चुनाव में वोट देने का अधिकार दिए जाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में होने वाले चुनाव में वोट देने का अधिकार दिए जाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

श्री ई० अहमद : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.35 म० प०

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (भोपाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भोपाल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भोपाल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.35½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 348 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री यशवंतराव पाटिल (अहमद नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यशवंत राव पाटिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

---

* दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

3.36 अ० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 16 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी० पी० कालिया पेरुमल (कुड्डालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० पी० कालिया पेरुमल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.36½ अ० प०

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए कोष का गठन करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए कोष का गठन करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० जीवरत्नम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.37 म० प०

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विजयवाड़ा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारु (सिकन्दराबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विजयवाड़ा में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक स्थायी नागरिक की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विजयवाड़ा में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दत्तात्रेय बंडारु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.37½ म० प०

नक्सलवादियों के आतंकवादी कार्य के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक*

श्री दत्तात्रेय बंडारु (सिकन्दराबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में नक्सलवादी हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को मासिक पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में नक्सलवादी हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों का मासिक पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दत्तात्रेय बंडारु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.38 म० प०

उधार (सीमा नियतन) विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 292

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित करने का उपबंध करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित करने का उपबन्ध करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.38½ **म० प०**

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

श्री आर्थर फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां) आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.39 अ० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(नया पैरा 2-क का अंत:स्थापन)

श्री ललित उरांव (लोहरदगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ललित उरांव : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामेश्वर पाटीदार—अनुपस्थित।

3.39½ अ० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 44, आदि का लोप)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

3.40 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1992*

(अनुसूची में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.40½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 174 का संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.41 म० प०

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कतिपय सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कतिपय सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 311 आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.42 म० प०

परिवार नियोजन विधेयक*

श्रीमती वासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश में परिवार नियोजन उपायों को शुरू करने और इनसे सम्बन्धित अन्य मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

"कि देश में परिवार नियोजन उपायों को शुरू करने और इससे सम्बन्धित अन्य मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2, आदि में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

3.43 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 356 में संशोधन) —जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री सुधीर गिरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरंभ करेगी। श्री सुधीर गिरी अपना भाषण जारी रखेंगे और वह पहले ही नौ मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री सुधीर गिरी (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय : आरंभ में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया मुझे कुछ समय दिया जाए।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वह विवादास्पद है। इन प्रावधानों से देश में बहुत ही क्षोभ और रोष व्याप्त है।

---

*दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

जब अनुच्छेद 356 को लागू किया जाता है तो कुछ लोग उल्लसित होते हैं जबकि आपात-काल के लागू हो जाने पर कुछ लोग नाराजगी प्रकट करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं की मंशा की व्याख्या लोगों ने अपने-अपने हितों को ध्यान में रखकर की है।

हम ईमानदारी से महसूस करते हैं कि संविधान निर्माताओं की मंशा को मूर्तरूप नहीं दिया गया है। अधिकतर कांग्रेस पार्टी ने इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी उन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती जिनमें कि उनके पूर्वजों का स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान विश्वास था। फिर भी हम मूल प्रश्न पर आते हैं।

हम अपने देश की विशिष्ट परिस्थितियों से वाकिफ हैं। हमारे देश के उपमहाद्वीपीय विशेष-ताएं हैं जिसमें कि अत्यधिक भिन्नतायें, सामाजिक-आर्थिक अन्तर तथा भिन्न-भिन्न मतों के लोग रहते हैं। इसलिए देश की एकता तथा अखण्डता तथा राजनैतिक स्थिरता को व्याप्त खतरे को नकारा नहीं जा सकता। यह तथ्य हमारे संविधान निर्माताओं की सोच से भी दूर नहीं था कि कभी कहीं पर गंभीर आपात स्थितियां पैदा हो सकती हैं तथा ऐसी आपात स्थितियों में संघ सरकार के पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जिसके द्वारा वे सारे देश के प्रशासन को तेजी से तथा प्रभावपूर्ण ढंग से नियन्त्रित तथा निर्देशित कर सकें। केन्द्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश बिखरे नहीं तथा इसकी एकता और अखण्डता बनी रहे।

इस महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए संविधान में इसे कुछ आपात स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां दी गई हैं।

संविधान के अनुसार तीन प्रकार की परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है—राष्ट्रीय आपातकाल, सांविधानिक तन्त्र के प्रभावहीन होने के कारण लागू आपातकाल तथा वित्तीय आपातकाल।

संविधानिक तन्त्र के प्रभावहीन होने सम्बन्धी आपातकालीन प्रावधानों को अनुच्छेद 355 में किए गए प्रावधानों के सन्दर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 355 संविधान निर्माताओं की भावना का द्योतक है। उन्होंने अनुच्छेद 356 का सृजन राज्यों तथा केन्द्र के बीच अवांछनीय टकराव की स्थितियां पैदा करने के लिए नहीं किया था बल्कि उनमें आपस में एक समन्वय स्था-पित करने के लिए किया था ताकि राज्यों के प्रशासन को शान्ति और सौहार्दपूर्ण ढंग से चलाया जा सके जिससे कि सारे देश का आर्थिक विकास, जागरूकता तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित हो सके। परन्तु यह बड़ी चिन्ता की बात है कि अनुच्छेद 356 को लागू करते समय, अनुच्छेद 355 के उद्देश्यों तथा भावना को समक्ष नहीं रखा जाता।

अब मैं अनुच्छेद 356 की बात करूंगा। अनुच्छेद 356 राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के प्रभाव-हीन होने से सम्बन्धित है। इसमें यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं जिनमें कि राज्य प्रशासन को सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है तथा राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। तत्पश्चात् वह राज्य सरकार के किसी भी अथवा सभी कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है। वह यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधान सभा की सभी शक्तियों का प्रयोग संसद अथवा उसके अधीन किसी

संस्था द्वारा किया जायगा। अगर शाब्दिक रूप में देखा जाये तो यह प्रावधान केन्द्र को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह एक ही प्रहार में एक राज्य सरकार तथा विधान सभा को लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं के विपरीत भंग कर सकती है।

संविधान के लागू होने के पश्चात्, अनुच्छेद 356 को 84 बार लागू किया गया है। पंजाब पहला राज्य था जहां कि वर्ष 1951 में राष्ट्रपति राज लागू किया गया। केरल में 9 बार राष्ट्रपति राज लागू किया गया। उड़ीसा तथा यू० पी० में छः बार राष्ट्रपति राज लागू किया गया। पंजाब में सबसे लम्बी अवधि चार वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नागालैंड में 2 वर्ष तथा 8 महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा। सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में 8 दिन ने लिए लागू किया तथा उसके बाद उड़ीसा में 13 दिन के लिए लागू किया गया। आरम्भ के वर्षों के अनुच्छेद 356 लागू करने के अधिक उदाहरण हमारे सामने नहीं आते। परन्तु समय के साथ, इसके प्रावधानों को लागू करने में तेजी आती गई। उदाहरणार्थ—

1950-54	—3
1955-59	—3
1960-64	—2
1965-69	—9
1970-74	—16
1975-79	—21
1980-84	—16
1985-89	—6
1990-92	—8
	84

दल-बदल, दलों का आपसी समझौता भंग होना, सरकार में अविश्वास होना, मुख्य मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र देना, नवगठित राज्यों में विधायिका का न होना, जन आंदोलन आदि राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के कारण हैं।

तथापि, राष्ट्रपति शासन लागू करने की परिस्थितियों की जांच करने से पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होता है।

चूंकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा ने राजनीतिक रूप ले लिया है, इस असाधारण शक्ति का उपयोग अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से उन राज्य सरकारों के विरुद्ध किया जाता है जहां केन्द्र में सत्तारूढ़ दल की सरकार नहीं है अथवा इसका उपयोग उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए राज्य विशेष में अपने दल की सरकार बनाने के लिए किया जाता है। ऐसी उद्घोषणा में इस विचार की पुष्टि करने वाले अनेक उदाहरण हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हमें स्थिति को समझने में सहायता करेंगे।

1959 में श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में जब श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस नेता के रूप में केरल सम्बन्धी कार्य देख रही थीं तब कॉमरेड ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में केरल में पहली साम्यवादी सरकार को गिरा दिया गया था। सरकार गिराने का कारण उसके द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति न बनाए रख पाना बताया गया था। यदि यही कारण था तब कानून और व्यवस्था की स्थिति पुनः सामान्य करने के बाद भी ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। असम सरकार गिराने के लिए भी यही कारण बताया गया था। इसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा 1976 में तमिलनाडु में 1979 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के उदाहरण हैं क्योंकि केन्द्र सरकार इन राज्य सरकारों को भ्रष्ट मानती थी। इस प्रकार सभी 24 राज्यों में निरर्थक आधारों पर यह उद्घोषणा की गई लेकिन यह केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के हितों के अनुरूप थे। इस प्रकार के कार्यों में सबसे अधिक आश्चर्यजनक संविधानिक अभिधारणा है कि संबंधित राज्यों में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का त्याग किए बिना कानून और व्यवस्था की स्थिति से लिए राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार एक साथ प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हम तमिलनाडु का मामला लें। कानून और व्यवस्था की स्थिति के आधार पर सरकार को गिराने के प्रस्ताव से तमिलनाडु के राज्यपाल की असहमति होने के बावजूद अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की गई और दो-तिहाई बहुमत होने के बावजूद भी करुणानिधि सरकार को गिरा दिया गया। केन्द्र जनमत को नकारने तथा लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत को तोड़ने में हिचकिचाई नहीं।

मेघालय का उदाहरण लीजिए। वहां क्या हुआ। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की गई और राज्य सरकार को गिरा दिया गया। विधान सभा को तब तक निलम्बित रखा गया जब तक केन्द्र में सत्तारूढ़ दल ने सौदेबाजी कर बहुमत हासिल नहीं कर लिया।

मणिपुर के मामले में केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को पुनः परिभाषित करने में असफल रहा। केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 355 के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर दिया है। मणिपुर में सत्तारूढ़ लोगों द्वारा सुचारू रूप से प्रशासन चलाने में सहायता करने, जनादेश का सम्मान करने के स्थान पर केन्द्र सरकार ने सत्ता हथियाने के लिए विधान सभा को निलम्बित रखा। वहां पर विधायकों की खरीद-फरोख्त चल रही है।

यह सभी उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जो उपबंध हैं वे असाधारण प्रकृति के हैं और उन्हें असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जाना था लेकिन केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के हित में उनका बार-बार उल्लंघन किया गया है। भारत की जनता और विदेशियों के विचार से अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आपातकालीन उपबंध उचित नहीं है लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भिन्न अर्थों में महत्व दिया। संविधान सभा वाद-विवाद से यह बात स्पष्ट है।

संविधान सभा में जब अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत असाधारण उपबंधों चर्चा हुई थी तब सर्वश्री एच० वी० कामथ, शिब्बन लाल सक्सेना, एच० एन कुंजरू, पी० एस० देशमुख ने इसकी आलोचना की थी और उन्होंने यह कहा था कि इसे लागू करने में सावधानी बरती जाए। यहां तक कि डा० अम्बेडकर ने इन उपबंधों को संघवाद के विरुद्ध बताया था। फिर भी उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक संघवाद के रास्ते में आपातकालीन परिस्थितियां आने पर इसका उपयोग करने के

लिए इन्हें शामिल करने का समर्थन किया। तथापि डा० अम्बेडकर ने कहा था कि असाधारण उपबंध राज्य में संविधानिक तंत्र विफल होने से रोक सकते है। वास्तव में यह उपबंध करते समय संविधान निर्माताओं के मन में भारत की एकता और अखंडता की बात थी। उन्होंने इस बारे में यह बात नहीं सोची थी कि राष्ट्रपति शासन इस प्रकार अनुसूचित रूप से लागू किए जाएंगे, जब केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को चुनाव में नहीं हरा पाया तब उसे इस प्रकार हटा दिया जाएगा। जब तक कोई कुछ सोचे उससे पहले ही राष्ट्रपति राज्य सरकार को समाप्त कर देंगे। संविधान निर्माताओं का ऐसा आशय नहीं था।

अत: यदि यह असाधारण उपबंध राजनीतिक दलों की इच्छा पर निर्भर करेंगे तब भारत में लोकतंत्र और सांविधानिक सरकार का अन्त हो जाएगा क्योंकि यह संघीय व्यवस्था पर निर्भर है और राज्य विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव करवाकर राज्य में उत्तरदायी सरकार बनाई जाती है। केन्द्र द्वारा इस असाधारण शक्ति का उपयोग करने से केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध तनावपूर्ण हो जाते हैं। इस शक्ति का बार बार उपयोग करने तथा निरर्थक आधारों पर उपयोग करने से संघीय सम्बन्ध निश्चित रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं। सरकारिया आयोग ने विस्तार से इस पहलू का अध्ययन किया है। इसने यह विचार व्यक्त किया कि आपातकालीन शक्तियों और राष्ट्रपति शासन लागू करने से सम्बन्धित उपबन्ध देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शामिल किए गए थे न कि केन्द्र को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए किए गए थे।

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करते हुए आयोग ने कहा था कि यह शक्ति आवश्यक थी लेकिन इससे विवाद उत्पन्न हो गए हैं। आयोग ने यह सिफारिश की कि इसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए और इसे अन्तिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। उसका यह विचार था कि 1977 और 1980 में राष्ट्रपति शासन लागू करना गलत था। इसने यह टिप्पणी की कि अनुच्छेद 356 का उपयोग करने से पहले राज्य स्तर पर संकट का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए: आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि राजनीतिक संकट की स्थिति में पहले राज्य सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी जाए कि वह संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पहले राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया जाए। सांविधानिक तन्त्र विफल होने की स्थिति में राज्यपाल को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त दल का पता लगाना चाहिए। यदि सरकार बनाना सम्भव न हो और बिना किसी विलम्ब के नये चुनाव कराए जा सकते है तब निवर्तमान सरकार से कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए बशर्ते की नीति सम्बन्धी मामले पर परास्त हुई हो।

आयोग ने अनुच्छेद 356 में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। आयोग के विचार से राष्ट्रपति शासन लागू करने के आधारों का औचित्य उद्घोषणा में ही बताया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि जब राष्ट्रपति शासन लागू करें तब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा भंग करने से पहले उद्घोषणा संसद द्वारा स्वीकृत हो।

समानता और आपसी सहयोग के आधार पर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए सरकारिया आयोग ने यह सभी सुझाव दिए और सिफारिशें की। आयोग के विचार में अनुच्छेद

356 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का केन्द्र संरक्षक है। बाहरी और आंतरिक अशांति के समय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए राज्यों द्वारा केन्द्र को अपने समस्त विश्वास का संरक्षक बनाया गया है। अत: इस प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग करने के परिणामस्वरूप इस विश्वास का हनन होगा और संविधान की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचेगी। हमारे संविधान के लोकतंत्रीय और संघीय सिद्धांत खतरे में पड़ जाएंगे और राजनीति का घिनौना खेल शुरू हो जाएगा। अत: आयोग ने विशेष रूप से चेतावनी दी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग हमारे देश की संसदीय प्रणाली की जड़ें काट देगा।

4.00 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं।]

केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों को क्यों मजबूत किया जा रहा है? राज्यों और केन्द्र के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अधिकारवादी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिये? शक्तियों के केन्द्रिकरण पर नियंत्रण क्यों होना चाहिए? मेरा प्रश्न यह है कि क्या एक ऐसे सत्तावादी प्रवृत्तियों वाले केन्द्र पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये, जैसा कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 40 वर्ष में 84 बार इस प्रकार की घोषणा/राष्ट्रपति शासन करने से स्पष्ट है?

हमें केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को इसलिए मजबूत करना चाहिए क्योंकि हमारा एक कल्याणकारी देश है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जोकि सभी को आगे बढ़ने और अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता और चयन हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक की अपनी-अपनी विशेषता है। प्रत्येक अपने निजी गुणों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है एवं स्वयं को दूसरों के सामने प्रकट करने को अभिलाषित है। ये सभी अभिलाषाएं तभी पूर्ण की जा सकती हैं जब व्यक्ति विशेष के आसपास का वातावरण अनुकूल हो जाए। व्यक्ति विशेष को उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति करने हेतु प्रोत्साहित करने और अनुकूल वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से लोकतंत्र जरूरी है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के बिना, लोकतंत्र अस्त-व्यस्त हो जाता है।

संविधान-निर्माताओं ने अपनी समझ से आत्मसात्करण की प्रक्रिया लाने के लिए अनुच्छेद 356 का समावेश किया था। विभिन्न राजनैतिक दल विभिन्न सामाजिक वर्गों पर आधारित हैं क्योंकि हमारा समाज वर्गों में बंटा हुआ समाज है। अत:, किसी समय, केन्द्र में एक विशेष राजनैतिक दल की सरकार हो सकती है जबकि राज्य में अन्य राजनैतिक दल की सरकार हो सकती है। केन्द्र और राज्यों के सुदृढ़/सुचारू प्रशासन के रास्ते में राजनैतिक आस्था का यह अन्तर निश्चय ही रुकावट बनकर नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सभी सरकारों का आदर्श राज्य में सभी लोगों के कल्याण कार्य करना है। अत: अनुच्छेद 356 का समावेशन सभी राजनैतिक दलों के लिए परीक्षा की घड़ी साबित होता है। इस परीक्षण में, कांग्रेस (इ) पीछे चली गयी है क्योंकि इसने बड़ी जल्दी-जल्दी घोषणाएं किये जाने के ऐसे कारण पैदा किये हैं, जिन्होंने राष्ट्रीयता के प्रश्न, अलगाववाद की समस्या, क्षेत्रीय अतिराष्ट्रीयता और संदेह और संस्यवाद को खड़ा कर दिया है। आपातकाल की जल्दी-जल्दी घोषणा करने की घटनाओं ने कांग्रेस (इ) की अधिकात्मक प्रवृत्ति का पर्दाफाश किया है। इसके साथ-साथ पश्चिम-बंगाल में वामपंथी सरकार की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति खण्ड-स्तर पर भी शक्तियों के विकेंद्रीकरण निखरी है।

राष्ट्रपति शासन को लागू करने को प्रेरित करने वाली घटनाओं और इन घटनाओं के पीछे कारणों का एक निष्पक्ष विश्लेषण यह प्रकट करता है कि भारतीय समाज में सत्ता पक्ष अपनी शक्तियों को विभिन्न रूपों में श्रमिक वर्ग के बलबूते पर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग करता है। संविधान के अन्तर्गत मजदूरों और श्रमिक वर्ग का शोषण और उनकी हर प्रकार की उपेक्षा की जाती रही है। कभी-कभार इधर-उधर होने वाला आन्दोलन दिखाई पड़ता है और कभी-कभी वह भी दिखाई नहीं पड़ता। दमन और शोषण की यह प्रक्रिया लम्बे समय तक नहीं चल सकती। इस सत्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैंने यह संशोधन केन्द्र को प्राप्त इन प्रबल शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही प्रस्तुत किया है। राज्य सरकारें राज्य की जनता द्वारा स्वतन्त्र चुनाव के आधार पर बनाई जाती हैं। अतः, राज्य की जनता का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि चाहे वह एक दल और/अथवा दलों के समूह को राज्य की सत्ता सौंपे अथवा उन्हें मतदान द्वारा सत्ता विमुक्त कर दे। यह केन्द्र का कार्य नहीं है कि राज्य सरकार को किसी तरह भी सत्ता से बाहर कर दे जैसा कि संविधान के लागू होने से किया जा रहा है।

अतः, देखना यह है कि राज्य सरकार चुनाव के माध्यम से सत्ता में आने के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता को नष्ट होने का कोई कार्य तो नहीं कर रही है। यदि यह इस प्रकार की विघटनकारी कार्यवाही में लिप्त पाई जाती है, तो इसे अवश्य ही सत्ता से बाहर कर देना चाहिये। अतः जब राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, तो उन्हें प्रमाणित तथ्यों के आधार स्वयं को निश्चय ही संतुष्ट करना चाहिये कि राज्य सरकार सांविधानिक उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रही है।

ये सभी कांग्रेस (इ) सरकार की अधिकारवादिता की अनदेखी के प्रमाण हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने अपने अल्पावधि शासनकाल में राज्यों की एक अलग नीति अपनाने की कोशिश की थी और टकरावबादी नीतियां नहीं अपनाई थीं। जहां तक राज्य सरकार से निचले स्तर पर शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है, कांग्रेस (इ) सरकार हमेशा से ही इस प्रकार के प्रस्तावों के विरुद्ध रही है। यही कारण है कि हम अनुच्छेद 356 में संशोधन हेतु दबाव डाल रहे थे ताकि जब तक लोकतांत्रिक मापदण्ड राज्य सरकारों के हाथ में हैं, सुरक्षित रह सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विटजरलैंड में संघात्मक प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद समय परीक्षित आधार पर मान्य है। संविधान विशेषज्ञ स्विटजरलैंड ने कहा था कि, "जीवन के हर क्षेत्र में बड़े कामों के पीछे हमारा मोह रखने के बावजूद भी यह माना जाता है कि एक ही स्थान पर शक्तियां होना हानिकारक है।" आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, छोटे झगड़ों के समाधान हेतु, संघीय सरकार केवल तभी हस्तक्षेप करती है जब राज्य प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करते हैं।

मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि कई संदर्भों में सरकार एक राजनैतिक दल की शक्ति का अनुमान राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के अध्यक्षों का अपने ही कक्ष अथवा उसको प्रस्तुत हस्ताक्षरों को गिन कर लगा सकती है। यह प्रक्रिया निश्चय ही लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों का

अतिक्रमण करती है। विधानमण्डल में ही संबंधित दल अथवा दलों की शक्ति को आंका जाना चाहिए। अतः, मैं, मांग करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की गलत प्रक्रिया को बन्द किया जाये।

भारत की जनता देशभक्त और लोकतांत्रिक है, उनका आदर किया जाना चाहिए। उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। अतः, विधानमण्डल के गठन के पश्चात्, यदि मंत्रालय सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय अखण्डता के विघटनकारी कार्य में लिप्त पाई जाती है, तो आपातकाल की घोषणा करने की असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों का इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोकतांत्रिक लोग हैं और इसके साथ-साथ हम अपनी साख को बनाए रखना चाहते हैं। हमारी अलग संस्कृति, भाषा और विभिन्न आयामों का वातावरण है। इन सभी प्रिय चीजों की पहचान केवल संघ में ही सुरक्षित रखी जा सकती है। अतः केन्द्र के पास निहित असाधारण शक्तियों का उचित प्रयोग केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को अधिक प्रिय बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं सभा के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, सदन में प्रस्तुत विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 356 को संशोधित करने की बात कही गई है। यह ठीक है कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यों से बीच सुमधुर सम्बन्ध हों। इस दृष्टि से जहां कहीं पारस्परिक कटुता पैदा होती हो या तनाव पैदा हो तो उसे दूर किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कि कहां-कहां या कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न राज्यों और केन्द्र के बीच टकराव की स्थिति आ सकती है और वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनके कारण केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में तनाव पैदा हो सकता है।

आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इन्हीं सम्बन्धों के ठीक न होने के कारण, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो, या फिर असम या मणिपुर हो, केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में जो पारस्परिक सहमति होनी चाहिए थी, जो पारस्परिक स्थिति होनी चाहिए थी, उसके न होने के कारण, उन राज्यों में विपरीत परिस्थितियां पैदा हुईं।

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उस प्रणाली में कहीं न कहीं, किसी प्रकार का दोष पैदा हुआ है और आज चाहे विधायकों के बारे में या निजी स्वायत्त संस्थाओं के बारे में, जनमानस में जो विश्वसनीयता पैदा होनी चाहिए, वह विश्वसनीयता जनमानस में नहीं रही और कई बार तो लोग 'आया राम गया राम' के नाम से भी संज्ञापित करने लगे हैं। यह स्थिति हमारे लिए अत्यन्त दुखद है। इससे पहले जब सदन में मणिपुर का प्रसंग चल रहा था तो वहां भी इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई कि कौन विधायक कितनी बार बदला जा सकता है, कौन विधायक कितनी कीमत प्राप्त कर सकता है। यदि हम जन प्रतिनिधियों के बारे में, विधायकों के बारे में ऐसा मत जनसाधारण में बनता है तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए अत्यन्त दुखद बात है। इसी दृष्टि को रखते हुए कहां इस 356 का प्रयोग किया

जाए या उसको कितना सशक्त बनाया जाए या उसके अन्दर जो खामियां हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में इसमें संकेत किया गया है।

कई बार जब दल-बदल की स्थिति पैदा होती है, तो मैंने प्रसंग देखे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने इकट्ठे खड़े किए जाते थे, गिनती कर लीजिए कि 310 हैं या 315 हैं। पूर्व में जब एक बार मध्य प्रदेश की विधान सभा को भंग करने की बात आई थी और उसमें परिवर्तन करने की बात आई थी तो गिनती की गई थी—एक, दो, तीन, चार और पांच। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए अत्यन्त दुखद बात है और ये सारे अधिकार राष्ट्रपति में सन्निहित होने चाहिए और विधान सभा के कक्ष के अन्दर ही यह निर्णय होना चाहिए। इसी बात को विधेयक के अन्दर कहा गया है। बाहर इसका निर्णय होना ठीक नहीं है।

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि जो राज्यों के पिछड़ेपन की बात है, चाहे यह मध्य प्रदेश हो या कोई और राज्य उसके पिछड़ेपन की बात कही जाती है। हमारे मध्य प्रदेश के बस्तर का उल्लेख किया जाता है और छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन की शिकायत की जाती है। उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल की मांग की जाती है और बिहार के अन्दर वनांचल की मांग की जाती है। यह केवल इस दृष्टि से की जाती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उन-उन क्षेत्रों के अन्दर विकास की दृष्टि से जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जानी चाहिए या दी जानी चाहिए, वे योजनाएं वहां नहीं दी गईं और वे क्षेत्र अविकसित रहे और अविकसित होने के कारण यह स्वाभाविक है कि उसके अन्दर यह भावना पैदा होगी और इस प्रकार से कई बार नए-नए संगठन पैदा हो जाते हैं, चाहे फिर वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आदिवासियों का कोई मुक्ति मोर्चा हो या भील संगठन हो। इस प्रकार से देश की जो एकरूपता है, या एकात्मकता है, उसके ऊपर भी इसका आघात लगता है। इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि नए-नए संगठनों की स्थापना बन्द करके हमारे सम्बन्धों में मधुरता बनी रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय जब विचार करेंगे, तो सरकारिया आयोग की जो रपट है, उसमें जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर निश्चित रूप से अमल करने की चेष्टा करें। वह रिपोर्ट तो है, लेकिन उस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं, उस पर अमल होने की बात अब तक पैदा नहीं हुई है। जब कभी विचार हो जाता है, चर्चा हो जाती है, लेकिन मात्र चर्चा करने से काम नहीं चलता है और इसी दृष्टि से हमारे दल का तो शुरू से यह दृष्टिकोण रहा है, हमने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही है, इस प्रकार के तनावपूर्ण सम्बन्धों में यह आवश्यक है कि सरकारिया कमीशन में जो बात कही गई है वह ठीक करें और हमारे दल का मत है कि केन्द्र और राज्य का सम्बन्ध सुमधुर रहे और उसी दृष्टि से हमने अपनी इस बात को बार-बार दोहराया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए आज जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उन परिस्थितियों पर ठीक से नियन्त्रण करने के लिए इस पर एक समेकित दृष्टि से विचार होना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में भले ही इस विधेयक में धारा 356 का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके पीछे जो भावनाएं सन्निहित हैं उस भावना को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि किस प्रकार हम इन सम्बन्धों को सुधार सकते हैं और जो असन्तुलन है और जिसके कारण आज जो ये विषमताएं बढ़ रही हैं और जगह-जगह जो कई प्रकार के विवाद खड़े हो रहे हैं उनसे बचा जा सके और हमने जो एक जनतन्त्रीय प्रणाली का सहारा लिया है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है और जो

हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने एक सुदृढ़ता सुनिश्चित की थी कि हम एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उस दृष्टि से भी यह जरूरी है कि हम उसको स्वीकार करें, अन्यथा हर क्षेत्र के लोग अपने अधिकाधिक अधिकारों की चर्चा करते जा रहे हैं, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। हमारे संविधान के ढांचे के अन्दर राज्यों के विकास की दृष्टि से जिस सुनिश्चित रूप से एक स्वायत्तता की बात है, उस पर अपनी बात आधारित करेंगे और इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समग्र दृष्टिकोण से विधेयक पर विचार करना आवश्यक है। जहां तक विधेयक की भावना का सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं और एकतरफा यह सुनिश्चित होना चाहिए और केवल मात्र राष्ट्रपति जी के पास कोई रिपोर्ट आ गई, माननीय राज्यपाल महोदय ने कोई रिपोर्ट भेज दी और उसके आधार पर वे कुछ सुनिश्चित कर दें, इसके बारे में एक सुनिश्चितता होनी चाहिए अन्यथा आज जो परिस्थिति पैदा हो गई, वह जनतंत्र के साथ मखौल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदया, आज हम इस सम्माननीय सभा में एक बार पुनः केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

काफी समय पूर्व हमारे देश में एक वह स्थिति थी जबकि केन्द्र और राज्यों में एक ही राजनैतिक दल की सरकारें थीं और तब इस विषय के उठने का प्रश्न ही नहीं उठता था। परन्तु धीरे-धीरे जब विभिन्न राज्यों में और केन्द्र में भी विभिन्न राजनैतिक दल सत्ता में आ गए तब धीरे-धीरे केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध सम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न हुआ और समय बीतने के साथ ही यह विषय जोर पकड़ता गया। परन्तु मैं नहीं समझता कि इस विषय से विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों में परस्पर क्रोध अथवा आक्रोश उत्पन्न हो। केन्द्र में भी केवल एक ही दल का शासन नहीं है। केन्द्र में भी परिवर्तन हुआ है। आज हम इस बारे में अधिक चर्चा कर रहे हैं। मैं आज दिए गए भाषणों को सुन रहा था। मैं यह नहीं कहता कि विद्यमान स्थिति एक कोई आदर्श स्थिति है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि केन्द्र अत्यन्त असाधारण स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और उस मामले में दूसरा प्रश्न राज्यपाल की शक्तियों से सम्बन्धित है। ये दो बातें हैं जो कि विभिन्न राजनैतिक दलों और उसके नेताओं को बांधती रहती हैं। और उसी के साथ-साथ इस समय एक नया मोड़ अब दिया गया है। अर्थात् राज्यों को और अधिक स्वायत्तता, वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए।

सभापति महोदया, राज्यपाल की शासन सम्बन्धी उद्घोषणा दो बार जारी की गई थी, पहले वर्ष 1977 में और फिर 1989 में। जब केन्द्र में कांग्रेस दल सत्ता में नहीं आया तब हम सभी अवगत हैं कि हमारे देश में तब क्या हुआ था। जहां तक इस प्रावधान के लागू होने का सवाल है, तब उन लोगों ने उस समय क्या कदम उठाया था जो इस समय एकाधिकार का दावा कर रहे हैं? एक ही झटके में बिना किसी उचित आधार के उनका पक्ष करने के पीछे कोई औचित्य अथवा तर्क नजर नहीं आ रहा था जब उन्होंने विभिन्न राज्यों का प्रशासन भार संभाला था यद्यपि ऐसे राज्यों में सम्बन्धित शासी दल को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। वर्ष 1989 में भी

यही दोहराया गया था। एक ही बार में राज्यपाल बदल दिए गए। मैं यह नहीं कहता कि इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए : मैं यह नहीं कहता कि केन्द्र और राज्यों के परस्पर सम्बन्ध बहुत सख्त होने चाहिए। इन सम्बन्धों को बदलती हुई परिस्थितियों में लचीला होना चाहिए। ठीक यही बात हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री ने कही है कि यह एक नम्य व्यवस्था है। ऐसा होना भी चाहिए। केन्द्र और राज्यों का सम्बन्ध भागीदारी के सदृश्य है। हमारे प्रधानमन्त्री ने यह कहा था।

हमें अपने देश की स्थिति, दशा, अपनी जनसंख्या, जलवायु और उसके विशाल क्षेत्र की प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश केवल एक देश ही नहीं है बल्कि यह उससे भी अधिक है। यह एक उप-महाद्वीप है। इसे एक लघु विश्व कहा जा सकता है। भारत एक लघु-विश्व है। यहां पर इतने अधिक धर्म हैं, इतने विभिन्न खानपान हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और गुजरात में असम से लेकर कच्छ तक विभिन्न प्रकार के लोग यहां पर रह रहे हैं, अतएव हमारा पहला काम यह है कि हम विभिन्नता में भी किस प्रकार से एकता कायम रख सकते हैं। इसके लिए हमारे संस्थापकों ने इन सभी पक्षों पर गहराई से और विस्तार-पूर्वक विचार किया था और वे इस निष्कर्ष पर ठीक ही पहुंचे थे कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था होनी चाहिए। यह पूरी तरह से संघीय नहीं है। यह पूरी तरह से एकात्मक नहीं है। बल्कि यह एकात्मकता सहित एक संघीय व्यवस्था है।

इस सम्बन्ध में मैं सरकारिया आयोग की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने इस स्थिति पर काबू किया हुआ है। जब यह प्रश्न उठाया गया और जैसा कि मैंने कहा कि जब विभिन्न भागों में असन्तोष फैल रहा था तब तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1983 में सरकारिया आयोग का गठन करना उचित समझा था। तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों का इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद हेतु चयन किया गया था। उन्होंने काफी प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने बड़े श्रम-पूर्वक प्रश्नावली तैयार की थी और देशभर में इसे प्रसारित भी किया था, विभिन्न व्यक्ति, जिसमें केवल मुख्यमन्त्री ही नहीं थे बल्कि विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं एवं जन-प्रतिनिधियों से बातचीत की थी और उन सभी से बातचीत की जो इस सम्बन्ध में बात करना चाहते थे। उन्होंने इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच-पड़ताल की और अपनी रिपोर्ट सम्भवत: वर्ष 1988 में प्रस्तुत कर दी थी। उन्होंने समय भी काफी लिया और तब से यह सरकारिया आयोग की रिपोर्ट हमारे समक्ष है और इस सरकारिया आयोग ने भी इस व्यवस्था को जारी रखने की स्पष्ट वकालत की और जैसा मैंने कहा, यह लचीली हो सकती है, इसमें कोई कठोरता नहीं होनी चाहिए। महोदय, जैसा आप जानती हैं, पूर्वी यूरोप में, सोवियत संघ में और सब जगह विशेष रूप से पिछले एक या दो वर्ष तीव्र परिवर्तन और जबर्दस्त परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ देश जो पहले विभाजित थे अब पुन: एक हो गए हैं। कुछ देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् एक हो गए थे वे अब खण्डों में बंट गए हैं। वहां काफी परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे चारों ओर हो रहे परिवर्तनों से हमें उचित शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रश्न पर विस्तार से विचार हुआ है। महोदया, वास्तव में, राजनैतिक लोगों के लिए आशा करना और महत्वाकांक्षी होना कोई पाप नहीं है तथा इस दृष्टि से भी कई क्षेत्रों में हमारी दुर्दशा शुरू होती है। अगर एक मुख्य-मन्त्री प्रधानमन्त्री बनने का स्वप्न देखता है और वह सोचता है कि जब तक उसका राज्य पूरे हिन्दुस्तान से अलग नहीं हो जाता, तब तक उसका स्वप्न मूर्त नहीं होगा, इस प्रकार वह अलगाववाद को बढ़ावा दे

सकता है। क्या यही नहीं हो रहा, अभी क्या इसी की मांग नहीं की जा रही ? हमें इन सब बातों की निंदा करनी होगी, किन्तु इसके साथ ही उचित मांगों, उस विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के लोगों की उचित आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, उन पर विचार करना होगा। जब तक कि गंभीर स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती और जब तक कि वे उग्र और हिंसक नहीं हो जाते, तब तक उनकी उचित मांगों पर भी ध्यान नहीं किया जाएगा—ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अतः सर्वथा यथार्थवादी होना होगा, लचीला होना होगा ताकि लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाएं और अन्य आकांक्षाओं को भी पूरा करने के लिए वह आवश्यकतानुसार बदल सके। अतः, इस दृष्टि से मैं इस विषय को लूंगा और महोदया, वास्तव में, जैसा मैंने कहा, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें मतभेद है—राज्यपालों की नियुक्ति, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल द्वारा और केन्द्र द्वारा अधिकारों का प्रयोग और वित्तीय मामले भी। जैसा मैंने कहा, कुछ राज्य महानगर अधिक आर्थिक और वित्तीय स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। महानगर अपने आप ही विकसित नहीं हो गए हैं। कई अन्य राज्यों का भी योगदान रहा है। जिन पड़ोसी राज्यों का केन्द्र मेट्रो नगर रहे हैं, उनका अपना योगदान रहा है और महोदया, यह भाग्य की विडम्बना है कि हमारे देश में जो राज्य, सबसे पहले ब्रिटिश राज्य या ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन में आए वही सबसे पहले विकसित हुए हैं। कुछ राज्य युद्ध करने से पश्चात् ब्रिटिश शासन में आए और कुछ ने आत्मसमर्पण भी किया, किन्तु जहां ब्रिटिश प्रशासन का अधिक प्रतिरोध हुआ वहां भीषण युद्ध हुआ, वे ब्रिटिश राज में तदोपरान्त ही आए। वे अधिक पिछड़े रहे। यह विधि की विडम्बना है। मैं अपने राज्य उड़ीसा के बारे में कह सकता हूं। उड़ीसा में सम्बलपुर में एक महान देशभक्त क्रांतिकारी श्री वीर सुरेन्द्र शाह थे जिन्होंने भारत के 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संघर्ष में अपने जीवन के 17 वर्ष ब्रिटिश जेल में बिताए। किन्तु आज यह सम्बलपुर पिछड़ा क्षेत्र है। भारत में फिलहाल कई तरह के छोटे-बड़े राज्य हैं। जनसंख्या, आर्थिक पहलू और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से इन राज्यों में विभिन्नताएं हैं। यदि कोई मजबूत केन्द्र न हो तो सुदूर व छोटे राज्यों का कौन ध्यान रखेगा जिनकी अपनी समस्याएं हैं ? क्या भारत अखंड रह सकता है ?

स्वायत्तता के बारे में एक मामले पर सरकारिया आयोग में विचार किया गया है। उन्होंने काफी अच्छी सिफारिशें की हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि इन सिफारिशों को मान लिया। इससे अधिक मैं उन सिफारिशों के बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि यहां उसका औचित्य नहीं है। यहां तक कि मुख्य मंत्रियों में भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं, "जब तक ऐसा नहीं किया गया, तब तक मेरे राज्य से कोयला नहीं दिया जाएगा, अगर सारी बातें नहीं की गईं, तो भारत का भी क्या जैसा हाल होगा।" ये सभी जिम्मेवार राजनैतिक नेताओं द्वारा दिए गए गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य हैं। अब, अन्तर्राज्यीय परिषद की एक उपसमिति सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है। सरकारिया आयोग ने 258 सिफारिशें की है, उनमें से मुख्य सिफारिश है—एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना, जो राज्यों के बीच हुए विवादों पर विचार करे। उसकी स्थापना हो गई है और उसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। उस संस्था की एक उप-समिति जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय गृह मंत्री हैं और कुछ मुख्यमंत्री भी उस समिति के सदस्य हैं। दो या तीन बैठकें भी हो चुकी हैं और लगभग 30 या 35 सिफारिशों पर विचार हुआ है, उनमें से लगभग 8 सर्वसम्मति से मान ली गई हैं। अन्य सिफारिशों के बारे में एकमत नहीं हो सकता और वे अभी भी विचाराधीन हैं। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे मुख्यमंत्री बैठकर इस पर चर्चा करें तो कोई

अड़चन नहीं डालेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम केन्द्र और राज्यों से सहयोगी मान कर देश का शासन संभालते हैं। हम प्रतीक्षा कर सकते है और इस विषय पर इस समय किसी भी संविधान मे या हमारे किसी कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

महोदया, राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में, जैसा कि समाचार पत्रों में भी आया है— उपस्थिति में यह मतैक्य रहा है कि राज्यपाल की चाहे जो भी भूमिका हो, किन्तु उस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं होना चाहिए जो किसी एक राज्य से प्रत्यक्षतः संबंधित हो और जिस राज्यों में उनके कुछ सम्पर्क हों, वहां उन्हें राज्यपाल नहीं नियुक्त करना चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी उन्हें राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें कोई भी वेतनयुक्त पद नहीं लेना चाहिए। वास्तव में, मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं, कि किसी भी राजनैतिक व्यक्ति पर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अथवा राजभवन में रहने हेतु, विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र है। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर लोग राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। अतः, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह राजनैतिक व्यक्ति हो, उसे उसके कार्यों से पहचाना जाना चाहिए। किंतु यह कहना कि चूंकि वह एक राजनीतिज्ञ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वह किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य है, तो जहां तक राजभवन का प्रश्न है, अथवा राष्ट्रपति भवन का प्रश्न है वह अस्पृश्य है, यह सही नहीं है।

यदि वह राज्यपाल नियुक्त हो जाते हैं तो उन्हें स्वयं दलगत राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। अध्यक्ष पद के बारे मे क्या स्थिति है ? एक बार जब वह निर्वाचित हो जाते हैं तो वह एक अलग व्यक्तित्व बन जाते है। उनका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण नहीं है। राज्यपालों को भी इसी प्रकार की भावना का पालन करना चाहिए। अतः, ऐसा नहीं है कि आज केवल सरकारिया आयोग ने ही यह सुझाव दिया है। आधुनिक भारत के निर्माता हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी विचार भी वही हैं जोकि सरकारिया आयोग के विचार हैं।

राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने आदि के सम्बन्ध में, क्या हम किसी ऐसी स्थिति को असंगत घोषित कर सकते हैं जिसमे केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती हो ? कुछ मामलों में यह अत्यावश्यक हो जाता है। यह उस स्थिति के निष्पक्ष मूल्यांकन का प्रश्न है। राज्यपाल केन्द्र और राज्यों के बीच सेतु का कार्य करता है। किसी राज्य विशेष मे कौन-सी राजनैतिक पार्टी का अस्तित्व है, इस बात की परवाह किए बिना, जब गरीबी कम करने सम्बन्धी किसी योजना जैसे, जवाहर रोजगार योजना इत्यादि पर यहां इस सदन में विचार किया जाता है, तो सभी पक्षों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्य कहते हैं, कि उस पर केन्द्र द्वारा निगरानी रखी जाये। सदस्यों की यह शिकायत रहती है कि लाभार्थी को धन नहीं पहुंच रहा है जैसाकि इस योजना के उद्देश्य के अनुसार पहुंचना चाहिए। कई अवसरों पर हम यहां कहते हैं कि केन्द्रीय हस्तक्षेप होना चाहिए; केन्द्र से अधिक संचालन किया जाना चाहिए। किन्तु जब यह हमारे पक्ष मे नहीं होता, तो हम केन्द्र की भी आलोचना करते हैं।

ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि सदन में ही बहुमत परीक्षा कराई जानी चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। इसका निर्णय राजभवन में नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि आज मणिपुर में जो

हो रहा है उस पर पहले चर्चा की जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष को 'सम्मन' जारी किए हैं। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है।

जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था कि हमारा देश एक छोटा देश नहीं है अपितु एक विशाल देश है, एक छोटा विश्व। हमारे देश में कभी-कभी विरोधात्मक स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ स्थान बहुत गर्म हैं और इसी के साथ कुछ अन्य स्थान बहुत ठंडे हैं। अतः, कई स्थानों पर विरोधात्मक स्थितियां व्याप्त रहती हैं। अतः, इसे लचीला होना ही होगा। अवश्य, इनके पीछे कोई लाभ की भावना नहीं होनी चाहिए। इन शक्तियों का प्रयोग करते समय कोई राजनैतिक स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। यह मुख्य मुद्दा है।

योजना आयोग और वित्त आयोग के बारे में, आज भी, प्रश्नकाल के पश्चात् तथा शून्य काल के दौरान, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से हमारे विद्वान मित्र एवं साथियों ने अन्य राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों के साथ योजना आयोग द्वारा बरती गई उपेक्षा का आरोप लगाया है।

हम सबकी अपनी-अपनी भावना है। योजना आयोग है। वित्त आयोग है। इस संस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सरकारिया आयोग का यह भी सुझाव है। राज्यों को अधिक अवसर दिये जाने चाहिए, और योजनाओं की रूपरेखा बनाते समय एवं यह निर्धारित करते समय कि अपनी योजनाओं में वे किस सीमा तक धन लगा सकते हैं, इस बारे में उनसे अच्छी तरह विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा वित्त आयोग के बारे में भी, उन्हें सारे देश के ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कुछ राज्य जो अधिक शोर नहीं मचाते हैं, कुछ क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं और जिन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए किन्तु उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहां पर इस सम्बन्ध में ऐसी कोई उत्तेजना नहीं है।

अतः, क्षेत्रीय असन्तुलन हमारा पहला शत्रु है। जब तक हम इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से नहीं सुलझाते, यह हमारी अत्यावश्यक, अति महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय अखण्डता एवं राष्ट्रीय समैक्य के लिए लगातार खतरा बना रहेगा।

पुनः जब केन्द्र-राज्य और अन्तःराज्यीय सम्बन्धों का प्रश्न होता है, तो इस बारे में हमारे अपने आरोप होते हैं।

राज्य के अन्दर भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मैं सरकारिया आयोग को बधाई देता हूं। उन्होंने अपनी समझ से एक सुझाव दिया है कि अनुच्छेद 258 का संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि न केवल केन्द्र से राज्य को हों, अपितु राज्यों से जिलों को भी और अधिक शक्तियां उपलब्ध कराई जा सकें। जिला स्तर भी, एक योजना मंच होना चाहिए। जिलों में छोटी योजनाओं को सफलतापूर्वक एवं अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये जिला-परिषद जैसी संस्था होनी चाहिए। अब दो-पक्षीय व्यवस्था है, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार। केन्द्र सरकार कई नीतियों का निर्धारण करती है, जैसे योजना कार्यक्रम इत्यादि जिसे केवल राज्य सरकारें ही लागू करती हैं।

राज्य शासन कई केन्द्रीय योजनाएं भी लागू करता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी सहभागी हैं और आज हमारे देश में ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो पूर्ण रूप से एक सहकारिता संघ हो। यह भी सरकारिया आयोग का सुझाव है।

मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे विचार में शब्द 'स्वायत्तता' अपने आप में एक बहुत ही भ्रमित शब्द है। 'स्वायत्तता' से अर्थ है 'आत्म-सरकार'। किन्तु हम भली प्रकार से 'आत्म-सरकार' को भी परिभाषित नहीं कर सकते। हम और अधिक शक्तियां देने की बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा 'स्वायत्तता' का अर्थ है, 'आत्म-सरकार', एक प्रकार से राज्य के अन्दर राज्य। दार्जिलिंग में पर्वतीय जिला परिषद है। कुछ क्षेत्रों में, क्षेत्रीय, जिला परिषद, विकास परिषद आदि भी हैं। और विभिन्न राज्यों में यही स्थिति है। उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना, बिहार में झारखण्ड और छोटा नागपुर, महाराष्ट्र में विदर्भ, उड़ीसा के पश्चिमी भागों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इन सभी राज्यों के कुछ क्षेत्रों की अपेक्षा उड़ीसा के पश्चिमी भाग कुछ अधिक पिछड़े हुए हैं। वे तो विदर्भ से भी अधिक पिछड़े हुए हैं। अतः हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों के अन्दर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी क्षेत्रों का एक समान विकास हो और सब जगह एक सन्तुलित विकास हो। हमें सम्पूर्ण देश में सन्तुलित विकास को सुनिश्चित करना होगा। इसमें भी, योजना के तथा शक्तियों के और अधिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। इससे पृष्ठभूमि में, जब श्री राजीव गांधी प्रधानमन्त्री थे, वे पंचायतों को सीधे धन देने पर विचार कर रहे थे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि सीधे जिला-स्तर, पंचायत स्तर तक पहुंचे क्योंकि इसके मध्य कई एजेंसियां थीं। वे धनराशि की दुरुपयोग करते थे। बहरहाल, मैं यह अनुभव करता हूं कि सभी इलाकों का, सभी राज्यों का सन्तुलित व बेहतर विकास होना चाहिए। इसलिए मैं यह कहूंगा कि विकेन्द्रीकरण आज समय की मांग है।

महोदया, आप जानती हैं कि अन्तर्राज्यीय झगड़े कोई नई बात नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार के केन्द्रीय शासन के दौरान स्वतन्त्रता से पूर्व भी यह झगड़े होते थे। इसलिए ब्रिटिश प्रशासकों ने इन बातों को सुलझाने का सुझाव रखा। उन्होंने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुच्छेद 135 के अनुसार इन बातों को सुलझाने की प्रक्रिया विकसित की। उन्होंने इस अनुच्छेद के अन्तर्गत उन दिनों भी अन्तर्राज्यीय विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया अपनायी। अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन के सुझाव पर पहले से ही विचार किया जा चुका है और इस परिषद ने कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। इसके साथ-साथ एक राष्ट्रीय विकास परिषद भी है। इसकी बैठकें भी जल्दी-जल्दी बुलाई जानी चाहिए। बदली हुई परिस्थितियों में योजना आयोग तथा वित्त आयोग को भी नए दृष्टिकोण अपनाने चाहिएं। सन्तुलित विकास से ही देश की एकता को कायम रखने की हमारी प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी। हम सभी क्षेत्रों का तीव्र विकास चाहते हैं। इसलिए इन सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास हमारी अत्यधिक सहायता करेगा। मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से एक उद्धरण रख अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : मैं घंटी नहीं बजा रही हूं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अपनी बात को समाप्त कीजिएगा।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : कृपया अनुच्छेद 356 के बारे में कुछ कहिएगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : इसके बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूं। क्या आप प्रारम्भ से यहां नहीं थे ? महोदया, मैं समझता हूं कि ये यहां नहीं थे अथवा ये ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे थे। मैंने अनुच्छेद 356 के बारे में चर्चा की है। राज्यपाल की नियुक्ति, वित्तीय स्वायत्तता आदि के बारे में पहले ही कह चुका हूं। इसके बारे में मैं पहले से ही बोल चुका हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे दोहराऊं तो मैं इसे दोहरा भी सकता हूं बशर्ते कि आप अध्यक्ष पीठ से इसके लिए मुझे अतिरिक्त समय दिलवाएं। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं दोबारा चर्चा कर सकता हूं।

मैंने अनुच्छेद 356 के बारे में बात की है। मैंने 1977 तथा 1989 की घटनाओं का भी उल्लेख किया है। क्या मैंने यह नहीं कहा कि ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : सरकारिया आयोग ने कहा है :

> "संविधान निर्माताओं ने एक सुदृढ़ केन्द्र वाली संघात्मक व्यवस्था के गठन के अपने संकल्प के अनुरूप ही केन्द्र तथा राज्यों को अपने-अपने स्तर पर सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें विधान सम्बन्धी, प्रशासन सम्बन्धी और वित्त सम्बन्धी सरकारी शक्तियों के वितरण के बारे में स्पष्ट व्याख्या की जिसमें उन्होंने केन्द्र को महत्वपूर्ण और सापेक्षत: अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए अधिक महत्ता प्रदान की।"

इसके साथ-साथ शक्तियों का विभाजन इतना जटिल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि इसे किस तरह से लचीला बनाया जा सकता है। इसके साथ-साथ न तो न्यायाधीश सरकारिया तथा अन्य दो सदस्य ने वाहवाही लूटने की कोशिश की और न ही यथास्थिति कायम रखने का रास्ता चुना है। मैं यथास्थिति शब्द को रेखांकित करता हूं। उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की है जो कि राज्यों की स्वायत्तता के विकास की आवश्यकता को सन्तुलित कर राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करती है। इन्होंने राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखने की दृष्टि से इस आवश्यकता को पहचाना है। इस आयोग की सिफारिशों का निष्कर्ष आयोग के इस दावे का समर्थन करता है कि एक सहकारी संघवाद का विकास करना इसका सर्वोपरि कार्य रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिंदी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति महोदया, सुधीर गिरि जी ने जो संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी गैर-सरकारी विधेयक रखा है वास्तव में जो परिस्थितियां आज देश के अन्दर स्थापित हो गई हैं ऐसी स्थिति में मैं उनका स्वागत करता हूं। जिस भावना से उन्होंने अपनी बात यहां रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने मेनिफेस्टो में भी इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने उसमें कहा है कि अनुच्छेद 356 जिसके अनुसार केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को भंग तभी किया जाएगा जबकि वस्तुत: संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। इस अनुच्छेद का उपयोग दल के हित में नहीं किया जाएगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में लिखी थी।

दुर्भाग्य यही है कि राज्यपाल की सिफारिश पर आये-दिन केन्द्र सरकार राज्यों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भंग करता रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण पिछले सालों में देखने को मिले हैं। अब चूंकि देश में प्रजातन्त्र फल फूल रहा है, प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर आज देश में विभिन्न दलों की सरकारें राज्यों में बन रही हैं। आज केन्द्र में जहां कांग्रेस पार्टी है वहीं कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें स्थापित हो चुकी हैं और उन राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं जहां पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थीं। इस तरह से कई राज्य आज केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद उसके हाथ से छूट गए हैं। ऐसी स्थिति में इस अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इन नाते माननीय सुधीर गिरि ने जो बात कही है वह वस्तुतः सही प्रतीत होती है। मेरा निवेदन करना यह है कि राज्यपाल जो एक प्रकार से राज्यों के ट्रस्टी होते हैं और उसी के अनुसार केन्द्र सरकार के भी जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं वे हमेशा दलगत भावना के आधार पर इसका दुरुपयोग करते रहे हैं। सरकारिया आयोग ने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित किया है कि एक अन्तर्राज्यीय परिषद के अन्दर पांच व्यक्तियों का पैनल बने जिसके माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्यपाल बनाया जाए। किसी दल विशेष के व्यक्ति को राज्यपाल न बनाया जाए। आज तो स्थिति यह है कि कल जो मुख्यमन्त्री थे, वह किसी न किसी राज्य का राज्यपाल बन जाता है, इससे दलगत भावना बन जाती है। सरकारिया आयोग ने यह भी कहा है कि बिना मुख्यमन्त्री की सिफारिश के किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति न की जाए लेकिन यह केवल फार्मेलटि होती है, केवल पूछताछ होती है, मुख्यमन्त्री की कहीं भी महत्ता नहीं रह जाती है। परिणामस्वरूप कई जगह अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होने लगते हैं।

माननीया सभापति महोदया, अभी-अभी राजस्थान में ऐसा हुआ है। वहां पर श्री रेड्डी साहब की नियुक्ति हुई है। यह सही है कि उनके आने के बाद वहां राज्यपाल ने निश्चित रूप से घोषणा की कि उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, कल तक भले ही वे मुख्यमन्त्री थे लेकिन आज निश्चित रूप से राजनीति से उनको कुछ लेना-देना नहीं है। शुरू में यह लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान सरकार को किसी भी प्रकार से भंग कर दें, उसके लिए कोई संकट पैदा कर दिया जाए परन्तु जब तक श्री बलराम जाखड़ द्वारा कहा गया है कि राजस्थान सरकार को एक महीने के अन्दर भंग कर दिया जाएगा, सरकार समाप्त कर दी जाएगी और उसी से यह बात निकली कि श्री अशोक गहलोत और श्री राजेश पायलट ऐसी घोषणाएं करते रहे हैं तो उसी से ऐसा लगा कि शायद केन्द्र की इस प्रकार की कोई योजना है जिसमें श्री चन्ना रेड्डी को राजस्थान का गवर्नर बनाकर भेजा है। इस बात से भय लगने लगा कि कहीं दुबारा ऐसा न हो लेकिन राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने अपने कुशल सम्पर्क के माध्यम से श्री रेड्डी का जिस प्रकार से सम्मान किया है, उससे ऐसा लगा कि अब वहां पर किसी प्रकार कोई संकट नहीं आएगा। मेरा निवेदन यह है कि आज राज्य सरकार के सामने ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई है कि उन्हें हर बात के लिए केन्द्र की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उसका परिणाम है कि यहां पर किसी न किसी राज्य का मुख्यमन्त्री पड़ा रहता है।

सभापति महोदया, हमारे राजस्थान की कई विकास योजनाएं यहां पड़ी हुई हैं। केन्द्र द्वारा हमेशा किसी न किसी बात पर अड़ंगा लगाया जाता है। इसी प्रकार कई राज्यों की बातों

से सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं और उस पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है। इससे दलगत भावना परिलक्षित होती है। उसी बात के आधार पर सरकार को बदनाम करने की बात की जाती है। यही स्थिति धन के सम्बन्ध में होती है। वह मुहैय्या नहीं कराया जाता है। आज ही सुबह उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों ने अपना रोष प्रकट किया कि जिस प्रकार से उनके साथ यह व्यवहार किया गया है कि राज्य की परिव्यय राशि में कटौती कर दी गई है, उस राज्य को दी जाने वाली सहायता राशि में रोक लगा दी गई है। यह किस बात को प्रतिबिम्बित करता है ? यह धारा 356 के अन्दर जो विशेष रूप से सरकार से राहत मिली हुई है, उस बात को प्रतिबिम्बित करता है। राज्य सरकार के मुख्यमन्त्री वहां से सिफारिश करते हैं, उसमें आये दिन परिवर्तन कर दिया जाता है जिसके कारण राज्य सरकार के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं।

सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए, एक अन्तर्राज्यीय समिति के माध्यम से एक पैनल के माध्यम से सिफारिश के आधार पर पांच साल के लिए उनको नियुक्त किया जाए और उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाए और रिटायरमेंट के बाद वे किसी प्रकार के व्यवसायिक धन्धे न करें। मैं एक उदाहरण लूंगा कि श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमन्त्री थे, बाद में उनको राज्यपाल बनाया गया, केंद्र में मन्त्री बने। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि एक निश्चित अवधि के बाद उन पर विचार करना चाहिए। श्री सुधीर गिरि ने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि यह सदन उसको स्वीकार करेगा और उस पर गंभीरता से मनन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

5.00 म. प.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैडम चेयरपरसन, हमारे मित्र सुधीर गिरि जी ने जो महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन के सामने रखा है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। भारत का संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने यह भावना व्यक्त की थी कि हमारे देश का संविधान संघात्मक भी होगा और एकात्मक भी होगा, लेकिन आज जो स्थिति देश की बनती जा रही है, उसमें आसानी से यह कह देना कि केन्द्र बिल्कुल कमजोर हो जाए और सारे अधिकार राज्यों के हाथ में आ जाएं, यह विडंबना लगती है, लेकिन हमारे देश की परिस्थिति यह भी है कि जिस तरह से धारा 356 का दुरुपयोग करके राज्यों की भावनाओं को दबाने का, खत्म करने का काम केन्द्र सरकार ने किया है, वह हमको इस बात के लिए मजबूर करता है कि धारा 356 पर हम पुनर्विचार करें।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश की संघीय व्यवस्था को बनाए और बचाए रखने में यदि कोई सबसे बड़ी बाधा है तो भारतीय संविधान के धारा 356 है। आजादी के बाद 1957 में पहली बार केरल में एक गैर-कांग्रेसी सरकार बनी और भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस सरकार को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां पर जाकर एक आंदोलन की शुरुआत की। वह आंदोलन कोई जन आंदोलन नहीं था, लेकिन केन्द्र सरकार ने केवल यह कहकर कि वहां इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है कि उस राज्य सरकार

का बने रहना मुश्किल है,इसलिए 356 धारा का उपयोग करते हुए वहां पर केन्द्रीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी और पहली बार एक नापाक गठबंधन इस देश के राजनैतिक इतिहास में केरल से शुरू हुआ था। 1956-57 में जब इंदिरा जी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थीं। उन्होंने इस आंदोलन को उकसाया, भड़काया और उनके पूज्य पिता श्री जवाहर लाल जी, जिनका भारत के संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था, पहली बार उस धारा का दुरुपयोग केरल के अन्दर उन्हीं के हाथों हुआ। उसके बाद भारत के राजनैतिक क्षितिज पर एक नयी परिस्थिति 1967 में पैदा हुई जब सम्पूर्ण देश में केंद्र से लेकर राज्यों तक कांग्रेस का एकाधिकार था। तमाम राज्यों में 1967 में एक नया राजनैतिक आयाम आया और संयुक्त विधायक दल की सरकारें राज्यों के अन्दर बनीं, लेकिन दुर्भाग्य से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और फिर बंगाल के अन्दर अजय मुखर्जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में चरण सिंह की सरकार, बिहार में महामाया प्रसाद सिंह की सरकार और गोविन्द नारायण सिंह के नेतृत्व में काम करने वाली मध्य प्रदेश की सरकार, इन सभी सरकारों को, जैसा अभी पाणिग्रही जी अपना भाषण कर रहे थे, उनके स्वयं के राज्य उड़ीसा में 1967 में आर० एन० सिंह देव के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार बनी लेकिन इन सभी सरकारों को 11 महीने से लेकर 20 महीने के भीतर केन्द्र की सरकार ने इसी धारा का दुरुपयोग करते हुए खत्म कर दिया और सभी राज्यों में नए सिरे से चुनाव कराए गए। लेकिन एक नया मामला फिर 1977 में आया। मैं कोई बचाव और पक्षपात की बात नहीं करना चाहता हूं। उसी धारा 356 का दुरुपयोग करके केन्द्रीय कांग्रेस सरकार ने गैर कांग्रेसी सरकारों को 1967 और 1959-60 में केरल में कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार को खत्म किया, तो उसी तरह से 1977 में जिन-जिन राज्यों से राज्य विधान सभा के चुनाव नहीं हुए थे, केवल लोक सभा के चुनाव हुए थे, और उसी लोक सभा के चुनाव में सम्पूर्ण उत्तरी भारत से जनता पार्टी जीत गई थी, कांग्रेस का नामो-निशान मिट गया, उसी धारा का दुरुपयोग करते हुए तत्कालीन उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कर रहे थे, उनके हाथों से जनता पार्टी की सरकार ने कई राज्य सरकारों को बरखास्त करवा दिया।

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं चाहे उस पक्ष में बैठने वाले लोगों के हाथ में या इस पक्ष में बैठने वाले लोगों के हाथ में केन्द्र की सरकार रही हो, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस धारा का उपयोग दुरुपयोग जैसी जिसकी सरकार रही है, उसी हिसाब से सब करते रहे हैं। और विडम्बना तो यह है कि एक बार उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार को बरखास्त करने के लिए, भारत के महामहिम राष्ट्रपति इस देश में नहीं थे, बाहर चले गये थे, परन्तु उस सरकार को बरखास्त करने के लिए, तत्कालीन सरकार ने उनसे देश के बाहर, आदेश पर हस्ताक्षर कराने का काम, इसी धारा के जरिए कराया था। मैं यह नहीं कहता कि केवल इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि अगर संविधान की इस धारा में ऐसी व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार राज्यों में हस्तक्षेप करके, वहां अपनी हकूमत कायम कर सकती है तो कोई भी पार्टी अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, जिस पार्टी का भी यहां केन्द्र में बहुमत होगा, वह केन्द्र की ओर से, उस धारा का सदुपयोग, दुरुपयोग या उपयोग कराती रहती है। इसलिए अब वह समय आ गया है जब हमें इस धारा के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। हम संविधान में परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था लायें, प्रावधान के जरिए कि केन्द्र सरकार में, हकूमत में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति पैदा न करे कि राज्यों के भीतर,

राज्य की जनता की भावनाओं के विपरीत, केन्द्र की इच्छा के मुताबिक, दलबदल करा कर या अन्य किसी खिलौने हथकंडों के जरिये, वहां अपने दल की हकूमत कायम कर सके, उस राज्य की जनता के मनोबल और उसकी भावनाओं के विरुद्ध, उसकी आत्मा की आवाज का हनन करके, अलगाववाद और पृथकतावाद को बढ़ावा दे सके।

यह बड़ी विडम्बना है कि हमारे यहां राज्यपाल नाम की जो संस्था है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अब वह धीरे-धीरे निरर्थक होती जा रही है। इस खर्चीली संस्था के बारे में इस सदन को पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि मेरी अपनी निजी मान्यता हो गई है कि केन्द्र की सरकार राज्यों में राज्यपालों का जिस तरह चयन करती है, मनोनयन करती है या नियुक्ति करती है, वह भारत के संविधान की धाराओं के अनुसार, किसी राज्य की हकूमत चल रही है या नहीं, वहां पर भारतीय संविधान की धाराओं का अनुपालन हो रहा है या नहीं, केन्द्र सरकार उसे एक वाच-डाग की हैसियत से नहीं बल्कि केन्द्र में जो सत्ताधारी पार्टी होती है, उसके राजनीतिक हितों का संवर्धन करने के लिए, केन्द्र सरकार अपनी पार्टी के नुमाइन्दे के रूप में राज्यपाल को वहां भेजती है और वे केन्द्रीय पार्टी के एक नुमाइन्दे के रूप में वहां काम करने लगे हैं। इसलिए इस खर्चीली संस्था के बारे में हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

मैं सिर्फ दो दृष्टान्त और देकर समाप्त करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में 1977 से पहले आपात्कालीन स्थिति थी और यही आपके डा० चेन्ना रेड्डी वहां के महामहिम राज्यपाल थे। राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि सदन खुलने के पहले, वर्ष में एक बार, दोनों सदनों को समवेत रूप में संबोधित करें, जैसा यहां केन्द्र में, महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। वर्ष 1976 में संयुक्त सदन के सामने उनका जो अभिभाषण था, उसमें खुलकर आपात्कालीन स्थिति की तारीफ की गयी थी, परंतु ठीक एक वर्ष बाद, जब वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी, डा० चेन्ना रेड्डी जो उस समय भी वहां के राज्यपाल थे। उन्होंने 1976 में वहां जो अभिभाषण किया था, उसके ठीक विपरीत, उन्हीं के मुंह से एमरजैंसी की निन्दा, आलोचना और एक नये आयाम की परिकल्पना, उसकी तारीफ करायी गयी और उन्होंने उस अभिभाषण को पढ़ा। ठीक वैसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी हुई। अजय मुखर्जी साहब की सरकार को वहां के गवर्नर धर्मवीर साहब ने बरखास्त कर दिया। चुनावों के बाद वहां ज्योति बसु साहब की सरकार बन गयी। उस सरकार ने एक पैराग्राफ ऐसा उन्हें पढ़ने को दिया, जिसमें स्वयं धर्मवीर साहब के कृत्यों की आलोचना थी, सैल्फ क्रिटिसिज्म था, जिसे उन्होंने पढ़ने से इंकार कर दिया। इसको लेकर वहां बहुत बड़ा बवेला खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति आये दिन राज्यों में हो रही है। जब-जब संयुक्त सदन को सम्बोधित करने का समय आता है, राज्यपालों के सामने, सम्बोधन भाषण के समय, बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमें इस संस्था के बारे में एक बार गहराई से विचार करना चाहिए। जब हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट है, आर्थिक तंगी से हम गुजर रहे हैं, उसके चलते जहां हम दूसरे कदम उठा रहे हैं, हमें विचार करना चाहिये कि क्या राज्यपाल के पद को इसी रूप में रखा जाये या इसे समाप्त कर दिया जाये।

राज्यपाल के जिम्मे केवल दो ही काम मुख्य होते हैं : एक तो जब किसी राज्य में चुनाव हों तो बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को बुलाकर शपथ दिला दी जाये और जब वह सरकार अल्पमत

में हो जाये तो केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट भेज दी जाये ताकि केन्द्र सरकार उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर सके। केवल इन दो कामों के लिए 5 वर्ष तक करोड़ों रुपया राज्यपाल के ऊपर बर्बाद करना, मैं समझता हूं कि समीचीन और उपादेय नहीं है। उनके जिम्मे जो काम है, वह चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट या राज्यों के उच्च न्यायालयों मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जा सकता है। जब वहां राष्ट्रपति की व्यवस्था कायम हो जाये तो राष्ट्रपति स्वयं अपनी तरफ से कार्य संचालन के लिए, उस मौके पर, दरम्यानी अर्से में, जब वहां कोई चुनी हुई सरकार न हो तो उन राज्यों में अपना एक नुमाइन्दा भेज दिया करें। लेकिन जितने दिनों राज्यों में चुना हुआ मुख्य मन्त्री या सरकार हो, उतने दिनों के लिए एक खर्चीले ढंग से राज्यपाल को शोभा के रूप में बैठा कर भोजन कराना और केन्द्र सरकार के राजनीतिक हितों का उनके जरिए निष्पादन कराना, मैं समझता हूं कि संविधान की धारा 356 का सबसे बड़ा दुरुपयोग है।

दूसरी बात, मैडम मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यों के अन्दर आज उथल-पुथल की स्थिति है। 1982-83 में जब एक राज्य के अन्दर मांग की जाने लगी कि केंद्र के पास केवल डिफेंस, विदेश और दूरसंचार रहना चाहिए, बाकी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में सारे कार्य आ जाने चाहिए। उस समय सरकारिया कमीशन की नियुक्ति, राज्यों और केंद्र के सम्बन्धों को निर्धारित करने के लिए की गई। उसके बहुत पहले 1967 में ही राज्यों की सरकारें, केंद्र की सरकार के द्वारा बर्खास्त की जाने लगीं, तो उस जमाने में ही डी० एम० के० पार्टी ने एक राजमन्नार कमीशन मद्रास के अंदर, तमिलनाडु के अन्दर मुकर्रर किया और उस कमीशन ने भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का आधार मुख्यतः श्रीमान यह था कि जिस तरह केंद्र सरकार हमारे संसाधनों को हड़प कर हमको अपनी तरफ से राजनीतिक दृष्टिकोण से आर्थिक संसाधन मुहैय्या करती है, वे हमको नापसन्द हैं। जैसे अभी कई राज्यों से इस बात की मांग आती है—खनिज सम्पदा बिहार में है, लेकिन उससे उनको जो सैस मिलना चाहिए, वह सैस केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वर्षों तक नहीं देती है। वहां से जो खनिज सम्पदा निकलती है, उसके दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुपात में जो सैस का परसेंटेज है, वह केंद्र की ओर से नहीं बढ़ाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश का सवाल आया, इसी तरह उड़ीसा का सवाल आया। जितने इस देश के अन्दर अविकसित राज्य हैं, उनकी ओर से केंद्र के ऊपर पक्षपात का आरोप निरन्तर लगता रहा है और यह कहा जाता रहा है कि इस देश में जो क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है, उसके पीछे केंद्र द्वारा मिलने वाली जो सहायता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जितने इस देश के बड़े राज्य हैं, उन राज्यों के अपने संसाधन वहां के विकास के लिए नाकाफी हैं। उनके पास इतनी ओवर स्टाफिंग हो गई है कि वे अपने संसाधनों से अपने राज्य कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर पाना भी उनके लिए एक मुश्किल बात हो गई है। इसलिए राजमन्नार कमीशन ने 1976 में इस बात को कहा था कि जो बहुत सारे आमदनी के साधन हैं, वे राज्यों के हाथ में जाने चाहिए।

5.10 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रीमान्, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोयला बिहार में पैदा होगा, लेकिन उसका उपयोग बिहार के लोग उतना ही करेंगे जितना कोटा आप आबंटित करेंगे। इसी प्रकार चीनी हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कितनी भी पैदा करें, लेकिन हम खाने के लिए उतनी ही चीनी

के हकदार हैं जितनी केंद्र सरकार की ओर से कोटे के रूप में आप हमें देंगे। इस प्रकार से महोदय हमारे उत्पादन के संसाधन तो हैं, लेकिन जो तरक्की के साधन हैं, वे केंद्रीय सरकार से मुहैय्या होते हैं। इस प्रकार एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राज्यों में उत्पादन की शक्तियां हैं, उनसे जो उनको आय होनी चाहिए तथा इस आय के ऊपर केंद्र का आधिपत्य उसी रूप में रहे जिस रूप में आज तक हमारी सांवैधानिक व्यवस्था के तहत है या उस पर हम पुनर्विचार करें, इस पर हमको नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है और इसको राजमन्नार से लेकर लगातार सरकारिया कमीशन ने बहुत बार परिभाषित करने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि जब केंद्रीय सरकार के ऊपर दबदबा बढ़ता है पृथकतावादी शक्तियों का तो उसमें राज्यों को अधिकार देंगे···यह कहकर आज से 8 या 9 साल पहले कमीशन बन जाता है, उसकी संस्तुति आ जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से पूछकर ही आपके राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, यह कमीशन की संस्तुति होती है, लेकिन फिर भी उन राज्यों के हितों के विरुद्ध, जो मुख्य मंत्री के ऊपर अपना अंकुश लगा सकता है, उसी को दूत बनाकर केंद्र से भेज दिया जाता है। इसलिए श्रीमान्, मैं सुधीर गिरि जी के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए यह मांग करना चाहता हूं कि यदि सम्पूर्ण रूप से राज्यपाल के पद को समाप्त नहीं करते और धारा 356 में वांछित संशोधन नहीं करते, तो कम से तात्कालिक काम है, वह यह है कि जो सरकारिया कमीशन की संस्तुतियां हैं, उनको बिना किसी ढिले के तत्काल लागू करिए जिससे राज्यों में भड़कते हुए असंतोष वहां पैदा हुए पृथकतावाद पर काबू पाया जा सके और राज्यों के संसाधनों पर नए सिरे से उनके क्या अधिकार हैं, इसके लिए इस सदन की भी एक कमेटी बनाई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए श्री सुधीर गिरि के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : मैं प्रस्तावित संविधान संशोधन से सम्बन्धित अधिनियम का विरोध करता हूं। मैं बिना किसी अन्य कारण इसका विरोध नहीं करता हूं बल्कि इसलिए इसका विरोध करता हूं कि यह गलत धारणा पर आधारित है, इससे केंद्रीय सरकार के प्रति हमेशा बदनीयती का सन्देह बना रहेगा। इससे देश में व्याप्त परिस्थितियों, विशेष रूप से जन-जनगणना से सम्बन्धित शर्तों, विखण्डन के खतरे और अन्य पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया है।

जब कभी हम संविधान संशोधन के बारे में सोचते हैं, जो कि सचमुच ही एक गंभीर मामला है, हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पहली बात यह कि क्या इस सदन में हम सब ऐसे संशोधन को अंगीकार करने के लिए वैधानिक रूप से समर्थ हैं। मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि केशवा नन्द भारती मामले से शुरू होने वाले बहुत से ऐसे मामलों में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई थी कि इस सदन को ऐसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है जो संविधान के ही मूल आधार को चोट पहुंचाए। इसलिए एक तरफ हमें इस पहलू को ध्यान में रखना होता है और प्रस्तावित विधेयक या संशोधन को यह देखने के लिए पढ़ना होता है कि क्या यह हमारे संविधान के आधार या उसके मूल ढांचे पर प्रहार तो नहीं करता है।

दूसरा पहलू राष्ट्रीय हित का है, हमें देखना है कि प्रस्तावित अधिनियम हमारे राष्ट्रीय हित में है या क्या यह एक पतनोन्मुखी कदम है, यदि एक बार हम इन मूल मुद्दों पर विचार कर लें तो हम निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि संशोधन वांछनीय है अथवा क्या यह फिजूल है और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है।

मैं दूसरे मुद्दे को पहले लूंगा, अर्थात कि क्या इस अधिनियमन से राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा मिलता है या नहीं। इस अधिनियमन से केन्द्रीय सरकार की आपात कालीन शक्तियों पर चोट पहुंचती है, आपातकालीन शक्तियां आवश्यक रूप से किसी आवश्यकता, किसी आकस्मिकता से उत्पन्न होती है, संविधान में ऐसी तीन आकस्मिकताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्धारित की हैं, जिसके तहत केंद्रीय सरकार राज्य के कार्यों मे हस्तक्षेप कर सकती है। आठ तरह के अन्य मामले हैं जिनमें केंद्रीय सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप कर सकती है, जहां तक आपातकालीन शक्तियों का सवाल है इस तरह के तीन मामले हैं—

(1) युद्ध

(2) संवैधानिक तंत्र की विफलता।

(3) वित्तीय आपातकाल।

इस संशोधन में वास्तव में युद्ध की स्थिति को शामिल नहीं किया गया है। किन्तु यह संभावित संवैधानिक तन्त्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और इसका उद्देश्य इस तरह की आकस्मिकताओं में किसी भी तरह से केंद्रीय सरकार की हस्तक्षेप करने की शक्तियों को समाप्त करना है।

यहां पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय सरकार को कुछ आकस्मिकताओं में हस्तक्षेप करने या दखल देने का अधिकार देने से संविधान के संघीय ढांचे को समाप्त करता है, अथवा क्या इन शक्तियों का आवश्यक रूप से न्यायिक उपयोग राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देगा ?

यह हमारे संविधान की विशेषता ही है कि इसमें आकस्मिकताओं का पहले ही ध्यान रखा गया है। संघीय सिद्धांतों को लागू करने से हमारे संविधान की मूल धारणा ही नष्ट हो सकती है जिन पर कि हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, अतः हम अगले प्रश्न पर आते हैं, जो यह है कि क्या हमारा संविधान पूर्ण रूप से संघीय है अथवा यह अर्द्ध संघीय है या एकात्मक है।

इन प्रश्नों पर कई बार वाद-विवाद हो चुका है। इन मामलों की जांच करने के लिए सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया था। श्री बी० एस० त्रिपाठी की व्याख्या के अनुसार यह साबित हो चुका है कि भारत मूलतः पूरक विशेषताओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय विशेषताओं वाला एक एकात्मक राज्य है, ये तथ्य हैं जो ऐतिहासिक आवश्यकता और राजनीतिक औचित्य से उभरे हैं, जब संविधान अधिनियमित हुआ था उस समय राजनीतिक पार्टियां फूट डालने वाली ताकतों के शिकंजे में थीं। दो राष्ट्रों के सिद्धांत के आधार पर भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था अर्थात पाकिस्तान और भारत। उस समय हमारे देश में कई रजवाड़े थे। इस सबके आधार पर हमारे संविधान को संघीय विशेषताओं सहित एकात्मक रूप दिया गया

था, लेकिन इसकी आवश्यक रूप से संघीय विशेषता है क्योंकि अनेक परिस्थितियों में राज्य अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान में व्याख्या है कि राज्य और केन्द्र देश के लिए विधान बना सकते हैं, उन्हें लागू कर सकते हैं और साथ-साथ देश को चला सकते हैं। हमारा संघीय ढांचा लचीला है। इस तरह के संविधान की क्या आवश्यकता है ?

हम अपने राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो 21वीं शताब्दी में पहुंचने पर किसी से पीछे न हो, यह हमारा मूल ध्येय है जिसकी ओर हम अपने देश को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अत: हमें देखना चाहिए कि यह विशिष्ट अधिनियमन उस ध्येय से सम्बद्ध हो अथवा यह राष्ट्र को नष्ट करने की ओर प्रवृत्त हो अथवा उस ध्येय की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। हमें यह जान लेना चाहिए कि कई विदेशी शक्तियां हमारी संस्कृति बहुलता का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और वे विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। जनसंख्या का एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध खड़ा हो गया है। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हमें एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है।

पंजाब और जम्मू और कश्मीर के मामले को लीजिए। इन राज्यों को ध्यान में रखते हुए क्या होगा यदि इस अधिनियमन को स्वीकार करना हो, परिकल्पित रूप से पंजाब में अब राज्य सरकार बन गई है, यदि इस अधिनियम को पारित किया जाना होता तो संवैधानिक तन्त्र के विफल होने पर इस मामले में हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहते।

अब, मैं इसका दूसरा पहलू सामने रखता हूं जो कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित है। कई स्थानों पर, राज्य सरकारें कानून को लागू करने में अक्षम रही हैं। मैंने स्वयं यह मुद्दा इस सभा में उठाया था, जिसमें राज्य सरकारें और विशेषकर महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य की सरकार कानून लागू करने में असफल रही है, मेरे विचार से यह मुद्दा इस सभा में पहले भी उठाया गया था। अत: यदि इस देश के किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो जाती है,तब क्या होगा ? यदि कानून पारित हो जाता तो केंद्रीय सरकार कुछ भी करने में बिल्कुल असमर्थ हो गयी होती। अत: राष्ट्र हित में, जनता के हित में, समाज के हित में, इस राष्ट्र के निर्माताओं ने संविधान में उन आकस्मिकताओं का उल्लेख किया है, जिनमें ऐसी स्थिति में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। जहां स्थिति कठिन हो जाती है, जहां स्थिति एक हद तक बिगड जाती है, और जहां राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचाई गई हो वहां केन्द्र हस्तक्षेप कर सकता है। बदनियति है अथवा नहीं, यही प्रश्न है जिस पर यह विशेष विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। परन्तु इस संविधान में इसका ध्यान रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई बदनियति है और यदि वह परिलक्षित होती है तब हर पांच वर्ष बाद मतदाता स्थिति को बदल सकता है। अत: केन्द्रीय सरकार से शक्तियां छीनने की बजाय यह उचित होगा कि उन्हें ज्यों का त्यों रहने दिया जाए।

अगला पहलू जिसकी हमें अवश्य ही जांच करनी चाहिए वह यह है कि क्या इस सभा को इस मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। क्या इस सभा का संविधान में इस संशोधन को लाने का अधिकार है, और क्या प्रस्तावित कानून बनाना संविधान के मूलभूत ढांचे को ही जड़-मूल से नष्ट करना है। मैं तो यही कहूंगा कि यह कानून बनाना संविधान के मूलभूत ढांचे को ही

जड़-मूल से समाप्त करना है, और इसलिए यह संविधान को आरम्भ से बिल्कुल समाप्त करना है।

इसके दो अथवा तीन कारण हैं। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जब हम अनुच्छेद 63 को अनुच्छेद 71 के साथ जोड़ कर पढ़ते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इस देश के कार्यकारी कार्य केन्द्रीय सरकार के अधीन है और राष्ट्रपति एक सांविधानिक मुखिया है, अतः जब हम संविधान के अनुच्छेद 356 पर आते हैं तो यह राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान करता है, जो कि मन्त्रिमंडल की सलाह पर प्रयुक्त की जाती हैं। जब इस देश में कुछ आकस्मिकताएं उत्पन्न होती हैं जिनमें कानून और व्यवस्था की स्थिति अथवा जब सांविधानिक तन्त्र भंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कुछ शक्तियां स्वयं ले लेगा अथवा स्वयं को सर्वेसर्वा समझेगा और राज्य की सरकार का कोई भी कार्य हो, तब, राज्य सरकार की सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा ले ली जाएंगी।

अब, इस विशेष वक्तव्य से तो राज्य के मन्त्रिमण्डल ने बहुमत खो दिया है या उन कदमों को अंगीकार कर लिया है, जो कि इस देश की प्रभुसत्ता को समाप्त करने के बराबर है, यह वक्तव्य केवल उस विशेष स्थिति से ही सम्बन्धित है, जबकि विधान मंडल ने बहुमत खो दिया है। परन्तु यह उन विशेष आकस्मिकताओं को पूरा नहीं करता, जिनका हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया है और वे हैं तीन विशेष आकस्मिकताएं। अतः यदि हमें इस विशेष कानून को बनाना ही था, तो हमें केन्द्रीय सरकार की उन शक्तियों का प्रावधान नहीं करना था जो आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित में कामकाज चलाने से सम्बन्धित हैं। इस मूलभूत मुद्दे के कारण ही केन्द्रीय सरकार की इस देश के संचालन करने की शक्तियों को नष्ट करने का प्रयास होता। मैं समझता हूं कि यह बात संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करना है।

अतः यह संशोधन संविधान को प्रारम्भ से निरर्थक करता है। इन्हीं मुद्दों पर, मैं उक्त संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि आज भारत औद्योगिक क्रांति की राह पर है। और इस समय विशेष में, मैं स्वयं को और इस देश को एक सूत्र में बांधने और हमारे सामने 21वीं सदी में प्रवेश करने में जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने की आवश्यकता महसूस करता हूं।

श्री बी० जनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं श्री सुधीर गिरी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं और इस संशोधन के पक्ष में अपने विचार पेश करता हूं।

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध पर बहुत कुछ कहा गया है। संविधान के भाग I, अनुच्छेद 1 के आरंभिक वाक्य में हमें भारत की परिभाषा मिलती है। 'भारत, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ होगा।'' अतः मेरा कहना यह है कि राज्यों के अस्तित्व के बिना उनका कोई संघ नहीं होगा और न ही हो सकता है। अतः, इसके पश्चात् स्वतः ही यह बात उभरती है कि संघ और राज्यों के बीच क्या सम्बन्ध होने चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि स्वतन्त्र रूप से संचालित राज्यों और संघ के बीच संविधान में निहित संघीय ढांचे के अन्तर्गत सम्बन्धों का स्वरूप क्या हो? हमें स्वतंत्र रूप से संचालित राज्यों के स्वरूप को तय करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 में यह उपबंध निहित हैं कि राज्यों को कुछ

शक्तियां दी जाती है, वे प्रशासनिक शक्तियों में निहित हैं। वे संविधान के ढांचे के अन्तर्गत कुछ कार्यों को करने के लिये बाध्य हैं। फिर हमारे संविधान में संघ और राज्यों के बीच सम्बन्धों का भी प्रावधान है। हम देखते हैं कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 तक में हैं। अब इस पृष्ठभूमि में हमें अनुच्छेद 356 में दिए गए प्रावधानों पर गौर करना है। अनुच्छेद 356 अपने आप में यह दर्शाता है कि यह केवल आपातकालीन प्रावधान है। नि:सन्देह केन्द्र को यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों को दी गई शक्तियों के तहत ही राज्य के प्रशासनिक कार्य पूर्ण हों। अब श्री सुधीर गिरी द्वारा प्रस्तावित संशोधन राज्यों में भी प्रशासन, कानून और न्याय बनाए रखने में केन्द्र के सार्वभौमिक कार्य को पूर्णतया वापस नहीं लेगा। इस समय अनुच्छेद 356(1) में यह उपबन्ध इस प्रकार है :

> "यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा....."

अब यह अनुच्छेद विशेष रूप से ऐसे राज्य में सरकार चलाने के लिए है जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति, जोकि संविधान का मुखिया है और राष्ट्र का भी मुखिया है, यह समझे कि राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। तब नि:सन्देह उन्हें हमारे संघ के उस विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को चलाने के लिए कुछ उपबन्ध बनाने होंगे।

इस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि "राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के तहत नहीं चलाई जा सकती" शब्दों के स्थान पर "राज्य की मंत्रि-परिषद ने बहुमत खो दिया है अथवा उसने ऐसे कदम उठाए हैं जो देश की सार्वभौमिकता के प्रतिकूल हों" बदल दिए जाएं।

अब हम एक लोकतन्त्र में रह रहे हैं। राज्यों के प्रशासन में लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान के अनुसार गठित है। एक निर्वाचित सरकार जिसमें उस राज्य के लोगों, भारत के नागरिकों ने विश्वास व्यक्त किया है, उस क्षेत्र में रह रहे लोगों की पूर्ण संतुष्टि के मुताबिक अपने कार्य करने की अनुमति क्या उसे नहीं दी जानी चाहिए ?

नि:संदेह हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनैतिक पार्टियां हैं, हमारी राजनैतिक आकांक्षाएं हैं, लेकिन हम सबको संविधान के ढांचे के तहत कार्य करना है। ऐसे मामलों में प्रश्न यह है अब एक केंद्र जिसके मुखिया राष्ट्रपति है, जोकि मंत्रि-परिषद की सलाह पर कार्य करता है क्या वह यह सोच सकता है कि एक राज्य में सरकार जो उचित प्रकार से निर्वाचित है और जिसे लोगों का विश्वास प्राप्त है वहां पर प्रशासन संविधान के उपबन्धों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता।

अब बाद में हुई गतिविधियों के बारे में अनेक बातें कही जाती हैं, उस अनुभव के बारे में कहा जाता है जो इन गत वर्षों में हमने संविधान के कार्यकरण में प्राप्त किया है। केंद्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों का स्वरूप निश्चित करने के लिए एक के बाद एक अनेक आयोग गठित हुए हैं और उनमें नवीनतम सरकारिया आयोग है। सत्ता पक्ष में मेरे मित्र सरकारिया आयोग गठित

करने के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रेय दे रहे हैं। दुर्भाग्य से वे इस समय यह भूल गए हैं कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को जानबूझकर अछूता रखा गया है।

संभवत: सरकार ने समझा कि केंद्र को दी गई शक्तियां वापस ली जा रही हैं अथवा वे विशेष रूप से राजनैतिक उद्देश्यों के लिए एक विशेष राज्य में प्रशासन का पूरा नियन्त्रण लेना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते।

संशोधन में सिर्फ यही कहा गया है कि जब तक यह साबित न हो जाए कि मंत्रि-परिषद बहुमत खो चुकी है अथवा उसने ऐसे कदम उठाए हैं जो देश की प्रभुसत्ता के प्रतिकूल हैं तब तक राष्ट्रपति अथवा केंद्र में निहित शक्तियों का प्रयोग होगा अथवा बहुत सोच-समझकर होगा।

महोदय, उन्होंने वह तरीका भी सुझाया है जिससे मंत्रि-परिषद का बहुमत आंका जाए। वह उपबन्ध में निम्नलिखित जोड़ना चाहते हैं :

> "बशर्ते कि, यह तथ्य कि क्या मंत्रि-परिषद ने बहुमत खो दिया है, राज्य की विधान सभा के अन्दर साबित करना होगा।"

संविधान के कार्यकरण में हमारे अनुभव के तहत ही यह भय व्यक्त किया गया है।

श्री मोहन सिंह जी ने काफी विस्तार से इस बात का अध्ययन किया है कि किस प्रकार केंद्र की मर्जी पर विभिन्न राज्यपालों को नियुक्त किया जा रहा है और वे किस प्रकार सिर्फ राजनैतिक कारणों से कार्य कर रहे हैं। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार एक के एक बाद एक राज्यों में सरकारें गिराई गईं। हमारे सम्मुख हाल की घटनाओं के उदाहरण हैं। 1989 में कर्नाटक में श्री बोम्मई के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार को रातों रात गिरा दिया गया था। 1991 में मेघालय में जो घटा उस पर अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। और अब इस सभा के सम्मुख मणिपुर का मामला है जो कि 1992 में ही घटित हुआ है।

इन सबको दृष्टि में रखते हुए यह संशोधन यहां प्रस्तुत किया गया है कि राज्य विधान सभा के अन्दर मंत्रि-परिषद में विश्वास का निर्णय लिया जाए। राज्यपाल इस बारे में कैसे निर्णय ले सकते हैं, जिन्हें संविधान के मुखिया राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में दी गई शक्तियों के तहत संविधान के ढांचे के तहत अपने कार्यों, कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है।

अत: ईमानदारी से मंत्रिमंडल के बहुमत की परख सिर्फ विधान सभा में ही करनी होगी। इसमें गलत क्या है ? अक्सर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, "अगर हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़े तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा।" अब राज्यपालों को पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए तथा राज्य में मंत्रिमण्डल गठित करने के अवसर निर्वाचित सरकार को दिया जाना चाहिए तथा विधान सभा में उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अन्यथा इस प्रावधान का अक्सर दुरुपयोग होता है। अनुच्छेद 356 की उपधारा 1 में उल्लिखित शब्द "राज्य के राज्यपाल अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सूचना की" बहुत ही हानिकारक है। "अथवा अन्य प्रकार से" शब्द पर बहुत अधिक जोर डाला गया है। अनेकों बार केंद्रीय सरकार को दिये गये इस अधिकार का प्रयोग कर राष्ट्रपति द्वारा अधिघोषणा की गयी है ताकि राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथों में आ जाये।

मेरे मित्र श्री सुधीर सावन्त संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन की बात कर रहे थे। इसमें संदेह नहीं है कि हम सब सहमत हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकों बार निर्णय दिये गये हैं कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यह एक आपातकालीन प्रावधान है जिसे लागू करने का विचार सिर्फ अन्तिम उपाय के रूप में किया जाता है जबकि कानून और व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गयी हो, जब राष्ट्रपति अथवा केंद्रीय सरकार यह महसूस करे कि एक राज्य विशेष का प्रशासन केंद्र के हस्तक्षेप के बिना नहीं चल सकता है। फिर, सिर्फ ऐसे मामलों में ही अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान को लागू किया जाना है। इससे स्वयं यह स्पष्ट होता है कि इस प्रावधान को पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ सावधानीपूर्वक लागू किया जाना है और जिन अधिकारों का प्रयोग किया जाना है उन पर भी कुछ नियंत्रण रखना है। उचित यह है कि वर्तमान परिस्थिति में अब जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, बहुत आवश्यक हैं।

एक आशंका यह व्यक्त की गयी है कि क्या यह सभा इन संशोधनों को इस समय लागू करने में सक्षम है। मेरा अनुरोध यह है कि हमने संविधान के अनेक प्रावधानों को संशोधित होते हुए देखा है। यह संविधान की मूल संरचना से सम्बन्धित नहीं है। अनुच्छेद 356 में वर्णित प्रावधानों में संशोधन लाकर हम किसी भी प्रकार अपने संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन अधिकारों, जिनका एक राज्य विशेष के लोगों की क्षति पहुंचाने हेतु अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, पर नियंत्रण लगाने हेतु इस प्रावधान में संशोधन कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए कि यह विशेष संशोधन एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इसे सरकार द्वारा प्रस्तुत नही किया जा रहा है तथा उन्हें इस संशोधन को कृपया स्वीकार कर लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि प्रशासन से सम्बन्धित इन समस्त विवादों का निपटारा केंद्र तथा राज्यों के बीच हमेशा के लिए हो जाए। यदि नहीं तो सरकार को स्वयं इस प्रकार का संशोधन लाना चाहिए ताकि इस सम्मानीय सभा द्वारा संशोधन को कार्यान्वित किया जा सके। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए चार माननीय सदस्य उत्सुक हैं। वे प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। आवंटित समय भी समाप्त हो रहा है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कृपया समय बढ़ा दिया जाए।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, हमें निर्धारित समय बढ़ा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। यदि सत्ता पक्ष चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब श्री सुधीर राय।

डा० सुधीर राय (बर्द्धमान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुधीर गिरि द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं। जब 1946 में पूरे देश में आम चुनाव हुए थे तब कांग्रेस

पार्टी द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसमें यह वायदा किया गया था कि भारत में संघीय व्यवस्था लागू होगी और संघ सरकार के पास सिर्फ रक्षा, विदेश मंत्रालय और वित्त विभाग का प्रभार होगा और शेष सभी राज्यों के अन्तर्गत होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जब संविधान बना तो यह देखा गया कि केन्द्र बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। केन्द्र सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं एवं समवर्ती सूची में 50 से अधिक विषय हैं। संविधान में यह कहा गया है कि यदि किसी विषय के सम्बन्ध में कोई शंका हो तो वह विषय संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जायेगा।

सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार द्वारा शुरू से ही किया जाता रहा है। आमतौर पर चुनाव में पराजित नेतागण, राज्य की राजनीति से संन्यास ले चुके नेतागण तथा सिविल सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी गणों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। वे सभी केन्द्रीय सरकार के इशारों पर नाचते हैं।

इस प्रकार जब 1952 में मद्रास विधान सभा के लिए आम चुनाव हुए थे तो तत्कालीन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, तथा मजदूर प्रजा पार्टी बहुमत के साथ विजयी हुए थे। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश, जो हमेशा से कांग्रेसी रहे थे, ने यह विचार व्यक्त किया था कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही स्थायी सरकार बना सकती है। श्री राजागोपालाचारी उच्च सदन के सदस्य बनाये गये थे और फिर उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था। सत्तारूढ़ दल में कुछ सदस्यों को बुलाने या शामिल करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था। इस प्रकार वहां कांग्रेस सत्ता में आई। परन्तु, अगले वर्ष, 1953 में जब आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने की बात चली थी, श्री नागी रेड्डी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए था क्योंकि वे सबसे बड़े दल के नेता थे। परन्तु इस बार राज्यपाल चन्दू लाल त्रिवेदी ने यह मत दिया कि सरकार उसी गठबंधन द्वारा बनाई जाये जिसे कि बहुमत प्राप्त हो तथा इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश में एक सांझा सरकार सत्ता में आ गई।

श्री ए० चार्ल्स : जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में थी तो एक ही साथ 13 राज्यपालों को बर्खास्त किया गया तथा उन्हें दैनिक आधार पर अपने पद पर बने रहने के लिए कहा गया। **(व्यवधान)**

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचुर) : वे राज्यपालों को दैनिक आधार पर रखते थे। **(व्यवधान)**

डा० सुधीर राय : महोदय, राज्यपाल केन्द्र सरकार के हाथ में एक सुलभ हथियार बन गये हैं और जब भी विपक्ष के सत्ता में आने का कोई अवसर नजर आता है, तो वे अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत रिपोर्ट भेज देते हैं कि संविधान के सिद्धान्तों के अनुरूप सरकार को नहीं चलाया जा सकता। अब तक 84 बार राज्य सरकारों को भंग अथवा बर्खास्त किया जा चुका है। ऐसा क्यों? महोदय, भारत राज्यों का एक संघ है तथा राज्यों के संघ में राज्य सरकारों तथा केन्द्र के बीच शक्तियों का समन्वय होता है और अपने-अपने दायरे में उनके समान अधिकार हैं। परन्तु भारत में क्या स्थिति है? केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करती है तथा राज्यपाल इसके लिए एक हथियार का कार्य करते हैं तथा राज्यपाल सामान्य तौर पर अनुच्छेद

356 के अन्तर्गत राज्य विधान सभा को भंग करने तथा राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करते हैं।

महोदय, मेरे से पहले के वक्ताओं ने केरल का उदाहरण दिया जबकि वहां पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी जिसे कि कैथोलिक चर्च, चाय उत्पादकों तथा सी० आई० ए० का संरक्षण प्राप्त था। एम्बैसडर मॉयनिहन की रिपोर्ट इस तथ्य का समर्थन करती है तथा फिर अचानक अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल में राज्यपाल का शासन लागू कर दिया गया।

1967 तथा 1968 में हुई घटनाओं की जो कहानी श्री मोहन सिंह जी ने बताई है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। महोदय, राज्य विधान सभाएं पशु मण्डियों का रूप ले चुकी थीं जहां कि उन्हें बेचा और खरीदा जाता था तथा राज्यपाल इन सौदों में मदद करते थे। जब भी कांग्रेस ने सत्ता में आना चाहा, उन्होंने कुछ इच्छुक विधायकों को खरीदा तथा फिर यह रिपोर्ट दी गई कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत लागू किया गया राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाये तथा एक सांविधानिक सरकार का गठन हो सकता है। इसलिए, महोदय, हम जानते हैं कि भारत में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। एक दिन राजमन्नार आयोग को समाप्त कर दिया गया। जस्टिस राजमन्नार ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी, परन्तु उस रिपोर्ट को नकार दिया गया। अब सरकारिया आयोग ने भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यह कहा गया है कि राज्यपाल को राजनीति से ऊपर होना चाहिए। परंतु पिछले वर्ष तमिलनाडु सरकार को राज्यपाल सलीम से रिपोर्ट प्राप्त किए बगैर ही बर्खास्त कर दिया गया।

श्री ए० चार्ल्स : आपकी सरकार लिट्टे की समर्थक थी।

डॉ० सुधीर राय : आपने लिट्टे को संरक्षण दिया। लिट्टे की बात मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री पी० सी० चाको : आपकी अभी भी उनसे सांठ-गांठ है। (व्यवधान)

श्री इरा अन्नाराजु (मद्रास मध्य) : कांग्रेस ने लिट्टे का समर्थन उनके मानवीय अधिकारों के हनन के कारण किया, उनकी आतंकवादी गतिविधियों के कारण नहीं। इसलिए उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिएं। (व्यवधान)

डा० सुधीर राय : इसलिए मैं श्री सुधीर गिरि के विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि अगर इस अनुच्छेद को हटा दिया गया, तो हमारा संविधान और सशक्त होगा।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि श्री सुधीर गिरि ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह विधेयक वास्तव में विचारोत्प्रेरक तथा अन्तर्मन को झंझोड़ने वाला तथा हम सबके विवेक को जागृत करने वाला है। मेरे विचार में यह सत्ता में बने हुए लोगों को राजनैतिक औचित्य तथा राजनैतिक निष्पक्षता की राह दिखाने वाला है। परन्तु मेरे विचार में इस संशोधन के द्वारा भी हमारे समक्ष समस्या को सुलझाया जा सकता है क्योंकि आपात स्थितियों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के पास कुछ विशिष्ट शक्तियां होनी ही चाहिएं। परंतु झगड़ा इस बात का है कि इन शक्तियों का प्रयोग कब, कैसे, किस सीमा तक तथा किस प्रकार

किया जाना चाहिए। इसलिए वास्तविक आवश्यकता इन शक्तियों का प्रयोग करने वाले लोगों में राजनैतिक ईमानदारी का होना है।

प्रस्तुत संशोधन में केवल इतना कहा गया है कि छोटे से परिवर्तन की बजाय इसे उन स्थितियों तक सीमित रखना चाहिए जहां कि मन्त्रिमण्डल बहुमत खो बैठा हो और दूसरे जहां कि देश की प्रभुसत्ता के विपरीत कुछ कदम सरकार द्वारा उठाये गये हों। मूलतः यह इस अनुच्छेद को और व्यापक बनाने की ओर एक कदम है। मेरे विचार में उन मामलों को भी उसी वर्ग में रखा जाना चाहिए जहां कि सांविधिक तन्त्र पूर्णतया असफल हो गया हो। यहां पर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। मेरे विचार में अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए जो आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि इस शक्ति का प्रयोग कई बार किया जा सकता है। जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने इस अधिकार का वास्तव में दुरुपयोग किया है तथा इसका प्रयोग अन्धाधुन्ध राज्य सरकारों की जड़ें काटने के लिए किया। 1977 में हमें इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है जबकि बिना कोई कारण दिए बहुत-सी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। मेरे विचार में जो उदाहरण यहां पर दिए गए उससे यह स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

5.59 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं सूची में संशोधन)

श्रीमती बिल कुमारी मण्डारी (सिक्किम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बिल कुमारी मण्डारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

---

* दिनांक 28-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल शनिवार, 29 फरवरी, 1992 को 5.00 म० प० पर बजट प्रस्तुति तक के लिए स्थगित होती है ।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 29 फरवरी, 1992/10 फाल्गुन, 1913 (शक) के 5 00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53